खण्ड–489, अंक–5
बुधवार, 04 आषाढ़, शक संवत् 1936
(25 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-114
निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें.....	
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री खचेडू सिंह मोहरिया, श्री भूप किशोर, श्री वीरेन्द्र पति यादव, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री केदार नाथ सिंह, डा0 मोअज्जिम अली बेग, श्री राम सकल तिवारी, श्री नत्थू सिंह, श्री रामधारी शास्त्री, श्री जावेद अंसारी, श्री काशी नाथ मिश्र, श्री गोवर्धन सिंह, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री राम निहोर राय, श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री चन्द्र किशोर तथा श्री संदीप अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार ...	114-119
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	119-120
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	120-121
गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी में परिषद् द्वारा योजना प्लान वर्ष 1989 के अनुसार मूलभूत सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत चौहाड़ाघाट बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	122
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर से निकलने वाले नाले की खुदाई, सफाई तथा पक्का न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद फतेहपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे गुलरिहा घाट तक 5 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
उ0 प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के खाद्य निरीक्षकों को फूड सैम्पलिंग के कार्य में लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123-124
जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय मार्गों में लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत ताड़ीघाट बारा जर्जर मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124-125
प्रदेश में राजस्व विभाग की पुरानी रजिस्ट्रियों के दाखिल खारिज कराने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित समय-सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी अन्तर्गत कौड़िहार में 33/11 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट के कतिपय क्षेत्रों में नाला एवं नाली का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में पानी निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126-127
इलाहाबाद नगर के अल्लापुर, टैगोर टाउन, जार्ज टाउन के मालवीय रोड, लिडिल रोड, अमरनाथ झा मार्ग आदि मोहल्लों के वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	127
श्री राज्यपाल द्वारा जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न	128-130
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)	130-131
समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-464/26-2-2014-100(2) -2008 दिनांक 24 फरवरी, 2014 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	131
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति वर्ष (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	131
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर की खराब सड़कों के स्थान पर नई सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमर मित्तल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	131
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्प को चालू कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री सन्तोष आनन्द आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	131-132

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में नये धोबीघाटों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री होरी लाल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	132
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 से छलेसर चौराहा होते हुए वास बादाम तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	132
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत जलेसर रोड से सेवरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पुष्पेन्द्र त्यागी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	132
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के अन्तर्गत ग्राम घूरीपुर और हण्डौर के बीच लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक कुं0 बहादुर पटेल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	132
जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कस्बा रूदौली नगर पालिका परिषद् पेयजल योजना के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री शेखर गुप्ता आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	133
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव	133-136
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	136
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	136-149
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	150-194
आय-व्ययक पर चर्चा के मध्य विधेयक पारण की मद लिये जाने का अनुरोध ...	194-195
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश का अननुमोदन एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित)...	195-203
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	203-210
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	210-227
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	227-231
जनपद मथुरा के अनेकों ग्रामों के पानी की टंकी तथा अधोमानक पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	231
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टी0ई0टी0 पास शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	231-233

विषय	पृष्ठ-संख्या
नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत मोहल्ला बख्शीपुर चौक स्थित सरकारी बंजर भूमि को फर्जी रूप से बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	233
जनपद फिरोजाबाद के गरखी व टूण्डला ब्लाक के ग्रामों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)... ...	233
जनपद गाजियाबाद, साहिबाबाद के अन्तर्गत कालोनियों में सीवर साफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	233-234
जनपद रायपुर स्थित विलासपुर एवं शीशगढ़ मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	234
जनपद बलिया के रसड़ा नगर पालिका परिषद् में लगे विद्युत खम्भों एवं जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	234
जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल योजना को ठीक कराकर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार रावत द्वारा दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	234
जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम बस्तोई से जिला अलीगढ़ के ग्राम बजरंगपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	234
जनपद बरेली के रम्पुरा अलीगंज सिरौली मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित करायी गई है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	234
जनपद इलाहाबाद के जमुनापार के तहसील करछना में किसानों की जमीन बरौनी कानपुर के प्रयाग द्वारा जमीन अर्जन का समुचित मुआवजा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा दिनांक 20 जून, 2014 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	235
नत्थियां	236-264

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-346

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
37. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
44. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
45. आशीष यादव, श्री — बदायूं
46. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
47. इकबाल, श्री — बिजनौर
48. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
49. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
50. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री — उन्नाव

57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
66. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
67. काली चरन सुमन, श्री आगरा
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
75. गजराज सिंह, श्री हापुड़
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
80. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
81. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
82. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
83. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
85. गोमती यादव, श्री लखनऊ
86. गोरख पासवान, श्री बलिया
87. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
88. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
89. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
90. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
91. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
92. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
93. जगपाल, श्री सहारनपुर
94. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
95. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
96. जफर आलम, श्री अलीगढ़
97. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
98. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
99. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
100. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
101. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
102. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
103. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
104. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
105. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
106. तसलीम, श्री बिजनौर
107. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
108. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
111. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
112. दलजीत सिंह, श्री बांदा
113. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
114. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
115. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
116. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
117. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
119. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
123. धर्मराज, श्री बाराबंकी

124. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
125. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
126. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
127. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
128. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'' श्री प्रतापगढ़
130. नारद राय, श्री बलिया
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
133. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
134. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
135. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
136. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
137. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
138. पीतमराम, श्री पीलीभीत
139. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
140. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
143. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
144. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
145. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
146. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
147. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
148. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
149. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
150. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
151. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
152. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
153. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
154. बदलू खां, श्री उन्नाव
155. बाबू खां, श्री हरदोई
156. बाबूलाल, श्री गोण्डा
157. बावन सिंह, श्री गोण्डा
158. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
159. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
160. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
161. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
162. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
163. बैजनाथ, श्री मऊ
164. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
165. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
166. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
167. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
168. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
169. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
170. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
171. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
172. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
173. मनबोध, श्री देवरिया
174. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
175. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
176. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
177. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
178. महबूब अली, श्री अमरोहा
179. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
180. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
181. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
183. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
184. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
185. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
186. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
187. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
188. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
189. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
190. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर

191. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
192. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
194. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
195. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
196. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
197. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
198. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
201. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
202. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
203. यासर शाह, श्री बहराइच
204. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
205. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
206. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
207. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
208. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रणजीत सुमन, श्री एटा
211. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
213. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
214. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
215. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
216. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
219. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
220. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
221. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
222. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
223. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
224. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
225. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
226. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
227. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
228. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
229. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
230. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
231. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
232. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
233. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
234. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
235. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
236. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
237. राधेश्याम, श्री अमेठी
238. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
239. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
240. राम करन आर्य, श्री बस्ती
241. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
242. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
243. राम गोविन्द, श्री बलिया
244. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
245. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
246. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
247. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
248. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
249. राम मगन, श्री बाराबंकी
250. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
251. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
252. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली

253. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
254. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
255. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
256. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
257. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
258. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
259. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
260. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
261. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
262. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
263. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
264. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
265. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
266. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
267. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
268. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
269. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
270. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
271. विजय मिश्र, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
272. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
273. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
274. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
275. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
276. विजय सिंह, श्री रामपुर
277. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
278. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
279. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
280. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
281. वीरपाल राठी, श्री बागपत
282. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
283. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
284. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
285. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
286. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
287. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
288. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
289. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
290. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
291. शाकिर अली, श्री देवरिया
292. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
293. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
294. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
295. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
296. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
297. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
298. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
299. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
300. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
301. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
302. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
304. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
305. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
306. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
307. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
308. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
309. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
310. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
311. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
312. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
313. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
314. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
315. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
316. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
317. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर

318. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
319. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
320. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
321. सियाराम सागर, डा0 बरेली
322. सीमा, श्रीमती जौनपुर
323. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
324. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
325. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
326. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
327. सुधाकर, श्री मऊ
328. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
329. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
330. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
331. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
332. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
333. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
334. सुरेश राणा, श्री शामली
335. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
336. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
337. सुल्तान बेग, श्री बरेली
338. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
339. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
340. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
341. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
342. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
343. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
344. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
345. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
346. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
347. रिक्त गौतमबुद्ध नगर
348. रिक्त शामली
349. रिक्त लखनऊ
350. रिक्त खीरी
351. रिक्त बहराइच
352. रिक्त वाराणसी
353. रिक्त महोबा
354. रिक्त कौशाम्बी
355. रिक्त हमीरपुर
356. रिक्त बिजनौर
357. रिक्त सहारनपुर
358. रिक्त मुरादाबाद

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

नत्थी (क)

[11.00 बजे] तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में डेंगू तथा दिमागी बुखार के मरीज एवं उनकी मृत्यु का विवरण तथा इसके रोकथाम के उपाय

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री दलवीर सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013 में डेंगू तथा दिमागी बुखार (जापानी इंसेफेलाइटिस) से पीड़ित कितने मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने के मामले प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से कितने मरीजों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार डेंगू तथा दिमागी बुखार के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिये कोई समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां, प्रदेश में वर्ष 2013 में डेंगू रोग से पीड़ित 1414 मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने के मामले प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से 05 मरीजों की मृत्यु हुई है एवं दिमागी बुखार (जापानी इन्सेफेलाइटिस) रोग से ग्रसित 281 रोगी प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती हुये हैं, जिसमें 47 रोगियों की मृत्यु हुई हैं।

जी हां, डेंगू रोग एवं दिमागी बुखार (ए0ई0एस0/जे0ई0) रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक वर्ष समयबद्ध कार्ययोजना निर्देश जनपदों को प्रेषित किये जाते हैं, जिसके अनुसर जनपदों में डेंगू रोग एवं दिमागी बुखार (ए0ई0एस0/जे0ई0) रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक रखने का अवसर प्रदान किया। मा0 अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि जनपदों में डेंगू और दिमागी बुखार के लिये मा0 मंत्री जी ने काफी कारगर कदम उठाये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बस मात्र इतना जानना चाहता हूं और मेरा यह मत है कि इन बीमारियों का प्रकोप पिछले कई वर्षों से काफी बढ़ रहा है। यह काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई जा रही है और मैं मा0 मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि डेंगू तथा दिमागी बुखार के लिये क्या इसको महामारी घोषित किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, डेंगू बीमारी के उत्तर प्रदेश के कुल 61 संवेदनशील जिले हैं और इसमें जैसा मैंने अभी आंकड़ा दिया 2013 का, इसके लिये सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और इसकी कार्य योजना बना करके इसकी रोकथाम के लिये व्यवस्था की जा रही है। जहां तक महामारी की बात है तो जब इसकी रोकथाम के लिये सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसके लिये

प्रयासरत है। महामारी की स्थिति जब ऐसी नियंत्रण के बाहर होगी तो फिर इसके बारे में सोचा जायेगा।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डेंगू बीमारी इतनी भयंकर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चाहे अलीगढ़ है, चाहे गाजियाबाद है, चाहे मेरठ है, चाहे मथुरा है, कासगंज, एटा सब में बहुत बुरी तरह से फैलती है और इसके लिये कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, न कोई प्रॉपर व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि लाल खून से सफेद खून करने वाली मशीन हॉस्पिटलों में उपलब्ध नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से जहां भी ये हॉस्पिटल खुले हुये हैं या नर्सिंग होम खुले हुये हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि उस मशीन को वो मंगा सकें तो मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह है और जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ मण्डल स्तर का जिला है, वहां चार या पांच जिलों के मरीज आते हैं तो क्या इस तरह की व्यवस्था अलीगढ़ मण्डल स्तर पर खून सेपरेट करने वाली मशीन, सफेद और लाल को अलग-अलग करने वाली मशीन लगाकर इसके लिये उपयुक्त उपचार करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री शंखलाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके निदान हेतु प्रदेश के 24 सेण्टीनल सर्वेलेन्स हॉस्पिटल लैब्स तथा एक अपेक्स रिफरल लैब स्थापित की गयी हैं। इन लैब में एलाइजा आई0जी0एम0 किट्स डेंगू की जांच हेतु एन0वी0बी0डी0सी0पी0 भारत सरकार द्वारा एलाइजा आई0जी0एम0 किट्स उपलब्ध कराये जाते हैं जिनमें जांच निःशुल्क की जाती है। प्रदेश में डेंगू के उपचार हेतु सभी जनपदों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन जिला स्तर पर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर किया जाता है। जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डेगू रोगियों के लिए शैय्याएं आरक्षित की गई हैं, प्लेटलेट्स की कमी दूर करने के लिए 28 ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेटर यूनिट स्थापित की गई हैं। प्रदेश के 11 मेडिकल कालेजों में ब्लड बैंक और ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेटर यूनिट स्थापित हैं। सैनिक अस्पताल लखनऊ में भी ब्लड बैंक और ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेटर यूनिट स्थापित है। प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य सरकारी चिकित्सालयों में कुल 55 ब्लड बैंक स्थापित हैं। समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर रोगी के प्रबन्धन हेतु औषधियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो सुविधा निःशुल्क भी उपलब्ध है। इसके लिए सही बात तो यह है कि एडीज ऐजेपट्टाइ/टाइगर मच्छर के द्वारा यह बीमारी फैलती है। यह दिन में काटता है और इसके निदान और उपचार के लिए इसमें सरकारी विभाग के द्वारा जो व्यवस्था है, उसके साथ-साथ इसमें सामाजिक जागरूकता और इसका चिकित्सा शिक्षा प्रचार-प्रसार के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जा सकता है।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया, मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा कि अलीगढ़ मण्डल स्तर का जिला है, एटा, कासगंज, हाथरस और दिल्ली के साइड के जितने मरीज हैं, इस डेगू से प्रभावित होकर अलीगढ़ इस आशा से आते हैं कि मण्डल हेडक्वार्टर है, यहां पर पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन मरीज निराश होकर चले जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, आपने कई लैबों के नाम गिना दिये, कई जगह की लैबरोटरी बता दी। अलीगढ़ में क्या आपने कोई इस तरह की व्यवस्था की है जहां इन डेंगू के मरीजों का उपचार किया जा सके। वरना हमारे यहां से सब मरीजों को दिल्ली, नोयडा, गुड़गांव भागना पड़ता है, किसी अस्पताल में जगह नहीं रहती। कोई व्यवस्था अभी

तक सरकार की तरफ से नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह बीमारी की रोकथाम के लिए, जैसे अन्य बीमारी स्मॉल पॉक्स इत्यादि के लिए टीके इजाद किये गए हैं। डेगू के लिए कोई टीका इजाद करने की तैयारी सरकार की है या करने जा रही है, कोई व्यवस्था है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री शंख लाल मांझी-

मा0 अध्यक्ष जी, अलीगढ़ मण्डल स्तर का जो जिला है और वहां पर जैसा मा0 सदस्य जी ने अवगत कराया है, मरीजों की संख्या जहां भी और जिस जनपद में भी, मैंने कहा हर जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था की गयी है। अगर इस तरह की वहां पर ज्यादा बीमारी और मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए अलग से सोच-विचार किया जायेगा। दूसरी बात आपने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनी है। उसमें पीड़ित व्यक्ति की तत्काल पहचान करना और उसके निदान और उपचार करना। इन्टीग्रेटेट बैक्टर कंट्रोल द्वारा मच्छरजनित परिस्थितियां जो हैं उनको समाप्त किया जाना। सर्वेक्षण पर विशेष बल देते हुए रोकथाम एवं बचाव किया जाना एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार-प्रसार द्वारा व्यावहारिक सहभागिता जनसामान्य को जागरूक किया जाना। स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में स्कूल में मच्छरों से कैसे बचाव किया जा सके इस बारे में शिक्षा दिया जाना। ये सब इसके रोकथाम की और निदान की व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से। जहां तक टीके की बात है....

श्री दलवीर सिंह-

क्या यह आश्वासन देती है सरकार की यह व्यवस्था अलीगढ़ में करायी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो सुन लीजिए, पूरा।

श्री शंखलाल मांझी-

हो गया पूरा उत्तर।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी कहां हो गया पूरा। मा0 अध्यक्ष जी, अभी पूरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैंने पूछा था कि क्या इस व्यवस्था को सरकार करेगी अलीगढ़ मण्डल स्तर पर, इसका जवाब मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं। ये बतायें।

श्री शंखलाल मांझी-

मैंने बोल तो दिया।

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं, जहां ज्यादा मरीज आएंगे, वहां व्यवस्था होती है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि जापानी इंसेफेलाइटिस की घटनाएं वर्ष 2007 के बाद से बहुत कम हुई हैं। यह जलजनित बीमारी है। इन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है कि इससे 47 लोगों की मृत्यु हो गई है और 281 रोगी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो मान्यवर मंत्री जी

कैसे कह रहे हैं कि इस रोग पर नियन्त्रण हो गया है। मान्यवर, यह बीमारी इतनी तेजी में बढ़ रही है जिसका लक्षण यह संख्या है। इसीलिए मैं इसकी पुनः रोकथाम की बात कह रहा हूं। मान्यवर, 2 बार टीकाकरण किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या प्रभावी कार्यवाही करेगें। मान्यवर, जो इस समय यह इंसेफेलाइटिस को बीमारी है वह प्रदूषित जल से हो रही है। सरकार इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं इससे लगता है कि सरकार के संज्ञान में यह नहीं है और जलजनित रोगों को लेकर हौव्वा खड़ा किया जा रहा है और जो वास्तव में स्थिति है सरकार उसको बता नहीं रही है। सरकार के संज्ञान में सारे तथ्य हैं तो उसके नियन्त्रण के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री शंख लाल मांझी-

मान्यवर, माननीय डा0 साहब गोरखपुर मण्डल से हैं और मैं बस्ती मण्डल से हूं मान्यवर, मैं इसका भुक्तभोगी हूं क्योंकि मेरे बड़े पुत्र की मृत्यु 22 साल पहले इसी बीमारी की वजह से हुई थी। तो इसको लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। मान्यवर, सरकार को पूरी जानकारी है और सरकार इसके नियन्त्रण पर ध्यान दे रही है। मान्यवर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन मण्डलों के सभी जिले और में और कुछ अन्य जिलों जैसे गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, कानपुर देहात, सहारनपुर आदि को भारत सरकार द्वारा संवेदनशील घोषित किया गया है। मान्यवर, गोरखपुर और बस्ती मण्डल में अधिकांश रोगी यही पाये जाते हैं और इस मस्तिष्क जनित बीमारी जिसका कारण जलजनित और संक्रामक जल के प्रयोग से होता है और इसके उपचार के लिये सामाजिक रूप से जब तक हम इसके प्रति लोगों को जागरूक नहीं करेंगे हम प्रदूषित जल के इस्तेमाल के बचेंगे नहीं इसका उपयोग नहीं करेगें तो इसमे उपचार दे पाना थोड़ी दिक्कत की बात है। जेई तो आप जानते हैं कि मच्छर जनित है एई जो है यह संक्रमित जल की वजह से है जिसके लिए सरकार को जानकारी भी है और सरकार ने काफी उपाय भी किये हैं। जेई का टीकाकरण पूर्वांचल के 36 जिलों सहित में बच्चों को बचाने हेतु जेई वैक्सीन 9 माह के बच्चों में और 16 से 24 माह के बच्चों में टीका लगाया जाना है और यह काम जो संवेदनशील 10 जिलों में 22-6-2014 से किया जायेगा। जेई टीकाकरण छूटे हुए 15 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जाना प्रस्तावित है। वह कार्य किया जा रहा है। संवेदशील जिलों के अलावा मच्छर निरोधी कार्यक्रमों को प्रभावित जनपदों में मच्छर नियन्त्रण के लिये कीटनाशक दवाओं के छिड़काव बीच-बीच में किया जाता है। सुकर बाड़ा को आबादी के दूर करना और आसपास क्षेत्रों की सफाई और कीटनाशक छिड़काव हेतु जो सुकरपालक हैं उनको प्रेरित करना यह कार्य प्रस्तावित हैं। मान्यवर, आरम्भिक अवस्था में इस रोग को खोजने के लिए ग्राम स्तर पर बच्चों की ट्रेनिंग-हेल्थवर्कर और हमारी आशाओं द्वारा किया जा रहा है गोरखपुर व बस्ती मण्डलों में वेंटीलेटर युक्त आईसीयू की बच्चों के लिये व्यवस्था की गई है। बीआरडी मेडिकल कालेज में 100 शैय्या से वेन्टीलेटर युक्त इन्सेफेलाइटिस वार्ड 18-10-2013 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा आप जानते हैं कि इसका लोकार्पण किया गया है। 56 बेड बीआरडी मेडिकल कालेज में आप जानते हैं कि पहले से इसके लिए तैयार हैं कुल 156 शैय्या की व्यवस्था किया है बीआरडी मेडिकल कालेज में और सी0एच0सी0 और जिला अस्पतालों में दवा और अस्पताल उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सुन लीजिए डाक्टर साहब, जो सरकार ने व्यवस्था किया है वह मैं बता रहा हूं कि इतनी व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया है। समय से रोगी पहुंचे तो इसके लिए एम्बुलेंस सेवा फ्री में दिया ही जा रहा है और उसके लिए सख्त रूप से इसका हिदायत भी दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन भारत सरकार के सहयोग से

प्रदेश सरकार ने जे0ई0 प्रभावित जिलों में बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के मास्टर ट्रेनी प्रशिक्षित किये हैं यह स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ यहां माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, बाल पुष्टाहार भी इनके पास था इनके विभाग से भी सहयोग से करके को-आर्डीनेशन से इसकी रोकथाम के लिए व्यवस्था किया जा रहा है और जे0ई0 और ए0ई0 रोकथाम हेतु अन्तर्विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है, प्रचलित है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है मैं सहमत हूं कि कागज पर यह सब किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि अगर वास्तव में जमीन पर सब हो रहा है तो जो बीमारी करीब-करीब खत्म हो गयी थी जिसके बारे में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि 281 मरीज आये और 47 ऊपर चले गये तो प्रश्न यह है कि क्या सरकर इस बात पर गम्भीरता से विचार करेगी कि जितनी लम्बी बातें इन्होंने कही कुछ जांच-वांच करके पता करें कि यह सब जमीन पर हो रहा है कि नहीं। क्योंकि माननीय मंत्री जी, यह सब अगर हो रहा होता तो जो बीमारी एकदम कंट्रोल हो गयी थी पह फिर से उभरती कैसे ? तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में यह कहेंगे कि जितनी बाते उन्होंने कही है वह जमीन पर लागू हुई या नहीं हुई इस संदर्भ में वह सघन गहन जांच करायेंगे नम्बर एक, दूसरी चीज जो इन्होंने जल जनित का कहा, अध्यक्ष जी, यह पता ही नहीं है कि वह जल जनित बीमारी है क्या और यह जलजनित है भी या नहीं है। जितने अनडाइगनोस केसेज हैं जिनके बारे में पता नहीं है उसको हम लोग जलजनित कहकर किनारे ढकेल दे रहे हैं। आप भी पूर्वान्चल के हैं, मैं भी हूं प्रदूषण, जल प्रदूषण सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं नहीं अगर जलप्रदूषण कारण होता तो यह बीमारी पूरे उत्तर प्रदेश में होती क्यों सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही है कोई न कोई ऐसी बात है जिसके नाते वह वहीं सिमटी हुई है माननीय मंत्री जी, क्या सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस संदर्भ में जांच कराकर यह पता किया जाय कि जो जल प्रदूषण पूरे उत्तर प्रदेश में है बावजूद उसके यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही है इस संदर्भ में कोई शोध करायेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, डाक्टर साहब ने अभी मैंने जो उत्तर दिया था उसके बारे में कहा कि जितने उपाय और हम जो निदान के काम कर रहे हैं वह कागजी है हम इसका खण्डन करते हैं। अगर आपको कहीं बातें कागजी लगता है और कहीं का आप इसकी पट्टीकुलर शिकायत बतायेंगे तो हम उसकी जांच भी करवायेंगे एक बात, दूसरी बात जो आपने कहा कि यह जल जनित बीमारी का बहाना बनाकर हम पल्ला झाड़ रहे हैं तो हम पल्ला नहीं झाड़ रहे है सरकार इसके लिए गम्भीर है। आप जानते है कि बीआरडी मेडिकल कालेज में इसके अनुसंधान के प्रति भी कार्यवाही प्रचलित है। यह सही है कि जेई पर उसके टीका पर, जे0ई0 के बारे में हमने जानकारी हासिल कर लिया है और उसका उपचार भी शुरू किया है ए0ई0 के बारे में आप जानते हैं कि इसके कारण में अभी शोध होना बाकी है यह सच्चाई है और इसके लिए भी जो व्यवस्थाएं दिया जा सकता है वह दिया जा रहा है हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हम आपकी बात से असहमत हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि आपके संज्ञान में कोई स्पेसिफिक घटना हो तो बतायें। मैं उसकी सूचना दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंसेफेलाइटिस वार्ड का उद्घाटन

किया, धन्यवाद। लेकिन अध्यक्ष जी, आप भी अभी गये होंगे, उस इंसेफ्लाइटिस वार्ड में आक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है। अब सवाल यह है कि वह मरते मरीज जो सांस की कमी से वहां भर्ती होते हैं, अगर आपने वहां आक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं की है तो वह बच्चे बचते कैसे होंगे, यह बता दीजिये ?

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अयक्ष जी, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। हम वहां बेंटीलेटर युक्त शैय्या दे रहे हैं, अगर उसमें आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है तो आप पर्टीकुलर जगह बता दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं इंसेफ्लाइटस वार्ड की बात बता रहा हूं। वहां आक्सीजन सप्लाई नहीं है।

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह बात सही है कि अगर आक्सीजन नहीं है तो हम इसकी जांच करवा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे माननीय डा0 साहब, आप खुद मेडिकल कालेज चले जाइये, आपका तो वहां घर है और आप तो बच्चों के ही डाक्टर हैं। आपको ज्यादा जानकारी होगी, आप वहां देख लीजिये।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने एवं कई सदस्यों द्वारा पूर्व प्रश्न में अनुपूरक पूछे जाने का अनुरोध करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ गये, अब रहने दीजिये। अब हो गया। आपके अध्यक्ष जी ने सप्लीमेंटरी सवाल कर लिया। इतना ज्यादा नहीं चलेगा। अब आप लोग बैठो, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

सारे लोगों ने पूछ लिया, आपके नेता ने पूछ लिया, अब आप बैठो।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि चूंकि उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक इसका जवाब दिया है और इसकी गम्भीरता को उन्होंने स्वीकारा भी है और यहां तक कि वह स्वयं भुक्तभोगी भी रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इस पीड़ा को अच्छी तरह समझते भी हैं। इस बात को आपने स्वीकारा भी है कि ए0ई0एस0 जल के प्रदूषण से जनित है और जे0ई0 मच्छरों के प्रकोप से है। मान्यवर, यद्यपि पूर्वांचल के कई जिले इससे प्रभावित है लेकिन विशेष रूप से गोरखपुर मण्डल तथा बस्ती मण्डल के जिले ज्यादा प्रभावित हैं और पूर्वांचल के अन्य मण्डलों के जिले भी इसमें आते हैं लेकिन विशेष रूप से जहां इसका बड़ा प्रकोप है, वह बस्ती मण्डल और गोरखपुर मण्डल के जिलों में है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय टीम के द्वारा सर्वे हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जो

देशी नल होते हैं, उस पर लिख दिया गया है कि इसका पानी न पियें, यह अशुद्ध है, इससे बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन उसके विकल्प के रूप में इंडिया मार्का नल की स्थापना नहीं हो रही है। सरकार के संज्ञान में यह है कि जल प्रदूषण से यह बीमारी हो रही है और यह बीमारी जलजनित है। यहां तक कि जो अशुद्ध पानी देते हैं उन नलों पर पानी पीने के लिये रोक भी लगा दी गयी है। लिखित रूप से चेतावनी भी लिख दी गयी है लेकिन उसके एवज में इण्डिया मार्का नल की स्थापना का कोई कारगर प्रभावी और समयबद्ध योजना के तहत लगाने की व्यवस्था नहीं की गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी, इसको समयबद्ध तरीके से, उन अशुद्ध पेयजल स्थान जहां पर देशी नल लगे हुये हैं जो प्रदूषित पानी देते हैं, उनके स्थान पर इंडिया मार्का नल स्थापित कराने का कष्ट करेंगे और दूसरी चीज जो मच्छरजनित बीमारी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या नियमित रूप से मच्छरों को खत्म करने के लिये दवाओं का छिड़काव प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। केवल दो चीजें हैं और दोनों उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं हम समझते हैं कि इस पर सकारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर कहां से लगाम लगायेंगे, यह तो स्वास्थ्य सम्बन्धी मामला है। क्या मा0 मंत्री जी, आप उत्तर देंगे ?

श्री शंख लाल मांझी-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात रखी है, वह सही है कि पूर्वांचल के बस्ती और गोरखपुर मण्डल के अधिकांश जनपद इससे संक्रमित हैं, आजमगढ़ मण्डल के जिले भी संक्रमित हैं। ऐसे पम्प के पानी को जिनमें संक्रमित जल है उसकी पहचान भी कर ली गई है और अभी मैंने पहले ही कहा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ इसमें अन्तर्विभागीय को-आर्डिनेशन से इंडिया मार्का हैण्डपम्प स्कूलों में भी लगाये जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाये जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहां बहुतायत से पहचान हो गई है उसके लिए भी इंडिया मार्का हैण्डपम्प उपलब्धता के आधार पर लगाये जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने फागिंग की बात कही है, ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों को समाप्त करने के लिए फागिंग का काम नियमित रूप से चल रहा है। अगर कहीं से भी शिकायत मिलेगी तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो मा0 मंत्री जी बता रहे हैं कि फागिंग का काम नियमित रूप से चल रहा है लेकिन मान्यवर, फागिंग का कार्य प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से नहीं हो रहा है, हो सकता है कि अधिकारी आपको गलत सूचना दे रहे हों।

श्री अध्यक्ष-

यदि ऐसा है तो उसे आप मा0 मंत्री जी को सूचित कर दीजिएगा। अब मैं प्रश्न सं0-2 ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संज्ञान में इसलिए ला रहा हूं कि जो आप नियमित छिड़काव की बात कर रहे हैं वह नहीं हो रही है उसे नियमित करना सुनिश्चित करावें और तीन-तीन साल से जिस नल को संक्रमित घोषित किया गया है उसके एवज में इंडिया मार्का नल की स्थापना नहीं हो रही है इन दोनों बातों को सुनिश्चित कराने का काम करें जिससे कि इस पर प्रभावी नियन्त्रण पाया जा सके।

(मा0 सदस्य श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत सवाल हो गये हैं, लगभग आधे घण्टे का समय हो गया है। महाना जी, अब आप लिख करके पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रश्न सं0-2 ले रहा हूं।

प्रदेश के महंगी होती विद्युत दर को दिल्ली की तर्ज पर 50% कम करने की मांग

*02-डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई तथा महंगी होती जा रही बिजली के कारण प्रदेश में किसान-मजदूर व गरीब जनता के समक्ष पारिवारिक जीवन-यापन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली सरकार की तर्ज पर प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरें 50 प्रतिशत कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचनीय है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु उपभोक्ता तक विद्युत आपूर्ति के लिए औसत विद्युत आपूर्ति लागत रु0 7.09 तथा औसत विद्युत क्रय मूल्य रु0 3.77 अनुमानित की गई है।

वर्तमान दरों पर वर्ष 2014-15 हेतु घरेलू ग्रामीण तथा निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 5057 करोड़ तथा रु0 240 करोड़ की सहायिकी के अतिरिक्त पावर लूम के लिए रु0 120 करोड़ की अर्थात् कुल रु0 5417 करोड़ की सहायिकी उपलब्ध कराया जाना सम्भावित है। वास्तव में घेरलू ग्रामीण तथा निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं की आपूर्ति हेतु कुल रु0 3613 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

इन परिस्थितियों में भी 01 किलोवाट और 150 यूनिट तक उपभोग के उपभोक्ताओं व अपनी औसत विद्युत आपूर्ति लागत से अत्यन्त कम मूल्य पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण कारपोरेशन को रु0 400 करोड़ का वित्तीय घाटा अनुमानित है और इसके लिए हमें कोई भी सब्सिडी नहीं प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भी अगर शेष घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की विद्युत दर कम करते हैं तो व्यापक घाटा होगा। अतः यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली में भी दी गई छूट वापस की जा चुकी है और सीमित समय में ऐसा करने के कारण दिल्ली की वितरण कम्पनियां आज बिजली क्रय मूल्य का भुगतान करने में भी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं और दिल्ली में बिजली को लेकर त्राहि-त्राहि की स्थिति बनी हुई है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर सरकार की दृढ़ इच्छा हो और जो निजी बिजली कम्पनियां हैं उनकी नीयत साफ हो तो प्रदेशवासियों को घरेलू उपयोग की बिजली सस्ते दामों पर मिल सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार राज्य सेक्टर के बिजली उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करे, जो प्रदेश सरकार

का प्रदेश में बिजली का बकाया है उसकी वसूली करे और जो प्रदेश में लाइन-लॉसेस है अगर सरकार उन्हें कम करे तो प्रदेशवासियों को घरेलू उपयोग के लिए सस्ती बिजली दी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश के जो अन्य राज्य हैं वहां अगर हम लाइन-लॉसेस की बात करें....

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे प्रश्न करिये।

डा0 धर्म पाल सिंह-

कर्नाटक में केवल 14 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 12 प्रतिशत, पंजाब में 17 प्रतिशत और केरल में 15 प्रतिशत लाइन-लॉसेस है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में लाइन-लॉसेस सभी प्रकार के वितरण, ट्रांसमिशन आदि के कुल कितने हैं और उन लाइन-लॉसेस को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या गम्भीर प्रयास किये गये हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, लाइन-लॉसेस जो पूरे प्रदेश में इस समय है चूंकि माननीय सदस्य जी ने पूछा है इसलिए बताना मेरा कर्तव्य है। पूरे प्रदेश में तकरीबन 26 प्रतिशत लाइन-लॉसेस है। जो नेशनल लाइन-लॉस जो यह करीब 27 प्रतिशत है। प्रदेश का लाइन-लॉस 26 से 27 प्रतिशत हर वर्ष रहता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने मा0 सदस्य डा0 धर्म पाल सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि लाइन-लॉस 26 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश पॉवर-कारपोरेशन ने रेगुलेटरी कमीशन में इस बार जो प्रत्यावेदन दाखिल किया है रेट बढ़ाने का, उसमें 37 प्रतिशत लाइन-लॉस है। जो नेशनल लाइन-लॉस का लेबिल मा0 मंत्री जी ने बताया है वह भी 15 प्रतिशत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम उपभोक्ता पर विद्युत मूल्य बढ़ाने के लिए लाइन-लॉस आधार नहीं बनना चाहिए। प्रतिवर्ष पॉवर-कारपोरेशन लाइन-लॉस से हुई हानि को अपने घाटे में जोड़ता है और रेगुलेटरी कमीशन से कहता है कि हमारे घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए विद्युत के रेट बढ़ाये जाएं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 31 मई, 2013 को जो आदेश जारी किया गया टैरिफ आर्डर, उसमें 200 यूनिट तक 4.00 रुपये प्रति यूनिट चार्ज है, 201 से 500 यूनिट तक 4.50 रुपये चार्ज है और 501 से ऊपर 5.00 रुपये प्रति यूनिट चार्ज है। मैं अन्य कुछ राज्यों का बताना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक 1.50 रु0 है, 126 से 250 यूनिट तक 2.00 रुपये और 251 से ऊपर 3.95 रु0 प्रतिप यूनिट वार्ज है, कर्नाटक में 2.50 रुपये प्रति यूनिट है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, प्रश्न पूछिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या बढ़ती हुई बिजली की रेट के कारण मंहगाई बढ़ रही है और किसान मजदूर और गरीब जनता के समक्ष संकट पैदा हो रहा है। केवल एक बात उदाहरण के तौर पर और कहना चाहूंगा सरकार के लिए कि जो लाइफ लाइन

उपभोक्ता हैं जिसको हम यह मानते हैं कि वह 150 यूनिट तक बिजली कन्ज्यूम करता है, सरकार ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए उस लाइफ लाइन उपभोक्ता, मंत्री जी कह रहे हैं कि जी नहीं, हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि रेगुलेटरी कमीशन में दाखिल हुआ है कि लाइफ लाइन उपभोक्ता जिसको 200 यूनिट बिजली अनुमन्य थी उसको 50 यूनिट कर दिया, 150 यूनिट बिजली 1.50 रुपये यूनिट अनुमन्य थी उसको 3.00 रुपये कर दिया यानि 50 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली कम कर दिया जो 50 यूनिट बिजली 3.00 रुपये के हिसाब 150 रुपये देना पड़ेगा तो गरीब पर बोझ पड़ेगा, सरकार कह रही है कि जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, प्रश्न तो पूछिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरा यह प्रश्न है कि सरकार यह बताये कि लाइफ लाइन उपभोक्ता का 150 यूनिट से 50 यूनिट किया या नहीं, 1.50 रुपये यूनिट से 3.00 रुपये यूनिट किया गया या नहीं, या करना प्रस्तावित है, एक तो सरकार यह बताये। दूसरी बात, मैंने कही है कि दिल्ली की सरकार की तर्ज पर मैं सहमत हूं कि बिजली का रेट अनुपातिक रखना पड़ेगा। पावर कारपोरेशन है व्यापारिक संस्थान है घाटे में नहीं चलाये जाने चाहिए। घाटे में चलाएंगे तो जनता की सुविधाएं कम होगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि लाइन लॉस है चोरी तो चोरी कौन कर रहा है और उस चोरी को रोकने के बारे में कोई बात पावर कारपोरेशन कहकर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछें। यह बातें बिजली विभाग के भाषण में कहिएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो लाइन लॉस है इसको रोक कर जनता के ऊपर इसको घाटे में दिखाकर विद्युत मूल्य बढ़ाने में उपयोग किया जाता है उसको रोकने का सरकार क्या उपाय कर रही है और कब तक उसको रोकेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा अच्छा लगा माननीय लक्ष्मीकान्त जी ने बिजली कम्पनियों पर बड़ी कृपा की आपने कहा कि बिजली कम्पनियों का भी घाटा न हो और बिजली भी सस्ती मिले यह कृपा इसलिए तो नहीं है कि दिल्ली में बहुत कड़ा संकट है और केन्द्र सरकार बिजली कम्पनियों पर बड़ी मेहरबान है तो यह जो बदली हुई भाषा है बिजली कम्पनियों पर इसका क्या कारण है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों को आपने सुना है। मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। पावर कारपोरेशन पर कृपा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा नहीं है। अगर पावर कारपोरेशन विद्युत रेगुलेटरी कमीशन के माध्यम से विद्युत दरों को बढ़ाएगा तो हम उसका जमकर विरोध भी करेंगे। हमारा कहना है कि रेट बढ़ाने का आधार लाइन लॉस बनाया जाता है रेट बढ़ाने का आधार बिजली की चोरी को बनाया जाता है चोरी का नुकसान उन उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है जो ईमानदारी

से अपने बिलों का भुगतान करते हैं। सामान्य उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े इसके बारे में मेरा प्रश्न है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

निजी कम्पनियों के नफे के बारे में क्या पालिसी है निजी कम्पनियों को कितना मुनाफा देना है इस बारे में भी तो आपकी बात आनी चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि यह बात ऊर्जा विभाग के बजट के वक्त आनी चाहिए यही बात माननीय मंत्री जी पर भी लागू होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं आ रहा है डायवर्ट करने की कोशिश हो रही है मैंने किसी निजी कम्पनी को नहीं कहा है पावर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश का संस्थान है मैं उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। अगर मैं निजी कम्पनियों के बारे में बात करूंगा तो मैं ऊर्जा विभाग से पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट कम्पनियों के मालिकों पर बिडिंग क्यों होती हैं पांच रुपए, छह रुपए में क्यों बिजली खरीदी जाती है। 3.40 रुपए और 2.51 रुपए में क्यों बिजली नहीं खरीदी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उत्तर तो आने दें। माननीय मंत्री जी इनका कहना है कि लाइन लॉस जो होता है उसके कारण आप नियामक आयोग में जाते हैं विद्युत दर बढ़ाने के लिए तो क्या आप ऐसा कोई उपाय करेंगे जिससे लाइन लॉस कम हो यह सवाल हुआ है ?

श्री यासर शाह-

अध्यक्ष जी, लाइन लॉस रोकने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है वर्ष 2013-14 में लाइन लास 25.8 प्रतिशत रहा है जो वर्ष 2011-12 में 27.92 प्रतिशत था। अध्यक्ष जी दो बातें हैं एक तो विद्युत की दरें समस्त उपभोक्ताओं के लिए विद्युत नियामक आयोग तय करता है ऊर्जा विभाग से हर वर्ष ए0आर0आर0 जाती है पूरी डिटेल आप चाहें तो मैं पढ़कर बता सकता हूं। लाइन लॉस बढ़ाने के लिए और विद्युत दर बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग चीजें हैं। विद्युत दर तय किया जाना विद्युत नियामक आयोग के ऊपर है लाइन लास रोकने का कार्य ऊर्जा विभाग तय करता है।

श्री अध्यक्ष-

लाइन लॉस रोकने का क्या उपाय है यही वह जानना चाहते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने लाइल लॉस को कम करने के उपाय और उसके कारण आम उपभोक्ताओं पर उसका भार न डाला जाय इसके बारे मैंने जानकारी चाही है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, लाइन लॉस चोरी का भी कारण है इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए यह बता दें।

श्री यासर शाह-

लाइन लॉस रोकने के लिए सारे उपाय किये जा रहे हैं। विद्युत चोरी के प्रति सरकार का रवैया अति गम्भीर है उसके परिणाम भी आ रहे हैं वही मैंने बताया है। लाइन लॉस रोकने के लिये

सारे उपाय किये जा रहे हैं और बिजली चोरी है उसके प्रति सरकार का रवैया भी गम्भीर है और उसके परिणाम आ रहे हैं वही मैंने बताया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो ए0आर0 दिया है पावर कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को अगले वर्ष की मूल्य वृद्धि के लिये उस पर इन्होंने आयोग को एक रेग्युलेटरी चार्ज लगाने की बात कही है। 3.71 रेग्युलेटरी चार्ज को विद्युत नियामक आयोग ने दो वर्षों में डैफर करके लेने की बात कही है। उस दो वर्षों में 3.71 को डैफर करने पर 2.81 परसेन्ट करने की बात कही बैंक इन्टरेस्ट लगाकर। लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने यह कहा कि जो रेग्युलेटरी सरचार्ज आपको इस वर्ष अनुमन्य किया जा रहा है अगले वर्ष अगर इतने परसेन्ट लाइन लॉस आपने कम नहीं किये तो आपको अगले वर्ष यह रेग्युलेटरी सरचार्ज नहीं मिलेगा। यह प्रतिबन्ध लगाया। उस पर पावर कारपोरेशन ने कहा कि इसको दो साल में डैफर मत करिये 3.71 हमको इसी वर्ष दे दीजिये और लाइन लॉस रोकने के बारे में कोई इच्छा शक्ति व्यक्त नहीं करी मान्यवर, पावर कारपोरेशन रेग्युलेटरी कमीशन के सामने। मान्यवर, मैं केवल आपके माध्यम से आपसे और सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं। फिर माननीय आजम साहब कहेंगें कि किसी का समर्थन और किसी का पक्ष भी ले रहा हूं। मैं आम जनता का पक्ष ले रहा हूं जो ईमानदारी से बिजली मूल्य का भुगतान करती है, चोरी नहीं करती है। यह चोरों की सजा सामान्य उपभोक्ता को मिल रही है, यह सदन की चिन्ता का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज सूचना नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपने विभाग के अधिकारियों से बात कर लें मेरे द्वारा उठाये गये तथ्यों पर कि उन्होंने पावर कारपोरेशन ने रेग्युलेटरी कमीशन में क्या कागज दिये हैं और अगर मंत्री जी को मेरी बात में सच्चाई मिले तो उस सामान्य उपभोक्ता के पक्ष में खड़े होने का काम करें, इतना ही मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ठीक है, अब हो गया। मंत्री जी बता दीजिये।

श्री यासर शाह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मनित सदस्य ने पूछा है लाइन लॉस रोकने के उपाय। मैंने बताया कि हम इसके लिये सतत् प्रयत्नशील हैं। अगर आप चाहें तो मैं प्वाईंटवाइज बता दे रहा हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, वह सन्तुष्ट हो गये बड़ी कठिनाई से।

(माननीय सदस्य श्री मनीष असीजा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह इतना पढ़कर आते हैं तो तैयार रहना चाहिए। माननीय असीजा जी, अब क्या बाकी है ? बाजपेयी जी से ज्यादा पढ़कर आये हैं क्या ?

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं इसमें मानता हूं कि इसमें व्यापक चर्चा हुई है। हमारे माननीय बाजपेयी जी के माध्यम से और माननीय धर्मपाल जी के माध्यम से लगभग सभी तथ्य आये हैं। माननीय आजम खां

साहब ने एक सवाल खड़ा किया था और मेरे पास वही एक हिस्सा बचकर रह गया है, मैं उसे कहता हूं। लाइन लॉस के बगैर आप पावर कारपोरेशन को ठीक से नहीं चला सकते।

श्री अध्यक्ष-

दो सवाल में 45 मिनट हो गये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं बस दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मान्यवर, लाइन लॉस के बड़े व्यापक कारण हैं। इसके लिये आपने आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के माध्यम से 1 हजार करोड़ रुपये से ऊपर केन्द्र सरकार से लोन भी ले रखा है। यह अगर लाइन लॉस आपने 15 परसेन्ट तक नहीं किया तो यह अनुदान आपका ऋण के रूप में बदल जायेगा और फिर दोबारा प्रदेश की जनता को जब यह ऋण हो जायेगा तो फिर यह प्रदेश की जनता के ऊपर थोपा जायेगा। मैं बचे हुए प्रश्न पर।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछो ना। प्रश्न पूछ लीजिये अब खत्म हो गया। बाजपेयी जी ने पूछा स्पष्ट कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं रह गया।

श्री मनीष असीजा-

मा0 आजम खां की शंका का निवारण करता हूं कि यह 3 रुपये 77 पैसे प्रति यूनिट की दर बताई है, यह ठीक है। इसके कारण में रिलायंस रोजा और बजाज की जो दरें हैं, क्या वह सदन को बताने का काम करेंगें ? 6 रुपये 6 पैसे प्रति यूनिट रोजा से ली जा रही है और 7 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट बजाज से ली जा रही है और यह इतनी मंहगी बिजली लेने के कारण ही यह 3.77 रुपये प्रति यूनिट का रेट आ रहा है और यह कैग की रिपोर्ट है। अगर आप यह बिजली सस्ती खरीदने लगे।

श्री अध्यक्ष-

सस्ती दिला दो ना कहां मिलती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

है मान्यवर, हरियाणा झर्झर में 2 रुपये 91 पैसे प्रति यूनिट मिलती है। चौबीस घंटे में चार बार अगर बिडिंग करें तो 2 रुपये 91 पैसे का औसत आता है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप बैठिये। जब बिजली का बजट आयेगा तब बोलिये। दो सवाल में इतना समय लगा दिया। अभी तो आगे और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। वैसे तो सारी बात आ चुकी है, अब बचा कुछ नहीं है। पता नहीं उसमें अब क्या निकाल रहे हैं। असीजा जी पूछिये क्या पूछना है ?

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रिलायन्स से और बजाज से जो मंहगी दरों पर बिजली खरीद रहे हैं, उसको खरीदना बन्द करेंगे।

श्री यासर शाह-

जी, नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की जनता पर सरकार का बहुत बड़ा अन्याय है, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

श्री सतीश महाना-

भारतीय जनता पार्टी भी बिजली समस्या पर सरकार के जनविरोधी रवैये के खिलाफ सदन का त्याग करती है।

(श्री सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाजपार्टी के सदस्य सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

प्रदेश की सरकारी तथा सहकारी चीनी मिलों से गन्ना बकाये का भुगतान किसानों को कराये जाने की मांग

*03-डा0 अरूण कुमार, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रदीप माथुर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों ने अभी तक गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की जनपद मेरठ में स्थित मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल पेराई सत्र, 2013-14 में संचालित हुयी। उक्त मिल द्वारा पेराई सत्र, 2013-14 में गन्ना मूल्य के रूप में देय धनराशि रु0 92.42 करोड़ का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

पेराई सत्र, 2013-14 में सहकारी क्षेत्र की कुल 23 चीनी मिलें संचालित हुयीं तथा उनके द्वारा गन्ना मूल्य के रूप में देय धनराशि रु0 1929.27 करोड़ के सापेक्ष अभी तक रु0 1283.63 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 400 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि से अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अरूण कुमार-

अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सिर्फ सहकारी चीनी मिलों का लगभग 650 करोड़ रुपया एक साल बाद पेमेन्ट होगा। किसान जो मेहनत करता है, लागत लगाता है, एक साल बाद उसका पेमेन्ट हो, यह कहां तक सही है ? दूसरी बात क्या किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का वेतन एक साल बाद दिया जा सकता है ? तो गन्ना किसानों पर ऐसी ज्यादती क्यों ? मान्यवर, इन चीनी मिलों से जो बिजली पैदा होती है जिसे सरकार खरीदती है, क्या सरकार ने उसका भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो वह पैसा किसानों को डायरेक्ट दिया जाए ताकि उनकी मेहनत का पैसा उन्हें जल्द से जल्द मिल सके।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, सरकार किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी और समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है, आप क्यों इतना चिन्तित हैं।

डा0 अरूण कुमार-

अध्यक्ष जी मेरा सवाल है कि इन चीनी मिलों से जो बिजली पैदा होती है, क्या उसका भुगतान सरकार ने कर दिया है ? यदि नहीं, तो वह पैसा किसानों को डायरेक्ट दिया जाए।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं बनी है कि हम वह पैसा डायरेक्ट किसानों को दें। क्योंकि जब खुद ही चीनी मिलें देने को तैयार हैं तो सरकार के द्वारा देने का कोई औचित्य ही नहीं है।

डा0 अरूण कुमार-

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि जो बिजली चीनी मिलों से सरकार ने खरीदी है, क्या उसके मूल्य का पेमेन्ट सरकार ने कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

अभी आप गन्ना मूल्य के बारे में पूछ रहे थे, अब आप दूसरा प्रश्न पूछने लगे ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण भी चाहता हूं क्योंकि जिस प्रश्न में मेरा नाम जोड़ दिया गया है और जो प्रश्न मैंने किया था, उसका इसमें उत्तर नहीं है। मैंने प्रश्न किया था कि प्रदेश के गन्ना किसानों का कितना भुगतान बकाया है और जिस उत्तर में मेरे प्रश्न को इन्क्लूड कर दिया गया है इसमें सिर्फ सहकारी चीनी मिलों का बकाये के भुगतान का जिक्र है। मा0 मंत्री जी से मैंने जो मूल प्रश्न किया था उसके आधार पर जानना चाहता हूं कि प्रदेश के समस्त गन्ना चीनी मिलों पर किसानों का कितना रुपये बकाया है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 अखिलेश जी इसमें जो प्रश्न हैं वह सहकारी चीनी मिलों का है। आपका क्या था क्या नहीं था वह तो जांच का विषय है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

एक मिनट सर, हमारी सुन लें। हमारा जो प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो प्रश्न है उसी में पूछिये न।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

इनके पास जानकारी होगी।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सहकारी चीनी मिलों का है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

तो इसमें क्यों लगा दिया गया ?

श्री राम करन आर्य-

आप बैठिये मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश जी आप जो लिखकर दे दें वही पक्का है ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए मेरी एक मिनट बात सुन लें। क्या सिर्फ सहकारी गन्ना किसानों का बकाया ही बकाया है गैर सहकारी चीनी मिलों के किसानों का बकाया बकाया नहीं है। मैंने प्रश्न यह लगाया था कि समस्त बकाया कितना है और कब तक उसका भुगतान करवा देंगे। छोटा सा सवाल है उसका जवाब होगा।

श्री राम करन आर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं बता दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

तो बता दीजिये हमें क्या करना है ?

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, दिनांक 23-6-14 तक का हमारे पास जो डाटा आया है सभी चीनी मिलों निगम की, को-आपरेटिव और निजी, सभी चीनी मिलों का आज तक जो बकाया है 7418.34 करोड़। मान्यवर, 19347.45 करोड़ जो टोटल देय है। इसके सापेक्ष हम भुगतान कर चुके हैं। 11969.10 करोड़। मान्यवर, अवशेष मैंने आपको बता दिया। अभी यह प्रतिशत भी पूछेंगे। 61.74 प्रतिशत सभी चीनी मिलों का गन्ने का भुगतान हो गया है शेष के लिये जल्दी से जल्दी प्रयास किये जा रहे हैं।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे लेकिन माइक आफ होने के कारण उनका भाषण सुना नहीं जा सका)

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, सात हजार करोड़ रुपया बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये अखिलेश जी, महाना जी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा नाम बुला लिया।

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश जी अब बैठ जाइये। आपका हो गया। अब आप जबरदस्ती न बोलिये।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि यह मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, गन्ना किसानों का सात हजार करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। मान्यवर, आप दो दिन पहले की कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लें। मान्यवर, सरकार की तरफ से जवाब आया था कि 99.5 प्रतिशत भुगतान करा दिया गया है। 99.5 प्रतिशत या तो इनकी केलकुलेशन गलत थी या तथ्य छुपाना चाहते थे या सदन को गुमराह करना चाहते थे। इसी में जो इन्होंने जवाब दिया है इसी में इन्होंने लिखा है कि 1929.27 के सापेक्ष अभी तक रुपये 1283.63 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसमें ही लगभग 650 करोड़ भुगतान बाकी है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में जब गन्ना किसानों के प्रश्न पर भी सरकार असली तथ्यों को छुपायेगी तो इससे गम्भीर बात कोई नहीं हो सकती है। हमें लगता है कि यह सरकार गन्ना किसानों का भुगतान करने में संवेदनशील नहीं है। किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मान्यवर, इनका जवाब सही नहीं आता। इसलिये मान्यवर, गन्ना भुगतान न होने के कारण जो सरकार की असंवेदनशीलता है उसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर जाएं, मा0 सदस्य वहीं से बोलें, जो भी कहना हो।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' (सदन के वेल से)-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री पंकज कुमार मलिक (सदन के वेल से)-

यह किसानों के साथ ज्यादती है। सरकार किसानों को जेल भेज रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका विरोध दर्ज हो गया, अब आप लोग अपने स्थान पर चलें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह (सदन के वेल से)-

किसानों को पैसा साल-साल भर न मिले, यह उचित नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि वह किसानों के बकाया गन्ना भुगतान के लिये कुछ समय-सीमा निर्धारित कर दें।

श्री पंकज कुमार मलिक (सदन के वेल से)-

गन्ना किसानों के ऊपर जो कर्ज है, वह माफ किया जाना चाहिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' (सदन के वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर 15 दिन में उनके गन्ने मूल्य का भुगतान मिलों द्वारा नहीं किया जाता है तो बाद में ब्याज सहित भुगतान किया जाना, लेकिन उन्हें एक पैसा भी ब्याज नहीं दिया जा रहा है।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, यह अव्यवस्था है, आप इनका भाषण सदन के वेल से दिखवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अखिलेश जी का कहना यह है कि इतना पैसा बकाया है किसानों का, इसे सरकार कब तक दिलायेगी, यह बतायें। यही उनका मूल अनुपूरक प्रश्न है। तो आप अपनी सीट पर चलें, तभी तो सरकार जवाब देगी।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इनका अनुपूरक प्रश्न यह है कि जितना रुपया बाकी है वह कब तक आप दिला देंगे, यही वह जानना चाहते हैं।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, सरकार ने जल्द से जल्द भुगतान कराने के लिये चीनी मिलों के मालिकों पर 57 एफ0आई0आर0 दर्ज कराये और 36 पर हमने आर0सी0 जारी किया है। मान्यवर, उसमें हमको सफलता भी मिल रही है, धीरे-धीरे। मान्यवर, हमारी पार्टी किसानों की है, इसलिये किसानों का एक-एक नया पैसा हम लोग जल्द से जल्द दिलायेंगे, मान्यवर, इसी के सम्बन्ध में हमने चार हजार करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, समयबद्ध भुगतान चाहिए। जल्द से जल्द नहीं। किसानों का कर्ज माफ किया जाय। यह सरकार संवेदनशून्य है, गन्ना किसानों की विरोधी है। एफ0आई0आर0 हो गई, फोन करके मना कर दिया, कोई कार्यवाही मत करिये, रिकवरी निकाल दी गई, लेकिन बाद में तहसीलदार से कह दिया जाता है कि रिकवरी न की जाय।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यगण सदन के वेल में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)-

[x x x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग चलिये, आप लोग वहां अपने स्थानों पर बैठिये। आप लोग सुनें, आप लोग बैठो, नियम-49 में दे दो, उसमें पूरी बात आ जायेगी। नियम-49 में दे दोगे, चर्चा हो जायेगी, पूरी बात आ जायेगी, जाइये, अब चलिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय कुमार 'लल्लू' (सदन के वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने निर्देश दिया था कि सरकार इसकी समय-सीमा निर्धारित करे लेकिन इसके बाद भी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। यह था कि अगर मिल मालिक 15 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करता है तो ब्याज सहित पैसा देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे और भी इम्पार्टेन्ट सवाल हैं, आ जाने दो। अभी और इम्पार्टेण्ट सवाल हैं भाई। अरे अभी विद्युत बकायेदारों का नाम है और सब है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है न।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पंकज कुमार मलिक (सदन के वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों का पैसा लेकर बैठी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग एक-एक करके वहीं से सवाल पूछते, जवाब लेते पर यहां हल्ला कर रहे हैं, वहां तो आपके नेता पूछ ही रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, इस मुद्दे पर नियम-49 में चर्चा की.....

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप नियम-49 में दे दो, चर्चा हो जायेगी, आप इनको बुलाइये।

श्री प्रदीप माथुर-

आप नियम-49 की चर्चा की व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष-

हां, हम करा..... आप लोग चलिये, जाइये अब आप लोग जाइये।

(तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्य अपने स्थानों पर लौट गये)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग भी जाइये मा0 नेता, लोकदल। अब ये हमने कहा है, आप चलिये, नियम-49 में दे दीजिये, पूरी बात आ जायेगी, चर्चा हो जायेगी, जाइये आप, जायें आप जायें। ऐसा है नियम-49 में प्राविधान है चर्चा का तो गन्ना मूल्य के भुगतान पर नियम-49 में चर्चा हो जायेगी। सरकार का भी पक्ष आ जायेगा, आपकी भी बात आ जायेगी। चलिये लिखकर दे दीजिये, अब आप लोग चलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पूरन प्रकाश (सदन के वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, जनपद मथुरा में छाता सहकारी चीनी मिल है जोकि बन्द पड़ी है। पिछले सत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उसको चालू कराया जायेगा। लेकिन वह चालू नहीं हुयी।

श्री राम करन आर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मैं जवाब न दे सकूं या सरकार की तरफ से जवाब न आये तो 49 शुरू करें मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, सम्बन्धित विभाग के मंत्री महोदय का यह कहना है कि अगर वो उत्तर न दे सके। प्रश्न किया जाये, उत्तर न दे सके, तब आप निर्णय ले लें। जब विभागीय मंत्री खुद जवाब देने के लिये तैयार हैं तो मा0 सदस्य अपनी सीट पर पहुंचे। जो प्रश्न वो करेंगे, उसका उत्तर वे देंगे। अगर आप उत्तर से संतुष्ट न हों तो जैसा आप निर्णय लेना चाहें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अगर ये उत्तर से संतुष्ट होते तो यहां आते ही क्यों ? अब आप लोग सीट पर चलें। आप चलें, वहां चलें।

(तत्पश्चात् राष्ट्रीय लोक दल के मा0 सदस्य अपने स्थानों पर लौट गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जिस पर मा0 मंत्री जी का उत्तर दिलाने के लिये कहा था। मा0 मंत्री जी तैयार हैं कि जब हम उत्तर देने के लिये तैयार हैं। तो मान्यवर, इसको आगे बढ़ाने का औचित्य क्या है। यही सत्ता पक्ष रहेगा, यही विपक्ष रहेगा, यही पीठ रहेगी तो नियम-49 में भी सरकार यही जवाब देगी जो अभी दे रही है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 18 जुलाई तक यह सत्र चल रहा है, क्या आप गन्ना बकायों का भुगतान 18 जुलाई तक करा देंगे या नहीं ये बता दें ? जिससे कि यह सरकार जो एक साल से बहानेबाजी करती आ रही है लेकिन 18 जुलाई तक सत्र है। मान्यवर, आपके समक्ष 18 जुलाई तक सारे गन्ना बकायों का भुगतान करा करके यह पीठ पर अवगत कराने का काम करें, तब जानेंगे कि यह सरकार कृतसंकल्प है, गन्ना बकायों का भुगतान कराने के लिये यह केवल मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मैं इनका उत्तर दे ही दूंगा। 56000 करोड़ रुपये मैंने आपकी सरकार के समय का भुगतान किया है। अब समझ लीजिये आप किसान के कितने समर्थक हैं। मान्यवर, दूसरी चीज मेरा आपसे अनुरोध है। आप मेरे भी संरक्षक हैं और उधर के भी हैं, आप पहले यह निर्णय बता दें। 49 में आपने जो कहा आप विद ड्रा करें तब तो ठीक है, जवाब हो। लेकिन जब आप उन्वास में ले जा रहे हैं तो फिर प्रश्न पूछने का क्या सवाल बनता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जवाब हो देही, 18 जुलाई तक सारे गन्ना बकायों का भुगतान कराने का।

श्री रामकरन आर्य-

नहीं, नहीं यह गलत बात है। मा0 अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहिए। मैं पीठ सर्वोपरि है मान्यवर, न हम सर्वोपरि है और न यह सर्वोपरि है आप निर्णय दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न अपनी जगह पर है और नियम-49 अलग है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से शोर की स्थिति)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न किया जाये, प्रश्न का जवाब सुना जाए। जिम्मेदार नेतागण अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर कभी वेल में, कभी बाहर कभी अपनी जगहों, आप उत्तर सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं तो उत्तर मिलेगा कैसे आपको। मान्यवर, सदन में कम से कम यह परम्परा न पड़े कि मा0 मंत्री खड़े हैं, जवाब देना चाहते हैं और प्रश्न करने वाले जवाब सुनना ही नहीं चाहते। मा0 मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार हैं, लेकिन इतना संयम तो हो आपमें कि आप जवाब सुने। जो जवाब दिया गया है उसको भी तो आप सुने और आगे का जवाब भी सुने। क्योंकि आपका प्रश्न आ गया है, पहले जवाब सुन लीजिये और अगर जवाब नहीं सुनना है तो आप जैसा चाहें। आपका प्रश्न आ गया है आप जवाब सुन लें। देखिये जो प्रश्न आपने किया था, उसका उत्तर मिला या नहीं मिला ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

नहीं मिला मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मिला तो मिल जायेगा, आप संयम तो बरतें। ये क्या बात हुई अब आप बैठे भी तो तभी तो सुनेंगे आप। अगर सिर्फ आपको प्रश्न ही पूछते रहना है प्रोसीडिंग में सिर्फ आपका प्रश्न ही आने हैं तो पूछते रहे प्रश्न लेकिन अगर आपको क्योंकि आप जानते हैं यदि आप उत्तर सुनेंगे तो या तो आप मुतमईन होंगे या शर्मिन्दा होंगे लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। तो आप सुनिये भी तो आप उत्तर सुनिये भी तो।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

हम तो बैठे हैं।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह के अपने स्थान पर बैठकर अपनी बात रखने एवं अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति)

श्री मोहम्मद आजम खां-

कितनी अच्छी बात है, मैं आपसे उत्तर के लिये कह रहा हूं कि उत्तर सुन लीजिये और आप अपनी सीट पर बैठे हुए सवाल कर रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण शोर की स्थिति)

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, ये सिर्फ समाचार, ये सिर्फ खबर बनाने के लिये सदन का वक्त खराब करना ये मुनासिब नहीं हैं। आपने सवाल कर दिया आप उत्तर आने दीजिये। आप सवाल दर सवाल करते जायें और उत्तर सुने नहीं।

(घोर व्यवधान)

आप वेल में आना चाहते हैं। आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाब भी उतना ही मजबूत है क्योंकि जवाब में बहुत कुछ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सरकार उत्तर देने से कतरा रही है यह बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि क्या सरकार इस बात के लिये आश्वस्त करेगी कि 18 जुलाई तक सदन का सत्र चलेगा और गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान कराया जायेगा।

(शोर की आवाजें)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तरीका सही नहीं है आप लोग सरकार का उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारा सवाल यही है कि 18 जुलाई तक जो यह सत्र है उसके मध्य में गन्ने के बकाये का पूरा भुगतान क्या यह सरकार करायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दीजिये आप उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं मान्यवर, आपकी तरफ से यह निर्देश हो जाये कि माननीय नेता विरोधी दल के प्रश्न पर पहले उत्तर दिया जाये या जो कांग्रेस के माननीय विधायक का प्रश्न है उसका उत्तर पहले दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मुझे यह भी मंजूर है माननीय मंत्री जी पहले दिन माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उनका उत्तर दिला दें माननीय संसदीय मंत्री जी उसका उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या प्रश्न है आप ही पहले पूछ लें।

श्री अलिखेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, 7000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है उसके भुगतान के लिये आप समय-सीमा तय कर दें आप कह दें कि 2 माह में यह भुगतान हो जायेगा। मान्यवर, यह 7000 करोड़ रुपये की धनराशि कम नहीं होती है।

श्री रामकरन आर्य-

श्रीमान, मैंने आपसे बताया है कि जल्द से जल्द हम भुगतान करेंगे।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे कि किसान विरोधी नहीं चलेगी नहीं चलेगी)

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप लोग वेल में बार-बार आते हैं, समाचार के लिये आते हैं आपने प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दिया कि जल्द से जल्द भुगतान करा देंगे।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाने लगे कि किसान विरोधी नहीं चलेगी नहीं चलेगी)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है और विपक्ष के लोगों को इसका उत्तर सुनना चाहिए।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे कि किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गन्ना मूल्य का भुगतान करो भुगतान करो)

मान्यवर, माननीय सदस्य अपने स्थानों पर जायें। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, आप अपने सदस्यों को बुला लीजिये आपका भी प्रश्न हो गया उनका भी प्रश्न हो गया और उत्तर भी आ गया।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे कि किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी।)

श्री अध्यक्ष-

देखिये मौर्या जी, आप लोग भी वेल में आ गये कांग्रेस वाले भी वेल में आ गये थे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहिष्कार किया था तो अब उत्तर भी आ गया है। आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह इन लोगों ने चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेच दिया अब यह किसान हितैषी कैसे हो गये हैं। यह तो चीनी मिल मालिकों के और पूंजीपतियों के हितैषी हैं यह सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं अगर इन्होंने वह मिलें बेची न होती तो आज तस्वीर कुछ और होती और गन्ने के भुगतान की समस्या तय हो चुकी होती।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य लगातार नारे लगाते रहे [x x x] किसानों का भुगतान जल्द करो, जल्द करो जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

अब आप जायें हो गया, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, इन्होंने मिलों को बेच दिया एक जो 50 करोड़ की चीनी मिल थी उसको मात्र 4 करोड़ में बेच दिया। मान्यवर, आप एक कमेटी बनाकर जांच करवाइये इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करवाइये सभी दलों के लोग जायें उसमें।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, इतने अच्छे-अच्छे सवाल लगे थे सरकार से जवाब मिलता आप लोग सारे सवाल को अपने इस व्यतिक्रम के नाते रुकवा दिये। आपको बहुत से जवाब मिलते बहुत अच्छे-अच्छे सवाल लगे थे आगे भी लगे थे लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया उन सवालों पर। सवाल पूछते हैं तो उत्तर भी सुनना चाहिए। आप लोग एक ही सवाल पर इतना समय लगा देंगे।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

प्रश्नों का प्रहर समाप्त, निधन के निदेश। अब आप लोग अपने-अपने स्थान पर चलिये।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत मांग एवं वितरण में अन्तर का विवरण एवं विद्युत आपूर्ति बनाये जाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

*01-श्री सतीश महाना, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, डा0 अरूण कुमार, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य तथा श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की मांग और वितरण में कितना अन्तर है तथा वर्तमान में कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार उसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में औसतन विद्युत की मांग 13500-14000 मेगावाट है जिसके सापेक्ष विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उपलब्धता 11500-12000 मेगावाट है। इस प्रकार मांग एवं आपूर्ति में 2000-2500 मेगावाट का अन्तर है।

विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिये नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं लगाना एवं दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय का अनुबन्ध किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि वाले विद्युत बकायेदारों का विवरण एवं वसूली की कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

*02-श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि वाले कितने और कौन से विद्युत के बकायेदार हैं तथा उनके नाम, पता, बकाया राशि क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उनसे वसूली हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में रु0 एक करोड़ से अधिक कुल 121 बकायेदार उपभोक्ता हैं, जिन पर कुल बकाया धनराशि रुपये 1007.01 करोड़ है। बकायेदार उपभोक्ता का नाम, पता बकाया राशि का विवरण एवं बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ मा0 राज्य मंत्री (ऊर्जा) के बापू भवन के चतुर्थ तल स्थित कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पोलियो के उन्मूलन हेतु कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

*03-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में पोलियो के कितने मामले प्रकाश में आये हैं एवं किन कमियों के कारण अभी तक इसका उन्मूलन पूरी तरह सम्भव नहीं हो सका है ? क्या सरकार इसके पूरी तरह उन्मूलन हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

उत्तर प्रदेश में माह अप्रैल, 2010 के उपरान्त पोलियो का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

पोलियो की पूर्ण रूप से रोकथाम के लिये कार्य योजना वर्तमान में संचालित है।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत लाइन लास कम करने के उपाय

*04-श्री दलवीर सिंह तथा श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की लाइन हानि से होने वाले घाटे की पूर्ति के लिये विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की बढ़ोत्तरी की जाती है ? यदि हां, तो विद्युत विभाग द्वारा लाइन हानि कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-236 पर।

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत दरों के निर्धारण में मा0 विद्युत नियामक आयोग लाइसेंसी की वास्तविक लाइन हानियों को आधार नहीं बनाता वरन् ऊर्जा क्रय लागत को निर्धारित करते समय आयोग पूर्व निर्धारित मानक लाइन हानियों को आधार बनाता है और उसी आधार पर दरों का निर्धारण करता है। अतः लाइसेंसी की अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़कर वह लाइसेंसी के घाटे में वृद्धि करता है।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में एनेस्थीसिस्ट, ई0एन0टी0 सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ एवं पैथालाजिस्ट की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में मानक के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की गयी है, परन्तु विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने के कारण प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप तैनाती किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2009 में चिकित्सकों के सामान्य/विशेषज्ञ संवर्ग को एकीकृत कर दिया गया था। अतः प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :-

1-प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को पूर्ण किये जाने हेतु विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को पूर्व में प्रेषित अधियाचनों के क्रम में आयोग द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एलोपैथिक के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी श्रेणी-1 (समूह-ख) के अन्तर्गत 2868 पद, एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (बैकलॉग/अग्रेनीत) (विशेष चयन) समूह-ख के 12 पद, एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (अग्रेनीत अनारक्षित) समूह-ख के 396 पद तथा एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (अग्रेनीत) (विशेष चयन) समूह-ख के 2371 पद अर्थात् कुल 5647 एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या-3/2013-14, दिनांक 22-10-2013 लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 5647 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के स्तर पर लम्बित है।

2-विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पांच-14-7(255)/13, दिनांक 13-1-2014 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3-विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की पूर्ति हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के लिये यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 के अन्तर्गत प्रति वर्ष 30 प्रतिशत सीटें शासनादेश संख्या-564/चि0-3-2014-जी0-06/2013, दिनांक 28-2-2014 द्वारा पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0) अध्ययन हेतु आरक्षित की गयी है।

4-पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारक चिकित्सकों को प्रति वर्ष 123 सीटों पर पी0जी0 (डिप्लोमा) कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक में विलय करने की मांग

*06-श्री दीपक पटेल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को जीवन्त बनाये रखने के लिये प्रदेश के 16 (सोलह) जिला सहकारी बैंकों को वांछित वित्तीय सहायता प्रदान करके, प्रदेश स्तर पर सभी 50 जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक में विलय करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

16 जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना विचाराधीन है, किन्तु जिला सहकारी बैकों का उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक में विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रमुख महानगरों में मल्टीलेविल पार्किंग बनाये जाने की मांग

*07-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख महानगरों कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में वाहनों की बेतहाशा वृद्धि एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न ट्रैफिक जाम की भयानक समस्या के निराकरण हेतु मल्टीलेविल पार्किंग बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के प्रमुख महानगरों कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा तथा गाजियाबाद आदि में यातायात की समुचित व्यवस्था और वाहनों की पार्किंग हेतु नगर की आवश्यकता के अनुरूप मल्टीलेविल/भूमिगत पार्किंग बनाये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरणों द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिये लखनऊ में 08 मल्टीलेविल/भूमिगत पार्किंग संचालित है। इसी प्रकार मेरठ, आगरा, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में मल्टीलेविल/भूमिगत पार्किंग की कार्य योजना के अनुसार नोएडा, कानपुर, महानगर और गाजियाबाद में मल्टीलेविल/भूमिगत पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है तथा मेरठ, आगरा और इलाहाबाद में प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शिक्षकों की जन्म एवं मृत्यु दर का विवरण एवं लिंगानुपात रोकने की योजना सम्बन्धी जानकारी

*08-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में शिशुओं की जन्म एवं मृत्यु दर क्या है ? क्या यह सही है कि जन्म की अपेक्षा कन्या मृत्यु अधिक होने के कारण लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्तमान में जन्म दर व शिशु मृत्यु दर से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2012-13 के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2013-14 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। एनुअल हैल्थ सर्वे 2012-13 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर निम्नवत् है :-

सर्वे का नाम	जन्म दर (प्रति वर्ष प्रति एक हजार जनसंख्या पर जन्मों की संख्या)			शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्में शिशुओं में से उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या)		
	कुल	नगरीय	ग्रामीण	कुल	नगरीय	ग्रामीण
एनुअल हैल्थ सर्वे 2012-13	24.8	26.4	19.6	68	72	51

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में तो वृद्धि हुई है, परन्तु बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आयी है, जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

जनगणना	लिंगानुपात	बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र)
वर्ष 2001	898	916
वर्ष 2011	912	902

प्रदेश के घटते हुए बाल लिंग अनुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने के साथ-साथ लिंग चयन व कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रदेश में पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की बन्द पड़ी छाता शुगर मिल को चालू कराये जाने की मांग

*09-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता शुगर मिल, मथुरा जो वर्ष 2009 से बन्द पड़ी है, को चालू कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, छाता जनपद मथुरा की चीनी मिल को क्षमता के अनुरूप गन्ने की अनुपलब्धता तथा वित्तीय घाटे को देखते हुए सत्र 2009-10 से संचालित न किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में नहरों की मरम्मत व सफाई कराये जाने की मांग

*10-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की मरम्मत, सफाई न होने तथा अधूरे माइनरों के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहरों की सफाई, टूटे-फूटे माइनरों की मरम्मत तथा अधूरे माइनरों के निर्माण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोक सभा चुनाव के बाद विद्युत आपूर्ति में कमी को दूर कर आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

*11-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2014 के लोक सभा निर्वाचन के बाद प्रदेश में विद्युत आपूर्ति कम हो गयी है और शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति के नये शिड्यूल जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो 13-14 मई, 2014 के उपरान्त ही विद्युत आपूर्ति में कमी के क्या कारण हैं ? क्या सरकार पूर्ववत् विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

माह मई, 2014 में कुल उपलब्धता औसतन 10850 मे0वा0 रही। विद्युत आपूर्ति में कमी के प्रमुख कारण केन्द्रीय पूल से कम विद्युत प्राप्त होना एवं प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण मांग में अत्यधिक वृद्धि होना।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण तथा ग्रिड की सुरक्षा के परिपेक्ष्य में इससे अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने की दशा में इससे अधिक आपूर्ति सम्भव हो सकेगी।

प्रदेश में अग्नि काण्ड से पीड़ित परिवारों को मकान हेतु अहेतुक सहायता धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

*12-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों, जिनके मकान जल कर राख हो जाने से उनका जीवनयापन संकटमय हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे परिवारों के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली अहेतुक सहायता धनराशि रु0 एक हजार नौ सौ मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए अग्निपीड़ित परिवारों को दी जाने वाली अहेतुक सहायता में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के अद्यतन संशोधन पत्र संख्या-32-3/2013, एन0डी0एम0-1 दिनांक 28-11-2013 द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत/सहायता प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित किये गये मानक दरों के अनुरूप आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का मकानों हेतु रु0 1,900/-की सीमा बढ़ाकर रु0 3,800/- कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कच्चे मकानों हेतु रु0 2,300/- (झोपड़ी के अतिरिक्त) (जहां पर नुकसान 15 प्रतिशत की सीमा तक हो) की व्यवस्था की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या-जी0आई0 27/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 31-12-2013 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

01-02 एवं 03 श्री उमेश पाण्डेय-

[दिनांक 20-06-2014 को अता0प्र0सं0-76, 77 एवं 78 द्वारा उत्तरित]

04-साध्वी निरंजन ज्योति-

[मा0 सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण हटाया गया]

05-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

06-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियामताबाद में श्री अशोक चौहान के घर से व्यास नगर रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त पिच रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

07-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा नीबूपुर वि0 ख0 नियामताबाद में अशोक चौहान के घर से एफ0सी0आई0 गेट तक व व्यास नगर रेलवे स्टेशन तक पिच रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

श्री अशोक चौहान का घर विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम नीबूपुर में न होकर राजस्व ग्राम रसूलपुर में स्थित है। अशोक चौहान के घर से एफ0सी0आई0 गेट तक (300 मी0) कच्चा मार्ग है। एफ0सी0आई0 गेट से व्यास नगर रेलवे स्टेशन तक (800 मी0) का मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

कानपुर महानगर के नरवल गांव को अन्य गांवों से मिलाकर तहसील बनाने का प्रस्ताव

08-श्री सतीश महाना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के नरवल गांव को अन्य गांवों के साथ मिलाकर तहसील बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त तहसील का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रकरण में मण्डलायुक्त, कानपुर के पत्र दिनांक 21 जून, 2014 के द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में अपनी संस्तुति राजस्व परिषद् को प्रेषित की गयी है।

यह प्रस्ताव अभी प्रक्रियान्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक चण्डौस के ग्राम दयौरऊ में सार्वजनिक रास्ते को इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने की मांग

09-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दयौरऊ ब्लाक चण्डौस, जनपद अलीगढ़ में सार्वजनिक रास्ते को इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र

संख्या-525/रालोद/विमद/2013, दिनांक 18-4-13 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित मार्ग में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत अनुरोध किया गया है। उक्त मार्ग की लम्बाई मात्र 0.90 कि0मी0 है, जो कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के मानकों के अनुरूप नहीं है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा की ग्राम अल्हेपुर की कृषि योग्य अधिग्रहीत भूमि को निरस्त करने की मांग

10-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की ग्राम अल्हेपुर की 272 एकड़ बहुफसली कृषि योग्य अधिग्रहीत भूमि को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-723/रालोद/विमद/2013, दिनांक 19-8-2013 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार जनपद मथुरा की आवासीय समस्या के निदान हेतु भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4 मथुरा संचालित की गयी है। उक्त योजना में ग्राम अल्हेपुर व छटीकरा की कुल 106.61 हे0 भूमि सम्मिलित है, जिसमें धारा-28 का प्रकाशन दिनांक 04-11-2006 को तथा धारा-32 का प्रकाशन दिनांक 21-8-2010 को हुआ। प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1965 की धारा-7 की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में मथुरा-वृन्दावन के महायोजना प्लान में प्रश्नगत क्षेत्र आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित किया गया है।

प्रश्नगत योजना की अनुमोदित प्रतिकर की धनराशि रु0 69.71 करोड़ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) मथुरा को उपलब्ध करा दी गयी है। योजना से सम्बन्धित किसानों से आपसी समझौते के आधार पर करार नियमावली, 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा समिति गठित की गयी है जिसमें कार्यवाही प्रगति पर है। अतः योजना की ग्राम अल्हेपुर की 272.00 एकड़ भूमि को जनहित/परिषद् हित में अर्जन मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में सोमना मोड़ से खैर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

11-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-36 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सोमना मोड़ से खैर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की वित्तीय वर्ष 2013-14 में मरम्मत करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत नहीं करायी जा सकी।

डोर टू डोर विद्युत बिलिंग सेवा में चेक द्वारा भुगतान के घोटाले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली विभाग में आनलाइन डोर टू डोर बिलिंग सेवा में चेक द्वारा भुगतान के मामले में घोटालों की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो इस घोटाले में अब तक कुल कितने रुपये का घोटाला प्रकाश में आया है ? क्या सरकार बतायेगी कि घोटाले में दोषी कम्पनी व कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत घोटाला प्रकाश में आया है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा आनलाइन डोर टू डोर चेक भुगतान सिस्टम के तहत केवल विद्युत वितरण मण्डल प्रथम बुलन्दशहर में रु0 153.43 लाख के फर्जी भुगतान उपभोक्ताओं के खाते में प्राप्त हुआ पाया गया है एवं विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोयडा में बिलिंग प्रणाली गो-लाइव होने के उपरान्त इस मण्डल में लगभग 646 संदिग्ध मामले (लगभग रु0 1.03 करोड़ विभिन्न खण्डों में) प्रकाश में आये हैं।

<u>गाजियाबाद क्षेत्र-</u>

प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ ने अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-2-2014 के द्वारा दोषी कर्मचारियों के बारे में जांच करने हेतु जांच समिति गठित की है तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-खुर्जा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05-02-2014 थाना कोतवाली खुर्जा नगर एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04-02-2014 थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर में एजेन्सी मैसर्स आर्यन एजूटैक प्रा0 लि0, बी-19, सेक्टर 63, नोयडा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है जिन पर थाने द्वारा तफतीश की जा रही है।

<u>विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोयडा-</u>

प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ कार्यालय द्वारा हैण्ड हेल्ड बिलिंग एजेन्सी में मै0 स्टर्लिंग ट्रान्सफार्मर्स, नोयडा एवं मै0 इण्डीयोर प्रा0लि0, नोयडा से उनकी एजेन्सी में कार्यरत कर्मचारियों की प्रकरण में संलिप्तता हेतु दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके तारतम्य में उक्त दोनों एजेन्सियों ने अवगत कराया है कि एस0बी0एम0 सं0 (आई0डी0-52317 एवं 52321) उनकी एजेन्सियों को आवंटित नहीं था तथा उनके स्तर से उक्त प्रकरण की जांच में उनके यहां का कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है फिर भी सम्बन्धित वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं को बिलिंग साफ्टवेयर में छेड़छाड़ एवं धोखाधड़ी करने वाले

कर्मचारियों/अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, नोयडा ने अपने पत्र दिनांक 23-4-2014 द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु पत्र हस्तगत करने की सूचना दी है तथा प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ ने अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-4-2014 के द्वारा उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0ख0 बड़ागांव में कतिपय ग्राम की पहूंज नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

13-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के वि0ख-बड़ागांव में ग्राम वरगढ़ एवं पोहरा के मध्य प्रवाहित पहूंज नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के फोर लेन बाईपास के ग्राम बूढ़ा में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

14-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के फोरलेन बाईपास (कानपुर-ग्वालियर) के पास ग्राम-बूढ़ा से उन्नाव बालाजी (उ0 प्र0 सीमा तक) सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है जिसकी कुल लम्बाई 10.90 कि0मी0 है। वर्तमान में मार्ग के कि0मी0 1 से 4 व किमी0 7 की दशा संतोषजनक है। मार्ग का शेष भाग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के रेलवे जंक्शन झांसी ग्वालियर राज मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

15-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में झांसी रेलवे जंक्शन जो झांसी ग्वालियर राजमार्ग पर स्थित है, से प्रतिदिन सैकड़ों रेलगाड़ियों के गुजरने के कारण रेलवे गेट ज्यादातर बन्द ही रहता है, जिसके कारण छात्रों, व्यापारियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का

सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी में किसानों के 50 हजार के ऋण को माफ करने की मांग

16-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में सरकार की नीति के अनुरूप अभी तक विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की तहसील मोहम्मदी में कितने पात्र व्यक्तियों का 50 हजार ऋण माफ कर दिया गया है तथा कितने ऋणी पात्र किसान शेष हैं ? क्या सरकार शेष ऋणी पात्र किसानों का ऋण माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सरकार की नीति के अनुरूप उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा तहसील मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी में 201 लाभार्थियों को माफी दी गई है। 4746 लाभार्थी अभी अवशेष हैं।

जी हां। सरकार की नीति के अनुरूप सभी पात्र कृषकों को ऋण माफी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्णकालिक प्रभागीय निदेशक की तैनाती की मांग

17-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे प्रभाग हैं जहां पर सहा0 वन संरक्षक/सहा0 निदेशक/उप प्रभागीय वनाधिकारी अपने पद के साथ प्रभारी प्रभागीय निदेशक/प्रभारी वनाधिकारी के पद का भी कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार पूर्णकालिक प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अत्यन्त अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत 29 वन प्रभागों का अतिरिक्त कार्यभार सहायक वन संरक्षकों को सौंपा गया है, जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

जी हां।

भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं राज्य वन सेवा के उप निदेशक स्तर के अधिकारी के उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन स्थापित कराये जाने की मांग

18-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन न होने के कारण मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में उक्त मशीनें स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 जांच से सम्बन्धित रोगियों को यथावश्यकता मण्डलीय चिकित्सालय में संदर्भित किया जाता है, जहां पर सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 के साथ ही ऐसे रोगियों को इलाज की समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदीय चिकित्सालयों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों, अन्य तकनीकी स्टाफ व प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

जनपद लखीमपुर में स्वीकृत मार्ग एवं उनके निर्माण का विवरण

19-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण हेतु कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत थे और क्या उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2011-12 में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर में कुल 50 मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा उक्त स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सम्बन्ध में विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम गूजरपुर का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

20-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम गूजरपुर मजरा इटौवा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजीव गांधी

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-237-239 पर।

विद्युतीकरण योजनान्तर्गत फेस-2 में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम गूजरपुर मजरा इटौवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत चयनित है। अनुबन्ध के अनुसार योजना का कार्य सितम्बर, 2015 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारी बारिश से हुए किसानों के नुकसान के आंकलन अन्तर्गत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

21-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 12-03-2014 को किसानों की आलू, सरसों व अन्य फसलों पर प्रकृति के कहर के रूप में हुयी बे-मौसम बारिश के कारण हुये नुकसान का आंकलन करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा सहित अन्य स्थानों पर हुये भारी नुकसान की भरपाई के लिये किसानों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत किसानों की फसलों की हुई क्षति के फलस्वरूप मुआवजा नहीं बल्कि राज्य आपदा मोचक निधि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा सहित प्रदेश के अन्य जनपदों को कुल रु0 60.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वास्तविक क्षति का आंकलन कराते हुए रु0 365.28 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को दिनांक 23-5-2014 को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से राहत हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपदों को अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बनने वाली समस्त आवासीय परियोजनाओं में खेल के मैदान विकसित करने की अनिवार्यता

22-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बाल आयोग की पहल पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने यहां बच्चों के खेल के अधिकार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में बनने वाली समस्त आवासीय परियोजनाओं में खेल का मैदान विकसित किये जाने की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी प्रदेश में बनने वाली समस्त आवासीय

परियोजनाओं में खेल के मैदान विकसित करने की अनिवार्यता पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थलों हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-2.4 में ''सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों/क्रियाओं हेतु मानक'' निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार आवासीय योजनाओं में क्रीड़ा क्रियायें विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पर 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक ''आवासीय इकाईयों में क्रीड़ा केन्द्र'', प्रत्येक 15,000 जनसंख्या पर 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक ''नेबरहुड क्रीड़ा केन्द्र'' तथा प्रत्येक 01 लाख जनसंख्या पर 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक ''जोनल क्रीड़ा केन्द्र'' का प्राविधान है, जिसका अनुपालन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में विकसित की जाने वाली समस्त आवासीय योजनाओं में किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में आर0ओ0बी0 तथा फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण की योजना

23-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में आर0ओ0बी0 तथा फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार कुम्भ मेला व संगम क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों पर बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुए स्थित आर0यू0बी0 सोहबतियाबाग, गोबिन्दपुर-तेलियरगंज मार्ग पर स्थित शिवपुरी तथा बैरहना को चौड़ा करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से आच्छादित आर0ओ0बी0 एवं फ्लाई ओवर के निर्माण की योजना निम्नवत् है :-

1-मा0 उच्च न्यायालय के समीप करियप्पा द्वार से एकलव्य चौराहे तक फ्लाई ओवर।

2-न्यू यमुना पुल के पहले बॉगड़ धर्मशाला से बैरहना क्रास्वेट स्कूल की तरफ फ्लाई ओवर का निर्माण।

3-पानी की टंकी के पास निर्मित आर0ओ0बी0 के समानान्तर नये आर0बो0बी0 का निर्माण।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपयुक्तानुसार।

लखनऊ के आलमबाग रेलवे क्रासिंग पर पुल के साथ सड़क किनारे नाले के निर्माण में की जा रही अनियमितता की जांच की मांग

24-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पश्चिमी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आलमनगर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी रेलवे पुल का निर्माण कराया जा रहा है तथा साथ ही सड़क के किनारे नाले का निर्माण भी हो रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नाले के निर्माण में प्रयोग होने वाली ईंट व अन्य सामग्री मानक के अनुरूप नहीं प्रयोग की जा रही है, जिस कारण कमला कान्वेन्ट स्कूल के पास नाला निर्माण कराते ही दिनांक 16 अप्रैल, 2014 को नाले की ईंट धंस गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार नाला निर्माण में बरती जा रही अनियमितता की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपयुक्तानुसार।

25-श्री सतीश महाना-

[दिनांक 23-06-2014 को अता0प्र0सं0-130 द्वारा उत्तरित]

कानपुर महानगर में नमक फैक्ट्री चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

26-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में निजाम चौराहा यशोदा नगर से नमक फैक्ट्री चौराहा तक मुख्य मार्ग एवं गोपाल नगर आरा मशीन की सड़क वर्तमान में बारिश के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

निजाम चौराहा यशोदा नगर से नमक फैक्ट्री चौराहा तक का कार्य अवस्थापना निधि से स्वीकृत न होने के कारण वर्तमान में नहीं कराया जा रहा है। गोपाल नगर आरा मशीन की सड़क का कार्य अवस्थापना निधि से कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमतीनगर में सृजन विहार सोसाइटी द्वारा ले आउट पास करने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पर कार्यवाही की मांग

27-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित अम्बेडकर पार्क के पास तथा भागीदारी भवन के पीछे सृजन विहार सोसाइटी द्वारा नगर निगम से भूमि क्रय करके कुछ प्लाट सोसाइटी के सदस्यों को आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र का ले आउट प्लान पास करने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास लम्बित है ? यदि हां, तो उसमें कितना बेटरमेंट शुल्क तय किया गया है तथा कब तक जमा करना अनिवार्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बेटरमेन्ट शुल्क नहीं लिया जाना है अपितु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 22-6-2011 में लिये गये निर्णयानुसार सभी शुल्क सम्मिलित करते हुए देय शुल्क रु0 2948.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित किया गया है, जिसमें जमा करने की तिथि तक कास्ट इंडेक्स की दर से वृद्धि होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में दिये गये अनुदान का विवरण

28-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य आरोग्य निधि/मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष से वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में कितने लोगों को कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा, मूत्र तथा अस्थिरोग के इलाज हेतु चिकित्सा अनुदान प्रदान किया गया तथा जनपद इलाहाबाद में कितने लोगों को कितना-कितना अनुदान दिया गया ? क्या सरकार प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को भी अनुदान देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) बी0पी0एल0 कार्ड धारक या गरीब मरीज जिनकी वार्षिक आय रुपये 24000/- तक है, को राज्य आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में कुल 215 मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ तथा जनपद इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में 10 मरीजों का उपचार निःशुल्क हुआ, जिसमें कुल रु0 6,30,348/- धनराशि व्यय हुई। किसी रोगी को नकद धनराशि अनुदान के रूप में नहीं दी जाती है, बल्कि मेडिकल कालेजों को इस प्रकार के रोगियों के इलाज हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) बी0पी0एल0 कार्डधारक रोगियों को रु0 30,000/- तक के इलाज की सुविधा प्रदेश के जनपदों में चिन्हित निजी चिकित्सालयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत अनेक ग्रामों में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम-इस्लामाबाद व ग्राम-वरनैया, मजरा रतनपुर में मानक से कम क्षमता के लगे ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण आये दिन खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मरों की जगह अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त।

ग्राम इस्लामाबाद में 100 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक दिनांक 23-4-2014 को ही स्थापित कर दिया गया है एवं ग्राम बरनैया मजरा रतनपुर में 25 के0वी0ए0 के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक दिनांक 21-5-2014 को स्थापित कराया जा चुका है।

जनपद लखीमपुर खीरी के वन्य पेड शीतगृहों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

30-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी नगर में सहकारी शीतगृह 20 वर्षों से बन्द रहने से क्षेत्रीय जनता को आलू भण्डारण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द पड़े उक्त शीतगृह को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में पुवायां रोड का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

31-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगर के चुंगी चौराहा से पुवायां रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ई0पी0सी0 डाक्यूमेंट पर आधारित अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 21-8-2015।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग

32-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत सिंचाई हेतु लगे खराब तथा बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राजकीय नलकूपों का यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से खराब होना तथा निर्धारित अवधि में ठीक कराकर चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 17-4-2014 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत 11 अदद (8 विद्युत एवं 03 यांत्रिक दोष से) राजकीय नलकूप अस्थायी रूप से खराब थे।

विद्युत दोष से बन्द उपरोक्त सभी राजकीय नलकूप दिनांक 17-5-2014 तक एवं यांत्रिक दोष से बन्द उपरोक्त सभी राजकीय नलकूपों को दिनांक 20-4-2014 तक ठीक कराकर चालू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के कतिपय मजरों व ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

33-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ब्लाक मोहम्मदी व पसगवां के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित मजरों व ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

300 या 300 से अधिक आबादी वाले सभी अविद्युतीकृत बसावटों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (भारत सरकार) के द्वितीय चरण (11वीं योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत एवं अग्रिम कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार से धन की उपलब्धता होने पर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के रेलवे क्रासिंग से मियांपुर नहर की क्षतिग्रस्त पटरी तक सड़क मरम्मत कराये जाने की मांग

34-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में परीक्षा रेलवे क्रासिंग से बझेरा होते हुए मियांपुर तक नहर की पटरी मरम्मत के अभाव में पूर्णरूपेण उखड़कर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम मानपुर से सिमिरिया तक सड़क निर्माण की मांग

35-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बबीना के ग्राम मानपुर के मजरा कारीटोरन भटयाई होते हुए सिमिरिया तक सड़क न होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्की बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बबीना के ग्राम मानपुर के मजरा कारीटोरन की आबादी लगभग 50 एवं ग्राम रसीना के मजरा भटियाई की आबादी लगभग 75 है, जो सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। रसीना सम्पर्क मार्ग से भटियाई होते हुए कारीटोरन तक कच्चा रास्ता है, जिसके कारण ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

250 से कम आबादी होने के कारण उक्त दोनों मजरों को पक्के मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

प्रदेश के अपंजीकृत चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्रैक्टिस पर कार्यवाही की मांग

36-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपंजीकृत चिकित्सकों (अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स) द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपंजीकृत/अनाधिकृत चिकित्सकों द्वारा बिना योग्यता के चिकित्सकीय कार्य करने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

जी हां।

शासनादेश संख्या-1368/सेक-5-पांच-2012-205/12, दिनांक 08-06-12 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपंजीकृत/अनाधिकृत रूप से बिना योग्यता के चिकित्सकीय कार्य करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। तद्नुसार प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के सहयोग से टीम का गठन कर नियमित छापामार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भू-खण्डों के आवंटन निरस्त कर आवंटियों को 12 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि वापस करने के आदेश

37-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005 में आवंटित भू-खण्डों का जो व्योम खण्ड तथा गोमतीनगर विस्तार में था, के आवंटियों का आवंटन बिना उनकी सहमति के 2009 में निरस्त करते हुए जमा धनराशि पर 9 प्रतिशत ब्याज देते हुए धनराशि वापस कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-01-2012 द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त समस्त आवंटियों को 12 प्रतिशत ब्याज का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

व्योम खण्ड, गोमती नगर विस्तार योजना के आवंटियों द्वारा दाखिल 79 रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-1-2012 के अनुपालन में प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 25-2-2013 के अनुसार रिट याचिका में सम्मिलित कुल 150 आवंटियों की जमा धनराशि पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज का आगणन कराते हुए धनराशि वापस कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की ग्राम पंचायत चिरगांव देहात का मजरा पाल का डेरा में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

38-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव ग्राम पंचायत चिरगांव देहात का मजरा पाल का डेरा में जिसकी आबादी लगभग

400 है, का अभी तक विद्युतीकरण नहीं होने से यहां के निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या अन्य किसी योजना के तहत उक्त मजरे का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद झांसी बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव ग्राम पंचायत चिरगांव देहात का मजरा पाल का डेरा में जिसकी आबादी लगभग 400 है आंशिक रूप से विद्युतीकृत है।

मजरा पाल का डेरा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं पंचवर्षीय योजना) में सम्मिलित है, जिसकी निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में है। भारत सरकार से धन उपलब्धता होने पर शेष विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुरूप भुगतान कराये जाने की मांग

39-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन एवं भत्ते दिये जाने तथा एरियर का भुगतान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-वे0-आ0-2-182/ दस-97-स्था0नि0-3-89, दिनांक 20 फरवरी, 1997 के अनुसार लाभ प्रदान किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-182/दस-97-स्था0नि0-3-89, दिनांक 20 फरवरी, 1997 में दिनांक 5-11-85 से पूर्व नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा 58 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने पर समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु गोरखपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 5-11-85 से पूर्व नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा उक्त शासनादेश के अनुक्रम में 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु का विकल्प न दिये जाने के कारण उन्हें शासनादेश के प्राविधानों का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है। दिनांक 5-11-85 के बाद नियुक्त एवं 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त लेने वाले कार्मिकों को वर्तमान में लागू शासनादेशों के अनुसार समय-समय पर अनुमन्य ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में रमैयापुरा नहर की पुलिया से धर्मपुरा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

40-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड चिरगांव में रमैयापुरा नहर की पुलिया से धर्मपुरा तक की सड़क अत्यन्त जर्जर होने के

कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय राजबहा की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने की मांग

41-श्री दलवीर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़, ग्राम अमृतपुर के निकट दयौरऊ चण्डौस मार्ग पर बलीपुर बीरपुरा राजवहा पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ शहर के नौरंगाबाद ओवर ब्रिज पर क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत कराये जाने की मांग

42-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के चौथे बुधवार के अता0प्र0सं0-37 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाई-वे 91 पर अलीगढ़ शहर में नौरंगाबाद ओवर ब्रिज पर लगी क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत हेतु पुनः सख्त निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। नेशनल हाई-वे 91 पर अलीगढ़ शहर में नौरंगाबाद ओवर ब्रिज पर लगी क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत का कार्य रियायतग्राही द्वारा करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ विद्युत वितरण खण्ड में ई0पी0एफ0 गबन की जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

43-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विद्युत वितरण खण्ड देहात में 35 लाख रुपये ई0पी0एफ0 गबन की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक 466/रालोद/विमद/2012, दिनांक

13-3-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जांच में दोषी पायी गयी कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय अलीगढ़ द्वारा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में क्रमशः दिनांक 11-02-2013, 12-02-2013 एवं 18-02-2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही पुलिस विवेचना के आधार पर मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

44-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-147 के उत्तर के संदर्भ में लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में काली नदी पर ग्राम कल्याणपुर व बर्रा नदी पर पुल निर्माण चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में लो-वोल्टेज से किसानों के निजी नलकूपों के फूंकने खराब होने पर दावा प्रस्तुत करने का प्राविधान

45-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लो-वोल्टेज के कारण किसानों के निजी नलकूपों के फुंकने/खराब होने वाले मोटरों/पम्पसेटों का विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस समस्या के निस्तारण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विद्युत प्रदाय संहिता 2005 की धारा-7.9 के अन्तर्गत वोल्टेज निर्धारित सीमा के बाहर परिवर्तन होने पर उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के संलग्नक 7.1 के अनुसार दावा प्रस्तुत करने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के पुराने जी0टी0 रोड से खुर्जा झांझर मार्ग को चौड़ा कराये जाने की मांग

46-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खुर्जा जनपद बुलन्दशहर में पड़ने वाले खुर्जा सिकन्दराबाद पुराने जी0टी0 रोड से खुर्जा झांझर मार्ग जनपद गौतमबुद्ध नगर पर अत्यधिक यात्रियों के आवागमन का दबाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है। वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 3.70 मीटर है। यातायात घनत्व गणना के अनुसार मार्ग का पी0सी0यू0-5000 से कम है, जो मार्ग के चौड़ीकरण हेतु मानक के अनुरूप नहीं है।

प्रदेश में विद्युत विहीन गांवों में विधायकों की संस्तुति पर विद्युतीकरण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

47-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विद्युत विहीन गांवों में विद्युतीकरण हेतु विधायकों की संस्तुति पर प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के 300/100 एवं अधिक आबादी वाले समस्त अविद्युतीकरण ग्राम/मजरों के विद्युतीकरण हेतु योजना स्वीकृत की गयी है।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा जंक्शन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने की मांग

48-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत खुर्जा जंक्शन पर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज पर फाटक बन्द होने पर आवागमन बन्द हो गया है जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज पर वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रेलवे पोर्सन के भाग में निर्माण के समय रेलवे फाटक मार्च/2014 माह में 15 दिन के लिये बन्द था। वर्तमान में फाटक खुला है एवं यातायात चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्षा के पानी को नष्ट होने से बचाने हेतु नीति सम्बन्धी जानकारी

49-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा के पानी को नष्ट होने से बचाने तथा किसानों को सिंचाई व पीने के पानी के संचय की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्षा के पानी को नष्ट होने से बचाने तथा किसानों को सिंचाई व पीने के पानी के संचय हेतु लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग द्वारा भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु ''समग्र नीति'' बनायी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है†।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के ग्राम टैना गोसपुर में आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

50-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के ग्राम टैना गोसपुर में राजकीय स्कूल के लिये आरक्षित भूमि पर एक निजी व्यक्ति द्वारा विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल नामक विद्यालय खोलकर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम गोसपुर टैना के राजस्व अभिलेखों में खतौनी वर्ष 1417 फसली से 1422 के खाता संख्या-662 के गाटा संख्या-207ग रकबा-0.111 हे0 जूनियर हाई स्कूल गोसपुर टैना हेतु आरक्षित अंकित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में श्री विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल संचालित है। उक्त विद्यालय के संचालक श्री गजेन्द्र सिंह राठौर है। श्री राठौर द्वारा मा0 सिविल जज जूनियर डिवीजन खुर्जा बुलन्दशहर के न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद संख्या-46/2007 शिशु कल्याण शिक्षा समिति बनाम नरेन्द्र कुमार सिंह में पारित आदेश दिनांक 12-3-2007 द्वारा शान्ति प्रिय कब्जे व अध्यासन में कोई हस्तक्षेप न करने के आदेश मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। उक्त वाद में दिनांक 03-07-2014 को सुनवाई की तिथि नियत है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कब्जा हटाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

प्रदेश में भू-राजस्व अभिलेख निहित अवधि समाप्त होने के कारण विधिमान्यीकरण न होने की समयावधि का निर्धारण करने सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्ताव

51-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में भू-राजस्व अभिलेखों (रजिस्ट्रीकृत भू-सम्पत्तियों) जिनका विधिमान्यीकरण (दाखिल खारिज आदि) राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0-605/एक-2010-12 (7)-2003, दिनांक 05-04-2010 में निहित अवधि समाप्त हो जाने के कारण विधिमान्यीकरण नहीं हो पाया है, के विधिमान्यीकरण हेतु फिर से समयावधि का निर्धारीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में भू-राजस्व अभिलेखों (रजिस्ट्रीकृत भू-सम्पत्तियों) जिनका विधिमान्यीकरण (दाखिल खारिज आदि) राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0-605/एक-2010-12(7)-2003, दिनांक 05-04-2010 में निहित अवधि समाप्त हो जाने के कारण विधिमान्यीकरण नहीं हो पाया है, के विधिमान्यीकरण हेतु फिर से समयावधि के निर्धारीकरण के बिन्दु पर राजस्व परिषद् से प्राप्त प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम बेहटा जंगल मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

52-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम बेहटा जंगल मार्ग पर 20-10-2011 में पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम बेहटा जंगल के पास पुलिया व मार्ग निर्माण/मरम्मत के आगणन के सापेक्ष बेहटा जंगल के पास मार्ग अनुरक्षण हेतु शासनादेश दिनांक 20-01-2011 द्वारा स्वीकृति निर्गत की गई थी।

पुलिया व मार्ग के निर्माण/मरम्मत पर संशोधित स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद पावर स्टेशन पर नियमित वोल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग

53-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद पावर स्टेशन पर 11000 वोल्ट की विद्युत लाइनों में आपूर्ति मात्र 7000 वोल्ट ही मिल पाती है, जो सामान्य से बहुत कम होने के कारण विद्युत उपकरण भी ठीक से नहीं काम करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

जलालाबाद में नियमित रूप से 11000 वोल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में सामान्य वोल्टेज जलालाबाद उपकेन्द्र पर प्राप्त हो रहा है। पीक आवर्स में अत्याधिक भार (लोड) बढ़ने पर कभी-कभी वोल्टेज में कमी परिलक्षित होती है।

जी हां।

जी हां।

निर्माणाधीन 132 के0वी0 तिलहर उपकेन्द्र वर्ष 2014-15 में पूर्ण होना लक्षित है। जिसके ऊर्जीकृत होने पर जलालाबाद उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति शाहजहांपुर उपकेन्द्र से हटाकर तिलहर उपकेन्द्र से कर दी जायेगी जिससे जलालाबाद पावर स्टेशन पर सामान्य वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

54-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु लिये गये विद्युत कनेक्शन को सरकार द्वारा की गयी घोषणानुसार किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित वर्तमान में लागू रेट शिड्यूल में किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है तथापि एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) के विद्युत उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) के ज्यादातर उपभोक्ता किसान ही हैं।

प्रदेश में किसानों को नहरों से सिंचाई हेतु निःशुल्क पानी आपूर्ति किये जाने के आदेश

55-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को नहरों द्वारा सिंचाई हेतु निःशुल्क पानी दिये जाने की घोषणा के सापेक्ष निःशुल्क पानी की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-3367/12-27-सिं-9-32एस0ए0वी0/12, दिनांक 27-12-2012 द्वारा किसानों को नहरों एवं सरकारी नलकूपों का पानी सिंचाई हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना खरीफ जमाबन्दी 2012 से लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में प्राधिकरणों के पूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में दी गयी भूमि फ्री-होल्ड किये जाने का प्राविधान

56-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों, नगरों में प्राधिकरणों के पूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में दी गयी भूमि के फ्री-होल्ड की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त योजना प्रदेश में किन-किन महानगरों में लागू है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश के महानगरों, नगरों में प्राधिकरणों के पूर्व इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में दी गयी भूमि के फ्री-होल्ड किये जाने का प्राविधान उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, समस्त विकास प्राधिकरण तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को प्रेषित शासनादेश संख्या-1639/9-आ-1-95-80 मिस/86, दिनांक 10 मई, 1995 तथा शासनादेश सं0-3585/9-आ-1-95-80मिस/86, दिनांक 21 सितम्बर, 1995 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश में जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर तथा नये आवंटियों से भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री-होल्ड किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की कतिपय चीनी मिलों द्वारा की गई गन्ना पेराई के परता का विवरण एवं गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

57-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खम्भारखेड़ा चीनी मिल, कुम्भी चीनी मिल, अजबापुर चीनी मिल, गोविन्द शुगर चीनी मिल, लखीमपुर खीरी द्वारा वर्ष 2011-12 में कुल कितना-कितना गन्ना पेराई की गयी एवं इनमें चीनी का परता क्या रहा है ? क्या गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नगद दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पेराई सत्र, 2011-12 में जनपद लखीमपुर में स्थित प्रश्नगत चीनी मिलों द्वारा की गई गन्ना पेराई व चीनी परता का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	नाम चीनी मिल	गन्ना पेराई (लाख कु0)	चीनी परता (प्रतिशत)
1	बजाज हिन्दुस्तान लि0, खम्भारखेड़ा	122.86	9.46

क्र0सं0	नाम चीनी मिल	गन्ना पेराई (लाख कु0)	चीनी परता (प्रतिशत)
2	कुम्भी चीनी मिल्स लि0, कुम्भी	113.07	9.78
3	डी0सी0एम0 शुगर, अजबापुर	141.37	9.59
4	गोविन्द शुगर मिल्स लि0, ऐरा	93.82	9.14

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय नीति एवं निर्देशों के अनुसार किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के स्वास्थ्य केन्द्रों में विषरोधी दवाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

58-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में स्थित सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर विषरोधक दवाओं के अभाव में ग्रामीणों की सर्पों के काटने से अकाल मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में विषरोधी दवाओं की उपलबधता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मा0 कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों का आवंटन व कब्जा दिलाये जाने की मांग

59-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों का आवंटन व कब्जा दिला दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने आवास आवंटन से रिक्त हैं तथा कब तक उनका आवंटन व कब्जा सरकार दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में आवास निर्मित किये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

द्वितीय चरण में लक्षित 500 आवासों का निर्माण करते हुए चयनित पात्र अभ्यर्थियों को आवास आवंटित करते हुए भौतिक कब्जा दे दिया गया है।

योजनान्तर्गत तृतीय चरण में लक्षित 106 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही चयनित पात्र अभ्यर्थियों को आवंटित करते हुए यथाशीघ्र कब्जा दे दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के नगर मोहम्मदी में उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल खुलवाये जाने की मांग

60-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर मोहम्मदी में उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल जैसे 50 बेड, जच्चा, सर्जन आदि न होने के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 50 बेड वाला उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है। सर्जन, फिजीशियन तथा महिला चिकित्सक कार्यरत हैं। जच्चा-बच्चा हेतु आवश्यक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हैं। रोगियों की आपातकालीन सुविधा हेतु 108 तथा यू0पी0 एम्बुलेन्स की 102 एम्बुलेन्स क्रियाशील है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के वंचित गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

61-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के प्रारम्भ में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी के कितने गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युतीकरण से वंचित गांवों को आच्छादित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के कुल 165 गांवों के 328 मजरों का विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त।

जनपद बरेली में बन्द पड़ी रबर फैक्ट्री की भूमि पर हाईटेक सिटी की स्थापना कराये जाने की मांग

62-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में बन्द पड़ी रबर फैक्ट्री की खाली जमीन पर कोई दूसरा उद्योग अथवा हाईटेक सिटी की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

रबर फैक्ट्री की भूमि बरेली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की नहीं है, यह भूमि निजी स्वामित्व की है यदि इस भूमि के लिये किसी प्रकार के उद्योग का प्रस्ताव आता है तो बरेली महायोजना-2021 के अनुसार प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सं0-124 के मुहल्लों को शहरी विद्युत फीडर से विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

63-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र संख्या-124 के अन्तर्गत आने वाले मुहल्लों को शहरी विद्युत फीडर से विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-145269, दिनांक 10-12-2013 प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में वर्णित ग्राम नदौसी, पसतौर, सरनिया, बण्डिया, खनागौटिया, टिउलिया, खडौसा आदि इलाकों में शहरी विद्युत आपूर्ति करने हेतु मौके का स्थलीय परीक्षण कराया जा चुका है। भविष्य में वित्तीय उपलब्धता के आधार पर योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के समाधान हेतु कार्य योजना बनाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

64-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से स्थायी रूप से प्रभावित होने वाले विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके स्थायी समाधान हेतु सरकार कोई दूरगामी कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में बाढ़ से स्थाई रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की बाढ़ समस्या के स्थाई समाधान हेतु जनपदवार इन्टीग्रेटेड एवं कम्प्रेहेन्सिव बाढ़ एवं जलोत्सारण परियोजनाएं बनाया जाना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति गठित कर नियमित बैठक आयोजित करने का प्राविधान

65-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति गठित करने एवं उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल कर नियमित बैठक आयोजित करने का कोई प्राविधान लागू है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी में श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय राजकीय चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति गठित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त का गठन किये जाने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के उपकेन्द्र मण्डुवाडीह के प्रथम एवं द्वितीय फीडर को भूमिगत केबिल से जोड़ने विषयक पत्र पर कार्यवाही

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के0वी0 उपकेन्द्र मण्डुवाडीह से निकलने वाली 33,000 वोल्ट की वाराणसी प्रथम एवं द्वितीय फीडर को भूमिगत केबिल से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-5-2013 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं दिनांक 30-5-2013 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

132 के0वी0 मण्डुवाडीह उपकेन्द्र से 33 के0वी0 वाराणसी प्रथम एवं द्वितीय फीडर सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प के पास तक एक ही पोल पर डबल सर्किट के रूप में आये हैं फिर अलग-अलग हो गये हैं। उक्त दोनों पोषकों को अलग-अलग करने का प्रयास किया गया किन्तु रास्ते में मकान आदि के निर्माण हो जाने एवं स्थानीय अवरोधों के कारण भूमिगत केबिल डालकर जोड़ना सम्भव नहीं हो सका है। वर्तमान में भी दोनों पोषकों से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

अग्रेतर नवनिर्मित 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भेलूपुर के प्रारम्भ होने पर वाराणसी प्रथम एवं द्वितीय फीडर से जुड़े क्रमशः 33/11 के0वी0 भेलूपुर उपकेन्द्र, 33/11 के0वी0 गोदौलिया उपकेन्द्र, 33/11 के0वी0 बेनियाबाग उपकेन्द्र एवं 33/11 के0वी0 शंकुलधारा उपकेन्द्र 220 के0वी0 उपकेन्द्र भेलुपुर वाराणसी से जोड़ दिये जायेंगे तथा 33 के0वी0 वाराणसी प्रथम एवं द्वितीय सर्किट आरक्षित लाइन रह जायेंगे जिसे आकस्मिकता में उपयोग में लाया जाएगा। तकनीकी रूप से उपर्युक्त प्रकार से जोड़ने से अन्डरग्राउन्ड केबिल लगाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

लखनऊ के गोमती नगर में मा0 जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

67-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमतीनगर में मा0 जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त पार्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में टी0वी0 के जटिल किस्म की बीमारी की रोकथाम के उपाय

68-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टी0बी0 की जटिल किस्म (रजिस्टेन्ट टी0बी0) के रोगियों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जटिल किस्म की टी0बी0 की बीमारी की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में टी0बी0 की जटिल किस्म (रजिस्टेन्ट टी0बी0) के रोगियों के उपचार हेतु डाट्स प्लस कार्यक्रम जनपद आगरा में मार्च, 2011 में प्रारम्भ किया गया तत्पश्चात् चरणबद्ध तरीके से मार्च, 2013 तक प्रदेश के समस्त जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक टी0बी0 की जटिल किस्म (रजिस्टेन्ट टी0बी0) के संदिग्ध पाये गये कुल 5710 क्षय रोगियों की जांचोपरान्त 2047 क्षय रोगियों को उपचार प्रदान किया गया। इसके पूर्व की समान अवधि एवं समान जनपदों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि का निष्कर्ष युक्ति संगत नहीं होगा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में क्षय रोगियों के पंजीकरण से लेकर उपचार तक सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद डाट्स प्लस कार्यक्रम से आच्छादित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में (एम0डी0आर0) मल्टी ड्रग रजिस्टेन्ट क्षय रोगियों को निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा जनपद लखनऊ, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी में क्रियाशील कल्चर एवं ड्रग सेन्सटीविटी प्रयोगशालाओं तथा इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, गाजियाबाद, बस्ती एवं कानपुर में स्थापित एवं शीघ्र परिणाम देने वाली कारट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सी0बी0एन0ए0ए0टी0) एवं जनपद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ, बस्ती, इटावा एवं आगरा में क्रियाशील डाट्स प्लस साइट के माध्यम से प्राप्त करायी जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत मल्टी ड्रग रजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों के उपचार हेतु समस्त क्षय निरोधी औषधियों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 455 टी0बी0 यूनिट, 1832 डेजिगनेटेड माइक्रोस्कोपी सेन्टर

(डी0एम0सी0) एवं 40 हजार डाट्स केन्द्रों के माध्यम से जनपदीय स्तर पर जिला क्षय रोग अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में रामगंगा नदी पर डैम का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराये जाने की मांग

69-डा0 अरुण कुमार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बरेली जिले में रामगंगा नदी पर डैम के निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

बैराज निर्माण की धीमी गति से बैकलाग को समायोजित करते हुए निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र में एम0ओ0यू0 रूट की परियोजनाओं को स्थगित कर कार्य पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

70-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार निजी क्षेत्र में एम0ओ0यू0 रूट की कितनी बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितना कार्य किया जा चुका है और इन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए इन्हें पूर्ण करायेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

09 परियोजनाएं।

ललितपुर प्रथम चरण का फाइनेन्शियल क्लोजर होने के बाद निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। प्रथम इकाई की कमीशनिंग दिसम्बर, 15 तक लक्षित है। शेष परियोजनाओं का केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय से कोल लिंकेज न मिल पाने के कारण फाइनेन्शियल क्लोजर नहीं हो सका है जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। फाइनेन्शियल क्लोजर होने के बाद 1980 मे0वा0 व 1320 मे0वा0 की परियोजनाओं की प्रथम इकाई 52 माह के अन्दर व शेष इकाइयां 6-6 माह के अन्तराल में आयेगी। 600 मे0वा0 व 250 मे0वा0 की परियोजनाओं की प्रथम इकाई 33 माह के अन्दर व अन्य इकाई 4 माह के अन्तराल में आ सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमती नगर में सृजन विहार सोसाइटी द्वारा प्लाटों का आवंटन के मालिकों से बेटरमेंट शुल्क लेकर नियमितीकरण करने सम्बन्धी जानकारी

71-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमतीनगर स्थित अम्बेडकर पार्क के पास तथा भागीदारी भवन के पीछे सृजन विहार सोसाइटी द्वारा आवंटित प्लाटों में अधिकांश लोग मकान बनाकर रहने लगे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकान मालिकों से बेटरमेंट शुल्क लेकर नियमितीकरण करेगी ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बेटरमेंट शुल्क नहीं लिया जाना है अपितु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 22-6-2011 में लिये गये निर्णयानुसार सभी शुल्क सम्मिलित करते हुए देय शुल्क रु0 2948.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित किया गया है। जिसमें जमा करने की तिथि तक कास्ट इंडेक्स की दर से वृद्धि होगी। तद्नुसार शुल्क अदायगी के उपरान्त विनियमितीकरण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लगाये जा रहे पावर प्रोजेक्ट एवं घाटमपुर कानपुर के पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने सम्बन्धी जानकारी

72-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में कौन-कौन से एवं कितनी क्षमता के पावर प्रोजेक्ट्स प्रदेश में लगाये जा रहे हैं ? क्या यही सही है कि घाटमपुर, कानपुर में मुख्य मंत्री द्वारा माह जून, 2012 में शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पावर प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश में लगाये जा रहे पावर प्रोजेक्ट्स की सूची संलग्नक† (1) मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जी हां।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि, परियोजना को प्रारम्भ करने की शून्य तिथि होगी। परियोजना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति अभी प्रतिक्षित है। प्रथम इकाई से वाणिज्य भार पर आने की तिथि शून्य तिथि से 52 माह पश्चात् तथा द्वितीय एवं तृतीय इकाई प्रथम इकाई के वाणिज्य भार पर आने की तिथि से क्रमशः 6 माह एवं 1 वर्ष के पश्चात् वाणिज्यिक भार पर आना लक्षित/सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये 72 का उत्तर पीछ-240-244 पर

जनपद बरेली के जिला अस्पताल में लगे डायलिसिस मशीन के उपयोग सहित अन्य बिन्दुओं पर मांगी गयी जानकारी विषयक पत्र पर कार्यवाही

73-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में लगे डायलिसिस मशीन के उपयोग सहित अन्य बिन्दुओं पर मांगी गयी जानकारी विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-247910, दिनांक 28-08-2013 मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के अनेकों ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

74-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में ग्राम दौरऊ, मेमड़ी, पोइनामोड, कलाई, बड़ागांव, उखलाना एवं बीरपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10216292/2013, दिनांक 14-2-2013 द्वारा समस्या के समाधान हेतु आदेश किये गये थे ? क्या सरकार बतायेगी कि कौन-कौन से ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

नये प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मानक विषयक शासनादेश दिनांक 11-2-14 के अनुसार जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के ग्राम दौरऊ, मेमडी, पोइनामोड व कलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मानक पूर्ण नहीं करते हैं।

ग्राम बड़ागांव, उखलाना व बीरपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि, मानव संसाधन व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर शासनादेश दिनांक 11-2-14 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के सुहावली वन ब्लाक में एक ही स्थान पर बार-बार वृक्षारोपण कर वित्तीय घोटाले विषयक पत्र पर कार्यवाही

75-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सुहावली वन ब्लाक में बार-बार एक ही स्थान पर वृक्षारोपण कर वित्तीय घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10111306/2012, दिनांक 25-8-2012 द्वारा प्रकरण की

जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य के संदर्भगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा दो सदस्यीय समिति का गठन कर जांच कराई गई। जांचोपरान्त वृक्षारोपण की असफलता हेतु प्रथम दृष्टया एक क्षेत्रीय वनाधिकारी व 08 कर्मचारियों को चिन्हित कर दोषियों के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में पुराने जी0टी0 रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने की मांग

76-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत खुर्जा, सिकन्द्राबाद पुराने जी0टी0 रोड पर सिटी रेलवे स्टेशन खुर्जा के नजदीक स्थित तेलियाघाट फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के समपार सं0-5ए, निकट खुर्जा सिटी रेलवे स्टेशन, जो डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रूट पर है। इस समपार पर उपरिगामी सेतु के लिये लोक निर्माण विभाग, रेलवे एवं डी0एफ0सी0सी0 द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें उपरिगामी सेतु फिजिबिल नहीं पाया गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के ग्रामों व शहर की बस्तियों के जर्जर तारों एवं ट्रांसफार्मर बदलने की मांग

77-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के ग्रामों व शहर की बस्तियों के तार जर्जर हैं तथा कम क्षमता के ट्रान्सफार्मर भी लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम क्षमता के ट्रान्सफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मर स्थापित करने के साथ जर्जर तारों को बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में विद्युत वितरण खण्ड, खुर्जा के अन्तर्गत ग्रामों व शहरों की बस्तियों के तार एवं ट्रांसफार्मर मानक के अनुरूप लगाये गये हैं, परन्तु समय बीतने के साथ कहीं-कहीं तार जर्जर भी हो गये हैं एवं ग्रामों में उपभोक्ताओं द्वारा बिना स्वीकृत कराये अतिरिक्त भार का उपयोग करने, कटिया आदि लगाये जाने के कारण ट्रांसफार्मर अतिभारित/क्षतिग्रस्त होते रहते हैं।

ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि एवं अतिभारित क्षेत्रों में नये परिवर्तक तथा जर्जर तार तकनीकी रूप से परीक्षण कर आवश्यकतानुसार नियमित (प्रत्येक वर्ष) बदले/लगाये जाते हैं।

उपरोक्त कार्यों का कराया जाना सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षतिग्रस्त खुर्जा जंक्शन से रनियावली सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

78-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा जंक्शन मार्ग से असगरपुर सम्पर्क मार्ग व एन0एच0 91 से रनियावली सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों को बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जपपद बुलन्दशहर में खुर्जा जंक्शन मार्ग से असगरपुर सम्पर्क मार्ग एक ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो कि खुर्जा जंक्शन मार्ग के बाई तरफ निकलकर असगरपुर को जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 2.4 कि0मी0 है। मार्ग पर नवीनीकरण वर्ष 6/2004 में हुआ है। गन्ने के भारी यातायात के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्ग के पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

एन0एच0 91 से रनियावली सम्पर्क मार्ग एक ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो कि एन0एच0 91 के किमी0 1.07 से निकलकर रनियावली को जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 1.77 कि0मी0 है। मार्ग पर नवीनीकरण वर्ष 6/2001 में हुआ है। गन्ने के भारी यातायात के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्ग के पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों हेतु स्वास्थ्य सेवा नियामक आयोग बनाने सम्बन्धी जानकारी

79-श्री त्रिभुवन राम-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों पर कोई सरकारी नियंत्रण न होने के कारण आपरेशन तथा अन्य शुल्क मनमाने ढंग से वसूले जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं, जिससे जनता का शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर नियंत्रण के लिए कोई विधि संगत नियम अथवा स्वास्थ्य सेवा नियामक आयोग बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

संज्ञान में है।

प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट को लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्योम खण्ड के आवंटित आवासों को निरस्त कर जमा धनराशि वापस करने सम्बन्धी जानकारी

80-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्योम खण्ड के आवंटित आवासों को निरस्त करते हुए वर्ष 2009 में आवंटियों को उनकी जमा धनराशि वापस कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि व्योम खण्ड के साथ ही गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर दो के 1/14 से 99/14 तक के आवासों को भी निरस्त करते हुए जमा धनराशि वापस कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार गोमती नगर विस्तार के आवंटियों को पुनः भू-खण्ड आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित संख्या का कोई आवास नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

व्योम खण्ड गोमती नगर विस्तार की नियोजित भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-3779/एम0बी0/2006, गोमती नगर जन कल्याण समिति बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19-12-2006 के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 138वीं बैठक दिनांक 13-08-2009 के अनुसार व्योम खण्ड, गोमती नगर विस्तार की प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग आवासीय से पार्क व खुला स्थान/हरित पट्टी में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण आवंटियों को भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया। आवंटियों की जमा धनराशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दी गयी है।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये विद्युत ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने एवं खराब ट्रान्सफार्मर बदलने विषयक पत्र पर कार्यवाही

81-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के बरेली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगाये गये विद्युत ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक तथा खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-5 नं0-247905, दिनांक 30-8-2013, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, विद्युत विभाग, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में इंगित बरेली नगर के स्थानों पर परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि की आवश्यकताओं का परीक्षण कर निम्नवत् क्षमता वृद्धि की गई है :-

1-दिनांक 24-4-2014 को महेन्द्र गायत्री अस्पताल के निकट ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की जा चुकी है।

2-दिनांक 05-09-2013 को प्रभात नगर कालोनी, प्रेमनगर में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की जा चुकी है।

3-दिनांक 11-09-2013 को पटेल नगर में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की जा चुकी है।

4-दिनांक 02-05-2014 को कानूनगोयान में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की जा चुकी है।

5-दिनांक 30-09-2013 में टियूलिया सी0बी0 गंज में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की जा चुकी है। खराब ट्रांसफार्मरों को भी तत्काल बदल दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में 300 शैय्या वाले अस्पताल के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

82-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में 300 शैय्या वाले अस्पताल के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-5 नं0-247909, दिनांक 28-8-2013, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

300 शैय्या के अस्पताल निर्माण हेतु कुल रु0 2310.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष रु0 1087.10 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह जून, 2015 है।

उक्त अस्पताल में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के अनेक मोहल्लों में बांस-बल्लियों के स्थान पर सीमेन्टेड पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

83-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर बरेली के संजयनगर, गोसाईगौटिया, गोपालनगर, सिद्धार्थनगर, परतापुर, सैनिक कालोनी, मठ लक्ष्मीपुर आदि मोहल्लों में बांस बल्लियों के सहारे बिजली की आपूर्ति किये जाने से विद्युत तारों के टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं, विद्युत आपूर्ति ठप होने तथा फाल्ट होने से बिजली के नुकसान की जानकारी सरकार के संज्ञान में आयी है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में बांस बल्लियों के स्थान पर बिजली के सीमेन्टेड पोल लगाकर समुचित ढंग से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (चतुर्थ संशोधन) की धारा-4.6 (ई) के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विकासकर्ताओं/जनप्रतिनिधियों द्वारा धनराशि जमा कराने पर विद्युत वितरण निगम द्वारा कराया जाता है अथवा 15 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जमा कराकर विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जा सकता है, परन्तु उपरोक्त स्थानों पर विद्युतीकरण कार्य कराये जाने हेतु अभी तक किसी भी विकासकर्ता/जनप्रतिनिधि द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

जनप्रतिनिधियों/विकासकर्ताओं द्वारा आवेदन करने पर ही उपरोक्त स्थानों पर इंगित कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के अनेक एरिया में विद्युतीकरण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

84-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर बरेली के गोकुलपुर, गरगरईया, पंचगौटिया एवं परसाखेड़ा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-01-2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचगौटिया एवं गोकुलपुर गरगरईया दोनों क्षेत्रों में 11 के0वी0 रफीयाबाद फीडर की विद्युत आपूर्ति पर 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाकर विद्युत तंत्र का विकास एवं सम्वर्धन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जून, 2014 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। परसाखेड़ा गौटिया में विद्युत तंत्र उपलब्ध है एवं इस तंत्र से क्षेत्र में विद्युत संयोजन पूर्व से ही संयोजित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में देवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

85-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि एवं आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता धनराशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता हेतु संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की दरें गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-7/2011, एन0डी0एम0-1 दिनांक 16-1-2012 द्वारा वर्ष 2010-2015 तक के लिये निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में गिरते हुए पर्यटकों की संख्या को रोकने हेतु कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

86-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों की तुलना में जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं बनारस सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पर्यटकों की संख्या में आयी गिरावट को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मथुरा एवं बनारस को छोड़कर जनपद आगरा में पर्यटकों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में कमी हुई है।

जी हां।

ताजनगरी आगरा में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु महत्वाकांक्षी ताजगंज परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ताज ट्रिपेजियम जोन के लिये मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की मांग

87-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपेजियम जोन (टी0टी0जैड0) के लिये मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेशों के उपरान्त भी आगरा महानगर व देहात के क्षेत्रों में लगातार 10-15 घण्टे तक की विद्युत कटौती के कारण किसान, व्यापारी एवं आमजन को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा छात्रों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ जनपद आगरा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ताज ट्रिपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) के लिये मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं। आगरा महानगर व देहात के क्षेत्रों में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है, लेकिन विद्युत मांग के अत्यधिक बढ़ने के कारण ग्रिड तंत्र को सुरक्षित रखने की दिशा में समय-समय पर कटौती करना अवश्यम्भावी हो जाता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हर सम्भव सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

88-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी को दृष्टिगत रखते हुए मृतकों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था सुगम बनाये जाने की मांग

89-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के मृतकों के पोस्टमार्टम की सुविधा केवल जिला मुख्यालयों पर ही उपलब्ध है जबकि जिला मुख्यालयों से ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी लगभग 70-80 किमी0, कहीं-कहीं इससे भी अधिक है ? यदि हां, तो क्या दूरी अधिक होने के कारण पोस्टमार्टम कराने के लिये परिवारजनों को आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से गहरी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पोस्टमार्टम व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करते हुए अन्य राज्यों की भांति ब्लाक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों या घटनास्थल पर ही मोबिलिटी वैन द्वारा पोस्टमार्टम कराये जाने की व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पोस्टमार्टम का कार्य प्रशासनिक एवं विधिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण व संवेदनशील कार्य है। पोस्टमार्टम कार्य ग्रामीण क्षेत्रों व घटना स्थल पर किये जाने से कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त के अतिरिक्त शव विच्छेदन कार्य का विकेन्द्रीकरण उपलब्ध चिकित्सा विशेषज्ञों, उपकरणों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

आगरा विकास प्राधिकरण कालिन्दी विहार में सीवरेज कनेक्शन जोड़ने सम्बन्धी जानकारी

90-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण की योजना कालिन्दी विहार में निर्मित कराये गये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) की क्षमता के अनुसार सीवरेज कनेक्शन कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार योजना में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) की क्षमता के अनुसार उक्त योजना के समस्त ब्रान्च सीवर लाइनों के नेटवर्क को ट्रन्क सीवर लाइन से जोड़ते हुए योजना को एस0पी0एस0/एस0टी0पी0 से जोड़ दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना कालिन्दी विहार में बन्द पड़े सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को चालू कराये जाने की मांग

91-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा की आवासीय योजना कालिन्दी विहार में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) जोकि बन्द पड़ा हुआ है, को चालू कराने विषयक आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-2013 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के तद्विषयक एक अन्य पत्र दिनांक 21-1-2014 के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा दिनांक 28-01-13 को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से मांगी गयी आख्या के सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 08-03-2013 द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल को आख्या प्रेषित की गयी। वर्तमान में उक्त प्लान्ट का विद्युत संयोजन कराकर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

92-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना कालिन्दी विहार, को नगर निगम को हैण्ड ओवर कराये जाने की मांग

93-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनायें कालिन्दी विहार एवं शास्त्रीपुरम् के सभी ब्लाकों को विकसित करके नगर निगम, आगरा को हैण्डओवर किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीघ्र ही इन योजनाओं को नगर निगम, आगरा को हैण्डओवर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कालिन्दी विहार योजना एवं शास्त्रीपुरम् योजना के सभी ब्लाकों का विकास कार्य कराकर उसे नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु नगर निगम, आगरा द्वारा कालिन्दी विहार योजना को अभी तक टेक ओवर नहीं किया गया है।

नगर निगम आगरा द्वारा शास्त्रीपुरम् योजना को नगर निगम की सीमा के बाहर होने के कारण टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं को टेक ओवर किये जाने की दिशा में यथाशीघ्र प्रभावी प्रयास किये जाने के निर्देश सम्बन्धित प्राधिकारियों को दे दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

94-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

पी0पी0पी0 मोड़ पर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकासकर्ता का चयन हो चुका है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड का निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

95-डा0 अरूण कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला महिला अस्पताल में 100 शैय्या वाले मैटरनिटी वार्ड का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-5नं0 247908, दिनांक 28-08-2013 मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद बरेली के जिला महिला अस्पताल में 100 शैय्या वाले मैटरनिटी वार्ड के निर्माण हेतु एन0आर0एच0एम0 योजनान्तर्गत मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 के आदेश दिनांक 05-12-13 द्वारा रु0 2000.00 लाख की लागत स्वीकृत करते हुए कुल रु0 700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की लक्ष्य फरवरी, 2016 है। उक्त प्रस्तावित मैटरनिटी विंग में प्रसव हेतु दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को गुणवत्तापरक विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के परगना जलालाबाद में बहगुल नदी पर बनने वाले पुल हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

96-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर खजुआहार परगना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर में बहगुल नदी पर पुल बनने में गाटा संख्या-42 अधिगृहीत कर लेने का मुआवजा

दिलाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक अप्रैल, 2013 जो मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 29-04-2013 को लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन का मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

97-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खाड़ी के मजरा खुगीपुरा वैरागढ़ के मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मजरों का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खाडी के मजरा खुगीपुरा वैरागढ़ का जनगणना की सूची में सूचीकरण न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण 12वीं विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त।

98-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे मंगलवार के 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद व विकास खण्ड चन्दौली के बबुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

99-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के वि0खं0 चन्दौली के बबुरी में शासन के पत्र सं0-3694/17फ/नि0नि0लि0/2013-14, दिनांक 13-07-2013 जो बबुरी में प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

निर्माण कार्य प्रारम्भ है। मुख्य भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण नींव स्तर तक पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-चन्दौली के मलोखर ग्राम सभा में जर्जर विद्युत तारों के बदलने विषयक पत्र पर कार्यवाही

100-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-5 नं0-321516, दिनांक 27-11-2013 जो जनपद चन्दौली के मलोखर ग्राम सभा में बिजली के जर्जर तार बदलने के सम्बन्ध में था, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-2, मुगलसराय चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद चन्दौली के मलोखर ग्राम सभा में अत्यावश्यक जर्जर तार बदलने हेतु प्राक्कलन 2014-15 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत बनाया गया है। वर्ष 2014-2015 हेतु बिजनेस प्लान का वित्त पोषण शासन द्वारा अभी तक न होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लम्बित है। वित्त पोषण के उपरान्त कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के सीमान्तर्गत क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने की मांग

101-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की सीमान्तर्गत क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से निजात दिलाने हेतु इन क्षेत्रों में लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण हो चुका है। जिस पर 2x5 एम0वी0ए0 क्षमता के दो परिवर्तक स्थापित किये जा चुके हैं। उक्त उपकेन्द्र दिनांक 30 जून, 2014 तक चालू होना लक्षित है। चालू होने के उपरान्त मोहम्मदी नगर का समस्त भार उक्त नये विद्युत उपकेन्द्र पर अन्तरित कर दिया जायेगा।

उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के क्षेत्रों की लो वोल्टेज की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के राजस्व ग्रामों का चयन कर विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

102-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ब्लाक मोहम्मदी एवं पसगवां में कितने राजस्व ग्राम एक हजार आबादी वाले हैं

जो विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार इन दोनों ब्लाकों में विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों में से 15-15 ग्रामों का चयन कर विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ब्लाक मोहम्मदी एवं ब्लाक पसगवां के अन्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले कुल 46 राजस्व ग्राम विद्युतीकरण से वंचित है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 के अन्तर्गत 46 अदद 1000 से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्राम चयनित हैं जिनका विद्युतीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 के अन्तर्गत भारत सरकार से धन की उपलब्धता पर सितम्बर, 2015 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के यांत्रिक खराबी एवं चालक के अभाव में बन्द पड़े नलकूप को मरम्मत कर चालू कराये जाने की मांग

103-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जनपद में कितने नलकूप यांत्रिक खराबी एवं चालक के अभाव में बन्द पड़े हैं उनके चालकों को जिला कार्यालय पर सम्बद्ध किया गया है ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर खराब नलकूपों की मरम्मत कराकर नलकूप चालकों को नियत स्थानों पर तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 01-4-2014 की स्थिति के अनुसार कुल चलित 757 राजकीय नलकूप के सापेक्ष दिनांक 24-4-14 की साप्ताहिक बन्दी के अन्तर्गत यांत्रिक दोष के कारण अस्थाई रूप से 08 राजकीय नलकूप बन्द थे, जिन्हें ठीक कराकर चालू कर दिया गया है।

नलकूप चालक के अभाव में कोई भी राजकीय नलकूप बन्द नहीं है। मात्र 01 नलकूप चालक राजकीय हित में कार्यालय अभिलेखों को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करते रहने हेतु खण्डीय कार्यालय के हिन्दी अनुभाग से सम्बद्ध है।

यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण राजकीय नलकूपों का अस्थाई रूप से बन्द होना व उन्हें समयावधि में ठीक कराकर चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत कुल चलित 757 राजकीय नलकूप के सापेक्ष 419 नलकूप चालक कार्यरत हैं, जो पूर्व से ही विभिन्न नलकूपों पर तैनात हैं, उन्हीं के द्वारा द्वैत कार्यभार के माध्यम से अन्य नलकूप का कार्य भी सम्पादित कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की परती जमीन के विकास की योजना सम्बन्धी जानकारी

104-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की परती जमीन के विकास की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक/प्रदेश सरकार के अनुमोदन से प्रदेश के 29 सोडिक बाहुल्य जनपदों में कार्यान्वित है, जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी आच्छादित नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अनेकों ग्रामों में लो वोल्टेज से सिंचाई प्रभावित होने की समस्या से निजात दिलाये जाने की मांग

105-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम गोसाईखेड़ा, राधानगरी, दऊ आदि में विद्युत के लो वोल्टेज के कारण क्षेत्रीय नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, जिससे किसानों को सिंचाई हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में उक्त ग्राम पंचायतों में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त समस्या के निजात हेतु बिजनेस प्लान के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के जिला अस्पताल में लगे सी0टी0स्कैन मशीन के उपयोग व अन्य बिन्दुओं की जानकारी विषयक पत्र पर कार्यवाही

106-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में लगे सी0टी0 स्कैन मशीन के उपयोग तथा अन्य बिन्दुओं की जानकारी विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5नं0 247911, दिनांक 28-08-2013 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय बरेली में सी0टी0 स्कैन मशीन क्रियाशील है एवं प्रशिक्षित रेडियोलाजिस्ट डा0 राम मनोहर पूर्व से ही तैनात हैं। मशीन के कुशल संचालन हेतु संविदा पर टेक्नीशियन नियुक्त हैं। सभी सी0टी0 स्कैन केसेज नियमित रूप से किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद स्थित भगवान परशुराम की जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

107-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर वर्ष 2002-2003 में जिला योजना से रु0 1.00 लाख के अन्तर्गत पर्यटन विकास कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान में उक्त स्थल पर विकास हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध नहीं है।

जनपद वाराणसी में ट्रांसफार्मर बदलने हेतु इमरजेंसी ट्राली की व्यवस्था कराये जाने की मांग

108-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी हेतु पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा आवश्यक अनुरक्षण नये ट्रान्सफार्मर की खरीद न किये जाने के फलस्वरूप ट्रान्सफार्मर फुंक जाने पर मरम्मती ट्रान्सफार्मर बदलने में 8-10 दिन का समय लग रहा है और इमरजेंसी ट्राली ट्रान्सफार्मर न होने के कारण जनता को काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई कार्य योजना लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के परिवर्तक खरीदे जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में जले/क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर को 24 घण्टे में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सम्बन्धित क्षेत्र का ट्रान्सफार्मर जलने/क्षतिग्रस्त होने की दशा में विद्युत आपूर्ति बहाल किये जाने हेतु ट्रान्सफार्मर ट्राली लगा दी जाती है। वाराणसी नगर में 400 के0वी0ए0 के 08 (आठ) एवं 630 के0वी0ए0 के 09 (नौ) ट्रान्सफार्मर ट्राली वैकल्पिक व्यवस्था के लिये उपलब्ध है। वाराणसी नगर में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो जाने के कारण पीक आवर्स में ओवर लोडिंग एवं विद्युत आपूर्ति में व्यवधान में कमी आई है।

वाराणसी नगर के जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गये हैं उनकी क्षमतावृद्धि अथवा भार विभाजित किये जाने हेतु अलग से उचित क्षमता का परिवर्तक लगाये जाने से सम्बन्धित कार्य

योजना व्यापार विकास निधि/बिजनेस प्लान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही है। व्यापक सुधार के लिये आर0-ए0पी0डी0आर0पी0-पार्ट-बी भी स्वीकृत की गई है। नगर के लिये वर्ष 2014-15 में छः अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर ट्राली के क्रय हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनियों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं उसे नगर निगम को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी जानकारी

109-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् एवं उसके विस्तार कालोनी में सभी सड़कें टूटी फूटी तथा जर्जर हैं तथा सभी पार्कों की स्थिति भी दयनीय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित न होने के कारण कालोनी में जगह-जगह कूड़े का ढेर लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी को नगर निगम लखनऊ को हस्तान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार विकसित जानकीपुरम् विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों एवं पार्कों का समय-समय पर यथा आवश्यक अनुरक्षण कार्य किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना का हस्तान्तरण नगर निगम को किया गया था, परन्तु उक्त योजना के नगर निगम की सीमा के बाहर होने के कारण नगर निगम द्वारा हस्तान्तरण वापस कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा सफाई का कार्य कराया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त आवासीय योजना के हस्तान्तरण हेतु नगर निगम सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध दिनांक 21-12-2013 को नगर निगम से किया गया है।

नगर निगम सीमा बढ़ाये जाने के उपरान्त हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सरकारी चिल्ड्रेन अस्पताल में एन0आई0सी0यू0 उपकरण संचालित कराये जाने की मांग

110-श्री दीपक पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सरकारी चिल्ड्रेन अस्पताल में उपलब्ध एन0आई0सी0यू0 उपकरण पिछले कई वर्षों से उपलब्ध है लेकिन क्रियाशील नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकरण को स्थापित करवाकर उसे संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

एस0एन0 बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद में 10 बेड का एन0आई0सी0सी0यू0 यूनिट एन0आर0एच0एम0 की मदद से स्थापित है। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए बेडों की संख्या-14 कर दी गई है। 14 बेड के संचालन हेतु सभी आवश्यक उपकरण वर्तमान में क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

111-श्री दीपक पटेल-

[2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के नैनी स्थित ए0डी0ए0 कालोनी को पूर्ण विकसित कर नगर निगम को हस्तान्तरित करने की मांग

112-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के नैनी स्थित ए0डी0ए0 कालोनी को पूर्ण विकसित करते हुए नगर निगम, इलाहाबाद को हस्तानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इलाहाबाद के नैनी स्थित ए0डी0ए0 कालोनी की विद्युत व्यवस्था उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को एवं पेयजल तथा सीवर व्यवस्था जलकल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद को हस्तान्तरित है, शेष सेवाओं के हस्तान्तरण की प्रक्रिया प्रगति में है।

जनपद झांसी के पाली रोड से पलींदा तक नहर की क्षतिग्रस्त पटरी का निर्माण कराये जाने की मांग

113-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में पाली रोड से पलींदा तक नहर पटरी अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर पटरी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

114-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के ब्लाक मुख्यालय पर शवों के पोस्टमार्टम हेतु अस्थाई हाउस की स्थापना कराये जाने की मांग

115-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में जिले भर के शवों का पोस्टमार्टम केवल मेडिकल कालेज में होता है, जिससे मृतकों के परिजनों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक मुख्यालय पर शवों के पोस्टमार्टम हेतु मोरचरी हाउसों की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी नहीं।

मेडिकल कालेज, झांसी के अतिरिक्त ब्लाक मऊरानीपुर में भी शवों के पोस्टमार्टम किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पोस्टमार्टम का कार्य प्रशासनिक एवं विधिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील होता है तथा इसको ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, शव विच्छेदन गृह, उपकरण, मानव संसाधनों एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद झांसी के बिजौली हाइ-वे से नया गांव तक नहर की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत कराये जाने की मांग

116-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजौली हाइवे से नया गांव तक नहर पटरी पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन नहर पटरी का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत नहर पटरी मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के शास्त्रीपुरम् योजना के ग्राम सुनारी के नाले की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

117-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के शास्त्रीपुरम् योजना के अन्तर्गत ग्राम सुनारी के खसरा संख्या-90 रकबा 0.5339 हेक्टेयर नाला की भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने विषयक जिलाधिकारी, आगरा का पत्र संख्या-911/एसएनसी-राआ0, दिनांक

01 जुलाई, 2013 प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव सीधे राजस्व विभाग को भेजा गया है। चूंकि प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से उनकी सहमति/संस्तुति सहित प्राप्त होना चाहिये था। इसलिये जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त पत्र दिनांक 01-07-2013 मूलरूप में शासन के पत्र संख्या-1071/एक-6-13-142(61)/11, दिनांक 23-09-2013 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्रचलित नियमों के आलोक में परीक्षण कर संस्तुति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

आवस विभाग को दिनांक 13-06-2014 को अनुस्मारक पत्र भी भेजा गया है। आवास विभाग से परीक्षणोपरान्त वांछित प्रस्ताव अप्राप्त है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की कतिपय गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

118-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उस्मानपुर तक, सण्डाखास से वजीरपुर-टिकमापुर अजीजपुर तक एवं ग्राम बुढ़ानपुर से विकास खण्ड ददरौल के ग्राम उदयपुर कटैया तक कच्चा मार्ग जर्जर, ऊबड़ खाबड़ व गड्ढ़ायुक्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उस्मानपुर मार्ग का निर्माण गन्ना विभाग द्वारा प्रस्तावित है। ग्राम बुढ़ानपुर से उदयपुर कटैया कच्चा मार्ग है। ग्राम बुढानपुर एवं उदयपुर कटैया पक्के मार्ग से जुड़े हैं। उक्त दोनों ग्राम सिंगिल कनेक्टिविटी द्वारा संतृप्त हैं। संतृप्त ग्रामों को आपस में जोड़ने की योजना नहीं है। सण्डाखास से बजीरपुर-टिकमापुर अजीजपुर मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की अनेक सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

119-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर निगोही मार्ग से धुल्लिया नहर पटरी पर तालगांव लोहरगवां तक एवं जिन्दपुरा नहर

की पटरी से नरायनपुर तक जर्जर एवं ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं ? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की कतिपय सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

120-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में निगोही तिलहर रोड से दूल्हाढकिया तक केवल पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे सड़क उबड़ खाबड़ व गड्ढ़ायुक्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। मार्ग पर कार्य प्रगति में है, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की आधी कच्ची पक्की सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने की मांग

121-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत निगोही शाहजहांपुर रोड पर डालमियां चीनी मिल नहर पुलिया से नहर पटरी पर कुदिरना नहर पुलिया तक बनी पक्की सड़क व आधी कच्ची सड़क एवं गुरगवां पराझरसा से कजरी नूरपुर कुदिरना होते हुए काले देव की मठिया तक मार्ग अत्यन्त उबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे व पक्के मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त मार्ग की मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर की ऊबड़-खाबड़ सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

122-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर जलालाबाद कटरा हाइवे से नगला बन्नू उर्फ नगरिया तक पक्का मार्ग, गौसगंज दियुतरा मार्ग से ढका होते हुए समसपुर तक एवं विकास खण्ड तिलहर में राष्ट्रीय राजमार्ग से सुल्तानपुर तक कच्चा मार्ग जर्जर, उबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। एक मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्माणाधीन है, दूसरा मार्ग लो0नि0वि0 की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है एवं तीसरा मार्ग मण्डी परिषद् के स्वामित्व का है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

123-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में जलालाबाद कटरा हाइवे पर बरखंडा जैपाल से दियुतरा गौसगंज-नहर में पुलिया तक दियुतरा गौसगंज नहरपुलिया से नहर पटरी होते हुए समसपुर तक कच्चा मार्ग जर्जर, उबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/ मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

124-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में निगोही खुदागंज मार्ग एवं तिलहर निगोही रोड पर डड़िया गांव से सुनरा होते हुए अम्बेडकर ग्राम सतनुआ तक बनी हुई पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गई है जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

125-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में चमरुआ चौराहे से ऊनकला तक एवं शाहजहांपुर, बीसलपुर रोड पर गुरगवां शिवाला से परा झरसा होते हुए विरहाना, बरैचा तक की पक्की सड़कें अत्यन्त जर्जर होकर उबड़ खाबड़ व गड्ढायुक्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में चमरुआ चौराहे से भर्री बसन्तपुर ग्राम तक निर्मित मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

भर्री बसन्तपुर से ऊनकला तक 2.50 किमी0 लम्बाई का मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

गुरगवां शिवाला से पराझरसा होते हुए विदहाना बरैचा तक निर्मित मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में आने वाले मार्ग की मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के शास्त्रीपुरम् योजना की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

126-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के शास्त्रीपुरम् योजना के अन्तर्गत ग्राम सुनारी के खसरा संख्या-90 रकबा 0.5339 हेक्टेयर नाला की भूमि को, आगरा विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने विषयक सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का पत्र सं0 441 (एफ)/डी/एलएसी/2014, दिनांक 04-01-2014 अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या/प्रस्ताव स्पष्ट नहीं था। पुनः स्पष्ट प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

127 एवं 128-साध्वी निरंजन ज्योति-

[मा0 सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण हटाया गया]

जनपद झांसी के वि0 ख0 बबीना की ग्राम पंचायत सिमरावारी के कतिपय मुहल्लों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

129-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के वि0खं0 बबीना की ग्राम पंचायत सिमरावारी के मुहल्ला चौका, मखरऊ, वादली, कोडरा, डुबकी में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद झांसी के वि0 ख0 बबीना की ग्राम पंचायत सिमरावारी के मुहल्ला मखरऊ (मकडाऊ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं) योजना में है जो भारत सरकार से धन की उपलब्धता पर कराया जाना प्रस्तावित है, शेष मुहल्ला चौका, वादली, कोड़रा, डुबकी का सूचीकरण जनगणना 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में न होने के कारण अभी तक विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं) योजना में सम्मिलित नहीं हो सका है।

भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। भारत सरकार से धन की उपलब्धता होने पर कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के हसांटी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने की मांग

130-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के झांसी सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हसांटी रेलवे क्रासिंग पर यातायात अधिक होने के कारण घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आज जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार हसांटी रेलवे क्रासिंग पर आम जनता की सुविधा हेतु ओवर ब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की कतिपय जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

131-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में रनगुवां रोड से पाली-परसर बरगड़ होते हुए ईसागढ़-उन्नाव बालाजी रोड तक सड़क अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के कतिपय कच्चे सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

132-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में सुकुवा रोड से चन्दौली तक सम्पर्क मार्ग कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सुकवां का मजरा चन्दौली की आबादी मात्र 200 (लगभग) है। वर्तमान में शासन की प्राथमिकता 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की है। अतः प्रश्नगत मार्ग को जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के पहूंज नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

133-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वि0ख0 चिरगांव में ग्राम विठरी एवं मुडेई के मध्य प्रवाहित पहूंज नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को 40 कि0मी0 चक्कर लगाकर जिला मुख्यालय आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर आवागमन की सुविधा हेतु पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों का प्रस्ताव स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहभागिता से कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

134-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों का प्रस्ताव स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता से सरकार तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कराये जा रहे विकास कार्यों में स्थानीय मा0 जन प्रतिनिधियों की सहभागिता/अनुरोध की औचित्यतता के आधार पर सम्मिलित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

135-श्री दीपक पटेल-

[माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजना में फ्लैट एवं प्लाट के आवंटन करने की मांग

136-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं में बनाये गये फ्लैट, प्लाट कितने संख्या में रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पड़े फ्लैट एवं प्लाट का आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार मौसम विहार आवास योजना में 194 फ्लैट डिवाईन अपार्टमेन्ट में 10 फ्लैट, सुगम विहार आवास योजना में 26 फ्लैट तथा सरस विहार आवास योजना में 02 फ्लैट रिक्त हैं।

जी हां।

उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को विज्ञापन प्रकाशित कराकर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में मेट्रो ट्रेन चलवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

137-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद जो प्रदेश की सर्वाधिक आबादी का जनपद है में भी लखनऊ की भांति मेट्रो रेल चलवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्गत मेट्रो रेल नीति के अनुसार ऐसे नगरों, जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 20 लाख से अधिक हो, में ही भारत सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सहमति दी जा सकती है। चूंकि अभी इलाहाबाद नगर की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अतएव अभी इस नगर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश के महानगरों के स्लम एरिया में लकड़ी के पोलों के स्थान पर सीमेन्टेड पोल से विद्युत सप्लाई कराये जाने की मांग

138-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों के स्लम एरिया में विद्युत सप्लाई बल्लियों के सहारे की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार आये दिन होने वाले विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लकड़ी की बल्लियों के स्थान पर सीमेन्टेड विद्युत पोल लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

किसी भी उपभोक्ता को बांस-बल्ली के सहारे विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है, परन्तु महानगरों के स्लम एरिया में स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा अनियमित ढंग से बांस-बल्ली के सहारे कनेक्शन हेतु लाइन खींची गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल मझौला के कर्मचारियों को स्वैच्छिक निवृत्त योजना अन्तर्गत ग्रेज्युटी का भुगतान कराये जाने की मांग

139-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में दिनांक 22-12-2009 से बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल मझोला के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक निवृत्ति योजना के अन्तर्गत दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 से डी0 आर0 एस0 का भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष 2004 से 2011 तक की ग्रेच्युटी की धनराशि का भी भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्ण भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो अवशेष का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

मझोला सहकारी चीनी मिल दिनांक 22-12-09 से बन्द है और मिल के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। वर्ष 2004 से 2011 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने हेतु मिल समिति प्रयासरत है। मिल में धन की उपलब्धता होते ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान प्राथमिकता पर किया जायेगा।

जनपद पीलीभीत के कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों के संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान कराये जाने की मांग

140-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विद्युत उपकेन्द्र बीसलपुर, विलसंडा, दियोरिया कला एवं करेली पर नियुक्त संविदा कर्मियों का मानदेय कितने समय से भुगतान नहीं किया गया है ? क्या इनका भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत के विद्युत उपकेन्द्र बीसलपुर, विलसंडा, दियोरिया कला एवं करेली पर नियुक्त संविदा कर्मियों का मानदेय माह 03/2014 तक का भुगतान दिनांक 09-05-2014 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्रों के अधिष्ठापना सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

141-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर के अन्तर्गत नवीन 33/11 के0 वी0 ए0 उपकेन्द्रों की अधिष्ठापना के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ से मुख्य अभियंता (रेस्पो) के पत्र संख्या-4643 रेस्पो/द्वि0प्र0/दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के द्वारा सूचना चाही गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान में तहसील बीसलपुर में 5 अदद 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित हैं एवं तहसील मुख्यालय की विद्युत आपूर्ति हेतु एक अदद 2x5 एम0वी0ए0 क्षमता का नवीन विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका अतिशीघ्र ऊर्जीकरण सम्भावित है जिससे बीसलपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र अलग-अलग उपकेन्द्रों से ऊर्जीकृत हो जायेंगे जिससे वोल्टेज में गुणात्मक सुधार हो जायेगा। बीसलपुर नगर में 132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे बिलसण्डा, करेली व दियूरिया कला की अलग 33 के0वी0 लाइनों के निर्माण होने से वोल्टेज में गुणात्मक सुधार आयेगा। इसके अतिरिक्त बिलसण्डा व बीसलपुर उपकेन्द्रों पर क्षमतावृद्धि प्रस्तावित है, जिससे लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जायेगा। अतः मुख्य अभियन्ता (रेस्पो) के पत्र के सन्दर्भ में इंगित 5 स्थानों पर नवीन 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवां हेतु 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही

142-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवां हेतु 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 318/रालोद/विमद/2013, दिनांक 22-11-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवां को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सुमेरा से 11 के0वी0 मिक्स फीडर से की जा रही है। जवां स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक स्तर का है जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है एवं ग्रामीण फीडर से पोषित है। प्रणाली नियंत्रण (कन्ट्रोल) द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र के क्रय हेतु व्यय धनराशि एवं यंत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी

143-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर (एचटीपीएस), जनपद अलीगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र (ईएसपी) यूनिट, नं0-3 हेतु क्रय किये जाने पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि यूनिट संख्या-3 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बन्द किये जाने के निर्देश के क्रम में संचालन बन्द किये जाने तक उक्त ईएसपी स्थापित नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में उक्त ईएसपी यंत्र का क्या प्रयोग हो रहा है ?

श्री अखिलेश यादव-

यूनिट नं0-3 के प्रदूषण नियंत्रण यंत्र (ई0एस0पी0) के क्रय पर रु0 17,62,61,821/- (रुपये सत्रह करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) व्यय हुआ।

जी हां।

उक्त क्रय किये गये ई0एस0पी0 की स्थापना में बहुत समय लगने की सम्भावना थी तथा उस दौरान इकाई को लम्बे समय तक बन्द रखना पड़ता। अतः तत्समय प्रदेश में विद्युत की कमी के दृष्टिगत इकाई का संचालन दीर्घकालीन तक बन्द करना प्रदेश के हित में प्रतीत नहीं हुआ। इसी बीच सी0ई0ए0 के द्वारा इकाई को पूर्ण रूप से बन्द करने (अधिष्ठापित क्षमता से हटाने) के निर्देशों के साथ ही उक्त योजना पर सभी कार्य रोक दिये गये।

वर्तमान में उक्त प्रदूषण नियंत्रण यंत्र (ई0एस0पी0) के अनेक पुर्जे विद्युत गृह की अन्य उत्पादनरत इकाइयों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में बतौर स्पेयर्स प्रयोग किये जा रहे हैं।

जनपद पीलीभीत की नोबल शुगर इकाई वरखेड़ाकला के गन्ना किसानों को घोषित समर्थन मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

144-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोबल शुगर इकाई वरखेड़ाकला, जनपद पीलीभीत समर्थित मूल्य गन्ना उत्पादकों को नहीं दे रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल द्वारा घोषित समर्थन मूल्य गन्ना उत्पादकों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नोबल शुगर इकाई ग्राम बरखेड़ाकला, जिला पीलीभीत खाण्डसारी इकाई है। सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य इस पर लागू नहीं होता है।

प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों एवं निजी चीनी मिलों में गन्ने में चीनी परता के अन्तर की जांच कार्यवाही की मांग

154-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों में गन्ने में चीनी का परता 6 से 8 प्रतिशत तक है तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का गन्ने में चीनी का परता 10.50 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। पेराई सत्र, 2013-14 के दौरान अद्यतन स्थिति दिनांक 11-6-2014 के अनुसार प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में गन्ने में चीनी का औसत परता 8.16 प्रतिशत प्राप्त किया गया है तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में चीनी का औसत परता 9.39 प्राप्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनेक चीनी मिलों में गन्ना पेराई अथवा चीनी उत्पादन का विवरण एवं घोषित गन्ने मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

146-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना पेराई क्रेशर/सल्फर प्लान्ट/कोल्हू लाइसेन्स मुक्त है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खम्भारखेड़ा चीनी मिल, कुम्भी चीनी मिल, अजबापुर चीनी मिल, गोविन्द शुगर चीनी मिल, लखीमपुर खीरी का वर्ष 2007 से 2013 तक प्रतिवर्ष गन्ना पेराई अथवा चीनी उत्पादन का विवरण क्या है ? क्या उक्त चीनी मिलों द्वारा घोषित गन्ना मूल्य नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। गन्ना पेराई हेतु प्रत्येक प्रकार (सल्फर/नॉनसल्फर) के पावर क्रेशरों/खाण्डसारी इकाइयों पर इकाई चलाने से पूर्व लाइसेन्स प्राप्त करने का प्राविधान है। खड़े कोल्हुओं पर लाइसेसिंग व्यवस्था नहीं है।

खम्भारखेड़ा चीनी मिल, कुम्भी चीनी मिल, अजबापुर चीनी मिल, गोबिन्द शुगर चीनी मिल, लखीमपुर खीरी का वर्ष 2007 से 2013 तक प्रतिवर्ष गन्ना पेराई अथवा चीनी उत्पादन के विवरण निम्नवत् है :-

चीनी मिलवार गन्ना पेराई व चीनी उत्पादन का विवरण

क्र0सं0	पेराई सत्र वर्ष	खम्भारखेड़ा		कुम्भी		अजबापुर		गोविन्द शुगर मिल	
		गन्ना पेराई (ला0कु0)	चीनी उत्पादन (कु0)	गन्ना पेराई (ला0कु0)	चीनी उत्पादन (कु0)	गन्ना पेराई (ला0कु0)	चीनी उत्पादन (कु0)	गन्ना पेराई (ला0कु0)	चीनी उत्पादन (कु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2006-07	54.16	1209790	3.81	29332	152.28	1575911	113.21	1092970
2	2007-08	85.42	839190	73.93	784591	111.49	1183144	76.22	732170
3	2008-09	52.93	485240	53.90	497491	66.33	588663	53.06	461966
4	2009-10	79.58	855430	69.70	666075	90.95	870650	73.89	650881
5	2010-11	86.30	857330	96.17	934980	118.32	1120115	82.58	755349
6	2011-12	122.86	1162375	113.07	1105349	141.37	1355494	93.82	857203
7	2012-13	111.33	1051652	108.25	1038985	146.90	1358450	90.86	830964

राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य उक्त चीनी मिलों द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान उपरोक्त चीनी मिलों द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम रनगुवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग

147-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम रनगुवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण गांव के नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी को देखते हुए इस ग्राम रनगुवां में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

गांव के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत रनगुवां में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा 02 किलो0मी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की ग्राम पंचायत खजुराहा के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

148-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खजुराहा बुजुर्ग ब्लाक बबीना की आबादी लगभग 8000 है और आस-पास के कई गांवों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, जिससे इलाज हेतु लोगों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु उक्त ग्रामों के अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

गांव के निवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उपकेन्द्र खजुराहा बुजुर्ग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैलार संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड बबीना के ग्राम हीरापुर का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

149-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना के ग्राम हीरापुर मजरा ढग्गा जिसकी आबादी 700 के लगभग है में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिससे इस गांव के लोगों में आक्रोश है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में राजीव गांधी योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना के ग्राम हीरापुर मजरा ढग्गा का सूचीकरण जनगणना 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं) योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण की मांग

150-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बबीना के गरौठा विकास खण्ड मो0 ग्राम पुलगहना से वरनाया तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण नागरिकों को आवागतन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न में वर्णित ग्राम पुलगहना एवं ग्राम वरनाया पूर्व में ही अलग-अलग लेपित मार्गों से सिंगिल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जुड़े हैं। इन्हें आपस में जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की ग्राम पंचायत रूंदकरारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग

151-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रूंदकरारी जो तीन गांवों से मिलकर बनी है और जिसकी आबादी लगभग 5000 है, में कोई स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण बीमार होने पर लोगों को अधिक परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

गांव के निवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत रूदंकरारी के अन्तर्गत उपकेन्द्र, ग्राम हस्तिनापुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बाबांय में संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम सभा बरैचा के ग्रामवासियों एवं पट्टे धारकों की भूमि राजस्व नक्शा में दर्ज कराकर पैमाइश कराये जाने की मांग

152-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-निगोही के ग्राम सभा सभा बरैचा के ग्रामवासियों एवं पट्टे धारकों की भूमि उनके नाम खतौनी एवं खसरा में भी दर्ज है, परन्तु राजस्व नक्शा में उन ग्रामवासियों एवं पट्टेधारकों की भूमि दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों एवं पट्टेधारकों की भूमि राजस्व नक्शा में दर्ज कराकर पैमाइश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

ग्राम सभा बरैचा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम बरैचा खादर व बरैचा बागर के ग्रामवासियों व पट्टे धारकों के नाम जो भू-खण्ड खसरा और खतौनी में अंकित है, वह भू-खण्ड सम्बन्धित ग्रामों के भू-चित्रों में भी प्रदर्शित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय विकास खण्डों के बारा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

153-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र-तिलहर के विकास-खण्ड-सिंधौली में बरौरा नथुआपुर के मध्य बारा नाला पर पुल न होने से नागरिकों को आवागमन में अत्याधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पक्का पुल निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम हमजापुर डींग के कैमुआ नाले पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

154-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र-तिलहर के विकास-खण्ड- निगोही, में ग्राम-हमजापुर डींग के मध्य कैमुआ नाला पर पुल जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है एवं पुल सड़क से नीचे व छोटा होने के कारण बरसात में हजारों एकड़ फसलें

जलमग्न हो जाती है, जिससे किसानों को लाखों रुपये की क्षति होती है साथ ही आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये पुल का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत स्थल पर आवागमन हेतु निर्मित ह्यूम पाइप की पुलिया सही स्थिति में है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धत पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

155-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही के अन्तर्गत कुकहा महमूदपुर से विक्रमपुर चकौरा तक कच्चा मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं उबड़-खाबड़ व गड्ढ़ा युक्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

डबल कनेक्टिविटी में आने के कारण मार्ग का निर्माण कराया जाना शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अम्बेडकर ग्रामों में सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने की मांग

156-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम विक्रमपुर से कुदरना नहर की पुलिया तक एवं डडिया बाजार से महमदपुर, मदारीपुर होते कजरी पूरपुर कुदिरना मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं उबड़-खाबड़ व गड्ढ़ा युक्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा के विकास खण्ड निगोही में ग्राम विक्रमपुर से कुदरना नहर की पुलिया तक 2.20 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्ग में लगभग

0.50 कि0मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है। इसी प्रकार डडिया बाजार से महमूदपुर होते हुए मदारीपुर, कजरीनूरपुर, कुदरना तक 7.50 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्ग में लगभग 4.50 कि0मी0 लम्बाई का भाग क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ग्राम दौलतपुर में निर्माणाधीन यमुना नदी पर पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग

157-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर गंगोह विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर से करनाल जाने के लिए निर्माणाधीन यमुना नदी का पुल का निर्माण कार्य विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के बाद भी अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल का निर्माण पूर्ण कराने हेतु शीघ्र कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्युत कनेक्शन की जमानत धनराशि पर उपभोक्ता को ब्याज का भुगतान कराये जाने की मांग

158-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत कनेक्शन की जमानत धनराशि पर उपभोक्ता को ब्याज दिये जाने हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो उपभोक्ता को किस दर से और कब से ब्याज का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अनुज्ञप्तिधारी लागू बिल चक्र के अनुसार अप्रैल या मई या जून मास में उपभोक्ता के बिल में जमा द्वारा बैंक दर पर जैसा कि 1 अप्रैल को है, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक चण्डौस के ग्राम दयौरऊ में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराये जाने की मांग

159-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम दयौरऊ, ब्लाक चण्डौस में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद अलीगढ़ के ग्राम दयौरऊ ब्लाक चण्डौस में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के माला नदी पर लघु सेतुओं के निर्माण का कथित प्रकरण

160-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत माला नदी पर गांव बुहिता, मकरन्दपुर रोशन सिंह तथा गांव ढकिया रंजीत के पास लघु सेतुओं के निर्माणार्थ सर्वेक्षण कर उनका प्राक्कलन शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उनका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में भू-गर्भ जल समस्या एवं प्राकृति असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुए कुओं, तालाबों एवं जल प्लावित भूमियों को पुनः पूर्ववत् स्थिति में लाने सम्बन्धी जानकारी

161-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-गर्भ जल समस्या एवं प्राकृति असंतुलन का कारण तालाबों, कुओं एवं जलप्लावित भूमियों पर कब्जा करके निर्माण करा लेना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बंद किये गये कुओं, तालाबों एवं जलप्लावित भूमियों को पुनः पूर्ववत् स्थिति में लायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। प्रदेश में भू-गर्भ जल समस्या एवं प्रकृति असंतुलन का कारण तालाबों, कुओं एवं जल प्लावित भूमियों पर कब्जा करके निर्माण करा लेना ही नहीं है। इसके अन्य कारण भी हैं जैसे जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, प्रदूषण वनों का कटान तथा जल दोहन इत्यादि।

प्रदेश के ग्राम सभाओं की सार्वजनिक भूमि यथा तालाब, पोखर, झील, कुओं, चारागाह व कब्रिस्तान आदि से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी व्यवस्थाएं पूर्व से ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-122 ख सपठित नियम-115 ग से 115 ञ तक ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थायें दी गयी हैं। अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें पर्याप्त हैं, जिसके अनुसार अतिक्रमणकारियों की बेदखली की कार्यवाही करायी जाती है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25-7-2001 के अनुपालन में प्रदेश के सार्वजनिक तालाबों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या-3135/1-2-2001-रा-2, दिनांक 25-7-2001 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके साथ ही रिट याचिका संख्या-6472(एम/बी)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 7-8-2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओं की सार्वजनिक भूमि यथा तालाब, पोखर, झील, कुओं, चारागाह व कब्रिस्तान आदि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शासन स्तर प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में बहुसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय समिति, मण्डल स्तरीय समिति व जिला स्तरीय गठित समितियों द्वारा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया में लगातार व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शासन स्तर पर गठित बहुसदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसकी पाक्षिक समीक्षा भी की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की कतिपय नहरों की सिल्ट सफाई कराकर चालू कराये जाने की मांग

162-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शारदा नहर, शाहजहांपुर शाखा नहर, शारदा सागर प्रणाली की बीसलपुर शाखा नहर की अल्पिकायें, रजवाहे एवं शाखायें सिल्ट सफाई न होने से सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सिल्ट सफाई कराकर इन्हें चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नहरों की सिल्ट सफाई प्रतिवर्ष नियमित रूप से खरीफ एवं रबी फसल से पूर्व आवश्यकतानुसार धन उपलब्धता के आधार पर कराकर नहरें सुचारु रूप से संचालित की जाती हैं।

जनपद सहारनपुर सहित पूरे प्रदेश में संचालित गन्ना मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

163-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर सहित पूरे प्रदेश में संचालित गन्ना मिलें जिन पर प्रदेश के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 14 दिनों पर सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पेराई सत्र, 2013-14 में दिनांक 14-6-2014 तक की स्थिति के अनुसार जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत संचालित चीनी मिलों पर कुल रु0 307.17 करोड़ सहित पूरे प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल रु0 7951.83 करोड़ का गन्ना मूल्य बकाया है।

बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु दैनिक रूप से गन्ना आयुक्त एवं शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल को नोटिसें निर्गत की गयी है। गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर समय-समय पर चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें करके सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्त को भी अवशेष गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र/निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में जिन चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, ऐसी 31 निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के विरुद्ध कुल 42 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिसमें जनपद सहारनपुर की चीनी मिल गांगनौली, देवबन्द सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 17 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें जिनमें जनपद सहारनपुर की चीनी मिल शेरमऊ भी सम्मिलित है, के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ के ग्रामों में सिंचाई हेतु नहर बनवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

164-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की नकुड़ तहसील के ग्रामों का जलस्तर बहुत नीचे पहुंच गया है और किसानों को अपनी फसल की सिंचाई हेतु गम्भीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 ओमवीर सिंह सहित अन्य चिकित्सकों के देय भुगतान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

165-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 ओमवीर सिंह सहित अन्य चिकित्सकों के देय भुगतान के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह, मा0 विधायक, छाता मथुरा का पत्र संख्या-ख-5नं0125615, दिनांक 26-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में डा0 ओमवीर सिंह, संविदा चिकित्सक का पद सृजन न होने के कारण दिनांक 01-05-2012 से 12-12-2012 तक के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया।

डा0 ओमवीर सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राल में कार्यरत हैं और नियमित भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के ग्राम कौल्हार पर सड़क किनारे नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

166-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के बाजना गौमत रोड पर ग्राम कौल्हार पर सड़क किनारे नाली न होने से पानी भराव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाली निर्माण कराकर सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के महिला चिकित्सालय में अल्ट्रा साउण्ड मशीन की स्थापना कराये जाने की मांग

167-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रत्रांक 830/रालोद/विमद/201, दिनांक 30-10-2013 जो जनपद अलीगढ़ के जिला मुख्यालय के महिला चिकित्सालय में अल्ट्रा साउण्ड मशीन की आवश्यकता विषयक है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महिला चिकित्सालय में अल्ट्रा साउण्ड मशीन की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

जिला महिला चिकित्सालय, अलीगढ़ हेतु कलर डाप्लर अल्ट्रा साउण्ड मशीन के क्रय हेतु प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही जिला महिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में कलर डाप्लर अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना सुनिश्चित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के कतिपय ग्रामों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

168-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम महमदपुर व बुढ़ानपुर में मानक से कम क्षमता के लगे ट्रान्सफार्मर अतिभारित होने के कारण आए

दिन खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान में जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम महमदपुर व बुढ़ानपुर में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिसके अतिभारित होने के कारण 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि बिजनेस प्लान वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

धन की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

169-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में खूली से बरैचा वाया चक बरैचा मार्ग जिला योजना के तहत डामरीकरण हेतु स्वीकृत सड़क पर 300 मीटर पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के 320 मीटर लम्बाई में लेपन का कार्य पूर्ण है। शेष लम्बाई में कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के फेज-10 में पैकेज संख्या-63113 में स्वीकृत हो जाने के कारण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय विकास खण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग

170-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही, सिधौली व तिलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्रों पर चिकित्सकों, महिला चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ तथा एक्सरे एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन की कमी के कारण क्षेत्रीय जनता को इलाज हेतु असुविधा होती है एवं जांच हेतु मरीजों को जिला अस्पताल जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों, महिला चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

उपलब्ध संसाधनों से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

चिकित्साधिकारियों के पद पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयन सूची प्राप्त होने के उपरान्त चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी। पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है। चयनोपरान्त उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम बरैचा में पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

171-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम-बरैचा में पैन्टून पुल (पीपे वाला पुल) स्थित है जो कि बरसात के समय शासन द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये पुल का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिन्धौली के कतिपय सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

172-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा के विकास खण्ड सिन्धौली के अन्तर्गत कटिया बुजुर्ग शाहजहांपुर सम्पर्क मार्ग से करनापुर तक तथा कटिया बुजुर्ग शाहजहांपुर सम्पर्क मार्ग से तेरा तक कच्चा एवं उबड़-खाबड़ गड्ढ़ा युक्त मार्ग होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

दोनों ग्राम पूर्व से ही एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। ग्रामों को दूसरी तरफ से जोड़ना शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम सूरजपुर से भमौरी के सोत नदी पर पुलियों का निर्माण कराये जाने की मांग

173-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर में ग्राम सूरजपुर से भमौरी जाने हेतु एवं शहजादनगर से रजलामई जाने हेतु सोत नदी पर पुलिया निर्माण हेतु लगभग 12 वर्ष पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है किन्तु निर्माण सामग्री के नाम पर केवल पाइप ही कार्य स्थल पर पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों का निर्माण कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में उक्त कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसुबान के अनेक मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

174-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसुबान में बिल्सी से अहमद नगर असौली तक लगभग 3.00 कि0मी0, अब्बू नगर से जरीफपुर गढ़िया तक लगभग 2.00 किमी0, महमूदपुर सोगना से मिर्जापुर सोहरा तक लगभग 3.00 किमी0, खिरकवारी मानपुरपुख्ता से कुर्बानपुर तक लगभग 3.00 किमी0, स्माइलपुर से नसीरपुर बन्धे पर होकर सहसवान तक लगभग 3.00 किमी0 एवं विकास खण्ड उझानी के ग्राम बराय से मयखेड़ा तक लगभग 1.50 किमी0 सड़कें अत्यन्त जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

ग्राम बिल्सी से अहमद नगर असौली, ग्राम महमूदपुर सोगना से मिर्जापुर सोहरा, ग्राम खिरकबारी, मानपुर पुख्ता से कुर्बानपुर, ग्राम इस्माईलपुर से नसीरपुर एवं ग्राम बराये से मयखेड़ा अलग-अलग लेपित मार्गों से सिंगिल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इन ग्रामों को आपस में पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

ग्राम अब्बूनगर से जरीफपुर गढ़िया सम्पर्क मार्ग आर0ई0डी0 विभाग द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में फर्जी इकरारनामा व अनियमित रूप से विद्युत संयोजन कराये जाने का कथित प्रकरण

175-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत बगाही भट्ठा, टी0पी0 नगर क्षेत्र में फर्जी इकरारनामा व फर्जी राशन कार्ड के आधार पर अनियमित रूप से कतिपय विद्युत संयोजन कराये जाने विषयक श्री सुनील कुमार चित्तौड़, सदस्य, विधान परिषद् एवं सभापति, प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था, जांच समिति, लखनऊ का पत्र दिनांक 07-01-2014 प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के रेलवे लाइन पर प्रस्तावित ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने की मांग

176-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में रेलवे लाइन पर निर्माण हेतु कौन-कौन से ओवर ब्रिज प्रस्तावित है तथा उनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ में टूण्डला-गाजियाबाद रेल सेक्शन पर समपार संख्या-105सी, 107, 111ए, 118 एवं समपार संख्या-120बी तथा अलीगढ़-बरेली रेल सेक्शन पर समपार संख्या-83, 84ए एवं समचार संख्या-85सी पर रेल उपरिगामी सेतु रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित है।

उपरोक्त रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में निर्माणाधीन सड़कों में अनियमितताओं की जांच/कार्यवाही की मांग

177-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर के पुवायां से निगोही तक की निर्माणाधीन सड़क में अत्यधिक घटिया सामग्री का प्रयोग कर, अनियमिततायें करते हुए लाखों रुपये का गबन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य की जांच भारत सरकार द्वारा नामित एन0क्यू0एम0 से दिनांक 18-11-13 को तथा उ0 प्र0 सरकार द्वारा नामित एस0क्यू0एम0 से दिनांक 27-6-13, 24-10-13 एवं 28-12-13 को करायी गयी। जांच में कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पायी गयी। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0खं0 निगोही की सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं की जांच कार्यवाही की मांग

178-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के वि0खं0 निगोही के अन्तर्गत डड़िया बाजार रानी खिरिया सम्पर्क मार्ग से मरक्का बाबूपुर गौटिया तक की निर्माणाधीन सड़क में अत्यधिक घटिया सामग्री का प्रयोग कर, अनियमिततायें करते हुए लाखों रुपये का गबन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण करा दिया गया है जिसका निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता द्वारा दि0 07-05-14 को किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के खराब ट्रांसफार्मरों से निजात दिलाये जाने की नीति सम्बन्धी जानकारी

179-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रदेश सहित शामली में ट्रान्सफार्मरों के लगातार खराब होने के कारण उत्पन्न हो रहे विद्युत संकट से निजात दिलाने के लिये सरकार ने क्या कोई नीति तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

खराब परिवर्तक 72 घण्टों के अन्दर बदलने हेतु परिवर्तक की उपलब्धता के साथ खराब परिवर्तक ले आने एवं मरम्मतशुदा परिवर्तक ले जाने के लिये वाहन की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर एवं विशेषज्ञों को लिये जाने की मांग

180-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं फर्स्ट रेफरल यूनिटों में सृजित

पदों पर डाक्टर्स एवं विशेषज्ञों की नियुक्तियां स्वीकृत पदों के अनुसार नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। चिकित्सकों की कमी के कारण जनपद पीलीभीत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल स्वीकृत 71 पद के सापेक्ष 55 चिकित्सक तैनात हैं तथा 16 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वर्तमान समय में विशेषज्ञ संवर्ग विद्यमान नहीं हैं।

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा

181-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पद्धति से कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य है किन्तु होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार हेतु उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार होम्योपैथिक पद्धति से कराये उपचार पर व्यय धनराशि की भी प्रतिपूर्ति की सुविधा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के नियम-14 में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा बीसलपुर के अनेक गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग

182-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत गांव अमृताखास, करेली, खनंका, उचसिया, माधौपुर, बमरौली, भदैगकजा तथा ईटगांव में गरीब, असहाय एवं अक्षम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद पीलीभीत के प्रश्नगत ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि, मानव संसाधन व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर शासनादेश दिनांक 11-2-14 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

183-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों एवं महानगरों में विकसित हो रही आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों एवं अन्य योजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया है यदि हां, तो उसके मानक क्या हैं ? क्या इसका अनुपालन किया जा रहा है तथा जनपद आगरा में इसके अनुपालन में स्थिति क्या है ? क्या सरकार इसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु विभिन्न शासनादेशों तथा विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं यथा-ग्रुप हाउसिंग तथा आवासीय कालोनियों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना कराये जाने का प्राविधान है तथा 300 वर्ग मी0 कम क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जायेगा।

जी हां। आगरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से आगरा विकास प्राधिकरण के आदेश सं0-525/डी/वीसी/2013 दिनांक 19-6-2013 द्वारा भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के समय ही आवेदक से धरोहर के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तथा इसका अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की अनेक एरिया में सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

184-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव नगला कली से सैमरी, सैमरी इरादत नगर रोड से एस0 एस0 पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड तक सीवर लाइन डालने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे नागरिकों का

आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

इरादत नगर रोड से एस0एस0 पब्लिक स्कूल होकर ग्वालियर रोड तक (कुल 2.000 कि0मी0) में से 1.00 कि0मी0 भाग में सीवर लाइन डालने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

185-श्री राकेश बाबू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 1-नारखी कायथा मार्ग से माला वध, 2-छितरयी मार्ग से वाजरा रगिणी, 3-नसूलाबाद मार्ग से ढारहाली तक तथा 4-चिलासनी मार्ग से वेलमगंज तक पक्की सड़क नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्गों को एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग से जोड़ने वाले ग्रामों की आबादी 250 से अधिक व एस0सी0/एस0टी0 की आबादी 25 प्रतिशत होनी चाहिए। अतएव एस0सी0पी0 से आच्छादित न होने के कारण विषयगत मार्गों को उक्त योजनान्तर्गत जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

आगरा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में गरीबों हेतु निर्मित बहुमंजिला भवनों में व्यवस्था ठीक करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

186-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की आवासीय योजना कालिन्दी विहार के निकट माननीय कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत सर्व समाज के शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये निर्मित बहुमंजिले भवनों में निवासरत जनता को पेयजल, विद्युत, सफाई आदि की व्यवस्था ठीक करने विषयक आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार योजना के निकट मा0 कांशीराम शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित बहुमंजिले भवनों में निवासरत् जनता को जल निगम, आगरा द्वारा सुचारु रूप से जलापूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार मार्ग प्रकाश की व्यवस्था तथा सफाई नगर निगम/आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सुचारु रूप से सुनिश्चित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के आवासों का आवंटन

187-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-10 में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त आवासों का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2009-10 में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना हेतु प्रदेश के 45 जनपदों में कुल 42672 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 42392 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। निर्मित भवनों के सापेक्ष जिलाधिकारियों/प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक कुल 33972 भवनों का आवंटन किया जा चुका है।

अवशेष भवनों का आवंटन पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए यथाशीघ्र सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम चन्दापुर में लगे खराब नलकूपों की मरम्मत कराये जाने की मांग

188-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम चन्दापुर में लगा नलकूप संख्या-48 एम0जी0 काफी समय से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उकत खराब नलकूप संख्या-48 एम0जी0 को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम चन्दापुर में लगा राजकीय नलकूप संख्या-48, एम0जी0 दिनांक 20-5-14 से 27-5-14 तक यांत्रिक दोष के कारण अस्थायी रूप से खराब था, जिसे दिनांक 28-5-14 को ठीक कर चालू कर दिया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

189-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि किन सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिला योजना वर्ष 2012-13 में मात्र दो कार्यों नगरा एवं सोहक सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, जिनका निर्माण कार्य मार्च, 2014 में पूर्ण करा लिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के जियामऊ में सीवर लाइन डालकर कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

190-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र के विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत जियामऊ में सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन कब तक चालू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

लखनऊ मध्य क्षेत्र के विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत जियामऊ में सीवर लाइन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु जल निगम द्वारा निर्मित एस0पी0एस0 में सीवर लाइन मिलाने हेतु 66 मी0 सीवर लाइन डालकर कनेक्शन करने का कार्य अवशेष है।

उपरोक्त अवशेष कार्य किये जाने के पश्चात् सीवर लाइन चालू हो जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री खचेडू सिंह मोहरिया, श्री भूप किशोर, श्री वीरेन्द्र पति यादव, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री केदार नाथ सिंह, डा0 मोअज्जिम अली बेग, श्री राम सकल तिवारी, श्री नत्थू सिंह, श्री रामधारी शास्त्री, श्री जावेद अंसारी, श्री काशी नाथ मिश्र, श्री गोवर्धन सिंह, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री राम निहोर राय, श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री चन्द्र किशोर तथा श्री संदीप अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री खचेडू सिंह मोहरिया का 02 मार्च, 1985 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री खचेडू सिंह मोहरिया का जन्म 22 सितम्बर, 1928 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खचेडू सिंह मोहरिया वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी तथा 1974 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री खचेडू सिंह मोहरिया लोधी महासंघ के

सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक एवं परिगणित जाति संघ के उप प्रधान तथा जिला रिपब्लिकन पार्टी के प्रधान रहे थे। वे अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे तथा कई पत्रों के सम्पादक भी रहे थे। संगीत, कविता तथा फोटोग्राफी में उनकी विशेष रुचि थी। श्री खचेडू सिंह मोहरिया के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री भूप किशोर का 19 फरवरी, 1989 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री भूप किशोर का जन्म वर्ष 1912 में हुआ था। श्री भूप किशोर वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र अलीपुर, जिला एटा से स्वतंत्र प्रगतिशील विधान मण्डल दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री भूप किशोर एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री भूप किशोर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री वीरेन्द्र पति यादव का 04 दिसम्बर, 1992 को निधन हो गया। श्री वीरेन्द्र पति यादव वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी (दक्षिण) जिला मैनपुरी से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र घिरोर, जिला मैनपुरी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री वीरेन्द्र पति यादव वर्ष 1979 से 1980 तक विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सभापति रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री वीरेन्द्र पति यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह का 10 अगस्त, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 10 जनवरी, 1937 को ग्राम गढ़िया, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजेन्द्र सिंह सर्वप्रथम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र निधपुर, जिला एटा से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1982 के उप चुनाव में तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र पटियाली, तत्कालीन जिला एटा से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राजेन्द्र सिंह स्टूडेन्ट यूनियन के महासचिव एवं अध्यक्ष तथा विभिन्न स्कूलों सम्बन्धी समितियों के प्रबन्धक एवं अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने एटा जनपद शिक्षा विकास परिषद् की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष रहे थे। लोगों की सहायता एवं शिक्षा व्यवस्था में सहयोग में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन प्रिय था। श्री राजेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री केदार नाथ सिंह का 14 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री केदार नाथ सिंह का जन्म 01 जनवरी, 1941 को गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री केदार नाथ सिंह वर्ष 1980 में कांग्रेस (अर्स0) तथा वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पिपराइच, जिला गोरखपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री केदार नाथ सिंह गन्ना विकास परिषद्, पिपराइच के अध्यक्ष तथा गन्ना विकास समिति लिमिटेड, पिपराइच के डायरेक्टर रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी (संगठन) गोरखपुर तथा जिला जनता पार्टी, गोरखपुर के महामंत्री भी रहे थे। वे शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। श्री केदार नाथ सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, डा0 मोअज्जिम अली बेग का 23 दिसम्बर, 2013 को निधन हो गया। डा0 मोअज्जिम अली बेग ने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 मोअज्जिम अली बेग वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़, जिला अलीगढ़ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। डा0 मोअज्जिज अली बेग अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के पद पर रहे थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। डा0 मोअज्जिम अली बेग के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम सकल तिवारी का 28 फरवरी, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री राम सकल तिवारी का जन्म 01 जनवरी, 1939 को हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम सकल तिवारी वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सेवरही तत्कालीन जिला देवरिया से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम सकल तिवारी धारा-188 के अन्तर्गत देवरिया जेल में बन्दी रहे थे। वे बार एसोसियेशन, कसया के अध्यक्ष भी रहे थे। विधि में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेलकूद उन्हें प्रिय था। श्री राम सकल तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री नत्थू सिंह का 01 अप्रैल, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री नत्थू सिंह का जन्म 15 सितम्बर, 1954 को ग्राम सरांय मनिहार, जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नत्थू सिंह वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र भगवंतनगर, जिला उन्नाव से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री नत्थू सिंह यू0पी0 एग्रो के अध्यक्ष रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री नत्थू सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री रामधारी शास्त्री का 02 अप्रैल, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री रामधारी शास्त्री का जन्म 02 जनवरी, 1926 को ग्राम महुअवा खुर्द, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामधारी शास्त्री वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र फाजिलनगर, जिला देवरिया से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे छठी लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री रामधारी शास्त्री ने देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा विभिन्न आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी विधान मण्डल दल के मुख्य सचेतक भी रहे। श्री रामधारी शास्त्री विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे तथा वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। श्री रामधारी शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जावेद अंसारी का 28 अप्रैल, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री जावेद अंसारी का जन्म 01 जून, 1953 को मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जावेद अंसारी वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर, जिला जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जावेद अंसारी वर्ष 1997 में धारा-188 के अन्तर्गत जिला कारागार,

जौनपुर में बन्दी रहे थे। वे अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे। वे दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर के आजीवन सदस्य तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक अधिवक्ता समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे थे। साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जावेद अंसारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र का 28 अप्रैल, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री काशीनाथ मिश्र का जन्म वर्ष 1928 में ग्राम डांगरबाद जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री काशीनाथ मिश्र सर्वप्रथम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बांसडीह (पूर्वी), जिला बलिया से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 में कांग्रेस तथा वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बलिया, जिला बलिया से विधान सभा सदस्य निवाचित हुए थे। श्री काशीनाथ मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश समाजवादी युवक सभा के मंत्री रहे थे। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रि-मण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। श्री काशीनाथ मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री गोवर्धन सिंह का 29 अप्रैल, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री गोवर्धन सिंह का जन्म 30 जनवरी, 1930 को ग्राम ढोलना, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गोवर्धन सिंह वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र कासगंज, जिला एटा से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गोवर्धन सिंह वर्ष 1976 में राजनीतिक आन्दोलन में एटा जेल में बन्दी रहे थे। वे क्रय-विक्रय सहकारी समिति, कासगंज तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति, ढोलना के अध्यक्ष एवं जिला सहकारी बैंक, एटा के संचालक व उपाध्यक्ष रहे थे। उन्होंने श्री राणा इण्टर कालेज, ढोलना की स्थापना की तथा उसके प्रबन्धक रहे। समाज सेवा, पिछड़े व गरीबों के उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गोवर्धन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री चन्द्रपाल सिंह का 04 मई, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 96 वर्ष के थे। श्री चन्द्रपाल सिंह का जन्म ग्राम शाहपुर खुर्द, जिला उन्नाव में हुआ था। श्री चन्द्रपाल सिंह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव, जिला उन्नाव से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री चन्द्रपाल सिंह एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चन्द्रपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री रामनिहोर राय का 05 मई, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री रामनिहोर राय का जन्म 01 फरवरी, 1934 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 तथा एच0एम0डी0 (होम्योपैथी) की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामनिहोर राय वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मझवा (अ0जा0), जिला मिर्जापुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे दसवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री रामनिहोर राय जिला पासी महासभा, मिर्जापुर तथा जिला जनसंघ, मिर्जापुर के उपाध्यक्ष रहे थे। वे उत्तर प्रदेश जनसंघ की प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी रहे थे। समाज सेवा एवं अध्ययन में उनकी रुचि थी। श्री रामनिहोर राय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी का 09 जून, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी का जन्म 01 जनवरी, 1929 को ग्राम भगवतपुर, जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी ने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया था। जिसके फलस्वरूप वे जिला कारागार, टिहरी गढ़वाल तथा लखनऊ में बन्दी भी रहे। वे विद्यार्थी कांग्रेस, मसूरी के अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस के संयोजक तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। भ्रमण, बागवानी तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री चन्द्र किशोर का 19 जून, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 51 वर्ष के थे। श्री चन्द्र किशोर का जन्म 07 जून, 1963 को जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्र किशोर वर्ष 1993, 1996 तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज (अ0जा0), जिला महराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री चन्द्र किशोर श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रि-मण्डल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे हैंडबाल एसोसियेशन, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष तथा जेसीस क्लब एवं व्यापार मण्डल व पेट्रोलियम एसोसियेशन, गोरखपुर के सदस्य रहे थे। समाज सेवा तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चन्द्र किशोर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री संदीप अग्रवाल का 20 जून, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 59 वर्ष के थे। श्री संदीप अग्रवाल का जन्म 25 नवम्बर, 1955 को मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री संदीप अग्रवाल वर्ष 1993, 1996 तथा 2002 में भारतीय जनता पार्टी तथा वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाक्षन क्षेत्र मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री संदीप अग्रवाल बिजली आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप जिला कारागार, मुरादाबाद में बन्दी रहे थे। वे व्यापार मण्डल के सदस्य, श्री रामलीला कमेटी तथा अमन कमेटी के उपाध्यक्ष एवं राजकला कन्या पाठशाला, मुरादाबाद के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे सामाजिक कार्य एवं निर्बल वर्ग की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार उन्हें प्रिय था। श्री संदीप अग्रवाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सदन में व्यक्त शोक-संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम सब इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करें।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इसमें क्या व्यवस्था अभी तो कोई व्यवस्था उठी नहीं निधन के निर्देश के बाद कौन सी व्यवस्था।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं उस समय उठाना चाहता था लेकिन आपने निधन के निर्देश ले लिए इसलिये उस समय बोलना उचित नहीं था। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि जो आप हमारे प्रश्नों को कृपापूर्वक स्वीकार करते हैं उसका जो उत्तर आता है उसमें कई बार ऐसा जवाब में आता है कि इसको सदन के पटल के ऊपर रख दिया जाएगा प्रश्न में भी होता है कि क्या उसको सदन के पटल पर रखा जायेगा तो उसमें लिखा होता है जी हां नत्थी ख का प्रश्न संख्या-1 मेरा था उसके साथ एक और मेरा प्रश्न था बिजली से सम्बन्धित था कि कौन-कौन से पावर कारपोरेशन हैं कौन-कौन से पावर प्रोजक्ट लगा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है उसमें उत्तर में लिखा है कि जी हां इसको विधान सभा के पटल पर रख दिया जाएगा इसके साथ ही एक और प्रश्न था अतारांकित प्रश्न संख्या-72 इसमें भी उत्तर में लिखा है कि पावर प्रोजक्ट की सूची संलग्नक-1 सदन के पटल पर रख दी गई तो मान्यवर, मेरा यह प्रश्न है कि जो यहां पर बात आती है कि यह सदन के पटल पर रख दिया गया वह न तो हमें सुबह उत्तर के साथ प्राप्त हुई न ही यह सुबह प्रिजन होल में रखी थी। सदन के पटल पर रखने का आशय यह होता है कि उसकी प्रति सभी लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी यह सबको उपलब्ध करा दी जानी चाहिए लेकिन कम से कम प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करानी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जो यह कहा गया कि सदन के पटल पर रखने का तो वह माननीय मंत्री जी के पास होगा मंगाकर देख लीजिए।

श्री सतीश महाना-

मेरे पास उत्तर आया है तो मुझे उसके बारे में अनुपूरक प्रश्न करना है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो प्रश्न प्रहर समाप्त हो गया। आप उसको पढ़ लीजिए फिर लगाइए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं इसे व्यवस्था के रूप में उठा रहा हूं मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे इसका उत्तर दे दें। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस पर सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। जिस समय हमें लिखित उत्तर मिले उसी समय संलग्नक के रूप में हमें मिलना चाहिए। मैं अपनी ही बात नहीं कह रहा हूं सभी के प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं उसमें प्रश्नों के साथ यह अवश्य होता है।

दूसरा मान्यवर, मेरा एक और छोटा सा निवेदन है आप हमारे प्रश्नों को कृपापूर्वक स्वीकार करते हैं कई बार कई माननीय सदस्य एक ही प्रश्नकर्ता होते है इसलिये कई लोगों के नाम एक प्रश्न के सामने रख दिये जाते हैं जैसे आज नत्थी क का प्रश्न संख्या-1 था उसमें उपेन्द्र तिवारी और कई सदस्यों के नाम थे जब सदन में प्रश्न रख दिया जाता है तो यह आपका अधिकार होता है कि आप जिस भी माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न करने का मौका दें इसमें मेरा विनम्र निवेदन है कि जो मूल प्रश्नकर्ता है हालांकि सबको प्रश्न करने का अधिकार है मैं उस अधिकार के ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन जो मूल प्रश्नकर्ता है जैसे एक प्रश्न आया जो उपेन्द्र तिवारी जी का प्रश्न था तो मूल प्रश्नकर्ता को पहले अवसर मिल जाए बाकी आप जिसको बुलाना चाहें यह आपका अधिकार है क्योंकि मूल प्रश्नकर्ता स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई प्रश्न लगाया है तो उसका एक अनुपूरक करने का उनको अवसर मिलना चाहिए। इन दो बातों पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक पटल पर रखने की बात है उसको दिखवा लेंगे लेकिन प्रश्नों की जहां तक बात है तो एक प्रश्न के 15 प्रश्नकर्ता हो जाएं और हर आदमी एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछे लेकिन अगर प्रश्न के एक ही अनुपूरक से स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो किसी के प्रश्न पूछने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। आपने चिकित्सा के जिस प्रश्न के बारे में कहा कि नहीं बुलाया गया तो उसमें इतने उत्तर आ गये थे और डाक्टर साहब से लेकर सारे दल के लोगों ने पूछा आपके दल के लोगों ने भी पूछा फिर उत्तर स्पष्ट हो गया था फिर तमाम लोगों के पूछने का क्या औचित्य है। जो चीज वह पूछना चाहते थे अगर किसी के पूछने से वह चीज आ गई तो क्या जरूरत थी।

श्री सतीश महाना-

अगर मूल प्रश्नकर्ता को अवसर दे देंगे तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

चलिए अगली मद लेते हैं।

[12.40 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25-6-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री अमर पाल शर्मा की गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी में परिषद् द्वारा योजना प्लान वर्ष 1989 के अनुसार मूलभूत सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत लेड़आडीह चौहाड़ाघाट बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर से निकलने वाले गंदे नाले की खुदाई, सफाई तथा पक्का न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद फतेहपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे गुलरिहा घाट तक 5 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में

है। छठी सूचना श्री रवि शर्मा की उ0 प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के खाद्य निरीक्षकों को फूड सैम्पलिंग के कार्य में लगाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय मार्गों में लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अन्सारी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत ताड़ीघाट बारा जर्जर मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की प्रदेश में राजस्व विभाग की पुरानी रजिस्ट्रियों के दाखिल खारिज कराने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित समय-सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी अन्तर्गत कौड़िहार में 33/11 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुवेश की विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट के कतिपय क्षेत्रों में नाला एवं नाली का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में पानी निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना पर श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। श्री रविदास मेहरोत्रा की सूचना के स्थान पर श्री गयादीन अनुरागी की सूचना लेते हैं। (माननीय सदस्य श्री गयादीन अनुरागी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।) चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना ले लेते हैं। शेष माननीय जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री गयादीन अनुरागी, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री सुदेश शर्मा, श्री भगवती प्रसाद, श्री दलवीर सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री जाकिर अली, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री गजराज सिंह, श्री दिलनवाज खान, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रामहेत भारती, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री देव नारायण सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री अली यूसुफ अली, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री अनीसुर्रहमान, श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन, श्री प्रदीप चौधरी, श्री उमाशंकर, डा0 अरुण कुमार, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री सुल्तान बेग, श्री राजबली जैसल, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल। स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी में परिषद् द्वारा योजना प्लान वर्ष 1989 के अनुसार मूलभूत सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित बसुन्धरा कालोनी के दिनांक 27-7-1989 के तत्कालीन आवास आयुक्त एवं मुख्य वास्तुविद् श्री ए0के0 पचौरी द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हस्ताक्षरित योजना को स्वीकृत करते हुए बसुन्धरा की निवासियों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 102 एकड़ भूमि को महाविद्यालय, अस्पताल, खेल का मैदान, बारात घर, पुस्तकालय व रामलीला मैदान जैसी जन मूलभूत सुविधाओं का काम चालू करने से पहले परिषद् व भू-माफिया का विवाद चल गया था। इस विवाद के चलते निर्माण कार्य चालू नहीं हो सका। पिछले दिनों मा0 उच्च न्यायालय ने इस वाद को परिषद् के पक्ष में निर्णीत कर दिया। आवास एवं विकास परिषद् के अधिकारियों की मंशा आई0टी0 हब व पांच सितारा होटल बनाने की योजना लखनऊ मुख्यालय को भेजी गयी है।

इस प्रकार महोदय यह परिषद् के निवासियों के साथ वादा-खिलाफी है। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर वहां की योजना के अनुरूप आवंटित भूमि पर कार्य सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा आलापुर अन्तर्गत चौहाड़ाघाट बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर में लेडुआडीह चौहाड़ा घाट बन्धा जिसकी लम्बाई लगभग 7 कि0मी0 है। उक्त बन्धा निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को जिले से आया है। मेरे द्वारा उक्त बन्धा निर्माण हेतु बार-बार सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से अनुरोध किया गया। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बन्धा का निर्माण न होने के कारण हजारों एकड़ जमीन किसानों की बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रकरण है। जनहित का है, गम्भीर विषय है। तत्काल बन्धे का निर्माण जनहित में कराकर किसानों, गरीब लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाया जाये।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बन्धे का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर से निकलने वाले नाले की खुदाई, सफाई तथा पक्का न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के सिकन्द्राबाद नगर से माट ब्रान्च खण्ड गंग नहर खुर्जा का एक नाला निकलता है जो शेखपुर, लालपुर व बिलसूरी आदि गांवों से होकर करों नदी में मिलता है। जहां से नाला निकलता है उसके आस-पास किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन है। नाले के नियमित रूप से खुदाई, सफाई तथा प्रारम्भिक हिस्से के पक्का न होने के कारण कुछ ही दिन में नाला भर जाता है। वर्षा के दिनों में स्थिति अत्यन्त भयावह हो जाती है तथा नाले के आस-पास किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। जमीन के जलमग्न होने के कारण किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जिसके कारण उस क्षेत्र के सैकड़ों किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा मजबूरी में अपनी जमीन को बिल्डरों तथा भू-माफियाओं आदि को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी तरफ भू-माफिया वहां मिट्टी से भराव कराके नाले के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहते हैं। किसानों को बर्बादी से बचाने हेतु इस नाले की खुदाई, सफाई तथा उसके प्रारम्भिक 1 कि0मी0 भाग को पक्का करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रम सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सदर के नगरीय क्षेत्र में जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जल निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था न होने के कारण फतेहपुर नगर में जगह-जगह पानी के जमाव से जहां मच्छरों के प्रकोप एवं भयंकर बीमारी फैल रही है वहीं जल भराव के कारण मार्ग में जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। काफी समय से फतेहपुर नगर में जल निकासी हेतु सीवर लाइन की मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण नगर क्षेत्र के निवासियों में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फतेहपुर नगर में सीवर लाइन डालने की व्यवस्था हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा कैसरगंज के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे गुलरिहा घाट तक 5 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे स्थित गुलरिहा घाट से भूपानी घाट तक 5.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इस मार्ग का निर्माण कराया जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 को आगणन आ चुका है। परन्तु अभी तक धन अवमुक्त न होने के कारण इस मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। भूपानी गांव किसी प्रकार के रोड से जुड़ा नहीं है। इसलिए क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गुलरिहा घाट से भूपानी घाट तक मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के खाद्य निरीक्षकों को फूड सैम्पलिंग के कार्य में लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा

[महोदय, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक फूड सैम्पलिंग का कार्य कर रहे थे। परन्तु वर्तमान में इनके अधिकार खत्म कर दिये गये हैं। जिससे नगरीय क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का विक्रय खुलेआम हो रहा है। इससे जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खतरा उत्पन्न हो गया है। नगर विकास एवं खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह सामान्य जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिससे आम नागरिकों में अत्यन्त भय एवं रोष व्याप्त है।

यह लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्थानीय निकायों के खाद्य निरीक्षकों को फूड सैम्पलिंग के कार्य में लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय मार्गों में लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर से गोरखपुर मार्ग पर सड़क से ग्राम पकड़ी (विकास खण्ड उस्का बाजार) तक लगभग 01 किलोमीटर तथा विकास खण्ड लोटन बाजार के ग्राम मैनहवा से गदहमरवा होते हुए रमवापुर बांध तक लगभग 02 किलोमीटर मिट्टी से लेपन तक कार्य एवं ग्राम गदहमरवा के पास कोडरा नाले पर एक पुलिया का निर्माण कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से उक्त कार्य प्राथमिकता पर कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी कृषि और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। जिसके कारण कोई अपने बच्चों को अपने जिले से बाहर उच्च शिक्षा हेतु भेजने में असमर्थ रहते हैं। जनपद में एक भी विश्वविद्यालय न होने के कारण समूचा प्रतापगढ़ विकास के रास्ते काफी पीछे रह गया है। यदि पिछड़े गरीब परिवार के छात्रों को अपने ही जनपद में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है तो उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार और जनपद को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकेंगे।

अतः अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रतापगढ़ के कमजोर गरीब परिवार के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत ताड़ीघाट बारा जर्जर मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत ताड़ीघाट बारा मार्ग अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों को जिला मुख्यालय आने-जाने में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं आये दिन ट्रकों के सड़क पर धंस जाने के कारण सड़कों पर घण्टों जाम लग जाता है। जिसके कारण ग्रामीणों में बड़ा रोष उत्पन्न है तथा क्षेत्रीय निवासियों द्वारा आये दिन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।

अतः मान्यवर से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त ताड़ीघाट बारा मार्ग को तत्काल बनाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

प्रदेश में राजस्व विभाग की पुरानी रजिस्ट्रियों के दाखिल खारिज कराने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित समय-सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्व विभाग की पुरानी रजिस्ट्रियों के खारिज दाखिल कराने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित 06 माह की समय-सीमा को बढ़ाये जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में सोसायटी एवं अन्य माध्यमों से क्रय की गई सम्पत्ति (भूखण्ड) जिनकी रजिस्ट्री कराये काफी समय बीत चुका है, का खारिज दाखिल किन्हीं कारणोंवश अभी तक नहीं हो पाया है। उनका खारिज दाखिल शासनादेश में उल्लिखित 06 माह की अवधि बीत जाने के कारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे भू-खण्डों के खारिज दाखिल कराने हेतु उपरोक्त विषयक शासनादेश में उल्लिखित अवधि को बढ़ाना जनहित में आवश्यक हो गया है जिससे छूटे हुये लोगों के भू-खण्डों का खारिज दाखिल भी हो सके। ऐसे भू-खण्ड जो आवंटियों के रजिस्ट्री के बाद उनके कब्जे में है एवं उसमें लोग रह रहे हैं। कुछ लोग सरकारी ऋण लेकर बन्धक रखे थे तथा ऋण अदायगी के बाद अब खारिज दाखिल कराना चाहते हैं किन्तु पता चला कि शासनादेश में उल्लिखित अवधि समाप्त हो जाने के कारण पुरानी रजिस्ट्री का खारिज दाखिल अभी नहीं हो पा रहा है इसके लिये शासनादेश में अवधि बढ़ाना आवश्यक है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं राजस्व विभाग से एतद्विषयक शासनादेश में उल्लिखित 06 माह की अवधि को बढ़ाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी अन्तर्गत कौड़िहार में 33/11 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूजा पाल-

[कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद इलाहाबाद की मेरी विधान सभा क्षेत्र 261, इलाहाबाद पश्चिमी के विकास खण्ड-कौड़िहार के अन्तर्गत गांव राम मन्दर में वर्ष 2011 में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत पावर स्टेशन स्वीकृत हुआ था। उसके लिये भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया था। उक्त विद्युत पावर स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया था जिसे बाद में बन्द कर दिया गया। लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक उक्त विद्युत पावर स्टेशन के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। उक्त विद्युत पावर स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया है परन्तु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त विद्युत पावर स्टेशन का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट के कतिपय क्षेत्रों में नाला एवं नाली का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[महोदय, कृपया अवगत कराना चाहता हूं कि आगरा शहर के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट में ताजमहल के निकट, नई आबादी नरीपुरा नगला प्यारे व नगला ऊदा मलिन बस्तियां हैं। इन बस्तियों में गली व नाली निर्माण न होने के कारण 2 से 3 फीट तक जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यहां रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बरसात के समय में यह स्थिति अत्यन्त भयाभय हो जाती है। क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी जोखिम उठाना पड़ता है। जलभराव, गन्दगी व बदबू के कारण क्षेत्र में लोगों को तरह-तरह संक्रमण एवं बीमारियां हो रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं जिलाधिकारी, आगरा एवं नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा से भी कई बार मिल चुका हूं, किन्तु समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। जलभराव की निकासी न होने के कारण यहां की जनता आये दिन धरना-प्रदर्शन करती रहती है। क्षेत्र में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अतिशीघ्र उपरोक्त मलिन बस्तियों में गलियां व नालियों के निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में पानी निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुढेरा (विकास बरौली अहीर) ग्राम अन्तर्गत एक तालाब है जो पानी भराव होने के कारण पानी घरों में जिसके कारण लोगों का जनजीवन बाधित है। बीमारी फैलने की आशंका रहती है। जिसके कारण ग्रामवासियों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम पंचायत बुढेरा (विकास बरौली अहीर) तालाब से पानी निकासी हेतु पक्का नाला निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के कस्बे कागरौल, तातपुर, जगनेर, सैंया, इरादत नगर, सरॉय जाजौ में जर्जर एवं टूटे बिजली के तारों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड होने के कारण आये दिन बिजली बाधित होती रहती है। कई-कई महीनों तक बिजली न आने के कारण क्षेत्रीय लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता एवं छात्र और छात्राओं की पढ़ाई करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद नगर के अल्लापुर, टैगोर टाउन, जार्ज टाउन के मालवीय रोड, लिडिल रोड, अमरनाथ झा मार्ग आदि मोहल्लों के वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद नगर में प्रत्येक वर्ष वर्षा में अल्लापुर, टैगोर टाउन, जार्ज टाउन के मालवीय रोड, लिडिल रोड, अमरनाथ झा मार्ग, आर0एन0 बनर्जी मार्ग, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, सोहबतियाबाद, छीतपुर, मलाकराज, सिविल लाइन्स, छोटा बघाड़ा, रामप्रिया रोड, सादियाबाग, सलोरी, ओम गायत्री नगर तथा चिल्ला गोविन्दपुर, महाबीरपुरी शिवकुटी, रसूलाबाद, मेंहदौरी, बेली गांव, ऊंचवागढ़ी राजापुर, ओम नगर, शांति नगर, गंगा नगर, नेवादा, द्रौपदी घाट, प्रेमनगर, सी0डी0ए0 पेशन आदि के निचले क्षेत्र में भारी जल-जलाव हो जाता है। नगर के विस्तार के साथ ही साथ जल निकासी की पर्याप्त तथा उचित व्यवस्था न होने के कारण यह समस्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बहुत ही विलम्ब से नाले का डी0पी0आर0 भेजने से मामला अभी प्रदेश स्तर पर ही लम्बित है। तेरहवें वित्त के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा नाले के निर्माण का प्रस्ताव कई वर्षों से बनाकर ठण्डे बस्ते में डाल रखा गया है। प्रत्येक वर्ष हजारों घरों में निर्वासित लोगों के घरों में पानी घुसने से गन्दगी व धन-जन तथा शांति व्यवस्था की भारी क्षति होने से भारी असन्तोष उत्पन्न हो रहा है।

अतः निवेदन है कि अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब उक्त मुहल्लों की जलभराव समस्या का निदान कराये जाने की मांग करता हूं।]

[12.44 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज 25 जून, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं और आठों पोषणीय नहीं है। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। माननीय बाजपेयी जी, आपसे बड़ा पढ़ने वाला और विद्वान सदस्य कम है और आपने संविधान भी पढ़ा और यह भी पढ़ा है। हमारी नियमावली में भी है कि किसी राज्यपाल के किसी क्रिया-कलाप के लिये इसमें चर्चा नहीं की जा सकती इसलिये पोषणीय नहीं है। (व्यवधान) आप उसको उठाइये नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल गलत है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राज्यपाल द्वारा जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। माननीय लोकतंत्र और परम्पराएं परम्पराओं से चलता है कभी भी दो स्थिति एक साथ नहीं हो सकती। प्रत्येक स्थिति नई होती है और नये प्रस्ताव को जन्म देती है। मैं चर्चा में बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहता। संवैधानिक इतिहास के पृष्ठों में लगभग समान परिस्थिति में लिये गये भिन्न-भिन्न निर्णय संवैधानिक इतिहास के पन्नों में लगभग समान परिस्थिति में लिये गये भिन्न-भिन्न निर्णयों में अनेक महत्वपूर्ण दृष्टान्त सन्निहित है। अतः विषय की विषयपरक महत्ता पर विचार करके आप अगर सुनेंगे तो उचित होगा। संविधान का अनुच्छेद-159 कहता है राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, अनुच्छेद-163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये मंत्रि-परिषद् होगी। जिन बातों में संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उसमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें, उन बातों को राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उन्हें सलाह देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी, जिसके प्रधान मा0 मुख्य मंत्री जी होंगे। अनुच्छेद-211, विधान मण्डल में चर्चा पर निबन्धन, संविधान का अनुच्छेद-211 कहता है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये आचरण के विषय में राज्य विधान मण्डल में कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

हां, यही तो मैं कह रहा हूं कि चर्चा नहीं हो सकती है। हमने एक परम्परा डाली है कि महामहिम राज्यपाल जी के क्रिया-कलापों के बारे में राज्य विधान मण्डल में चर्चा नहीं करायी जा सकती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

जो आप बोल रहे हैं, न यह लिखा जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग बनेगा। आपकी बात आ गई, अब आप बैठिये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसमें सरकार का भी पक्ष आना चाहिए। मान्यवर, यह बात बड़े खेद की है, हमारी राजनैतिक आस्थाएं कुछ भी हों, हम किसी से नाराज हों, खुश हों, लेकिन जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं और जो हमारी 65 साल की मान्यताएं हैं, उन सबका लिहाज रखा जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है, आपकी पसन्द न हो, उत्तराखण्ड के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हुए, लेकिन यह निर्णय यहां का नहीं है। यह निर्णय भी दिल्ली का है और महामहिम राष्ट्रपति जी का निर्णय है, उन्हीं का निर्णय वहां सुनाया गया और उसी के तहत शपथ ली गई। तो सीधे यह टिप्पणी राज्यपाल पर नहीं

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बल्कि देश के राष्ट्रपति पर है और इस तरह की टिप्पणी मेरे ख्याल से लोकतंत्र को कमजोर करने वाली और जो पूरे मुल्क में एक अफवाह है कि इस तरह का तंत्र लाये जाने की तैयारी की जा रही है, इस प्रकार की जो संवैधानिक सीट्स है, जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उनको बदनाम करना, उनको कमजोर करना, उनके ऊपर उंगली उठाना और उनको अपमानित करना, इससे संविधान कमजोर होगा, संविधान में लोगों की जो आस्थाएं हैं और संविधान के तहत् जिन पदों को बनाया गया है, उनके लिये लोगों की आस्था कम होगी, एक बात। याद होगा आपको मैं उसे सदन में नहीं लाया था, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लक्ष्मीकान्त जी, लेकिन जिस दिन महामहिम ने शपथ ली थी, उस दिन भी आपकी बहुत अजीबोगरीब टिप्पणी टेलीविजन पर देखने को मिली थी कि यह धन का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ है, महामहिम राज्यपाल का, वह नहीं होना चाहिए था। मान्यवर, कोई भी महामहिम, कोई भी राज्यपाल जब किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो जो गवर्नर्स प्रोटोकाल होता है, वही दिया जाता है। किसी ने अपनी जेब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, न यहां के किसी धन से अलग व्यवस्था के तहत उनको यह प्रोटोकाल नहीं दिया गया था। गवर्नर का प्रोटोकाल हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारे संविधान का हिस्सा है, उस पर टिप्पणी किया जाना इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी इस व्यवस्था के खिलाफ बगावत की शुरूआत कर रहे हैं और इससे पूरे देश को सजग होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुस्तकिल संविधान को कमजोर करने, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने और इस बात पर बल देने में लगी हुई है कि संविधान गलत है और जो आर0एस0एस0 ने कहा है कि हम संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके खास किस्म का राज कायम करेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे, लेकिन कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।)

मान्यवर, यह उसकी शुरूआत है और मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने का हरगिज यह मतलब नहीं होता कि देश के संविधान को अपमानित किया जाए, महामहिम राज्यपाल को अपमानित किया जाए और राज्यपाल के रास्ते से राष्ट्रपति को अपमानित किया जाए। मान्यवर, यह पहल है, उस विचार की तरफ जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी देश को ले जाना चाहती है। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपके माध्यम से यह बात सदन में रखूं कि महामहिम राज्यपाल पर कोई भी टिप्पणी और आज की टिप्पणी को कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो पहले ही कह दिया कि महामहिम राज्यपाल पर कोई भी टिप्पणी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने असंगत बातें कह दीं मैंने केवल इतना कहा कि जनता दरबार लगाना क्या उपयुक्त है। नाम आर0एस0एस0 का ले रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बन्द करें। हो गया। बाजपेयी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया था वह ग्राह्य ही नहीं है। उसको अग्राह्य करता हूं। यह सूचना अग्राह्य की जाती है और न वह कार्यवाही का अंग बनेगा। चलिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बात सुन लें। आपने नहीं माना आपका विवेक है। लेकिन मान्यवर, अगर आपने इसको कार्यवाही अंग नहीं माना तो स्वाभाविक रूप से इसके प्रत्युत्तर में जो बात आयी है वह भी गलत है वह भी कार्यवाही का अंग नहीं होगा। अगर वह कार्यवाही का अंग होगा तो मान्यवर यह भी होगा। मान्यवर, दोनों होंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप फिर बात को दोहरा रहे हैं। महामहिम के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते। एक वाक्य भी कार्यवाही का अंग नहीं माना जाएगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी में विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से विद्युतीकरण कराये गये ग्रामों में निर्धारित शिला लेख एवं नाम पट्टिका न लगवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बन्द पड़े नलकूपों एवं जनपद गोण्डा के अन्तर्गत एल्गिन ब्रिज चरसंडी तटबन्ध के बाढ़ कार्य हेतु हुए, अनुबन्ध घोटाला विषयक सूचनाओं के सम्बन्ध में जानबूझकर जानकारी न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये नहीं सुनी जाएगी। चौथी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्वीकृत विद्युत कार्यों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये नहीं सुनी जाएगी। पांचवी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013-14 में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश (सामान्य) एवं पू0वि0नि0जी0 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों पर स्वीकृत समय पर न मिलने और शासन को वापस की गयी धनराशि को पुनः वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये नहीं सुनी जाएगी। छठी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की मा0 सदस्य को डालीबाग, लखनऊ में आंवटित क्षतिग्रस्त आवास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये नहीं सुनी जाएगी। सातवीं सूचना श्री सन्तराम कुशवाहा की जनपद जालौन के कोतवाली कोंच के अन्तर्गत ग्राम सिकरी में दिनांक 12 फरवरी, 2014 को जयनारायण पुत्र भागीरथ एवं सोनू पुत्र जयनारायण की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये नहीं सुनी जाएगी। आठवीं सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की मापदण्डों के विपरीत नगर पालिकाओं में

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नामित किये गये सदस्यों को तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये नहीं सुनी जाएगी।

[12.54 बजे] समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-464/26-2-2014-100(2) -2008 दिनांक 24 फरवरी, 2014

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-464/26-2-2014-100(2) -2008, दिनांक 24 फरवरी, 2014 को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा-32 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति वर्ष (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति वर्ष (2013-2014) का द्वितीय प्रतिवेदन जो श्री अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के प्रति प्रयुक्त की गई आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिये श्री अमित तिवारी, चीफ इन एडिटर, राजनगर, जनपद गाजियाबाद तथा श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता, उ0 प्र0 इण्डोविजन नेटवर्क मीडिया प्रा0 लि0 जनपद बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर की खराब सड़कों के स्थान पर नई सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमर मित्तल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर की खराब सड़कों के स्थान पर नई सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमर मित्तल व श्री अतुल कुमार गुप्ता निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्प को चालू कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री सन्तोष आनन्द आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्पों को चालू कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक

† छापी नहीं गयी।

श्री सन्तोष आनन्द व श्री देवेन्द्र पाल सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में नये धोबीघाटों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री होरी लाल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में नये धोबी घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री डोरी लाल रजक व श्री राकेश कुमार दिवाकर निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से छलेसर चौराहा होते हुए वास बादाम तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 से छलेसर-चौगान होते हुए वास बादाम तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश शर्मा व श्री संजय तोमर निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत जलेसर रोड से सेवरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पुष्पेन्द्र त्यागी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत आगरा-जलेसर रोड से सेवरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पुष्पेन्द्र त्यागी व श्री राममोहन त्यागी निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के अन्तर्गत ग्राम घूरीपुर और हण्डौर के बीच लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक कुं0 बहादुर पटेल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 राकेश कुमार वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के अन्तर्गत ग्राम घूरीपुर और हण्डौर के बीच लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक कुं0 बहादुर पटेल व श्री चुन्नू सिंह एडवोकेट निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कस्बा रूदौली नगर पालिका परिषद् पेयजल योजना के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री शेखर गुप्ता आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम चन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कस्बा रूदौली नगर पालिका परिषद् पेयजल योजना के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री शेखर गुप्ता व श्री रामराज लोधी निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न कोई नहीं हैं।

[12.56] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 जून, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 25 जून, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 25 जून, 2014 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 25 जून, 2014 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के बाद विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

3-तद्नुसार दिनांक 25 जून, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जून, 2014</u>

25 बुधवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :- (1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (2) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014
26 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)।
27 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
28 शनिवार 29 रविवार	बैठक नहीं होगी।

जून, 2014

30 सोमवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे-आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

जुलाई, 2014

01 मंगलवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

जुलाई, 2014

02 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

03 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

04 शुक्रवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

05 शनिवार
06 रविवार

बैठक नहीं होगी।

07 सोमवार
08 मंगलवार
09 बुधवार
10 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

11 शुक्रवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

12 शनिवार
13 रविवार

बैठक नहीं होगी।

<u>जुलाई, 2014</u>

14 सोमवार
15 मंगलवार
16 बुधवार } वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

17 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

<u>2-3.00 बजे अपराह्न</u>

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

18 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 11 कुछ नहीं है।

[1.02 बजे] उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014†

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 8-7-2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा।

[1.03 बजे] कार्य-स्थगन का प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज कार्य-स्थगन की कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें कुछ सूचनायें ली गयी हैं और कुछ परिवर्तित कर दी गयी हैं। मा0 मौर्य जी, आपकी सूचना प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग द्वारा ढैंचा का बीज उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। इसे मैंने नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है, वक्तव्य आ जायेगा तो उस पर आप पूछ लीजियेगा। आज समय तमाम लोगों की चर्चा का है। बहुत सूचनायें हैं इसलिये इसको नियम-51 में मैंने परिवर्तित कर दिया है। दूसरी श्री प्रदीप माथुर जी का प्रदेश की महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदियों पर जल संशोधन यंत्र न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहे हैं। आपकी बात आ गयी सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया। प्रदेश के लिये महत्वपूर्ण है इस पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहे हैं, आपकी बात आ गई सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया। तीसरा है रघुनन्दन सिंह भदौरिया का....

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, दो मिनट बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब जब सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया है आ गया है। आप नेता हैं, उस पर ध्यान आकृष्ट हो गया अब काहे परेशान हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस समय नदियों का बहुत महत्व हो गया है, नदियां इस समय मां हो गई है और नदियों का प्रदूषण दूर करना, उनको शुद्ध करना, निरन्तर बहते रहना बहुत जरूरी हो गया है इसलिए मान्यवर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि गंगा और यमुना दोनों महत्वपूर्ण नदियां हमारे इलाहाबाद में प्रयाग में हैं और जब तक प्रयाग शुद्ध नहीं होगा। अब नदियां मां हो गई है, मां बुला रहीं हैं, उनको शुद्ध करना है और इसलिए इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है।

श्री प्रदीप माथुर-

इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है मा0 अध्यक्ष जी। इसकी गंभीरता को समझिए मान्यवर, उन्होंने विभाग बना दिये हैं और आप इस पर प्रदेश सरकार का ध्यान भी नहीं आकर्षित करने देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो ध्यान आकृष्ट कर ही रहा हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

इस पर चर्चा कराई जानी आवश्यक है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अभी बजट चर्चा चल रही है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, नदियों को टुकड़े-टुकड़े में शुद्ध नहीं किया जा सकता, केवल बनारस में, केवल मथुरा में, केवल प्रयाग में। शुद्ध नहीं होगा जब तक कि हम गंगोत्री से, यमुनोत्री से अंतिम छोर तक नदियों को शुद्ध न करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात तो आ ही गई है, आपने कह ली है अपनी बात।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बहुंत गंभीर मामला है इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा करायी जानी आवश्यक है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आज बजट पर चर्चा है, उसमें अपनी बात उठाइये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यह राज्य और केन्द्र सरकार का मामला है, केन्द्र सरकार कह रही है कि मैं वाराणसी में शुद्ध करवाऊंगा, जब गंगा गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक यमुना नदी का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक मां कैसे शुद्ध होंगी, निरन्तर कैसे बहेंगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई हैं, अब कुछ नहीं कहना है। आपका सवाल यह नहीं है, आपका सवाल है महत्वपूर्ण नदियों में जल संशोधन यंत्र न लगाया जाना तो इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। सरकार उसको देख लेगी, अब इसमें बहस का कोई समय नहीं मिलेगा।

अरे आज बजट पर चर्चा है, बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं इन्हीं सब में उलझाये रहेंगे। आप मंत्री जी इसमें कुछ कहेंगे क्या, कुछ नहीं कहना है। अब आप लोग बैठे। अब ये रघुनंदन सिंह भदौरिया जी का है, सड़क चौड़ी की जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, कानपुर का यह, यह ज्वलंत सवाल है। आप दो मिनट में अपनी बात रख लें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो समस्या है, आपने उस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर शहर में या प्रदेश के किसी भी शहर में उत्तर प्रदेश के कोई उसका 125-125 का मापन नहीं है। ग्रॉड ट्रन्क रोड इतनी बड़ी बनी है जो 50 और 50 के बीच में इतने बड़े-बड़े मॉल, इतने बड़े-बड़े अस्पताल और इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं। वहां पर कहीं-न-कहीं माफियाओं द्वारा या जिले के अधिकारी मान नहीं रहे हैं और लगातार ये गिराते चले जा रहे हैं, जिसमें कल जो सुखापुरवा बस्ती है, के0वी0ए0 द्वारा उनको बसाया गया है और उनसे उसका डाउन पैसा भी लिया गया है और स्थिति यह है कि जब उसको जबरदस्ती गिरा रहे थे, तो 15-20 घर गिर गये हैं और सबको यह कहा कि आप अपने-अपने सामान निकाल लीजिए। सामान निकाल कर कल हम इस बस्ती को गिरायेंगे। मान्यवर, हुआ यह कि सब सामान निकाला, घर का जब सामान निकल गया तो पंखा, बत्ती घर की सब समाप्त हो गई। कई लोग जब बाहर लेटे थे, जो तोड़ा गया था, उसी में रात में एक रंजीत और राम कुमार वहां लोटे हुए थे। एक डी0सी0एम0 आई और रंजीत कुमार की उसी में मौत हो गई और राम कुमार उसमें घायल हो गया। गरीब घर छोड़कर कहां जायेंगे। मान्यवर, उसमें राम कुमार घायल हो गया है। मान्यवर, जिस तरह से यह कार्यवाही हो रही है उसको तत्काल प्रभाव

से रोका जाये। वहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर करोड़ों की जमीन पूंजीपतियों को बेचने का षड़यंत्र किया जा रहा है। मान्यवर, यह बस्ती केडीए के रिकार्ड में है। आज उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, यह सरकार तो गरीबों की हितैषी होने का दावा करती है, इस तरह से उस बस्ती में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के मकानों को गिराने का जो काम किया जा रहा है उसको रोका जाये। उस बस्ती का नाम सुखापुरवा है। उस अतिक्रमण के नाम उस बस्ती से संलग्न जो बड़े-बड़े मकान हैं वह भी ढहाये जायेंगे। मान्यवर, इस कार्यवाही को अविलम्ब रोका जाये। अब माननीय मुख्य मंत्री जी, यहां पर आ गये है। मेरा कहना है कि जो रंजीत की मृत्यु अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई है उसको 10 लाख रु0 का मुआवजा दिलाया जाये और जो रामकुमार घायल हो गया है उसको पांच लाख का मुआवजा दिलाया जाये। मान्यवर, वहां पर करीब ढाई सौ मकान हैं। यह केडीए की कार्यवाही गरीबों के साथ अन्यायपूर्ण होगी। सरकार को आप अपने स्तर से निर्देशित करें कि इसे रोका जाये और गरीबों को राहत प्रदान की जाये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो बातें माननीय रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी ने कही हैं उनसे अपने आपके सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वहां पर सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को लेकर केडीए द्वारा बस्ती के लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर उनको हटाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, वे लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर बनी बस्ती में रहते हैं और बहुत वर्षों से वहां रह रहे हैं। बड़े ही नियोजित तरीके से हटाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, एक तरफ तो गरीबों की बस्ती को हटाने की बात की जा रही है दूसरी तरफ वहां पर एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम भी है उसने यह आश्वासन दे दिया है कि जैसे ही सड़क बननी शुरू होगी वह अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। मान्यवर, आप देखें यह कैसा अन्याय है गरीबों के प्रति। उन गरीबों के मकानों पर तो बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर उनको वहां से हटा दिया गया तो वह गरीब बेचारे लोग सड़क पर आ जायेंगे और रात वहीं गुजारेंगे जिससे उनका एक्सीडेंट होने का भय सदा बना रहेगा। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि वह वहां पर 40-40 सालों से रह रहे हैं उनको वही पर बने रहने दिया जाये, वह नाली के किनारे बस्ती में रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन गरीबों के साथ पूरा न्याय हो।

संसीद कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बार-बार अपने प्रश्न में अतिक्रमण की बात कही है। मान्यवर, सरकारी जमीन पर तो अतिक्रमण नाजायज है। आज देखा जा रहा है कि ज्यादातर अतिक्रमण सरकारी जमीन पर हो जाता है यह इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में देखा जा रहा है। इस कारण रास्ते बहुत तंग हो गये हैं लोगों के निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मान्यवर, सरकार की जमीन पर प्राइम लोकेशन पर कब्ज़ा किया गया है। मान्यवर, मुझे इसकी सही जगह तो मालूम नहीं है मैं इसकी जांच कराऊंगा और जाती तौर पर इसे देखूंगा। आपने एक व्यक्ति की मौत होने का ज़िक्र किया है इसको दिखवायेंगे कि वह मौत किस कारण से हुई है। आपको भी देखना चाहिए कि आपका निर्वाचन क्षेत्र आपका शहर किस तरह से अच्छा बने और लोगों की सुख सुविधायें बढ़ें। आप 50 लोगों की सुविधा देंगे या पचास हजार लोगों की सुविधाओं को देखेंगे। आप देखें कि आम आदमी को उस अतिक्रमण से कितनी परेशानी हो रही हैं। आप इसमें नफ़ा नुक़सान देख लें कि आपके क्षेत्र के कुछ लोगों को फ़ायदा हो और या फिर बहुत से लोगों को फ़ायदा

पहुंचेगा उस सड़क के चौड़ीकरण होने से। मेरे विचार से विकास के नाम पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आम आदमी के ज़ेहन में इस ख्याल को आज नहीं तो कल पैदा होना चाहिए कि सरकारी सम्पत्ति पर इतनी दिलेरी से वह कब्ज़ा न करें। चाहे अमीर हो गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार की बहुत सी स्कीमें चल रही है जिसमें सरकार मकान बनाकर दे रही है उसके लिए एप्लाई किया जा सकता है और उसमें मकान लिया जा सकता है। लेकिन, ऐसी जगह पर जहां सड़क का चौड़ीकरण हो रहा हो मुझे ठीक से नहीं पता जैसी आपने लोकेशन बताई कि नाली है, पुलिया है, फुटपाथ है उसे चौड़ा किया जाय लेकिन क्या मालूम कि वह चौड़ा करने वाली जगह उसको मिलाने के बाद काफ़ी होती है या नहीं होती है, उसके पीछे क्या है। तो पूरी चीज को देख लिया जायेगा। कोई ऐसी बात नहीं की जायेगी जिससे किसी गरीब के साथ किसी तरह का अन्याय हो। खुद मेरे शहर में आप जानते हैं मैं अतिक्रमण हटाता हूं और उसमें धर्म जाति कुछ नहीं देखता हूं क्योंकि वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं लिहाजा मुस्लिम अतिक्रमण ज्यादा है और वह हटाया जाता है। अभी मान्यवर, एक कालोनी हटनी थी कालोनी नहीं एक पट्टी बना ली थी फुटपाथ पर वहां एक गांधी माल बन रहा है सरकार का, हाईकोर्ट गये, सब लोग साक्ष्य प्रस्तुत किये लेकिन हाईकोर्ट से कोई रिलीफ़ नहीं मिला। आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि अतिक्रमण और सड़कों के चौड़ीकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के बड़े सख़्त आदेश है रोज़ हमें लखनऊ खण्डपीठ से डाइरेक्शन मिलती है। लखनऊ में जिस तरह का अतिक्रमण है निकल नहीं सकते आप, बाज़ारों में पैदल नहीं चल सकते तो आज नहीं तो कल यह कड़वा निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी इस अतिक्रमण से बहुत परेशान है। मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे कहीं कोई ऐसी बात नहीं की जायेगी जिसमें किसी गरीब के साथ कोई अन्याय हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने भदौरिया जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह नियम-56 में नहीं आता है मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

तीसरा है, माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सतीश महाना जी का प्रदेश में मांस निर्यात इकाइयों की बढ़ती संख्या से दुधारू पशुओं के कटान से दूध के कारोबार पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

हो गयी बात अब फिर दोबारा वहीं बात, महाना जी, अपने सदस्यों को तो समझाइये कि बात हो गयी मंत्री जी कह दिये किसी का कोई अहित नहीं होने पायेगा तो यह क्या बार-बार बोल रहे है, बैठिये, जब उन्होंने आश्वासन दे दिया तो फिर क्या वहीं बार-बार।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण समस्या विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या की ओर आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कोई भी किसान अपने

यहां जो उपज होती है अपने घर का उपयोग रोककर तब उसको बेचता है चाहें भूसा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे दलहन हो हमारे यहां परिस्थिति इस वक्त यह आ गयी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश की 53 मांस उत्पाद निर्यात करने वाली इकाइयां हैं। उसमें से 51 इकाइयां सहारनपुर से लेकर के आगरा में है एक इकाई उन्नाव में और एक झांसी में हैं इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावी हो रहा है और आज तो स्थिति यह हो गयी है कि पशुओं को खूंटे से खोलकर मारूतिवैन में टाटा में लादकर जबरदस्ती ले जाते हैं और काट देते है। मैं किसी एक पशु की बात नहीं कर रहा हूं भैंसों की संख्या लगातार घट रही है। दूध जो अब से तीन साल पहले, साढ़े तीन साल पहले 18-20 रुपये लीटर सामने का दूध मिल रहा था आज 60 रुपये लीटर नहीं मिल रहा है और इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि नकली दूध और उसके उत्पादों का कारोबार करने वालों की चांदी आ गयी है, वह जनस्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा कर रहे हैं और आज स्थिति यह है कि आम आदमी गरीब आदमी को अपने बच्चे को दूध का दो घूंट देना बड़ा मुश्किल हो गया है और अगर वह दूध पिला भी रहा है तो नकली दूध पिला रहा है। यह परिस्थिति अज मान्यवर, पैदा हो गयी है और मैं केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मांस उस देश को खपत के लिए प्रदेश की खपत के लिए आवश्यक है मैं उस पर प्रतिबन्ध की बात बिलकुल नहीं कर रहा हूं लेकिन देश से बाहर भेजा जाय और उसके कारण इतने पशु कट रहे हैं कि देश में और प्रदेश में जो संसार में डेनमार्क के बाद नम्बर एक दूध उत्पादक भारत, भारत में नम्बर एक दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश और वहां दूध का संकट खड़ा हो या उसकी आड़ में नकली दूध का कारोबार करने वाले नकली दूध उत्पाद का कारोबार करने वाले बढ़ने लगे तो यह जनस्वास्थ्य को बड़ा गम्भीर खतरा है। एक बात का मैं आभार व्यक्त करता चाहूंगा माननीय नगर विकास मंत्री जी का, मेरठ जिस समस्या से हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे थे माननीय आजम खां साहब ने उसका हल निकाला और वहां जो अवैध कटान हो रहा था वह रूका है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पत्रावली को मंगाकर सरकार देख ले अनुपातिक दृष्टि से भी तो हो पूरे पशु। उत्तर प्रदेश में 51 मांस निर्यात इकाई हैं तो स्वाभाविक है कि पशु कटेगा आगरा से सहारनपुर तक और दूसरी बात है जितना प्रदेश की आवश्यकता हो उतना पशु कटे देश की आवश्यकता के लिए कटे तो भी माना जा सकता है लेकिन निर्यात के नाम पर कटान इतना हो जाय कि पशुओ के खूंटे से चोरी होने लगे और नकली दूध और दूध के उत्पादों की बढ़त हो जाय और जनता के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो जाय, गरीब का बच्चा दो घूंट दूध न प्राप्त कर सके, चाय के लिए भी असली दूध न मिल सके। मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर, ग्राह्यता पर बोलते हुए आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया और आपसे यह मांग करता हूं आग्रह करता हूं कि इस पर सदन का कार्य स्थरित करके चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैंने इस विषय को विधान सभा के अन्दर नियम-51 में भी, नियम-56 में भी उठाया और आपको लिखकर भी कई बार दिया है इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी को भी कई बार लिखकर दिया है। माननीय बाजपेयी जी ने जो विषय उठाया है, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह विषय कटान से सम्बन्धित तो है ही लेकिन यह कानून-व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो 51 इकाई चल रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर किसान के पास जमीन नहीं है, जो 4-6-10 बीघे का किसान है, वह किसी भी जाति बिरादरी या धर्म का हो, न तो वह किसान

है, न मजदूर है और न व्यापारी है। आज लोग 4-6 बीघे जमीन में अपना चारा बोकर, अनाज बोकर और घास काटकर अपनी गाय और भैंस को पालने का काम करते हैं अैर गाय भैंस को पालकर उसका दूध बेचकर वह अपनी आजीविका चलाने का काम कर रहे हैं। आज 7-8-10 किलो दूध की भैंस भी 50-60 हजार रुपये की आती है और यह जो मांस निर्यात इकाई, स्लाटर हाउस, यांत्रिक बूचड़खाने खुले हैं, इनकी स्थिति यह है कि जो छोटा मैजिक आता है, इसे लेकर दिन भर लोग घूमते हैं चूंकि दिन में किसान खेत में काम करता है, रात को वह सो जाता है और यह गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। रात में यह लोग उस पशु को छोटे मैजिक में भरकर ले जाते हैं और उसके बाद उसे यांत्रिक बूचड़खाने यानि स्लाटर हाउस में कटवा देते हैं। यह उस गरीब के साथ जिसने ब्याज का पैसा लेकर भैंस और गाय खरीदी थी और पाली थी, जब उसका पशु चला जाता है तो उसको लगता है कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गयी। मेरी विधान सभा के अन्दर तीन प्रोसेसिंग प्लान्ट हैं। मैंने लिखकर दिया तो जवाब यहां से आया कि कोई प्रोसेसिंग प्लान्ट या इकाई वहां नहीं है। एक 1500 पशु काटने की एन0ओ0सी0 उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी। इससे 1500 पशु एक दिन में कटेंगे और मैंने पिछली बार भी इस विषय को उठाया कि जहां यह स्लाटर हाउस खुल रहा है, ढाई कि0मी0 की दूरी पर वहां गंगा जी बहती हैं। साढ़े 750 मी0 की दूरी पर विशनोई समाज का एक मंदिर है जहां मेला लगता है। माननीय अध्यक्ष जी वहां यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। लेकिन वहां पंचम तल से फोन जाता है। हम धरना-प्रदर्शन करते हैं उसको रोकने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है और पर्यावरण से जुड़ा प्रश्न है। इसको खोलने से किसी एक व्यक्ति को लाभ हो सकता है। लेकिन सम्पूर्ण जिले को इसका नुकसान है। इसमें मैं आपको इसका थोड़ा अर्थशास्त्र बता देना चाहता हूं। पशु कटान का जो पशु है वह 10 से 12 हजार का मिलता है और यह जो अल्पसंख्यकों की हिमायती सरकार बनती है यह उनकी हिमायती सरकार भी नहीं है। चूंकि जब मांस एक्सपोर्ट होगा तो मांस उत्तर प्रदेश के अन्दर मंहगा होगा। जो अभी तक 40-50 रुपये किलो मांस मिलता था, आज वह 150 रुपये किलो मिल रहा है और यह यांत्रिक बूचड़खाने लगते चले जायेंगे, पशु कटता चला जायेगा तो मांस की कीमत लगातार बढ़ती चली जायेगी। यानी कि मा0 अध्यक्ष जी, यहां हिन्दुस्तान में वह 37 हजार 500 रुपये का बैठता है और जब विदेश जाता है तो 650 रुपये प्रति किलो मिलता है। एक पशु में ढाई सौ किलो, ढाई क्विंटल मांस निकलता है यानी कि 1 लाख 62 हजार 5 सौ का मांस निकलता है और 1 लाख 62 हजार 5 सौ को अगर हम 1500 से गुणा करते हैं तो यह 24 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये प्रतिदिन का बैठता है। इससे किसी एक को तो फायदा हो सकता है लेकिन बाकी सभी को नुकसान होता है इसलिये मान्यवर, इस एन0ओ0सी0 को कैंसिल किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो बात कही गई है मैं उसे पुनः नहीं कहूंगा। मान्यवर, जो स्लाटर हाउसेज हैं, इसके कारण जैसा कि मा0 बाजपेयी जी ने संसदीय कार्य मंत्री जी के लिये कहा कि इन्होंने वहां पर बन्द कराया। मान्यवर, कुछ स्लाटर हाउसेज हैं जिनकी जांच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई कि मांस के लोथड़े नाली में आ रहे हैं, खून आ रहा है और उसके कारण वातावरण भी खराब होता है। मान्यवर, जो जांच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई है उसकी कापी मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भिजवा देता हूं, उस पर आप कार्यवाही कर दें, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस गम्भीर प्रश्न पर सदन में कई बार चर्चा हुई है और सदन के सभी सदस्य खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बातों पर मेरा विचार क्या रहा है। मेरठ का बाजपेयी जी ने जिक्र किया जिस तरह का माहौल था और जितनी गन्दगी थी और वह राजनैतिक मुद्दा भी था। यह अलग बात है कि नतीजे क्या हुए लेकिन जो लोग उस मुद्दे से बहुत फायदा उठाते थे वह मुद्दा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन वहां से उन कमेलों को खत्म किया गया। जब मैंने इस पर आखिरी निर्णय लिया कि ऐसा करना है तो मुझे बहुत बड़े अधिकारी का फोन आया और उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं होगा। उस पर मुझे यह कहना पड़ा कि जब मैं यहां आकर बैठूंगा तो यह सम्भव होगा और वह हो सका। सिर्फ एक ही मंशा नहीं थी कि हम किसी को बेरोजगार कर रहे हैं, आस्था की बिना पर किसी को खुश करने या किसी को गमजदा करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। वहां लड़कियों का एक कालेज बनाने का निर्णय लिया गया और सिर्फ उस जमीन को खाली ही नहीं किया गया बल्कि जैसे ही वह जमीन खाली हुई वहां लड़कियों का कालेज बनना शुरू हो गया और वह तकरीबन मुकम्मल भी होने वाला है। मान्यवर, यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कहें तो क्या, न कहें तो क्यों न कहें। दुनिया की आबादी का ज्यादातर हिस्सा गोश्त खाता है और गोश्त खाना उसकी मजबूरी इसलिये भी है कि दालें और सब्जियां इतनी नहीं उपलब्ध कराई जा सकती कि पूरी दुनिया उसे खाकर जिन्दा रह सके। इसे धार्मिक निगाह से मत लेकर जाइये। यह भी सच है कि बहुत से जानवर ऐसे हैं जिस पर कोई विवाद नहीं है। जिन जानवरों के लिये विवाद है कि यह नहीं कटना चाहिए, वह नहीं कटना चाहिए और उसके लिये सरकार की तरफ से कोई सफाई और कोई बचाव नहीं है। लेकिन जो जानवर काटे जा सकते हैं उन जानवरों का जो नहीं काटे जाने चाहिए उसका सहारा लेकर उसको रोकना, यह भी उचित नहीं है। मा0 सदस्य ने जो असल बात कही है इससे सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है कि ये कारखाने चलें या न चलें और इसका निर्णय कौन ले। मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि इन कारखानों से जो गोश्त के पैकेट्स बनते हैं और वह एक्सपोर्ट होते हैं, विदेशों को जाते हैं उससे गरीब आदमी चाहे वह उस बिरादरी का हो जो जानवर काटकर गोश्त बेचता है उसे बहुत मंहगा जानवर मिलता है। बड़े जानवर का गोश्त न कोई सम्पन्न व्यक्ति खाता है और न कोई पढ़ा-लिखा खाता है, बड़े जानवरों का गोश्त अल्पसंख्यक मुसलमान खाते हैं, पिछड़े खाते हैं और दलित खाते हैं और उन्हें इससे कोई एतराज नहीं होता कि वह किससे ले रहे हैं गोश्त। वह सब्जी नहीं खरीद सकते, वह दाल नहीं खरीद सकते। इसलिये उनकी मजबूरी है अपनी गरीबी की बिना पर और शायद याद हो, इसी सदन में मैंने कहा था लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं विपक्ष में था, मैंने यह बात कही थी कि अगर सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पर दुकानें खोल दें...

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मुझे आपत्ति है, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं आपने कहा कि पिछड़े खाते हैं, दलित खाते हैं, ये पिछड़े और दलित की क्या कैटेगरी है हिन्दू पिछड़े दलित हैं या कोई और ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, मुसलमान दलित।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम दलित।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम आपको क्यों कहेंगे ? मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसे आस्थाओं से मत जोड़िये और जो समस्या है उसका हल निकालिये। अगर मात्र इसे राजनीतिक निगाह से देखेंगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी मेरठ के कमेले हटवाने की क्योंकि वह मुसलमानों के थे, उससे सारी कमाई एक खास वर्ग की थी। अगर ईमानदारी से बाजपेयी जी आज भी कह सकें तो यह कहें कि निर्णय कैसा था और मेरे अलावा क्या यह निर्णय कोई और ले सकता था। तो इससे मुझे वाकई इस बात का दुःख है कि आपने इस चीज को गलत रंग देने की कोशिश की। हर चीज को चोटों से मत जोड़िये। अगर आप समाधान नहीं चाहते हैं तो मैं अपनी बात यहीं रोकता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि पिंक रेवोल्यूशन की बात आयी थी, वह पिंक रेवोल्यूशन क्या है हम नहीं जानते। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मौके पर यह भी कहा था कि जाहिर है कि जानवर कटेगा तो खाल मिलेगी, मैं उन जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रतिबन्धित हैं और तभी जूता पहनेंगे। लेकिन अक्सर यह होता है कि जब हम जूता खरीदने दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि कोई अच्छे चमड़े का जूता दीजिए। तो अच्छा चमड़ा तो मुश्किल से मिलता है, अच्छा जानवर भी मुश्किल से मिलता है। तो पिंक रेवोल्यूशन लाने के लिये और जो खास बात आयी है कि इन कारखानों से गोश्त एक्सपोर्ट होता है। जैसा मैंने कहा, जिस पर हमारे भाई को एतराज हुआ, हम कहते हैं कि हम लोग खाते हैं और उसके खाने की बहुत सी मजबूरियां हैं एक रिक्शा चलाने वाला, सड़क पर काम करने वाला सब्जी और दाल खरीदकर नहीं खा सकता। वह अपने घर में बहुत थोड़ा सा गोश्त ले जाता है और उसकी घरवाली उसमें पानी मिलाकर, नमक-मिर्च डालकर शाम और अगले दिन के लिये बच्चों के वास्ते बनाकर रखती है तो इसको इस समस्या के तौर पर भी देखा जाए। यह सामाजिक समस्या है, धार्मिक नहीं है। अगर यहां इन कारखानों से कटने के बाद सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिये बेचा जाए तो बहुत साफ-सुथरा और बहुत सस्ता गोश्त मिलेगा। लेकिन यह गोश्त विदेशों को जाता है और सारा लाभ विदेशी उठाते हैं और जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है वह राज्य सरकार को नहीं, भारत सरकार को मिलती है। मैं समझता हूं कि इस बहस में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक आदेश से कि गोश्त एक्सपोर्ट नहीं होगा अगर यह पालिसी केन्द्र सरकार अपना ले तो सारे कारखाने अपने आप बन्द हो जायेंगे। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाई गयीं।) गुड़ खायेंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है पिंक रेवोल्यूशन लाने वाले आज ही घोषणा करें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का यह बहुत बड़ा योगदान होगा कि आज गोश्त के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। यह देश की सबसे बड़ी खबर होगी। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाई गयीं।) मान्यवर, मैं पहला व्यक्ति रहूंगा जिस वक्त यह निर्णय लिया जायेगा, इसी सदन में मैं पहला व्यक्ति रहूंगा जो मुख्य मंत्री जी के आर्शीवाद से यहां पर धन्यवाद का रेवोल्यूशन लेकर आऊंगा। (डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री दलवीर सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सुन तो लीजिये, मैंने यह कहा था कि देश के और प्रदेश के गोश्त खाने वालों के लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कटना चाहिए, मैंने खुद यह बात कही थी।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी ने कहा था। दलवीर जी आप कहां चले आ रहे हैं वहीं अपने आसन पर बैठें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दूध सबको चाहिए चाहे वह किसी धर्म या पंथ का हो। मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन...

श्री अध्यक्ष-

आपको प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है उसके अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि मांस के निर्यात पर पाबन्दी लगाई जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा न इसकी अनुमति दी जाएगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की यह बात मान ली जाए कि सदन यह रेजोल्यूशन लाए तो सदन यह रोजोल्यूशन भी लाए कि रेल का बढ़ा हुआ किराया वापस किया जाय। नवाब शरीफ के कारखानों से चीनी लेने का जो समझौता हुआ है उसके नतीजों में चार रुपये किलो गरीब की चीनी मंहगी हुई है यह समझौता रद्द किया जाय दालें सस्ती की जाएं सब्जी सस्ती की जाय और ट्रेन हादसों में मरने वालों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय। यह रेजोल्यूशन भी लाया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रस्ताव को न तो अनुमति दी गई न ही वह कार्यवाही का अंग बनेगा। बाजपेयी जी अब बैठिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सत्ता को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब सारी बातें आ गई।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो बातें आईं उसी का तो जवाब देंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

हमने किसी की बात नहीं मानी अब आप बैठिये। मैंने कह दिया कि कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा।

श्री सतीश महाना-

आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वह सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब यह लिखा नहीं जाएगा। अवध पाल शर्मा जी अपनी बात करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसका खण्डन हो जाना चाहिए क्योंकि माननीय नेता जी तीन बार इस सदन में मुख्य मंत्री की हैसियत से रह चुके हैं, पार्लियामेंट में कोई इस तरह की बात नेता जी की जुबानी नहीं आई है मैं इसका कड़ा खण्डन करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक अनुरोध है सरोज जी को एक आवश्यक बैठक में जाना है इसलिये इनको दो मिनट पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

उस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है सरकार का।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

दो मिनट सुन लें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं साथ ही साथ नगर विकास मंत्री भी हैं जनपद कौशाम्बी में मंझनपुर नगर पंचायत है। 2012 के आम चुनाव में श्रीमती हाशिमी बेगम नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। मान्यवर, उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार भी विधिवत् ग्रहण किया था और सुचारु रूप से काम चल रहा था। इधर 2013 से वह लापता है और उनके विषय में ऐसी खबर भी छपी, पेपर में भी छपा। 12 सभासदों में से 8 सभासदों ने लिखकर दे दिया कि वह इलाज कराने मुम्बई गई थीं वहां उनकी मृत्यु हो गई। यह जब डी0एम0 के संज्ञान में आया, लोगों ने लिखकर दिया, सभासदों ने लिखकर दिया तो डी0एम0 ने उनके घरवालों से तलब किया कि नगर पंचायत अध्यक्ष को यहां पर बुलाया जाय कि वह जिन्दा है या कुछ और हो गया। उनके घरवालों ने एक महिला को वहां पर ले जाने का काम किया। डी0एम0 ने साफ कह दिया कि तुम वह नहीं हो। उन्होंने हस्ताक्षर मिलाया, फोटो देखा और फिर मनाकर दिया कि तुम वह नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं हो। इसके बाद मान्यवर, उन्होंने वहां का खाता सीज कर दिया। मान्यवर, 6 महीने से वहां का खाता सीज है। न कोई बैठक हो पा रही है वहां पर, न विकास के कार्य हो पा रहे हैं वहां पर। डी0एम0 ने जो वहां पर कमेटी बनाई है कमेटी कोई रिपोर्ट भी नहीं दे

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रही है, न स्पष्ट कर पा रही है कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं कहां पर। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं नगर विकास मंत्री भी हैं यहां पर। मेरे पास पूरी फाइल है। आप कहेंगे तो पहुंचा दूंगा आपके पास। इसकी जांच करा ली जाय। या तो वह कमेटी रिपोर्ट दे दे या शासन की एक कमेटी बना कर यह स्पष्ट हो जाय कि नगर पंचायत अध्यक्ष जिन्दा हैं या नहीं। जिससे जनता का काम हो सके। मान्यवर, मैं इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, दिखवा लीजिये इसको।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी जानकारी में है बहुत हद तक लेकिन ऐसा मामला है जो मैं अभी यहां नहीं कह पाऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको अलग से एक-दो दिन के अन्दर जानकारी दे दूं। आप मुझे अलग से दे दीजियेगा।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा यह विषय अलीगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

अब वह प्रश्न समाप्त हो गया, अब फिर न उसको उभारिये।

श्री अध्यक्ष-

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न को सदन में रखा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है इसका एक मात्र उपचार यह है कि जब तक भारत सरकार इस निर्यात पर रोक नहीं लगायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपके इस विधान सभा का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाय। आप हर बात में सलाह देते हैं। चलिये बैठिये।

श्री दलवीर सिंह-

मैं अच्छी-अच्छी सलाह दूंगा और मेरी सलाह ही सबसे व्यावहारिक होगी। यह स्लाटर हाउस सबसे ज्यादा अलीगढ़ में है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लिखकर दे दीजियेगा। अमर पाल शर्मा जी दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री अमर पाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यह...

श्री अध्यक्ष-

जल्दी से दो मिनट में अपनी बात कहिये उसके बाद आगे का विषय लिया जाय।

श्री अमर पाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। जब हम लोग चुप बैठे रहते हैं तब आप नहीं देखते हैं। एक प्रश्न पर यह 10-10 लोग बोलते हैं, तब आप दस को मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आरोप न लगाइये। आप सबसे ज्यादा बोलते हैं।

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह जो पब्लिक स्कूल है जितने भी पब्लिक स्कूल है प्रदेश के अन्दर खास तौर से हमारे एन0सी0आर0 में इन्होंने एक तरीके की मनमानी मचाई हुई है। हर साल फीस में 40-50 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं और यह नहीं जो बच्चा रेगुलर वहां पर पढ़ रहा है, जब वह अगली साल दूसरी क्लास में जाता है उससे भी अलग से एक सरचार्ज वसूल करते हैं। हर साल बिल्डिंग का एक अलग से सरचार्ज वसूलते हैं। जिसकी वजह से आज प्रदेश की स्थिति यह है कि जो नई पीढ़ी है, नये बच्चे हैं वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर चर्चा कराई जाय और इसके लिये अलग से एक कमेटी गठित की जाय कि जिन स्कूलों को हमने फ्री में जमीनें दी थीं, 500 रुपये गज में जमीन दी थी वह आज 15-15 हजार रुपये सेकेण्ड व फोर्थ क्लास के बच्चों से फीस वसूल कर रहे हैं। आज हर अभिभावक परेशान है कि वह कहां से इतनी फीस दे बच्चों की। हमारे गाजियाबाद के अन्दर अभी कई स्कूलों ने मनमानी तरीके से बच्चों को स्कूल से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुद पहल करते हुए उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये तब वह बच्चे स्कूल के अन्दर गये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा भी कराई जाय और उन पब्लिक स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाये कि हर साल 5 प्रतिशत या 2 प्रतिशत से ज्यादा फीस न बढ़ा सकें ताकि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और बेरोजगारी भी।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, हो गई। बात आ गई।

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें एक कमेटी बनाकर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठिये तो। सरकार का पक्ष आने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है और पिछले साल मैंने...

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है और पिछले साल मैंने अपने यहां सेण्ट मैरी स्कूल में एक बच्ची की सिफारिश कराई तो मुझे यह जवाब दिलवाया, प्रिंसिपल साहिबा ने कि जाओ तुम्हारे मंत्री ने यूनिवर्सिटी बनायी है, एक स्कूल भी क्यों नहीं बना लेते। मैं जानता था कि स्कूल बनाना बहुत कठिन काम है लेकिन हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और एक साल तक हम अपनी इस कोशिश में लगे रहे और पिछले दिनों हमने सांसद डिम्पल जी को बुलाकर उसका उद्घाटन कराया और मात्र साढ़े तीन सौ रुपया फीस है और उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई स्कूल ऐसा होगा, जहां वैसा फर्नीचर होगा, बच्चों के लिये एक-एक लाख रुपये का खिलौना हम लाये हैं लेकिन लाए इस तरह है और मात्र साढ़े तीन सौ रुपया फीस जैसा मैंने आपको बताया, जिसके मां-बाप नहीं हैं, उसकी पढ़ाई फ्री उसकी ड्रेस और उसकी किताबें मुफ्त और मां-बाप में से एक नहीं है तो 50 प्रतिशत और साढ़े तीन सौ रुपये फीस के बावजूद भी बहुत अच्छा, बहुत स्टैण्डर्ड का हमारा स्टाफ है और शायद यह गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड होता कि डिम्पल जी के उद्घाटन के बाद हमें पुलिस लगाकर लाइन लगानी पड़ी, तकरीबन 1200 लोगों ने पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराया। आज जिसकी तादाद कई हजार है। हमें भी इस तरफ कुछ सोचना चाहिए। यहां सब सदस्य जिम्मेदार बैठे हैं, अगर हममें से 5-5, 10-10 लोग मिलकर को-आपरेटिव बेसिस पर इस तरह के स्कूल बनाना शुरू करें, अपने उस समाज के लिये जिसमें हम रहते हैं, जिसके लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की जो मोनोपोली है, इन लोगों की वह मोनोपली बहुत आसानी से टूट जायेगी, हमारे बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों में न पढ़कर अपने स्कूलों में पढ़ेंगे। तो पहला तो यह है कि हम इस चैलेंज को कुबूल करें और सही सूरतेहाल यह है कि मैं अच्छी तरह परिचित हूं, खुद मेरे शहर में ही इस तरह के जो स्कूल चल रहे हैं, वह हर रोज किसी बैग में नहीं, बल्कि बोरों में नोट भरकर लेकर जाते हैं और आज यह सेवा का काम नहीं है, यह बिजनेस है, इन्डस्ट्री है और इस इन्डस्ट्री से जब उलझने चलिए तो आपको कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि कमिश्नर साहब का बच्चा भी वहीं पढ़ता है, डी0एम0 साहब का बच्चा भी वहीं, एस0पी0 साहब का बच्चा भी वहीं, दरोगा जी का भी वहीं और नेता जी का भी वहीं और उद्योगपति का भी वहीं। तो इस कॉकस को कैसे तोड़ा जायेगा, यह मुश्किल तो जरूर है लेकिन यह नामुमकिन नहीं है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। माननीय नेता सदन यहां बैठे हैं और वह इस बारे में एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, उसको अभी नहीं बताया जा सकता और हम समझते हैं कि बहुत हद तक इस समस्या का निदान हो सकेगा। सरकार इससे चिन्तित है और परिचित भी है और इन लोगों की मोनोपोली और ऐसे स्कूल जहां बहुत ज्यादा फीस ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई सम्मान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इतने प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला दिया जायेगा, जब प्रिसिंपल से पूछिए या डीआईओएस को भेजिए तो जवाब यह मिलता है कि हमारे पास कोई गरीब आता ही नहीं है। जब गरीब आयेगा ही नहीं तो गरीब राहत कहां से पायेगा, यह जवाब मिल जाता है। तो न सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं, न सरकार का आदेश मानते हैं, इसलिए कि इन स्कूल को चलाने के लिए मदद भी कहीं न कहीं हमारे ही हाथों से जाती है लेकिन इसका इलाज करने के लिए एक बड़ा निर्णय मा0 नेता सदन ने लेने का इरादा किया है। हम समझते हैं कि आज उसका स्वागत होना चाहिए। सरकार चिन्तित है और इस समस्या का निदान किया जायेगा।

[1.50 बजे] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष-

अब कोई बात नहीं, अब सारे अस्वीकार अब वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर चर्चा। श्री जाहिद बेग जी, चर्चा प्रारम्भ करिए।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये।

श्री जाहिद बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट कहता हूं। मान्यवर, 18 जून को बजट सत्र के प्रथम दिन भाजपा के साथियों ने विधान सभा के बाहर जिस तरीके का व्यवहार किया, मा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, जो इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं के नेतृत्व में आप के आने के परम्परागत रास्ते को रोककर जिस तरह से प्रदर्शन किया वह लोकतांत्रिक मान्यताओं, संसदीय परम्पराओं के साथ क्रूर मजाक है। इन्होंने उस दिन सारी सीमाओं एवं मर्यादाओं को तोड़ दिया। बाजपेयी साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे कामों का सकारात्मक सहयोग सदन को चलाने में किया जाना चाहिए। भाजपा के साथियों को सरकार के अच्छे कामों में भी खामियां नजर आती हैं। इनको तत्काल अपने चश्मे का नम्बर बदलवा लेना चाहिए। मान्यवर, विरोध पक्ष के साथियों को अपने अन्दर झांककर देखना चाहिए कि वह जिन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें व समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या फर्क है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। लैपटाप वितरण, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, हमारी बेटी उसका कल आदि लोकप्रिय कार्यक्रमों से लाभान्वित किया। जिन योजनाओं का दूसरे प्रदेश भी नकल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है वह करती भी है। बजट में किसानों, नौजवानों, विद्यार्थियों, मजदूरों, शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारियों सभी को कुछ न कुछ दिया गया है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी अपने मूल दर्शन समाज के सबसे अंतिम गरीब की झोपड़ी में चिराग जलाने की बात करती है उसी कड़ी में मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट में कहा कि हाशिये पर रहने वाले मोची को हम मुफ्त जमीन व घर देंगे। पूरे सदन को इसका स्वागत करना चाहिए। बिजली, सड़क, पानी पर भी बजट में भरपूर व्यवस्था करके एक नया आयाम दिया गया हैं। विरोधी दल के साथियों ने केवल कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर सदन तीन दिन नहीं चलने दिया। जिसको प्रदेश की जनता देख रही है। मान्यवर, मैं आपके समक्ष नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के दस्तावेज पेश करते हुए कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में रेप का प्रतिशत 9.7 है। छत्तीसगढ़ में रेप 8.4 प्रतिशत। दिल्ली में जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों का राज चल रहा है वहां पर रेप 8.3 प्रतिशत। राजस्थान में 6.9 प्रतिशत, हरियाणा में 5.6 प्रतिशत, झारखण्ड में 5.2 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 3 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 प्रतिशत है। तो भाजपा, बसपा क्यों हल्ला मचा रहे हैं। (इस समय 1 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन

† दिनांक 28 जून, 2014 की कार्यवाही से।

हुआ) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो गुजरात माडल की बात करते हैं। गुजरात 17 नम्बर पर है, छत्तीसगढ़ पांचवे नम्बर पर है, मध्य प्रदेश 14 नम्बर पर है, महाराष्ट्र 15 नम्बर पर है और उत्तर प्रदेश 26वें नम्बर पर है। यह रिकार्ड हमारा नहीं है। यह रिकार्ड सरकार का रिकार्ड है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांककर देखें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े दुःख की बात है कि जो लोग बलात्कार की बात करते हैं। चुनाव आयोग का रिकार्ड देख लीजिए। भाजपा के 86 सांसदों के ऊपर रेप मर्डर और संगीन अपराधों में मुकदमें चल रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के रिकार्ड के अनुसार भाजपा के 86 संसद सदस्यों के ऊपर रेप व मर्डर, अपहरण जैसे जघन्य अपराधिक मुकदमें हैं, इनके एक केन्द्रीय मंत्री निहाल चन्द्र मेघवाल को अदालत ने रेप जैसे मामले में नोटिस जारी किया है, इनकी पूरी सरकार ही कटघरे में खड़ी है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक काम के कारण जेल जाना पड़ा। भाजपा के एक और मंत्री जो कि जबलपुर के प्रभारी मंत्री हैं, गौरी शंक विपयन पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अदालत ने लोकायुक्त से जांच कराने का आदेश दिया है। मान्यवर, यही इनका असली चाल, चिन्तन और चरित्र है।

मान्यवर, जिस गुजरात की तारीफ करते ये लोग नहीं थकते, उस गुजरात से चुनकर देश के प्रधान मंत्री बने मोदी जी के गृह प्रदेश गुजरात की विधान सभा में दिसम्बर, 2012 के चुनाव में 57 विधान सभा के सदस्य अपराधिक हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहे हैं, बावजूद इसके यह प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। मैं आज आंकड़ा लेकर के आया हूं, अगर किसी को शक है जिसने मेरा नाम लिया है, मैं चैलेन्ज करता हूं कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमें कायम है, अगर चुनौती देना हो तो भाजपा के लोगों मैं उसके लिए भी तैयार हूं, आज भाजपा के ये नेता जी अब इधर-उधर देख रहे हैं, हर मामले में इनकी टांग अड़ाने की आदत सी बन गयी है। इसके पीछे भाजपा नेता को रात में सपना आया कि विरोध के अलावा कोई काम मत करो। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, विरोध का स्वर इतना तेज करो कि सरकार बर्खास्त हो जाय व मुख्य मंत्री बन जाऊं, इन्हें मुख्य मंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जाहिद बेग-

मान्यवर, बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, मा0 बाजपेयी जी जो इनके वरिष्ठ नेता है ये मुख्य मंत्री का सपना देख रहे हैं, आज जिस तरह से सदन के अन्दर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इनको घेरा है, उनकी बोलती बन्द हो गई है, उनकी नीयत साफ हो गई है कि वह बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं जिनके नाम पर यह वोट मांगते हैं, उनकी भी नहीं सुनते। भाजपा के लोगों ये सपना प्रदेश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दिन में सपने देखना बन्द करो।

मान्यवर, भाजपा ने मंहगाई के मुद्दे पर केन्द्र में सरकार बनाई है, भाजपा ने रेल किराये में वृद्धि एवं मालभाड़ा में वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थो, चीनी, गैस एवं अवाम के आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं के दामों में वृद्धि करके देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। केवल ईजारेदार घरानों

(कारपोरेट घरानों) से किये गये वादों को पूरा किया, यह इनका अच्छे दिन का नारा था, जनता की पीठ पर लात मारकर ये अच्छे दिन ला रहे हैं।

मान्यवर, बसपा नेता विरोधी दल बहुत परेशान हैं, इनके तीन मंत्री अभी जेल में हैं, अगर ये पांच साल भ्रष्टाचार के अलावा जनता के लिये कुछ काम किया होता तो प्रदेश की ये हालत और इनकी ये हालत न होती।

मान्यवर, कांग्रेस के साथी भी इन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं, अगर हमारी पार्टी ने इनका साथ न दिया होता तो प्रदेश में जीरो होते। इनके कुकर्मों की सजा हमको भी भुगतनी पड़ी। इनके कारनामों को तो सारा देश व सारी दुनिया जानती है, फिर भी नैतिकता की बात करते हैं।

मान्यवर, जहां तक प्रदेश के सारे जिले व पूर्वांचल में पैसा न देने की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में हमारा जिला भदोही भी आता है, जहां पर कारपेट उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 170 करोड़ की लागत से पहली बार हमारी सरकार ने फोर लेन भदोही से बाबत मार्ग तक दिया, जिले में लगभग 80 किलोमीटर सड़क जो खराब थी, उसका कार्य चल रहा है और भदोही हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो ओवर ब्रिज दिया, कार्य शुरू है। इस बार के बजट में कारपेट मेला ग्राउन्ड के लिये 15 करोड़ रुपया बजट में व्यवस्था किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, अब इनका कुछ लिखा नहीं जायेगा। मा0 सदस्य श्री जी0एम0 सिंह जी आप अपनी बात रखें।

श्री जाहिद बेग-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझको मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने आपको हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो मा0 मुख्य मंत्री जी को अपना सुझाव दिया उसका समर्थन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता चले गये। ये तो बड़ा सही है कि केन्द्र सरकार से जो बजट देश की जनता के सामने आया, उससे अच्छा उत्तर प्रदेश का बजट है। इसमें मुझको स्वीकार करने से काई गुरेज नहीं है। जो आप केन्द्र से दे रहे हैं रेल भाड़े में वृद्धि दे रहे हैं, डीजल के दामों में जो वृद्धि आप दे रहे हैं जो आप कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि अभी तो केन्द्र का बजट ही नहीं आया है।)

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

बजट नहीं आया है आपका इण्डीकेशन आ रहा है। सुनिये उसको दूसरे तरीके से इण्डीकेशन जो आ रहा है। बजट आ जायेगा तो जनता बार-बार चिल्लायेगी, आपको चौराहे पर खड़ा नहीं होने देगी। बजट आने दीजिये, सुनिये ध्यान से। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब यह उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी और तमाम नेताओं ने कहा कि इस सरकार के पास विजन नहीं है लेकिन उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप,

कन्या विद्या धन उसको प्रथम प्राथमिकता लेते हुए बहुत जबर्दस्त जोर दिया था उस समय अच्छा लगा था हमारे नौजवानों को, हमारे भाईयों को, हमारी बहनों को लेकिन शायद ये अन्दाजा नहीं था कि यह योजना 2014 के चुनावों को देखते हुए है। परिणाम अपेक्षित नहीं आये और इसको रोकने का कार्य मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है। हमारे नौजवान भाई और बहनें काफी दुखित हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उनके दिल पर मरहम लगाने की कोशिश करें। नहीं तो अभी तो अपेक्षित परिणाम नहीं आये हैं, इसका खामियाजा और भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में कानून-व्यवस्था पर तमाम चर्चायें हुयी हैं और मैं यह भी देख रहा हूं कि सिर्फ आरोप लगाने का काम, मैं दूसरी बार विधायक हूं। जब मेरी सरकार थी 15 दिन में एक बलात्कार की सूचना आती थी टेलीविजन पर तो 15 दिन तक उसको लगातार मुद्दा किया जाता था लेकिन आज 15 बलात्कार पर डे के एवरेज से हो रहा है। कानून-व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गयी है और यह भी सही है कि मा0 मुख्य मंत्री जी जितना प्रयास सही करने का होना चाहिये, कर रहे हैं लेकिन कोई कण्ट्रोल नहीं हो रहा है। कण्ट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी यहां से चले गये। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता कि पक्ष विपक्ष के विधायकों से बैठकर बात करें कि लाख प्रयास होने के बाद भी इस ग्राफ में गिरावट क्यों नहीं आ रही है। इस पर सिर्फ आरोप लगाने की बात नहीं है बल्कि एक सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ताकि इस पर हम लोग चाहे हम रहें सत्ता में, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में रहे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, जब सामने स्थिति आये तो इससे निपटने की व्यवस्था हो सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां तो सुझाव नहीं दिया जा सकता सदन में लेकिन ऐसे सुझाव हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में बलात्कार, हत्या, लूट रोकने के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा भी बहुत पहल की गयी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बहुत पहल की जा रही है लेकिन नहीं रुक रहा है। मान्यवर, मेरा इसमें नजरिया दूसरा है। कानून बनाने वाले जब दिल्ली में बैठ करके कानून बना रहे हैं जितना उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है उससे ज्यादा इस कानून का दुरुपयोग करने वाले इस देश में और इस प्रदेश में पैदा हुए हैं। मान्यवर, इसको रोकने के लिए क्या ग्रासरूट लेविल पर क्या समस्यायें हैं उस पर जब तक किसी का ध्यान नहीं जायेगा यह अपराध रुक नहीं सकता है। आरोप लगाना एक अलग बात है। हमारे भाई अभी तमाम भाजपाई नेताओं पर आरोप लगा दिये, कोई विधायक पर लगाया, कोई बसपा के नेता पर लगाया। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि कैसे-कैसे आरोप चल रहे हैं। कैसे-कैसे राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया जा रहा है एक दूसरे को। कैसे-कैसे क्या हो रहा है। आज ऑन लाइन शिकायत की बात को मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, उनकी इस पहल का मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस बात के लिये भी मुख्य मंत्री जी को सचेत होना पड़ेगा कि जब पट्टेदारी का झगड़ा हो रहा है, जमीन का झगड़ा हो रहा है। पहले एप्लीकेशन पढ़ते थे कि हमारे पट्टेदार हमको मार करके हमारी बाली छीन लिये, हमको कट्टा दिखा दिये आज उस एप्लीकेशन के साथ-साथ यह भी पढ़ रहे हैं कि हमारे साथ बलात्कार किया, हमारे साथ छेड़खानी की। इस कानून का दुरुपयोग बहुत जबरदस्त हो रहा है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

आपका सुझाव आ गया है, मा0 सदस्य और भी वक्ता हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, कृपया आप समाप्त करिये।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, अभी हमारी बात नहीं आई, मान्यवर, देखिए। मान्यवर, क्षेत्र की समस्या तो आने दीजिय।

श्री रामलाल अकेला-

एक सेकेण्ड आप बोलिये, हम आपको रोक नहीं रहे हैं लेकिन जिस शब्द का आप बार-बार प्रयोग कर रहे हो। आपके नेता प्रतिपक्ष भी उस शब्द का कई बार प्रयोग करते रहे। महिला सदस्यों ने कल भी आपत्ति की। बार-बार उस शब्द को रिपीट करना ये अच्छी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात एक मिनट में कहिए।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

(अन्य सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) वो कई बार रिपीट किये, नहीं कुछ बोले। कितना कुछ बोल गये, तब भी कुछ नहीं बोले।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप अपनी बात कहिए।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूर्वांचल के विकास के लिये उन्होंने 271 करोड़ रुपये पूर्वांचल विकास निधि के लिये देने का काम किया है, वह कम है। उतने में पूरे पूर्वांचल का विकास नहीं हो सकता है। इसको बढ़ाये जाने की जरूरत है, साथ ही साथ गोरखपुर मेडिकल कालेज में मीडिया के माध्यम से सरकार को पता है कि बहुत से बच्चे मर रहे हैं मात्र 68 करोड़ रुपया दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

काफी समय ले लिया।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, मात्र दो मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त। अब समाप्त करिये, आपको 10 मिनट हो गये हैं। दो-दो मिनट का समय सबको दिया जाना है, अब समाप्त करिए। ये अच्छी बात नहीं है।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, आधा मिनट दे दें। मान्यवर, हमारे यहां बी0एम0सी0टी0 रोड है जो एन0एच0 और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच के लफड़े में फंस गई है। उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है एन0एच0 की वजह से। एन0एच0 कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि एन0एच0 का मामला है। गाड़ियां पलट जा रही हैं, तीन-चार लोग मर चुके हैं। बहुत ही गम्भीर मामला है मा0 मुख्य मंत्री जी तथा हमारे मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का मैं इस पर ध्यान आकृष्ट

करना चाहूंगा कि कम से कम उस रोड को किसी तरह से बनवाने का काम करें। मान्यवर, 27 लोग मर गये थे नाव पलटने से मान्यवर, बंधे का उच्चीकरण बहुत जरूरी है। जरदी-डुमरा बांध बहुत गम्भीर मामला है, 27 लोग मर गये थे, बंधे का उच्चीकरण नहीं हुआ। पैसा खा लिया गया, उसकी जांच भी हो रही है। दोषियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। पैसा आवंटित हुआ था कोई काम नहीं हुआ पैसा खा लिया गया। कृपया उस बंधे का उच्चीकरण कराने की कृपा करें। अपने इन्हीं शब्दों में साथ में नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट के विरोध को बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात संक्षिप्त में रखें क्योंकि वक्ताओं की बहुत सारी संख्या है।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने सामान्य बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, आपको मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी की सरकार जनप्रिय, लोकप्रिय, गरीबों, मजलूमों और किसानों की हमदर्द सरकार है। इसलिये इसके बजट भी ज्यादातर गरीबों, किसानों, मजलूमों, गांव गली-चौराहे चौपाटी के विकास के लिये यह बजट आया हुआ है। मान्यवर, यह बजट इस साल का जो आया है 2 लाख 74 हजार 704 करोड़ उनसठ लाख रुपये है। मान्यवर, जो पिछला बजट था उससे 24 प्रतिशत अधिक ये बजट है। मान्यवर, जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि पुरुष तो निर्लज्ज होता है वो तो कहीं पर भी पखाना कर सकता है लेकिन जो हमारी बहन बेटियां और माताएं हैं वह सड़क के किनारे शौच के लिये निकल जाती हैं और जब कोई पुरुष उधर से निकलता है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है और वह खड़ी हो जाती हैं।

मान्यवर, इससे वह महिलायें पेट के रोगों की शिकार होती हैं इसलिये डा0 लोहिया पूरे देश में महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था की बात करते थे। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं के लिये यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारी महिलाएं स्वस्थ नहीं रह पायेंगी।

मान्यवर, इसीलिये हमारे लायक माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं उन्होंने महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था पर बल दिया है और उसके लिये 368 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि जब ये गरीब महिलायें शौच के लिये खुले मैदान में जाती हैं तो उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है।

मान्यवर, बिजली की परेशानी की बात उठायी गयी है। मान्यवर, बी0जे0पी0 के लोगों ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड को अलग करा दिया है और जो उत्तराखण्ड में हमारी बिजली परियोजनायें लगी थीं उनको बंटवारे के समय मांगने का काम नहीं किया। उसका परिणाम ये है कि आज उत्तराखण्ड में जो अधिक बिजली पैदा होती है वह हमें न देकर सीधे केन्द्र सरकार को देता है और जहां से हमें मंहगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है तो इस व्यवस्था को खराब बी0जे0पी0 वालों ने किया है। मान्यवर, हमारे सामने डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी बैठे हैं वह कभी हमारे साथ समाजवादी आन्दोलनों में साथ दिया करते थे क्या बंटवारे का निर्णय और बिजली परियोजनाओं में अपना शेयर न मांगने का निर्णय सही था या गलत था ? वह बता दें। मान्यवर, हमें जो अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है वह हम दूसरों से लेते हैं और मंहगी बिजली केन्द्र से खरीदते हैं।

लगभग 25000 करोड़ रु0 हमारी सरकार बिजली की व्यवस्था को बनाये रखने पर व्यय करती है। जबसे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आयी है हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम आने वाले दिनों में बिजली का उत्पादन बढ़ाकर गांवों, कस्बों और शहरों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करेंगे। हम अगले दो-तीन सालों में 16-18 घण्टा बिजली गांवों को और कस्बों को देंगे और 24 घण्टे बिजली शहरों को देंगे। मान्यवर, कोई भी पार्टी की सरकार हो जब तक बिजली परियोजनाएं स्थापित नहीं होगी तब तक बिजली की समस्या बनी रहेगी। मान्यवर, हमें 13 हजार मेगावाट बिजली चाहिए और उसके सापेक्ष बिजली बहुत कम पैदा होती है हम इसकी आपूर्ति की स्थिति बेहतर बनाये रखने के लिये बाहर से बिजली खरीदते हैं। बसपा के सदस्य भी बिजली परियोजनाओं की स्थापना को लेकर अपना दावा कर रहे थे लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गये तो फिर वह निरूत्तर हो गये। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की बात कही गयी है। मान्यवर, हमारी सरकार इसको लेकर चिन्तित है कि कैसे ये व्यवस्था ठीक हो और हमारी सरकार ने पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिये उसको चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के लिये 12400 करोड़ रु0 के बजट का प्रावधान किया है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था को ठीक करने का काम केवल एक पक्ष को नहीं है जैसे सदन को चलाने के लिये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है उसी तरह से कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिये या समाज चलाने के लिये या अपनी जमात चलाने के लिये सबकी जिम्मेदारी है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था को लेकर बी0जे0पी0 के लोग व्यवधान कर रहे थे, ये पूंजीपतियों के एजेण्ट हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग बिरला के एजेण्ट हैं और उनके सहारे पर इनकी पार्टी चलती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मसले हैं चाहे बिजली हो या कानून-व्यवस्था को ठीक करने की बात हो उसमें मान्यवर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि वह सब ठीक हो। हमारा कोई पूंजीपति, आपका भी कोई पूंजीपति नहीं है, लेकिन आपकी नेता अन्त में पूंजीपतियों के हाथ में बिक गयी, जो डा0 अम्बेडकर का सपना नहीं था। नाम तो लेती है लेकिन करोड़ों का गहना पहनने वाली कभी दलित की नेता नहीं बन सकती हैं, वह चिढ़ाती हैं दलितों को। आज भी गरीबों के गले में काले धागे नहीं हो पाते हैं, आपकी नेता ने जो कर्म किया है उसके बारे में आने वाला समय आपको दे ही दिया सबक और आगे आने वाला भी देगा। इसलिये कानून-व्यवस्था पर हम सब अपनी अलग से बहस चलाकर, कानून-व्यवस्था हमको ठीक करना है और साथियों इसके साथ ही साथ हमने अधिवक्ताओं के लिये, हम भी एक कानून के विद्यार्थी रहे हैं हम भी वकील हैं हमारी सरकार ने वकीलों के लिये जब-जब भी बात आई है तो उनके लिये पैसों की व्यवस्था किया है इस बजट में 40 करोड़ की व्यवस्था किया है। गन्ना किसानों के लिये हमने 61 परसेन्ट गन्ना किसानों का पैसा दे दिया, हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि गन्ने से ही किसानों की बेटी के हाथ पीले होते हैं, मां की दवा होती है, बेटे की पढ़ाई होती है हमारी छोटे-छोटे काम होते हैं। हमारा कैश क्राप गन्ना ही है इसलिये गन्ने के भुगतान के लिये हम लोग कटिबद्ध हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग गन्ने का भुगतान करेंगे। इसीलिये हमारी सरकार ने अलग से 4 हजार करोड़ रुपये का अलग से व्यवस्था किया है और हम गन्ना किसानों को इसमें देंगे। सिंचाई के लिये मैं सिंचाई मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पिछली सरकारों के जमाने में बड़ी-बड़ी परियोजनायें घटी हैं हमारे यहां पर एक लंगड़ी पम्प कैनाल है वह रुकी हुई सिंचाई मंत्री से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि मेरी लंगड़ी पम्प कैनाल चलाई जाय और वही नहीं और भी हमारे साथियों के यहां ऐसी परियोजनाएं हैं, तो उनको पुनजीर्वित किया जाय। एक बात और मैं अपने पूर्वांचल के साथियों से कहना चाहता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव ने पहली

बार पूर्वांचल के लिये पैसा दिया इस पर कभी दूसरे दल के लोगों ने नहीं सोचा, मान्यवर, पहली बार 251 करोड़ रुपये दिया है बुन्देलखण्ड को भी हमने दिया है 607 करोड़ लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है और भी वहां जाना चाहिए मैं नहीं कहता बुन्देलखण्ड में न जाय, मेरठ में न जाय। लेकिन पूर्वांचल गरीबों का इलाका है मजलूमों का इलाका है वहां डेंगू बीमारी है और तमाम सारी चीजें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, अनुसूचित जाति के लिए मेरी सरकार ने 2 हजार 55 सौ 52 करोड़ रुपया दिया है और किसानों का इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों के लिए 330 हजार कि0मी0 उच्चीकरण के लिए 2 हजार 593 करोड़ रुपये दिये हैं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों की तरफ विशेष ध्यान दिया है साथ ही 2 हजार 73 करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों के लिए भी दिया है। इस तरह से हमारी सरकार हर परिवारों के लिए कटिबद्ध है। मान्यवर, 2 हजार 424 करोड़ रुपये की हमने 40 लाख परिवारों के लिए अलग से पेंशन के लिए व्यवस्था किया है। मान्यवर, मेट्रो रेल जो हम लोग सपना देखते थे केवल कभी जा करके कलकत्ता में कभी दिल्ली में अब हमको उसका सुख मिलेगा। मान्यवर, एरोड्रम से इंदिरा नगर तक हमारी मेट्रो रेल चलेगी। मान्यवर, हमारी सरकार यही नहीं और तमाम ऐसी परियोजनाएं चला रही है जिससे इस प्रदेश का विकास होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपनी बात मैं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के साथी माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश जी का समर्थन करें उसमें प्रदेश का विकास होगा आपका विकास होगा आपके क्षेत्र का विकास होगा केवल बहस करने से, आज मुझे बहुत दुःख हुआ बड़े विद्वान लोग थे गन्ने पर तो सवाल आया था जवाब दिया जा रहा था लेकिन केवल हंगामा करना इनका काम है। विकास नहीं होगा और कह रहे थे नियम-49 में चर्चा होगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब जवाब नहीं मिलता है तब नियम-49 दिया जाता है। नियम-49 में लाकर आप अच्छा नहीं कर रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा में हमें बोलने का अवसर दिया। हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी श्री सतीश महाना जी साधारण चर्चा में जो विषय बिन्दु आलोचना के उठाये थे।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा प्रत्येक सदस्य से विनम्र निवेदन है कि 3-4 मिनट से ज्यादा समय न ले।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, बजट किसी भी सरकार का मात्र लेखा जोखा आय व्यय का नहीं हुआ करता है। बल्कि उस सरकार की नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है और सरकार वास्तव में करना क्या चाहती है, यह सरकार का बजट दर्पण हुआ करता है और इस दर्पण में उसका चेहरा दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह कहा जाय

कि यह सच में असत्य का संग्रह है तो गलत नहीं होगा। इस बजट में बहुत सारी खामियां हैं, इस बजट में जनमानस के लिये लोक महत्व का कोई विषय नहीं है और बजट में कोई लोक कल्याणकारी योजना नहीं है। मान्यवर, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिये इसमें किसी योजना का वर्णन नहीं आया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़े, इसकी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो लोग भारी कमाई के बावजूद भी सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं और अवैध तरीके से कमाई करते हैं उनके धन की पुख्ता जांच कराई जाय लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई वर्णन नहीं किया है कि किस तरीके से काला धन हम बाहर निकालेंगे और मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट में उम्मीदें बहुत कम हैं, यह आशंकायें ज्यादा उत्पन्न करता है। इसलिये हम इस बजट के विरोध में बोलने के लिये खड़े हुये हैं। मान्यवर, यह सपा सरकार का बजट कथ्यात्मक है, इसमें कथन ही कथन है, तथ्य बिल्कुल नहीं है। मान्यवर, सच में किसी सरकार की प्राथमिकता दो हुआ करती हैं एक तो विकास और दूसरा सुरक्षा। इस विकास और सुरक्षा में सबसे पहले मैं यह सुरक्षा के बिन्दु को ले रहा हूं। मान्यवर, यदि सड़क पर चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित है, खेत में काम करने वाला व्यक्ति सुरक्षित है, दुकान में काम करने वाला व्यक्ति सुरक्षित है तो जो व्यक्ति सुरक्षित होगा, निश्चित रूप से वह अपना विकास कर लेगा। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं है जो उत्तर प्रदेश की धरती पीरों की, फकीरों की, मनीषियों की कही जाती थी, जिस उत्तर प्रदेश की धरती में अयोध्या, मथुरा, काशी, देवाशरीफ, सारनाथ जैसे अच्छे महत्वपूर्ण स्थान हैं, उस उत्तर प्रदेश में आज दाग ही दाग हैं। आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार चल नहीं रही है बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार हॉफ रही है। आज उत्तर प्रदेश की बहू-बेटी थर्रा रही है, कांप रही है कि वह किस तरीके से अपना मान सम्मान बचा पायेंगी। मान्यवर, हम आपके माध्यम से केवल बजट की आलोचना ही नहीं करेंगे बल्कि हम आपके माध्यम से सरकार को सुझाव भी देना चाहेंगे कि अच्छी सरकार कैसी होती है। मान्यवर, इस सरकार ने किसी भी किसान के हित की बात नहीं की, सामान्य तरीके से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी के हित की बात नहीं कहीं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर सरकार की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कृषि, बिजली, सड़क और भी महत्वपूर्ण सुविधायें नागरिकों को देने की जिम्मेदारी होती है इस बजट में इस सरकार ने किसी भी सुविधा का वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए मान्यवर, अच्छी सरकार वह मानी जाती है, कसौटी में खरी सरकार वह मानी जाती है, अग्निपरीक्षा में वह सरकार पास मानी जाती है जो नागरिकों को चलने के लिए सड़कें उपलब्ध करा दे, रहने के लिए मकान उपलब्ध करा दे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर दे, अच्छे कानून का राज दे दे, पेट भरने के लिए भोजन का प्रबन्ध कर दे तो वह सरकार अच्छी मानी जाती है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार सारी कसौटियों में फेल सरकार है इसलिए मान्यवर, हम इसकी अलोचना करने के लिए खड़े हुए हैं। मान्यवर, इस बजट में कुछ तथ्य रहीं है मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के बजट में आठ तत्व आने चाहिए उन आठ तत्वों में बजट कसौटी पर खरा उतरा माना जायेगा, उन आठ तत्वों के माध्यम बजट किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का माना जायेगा। मान्यवर, उन आठ तत्वों में पहला तत्व है कि सरकार की सोच कैसी है, दूसरा है कि सरकार की नीयत कैसी है, तीसरा सरकार की नीति क्या है, चौथा सरकार की निगाह क्या है, पांचवां है कि सरकार का निश्चय क्या है, सरकार चाहती क्या है उसने निश्चय क्या किया है और छठा है कि सरकार का नियोजन कैसा है, नियोजन किसको करना चाहती है। मान्यवर, गांव के अन्तिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जिसको

अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का हक नहीं है उसको घर बैठे न्याय मिल जायेगा इस कसौटी पर सरकार को खरा उतरना चाहिए और मान्यवर, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और आखिरी आठवां तत्व है कि इस सारे नियोजन से लाभ किसको मिलेगा। इन बातों को देखकर जब बजट बनाया जायेगा तो उस बजट को अच्छा बजट माना जायेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का यह बजट अपनी मौलिक प्राथमिकताओं पर फेल बजट है। मान्यवर, अभी तो मुझे पांच मिनट भी नहीं हुए हैं और आपने इशारा कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, नौ मिनट हो गये हैं कभी-कभी घड़ी पर भी निगाह डाल लिया करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी कृपा चाहता हूं। अभी मान्यवर, मेरे लिए पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं मान्यवर, सड़क विकास का पैमाना हुआ करती है, यदि सड़कें ठीक हैं प्रदेश की तो सारा विकास है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चाहूंगा, सड़कों के मामले में दो काम यह सरकार कर ले जो सड़कें खराब हैं उनकी मरम्मत करा दे और जो अधूरी हैं उनको पूरा करा दे तो निश्चित रूप से जो सड़कों की कठिनाई है उत्तर प्रदेश में वह ठीक हो जायेगी। मान्यवर, हमारी विधान सभा आंवला में एक सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0 से बनी है अलीगंज से सिरौली तक कई बार विधान सभा में मैंने उठाया है अभी वह गारंटी में है लेकिन अभी तक उसे ठीक नहीं कराया गया है। मान्यवर, दूसरी सड़क राज्य योजना के अन्तर्गत है भभौरा से साहाबाद-आंवला बनाई गई है इसमें अभी बजट नहीं दिया गया है यह अधूरी पड़ी हुई है तो मान्यवर, इसे ठीक से जोड़ा जाए। मान्यवर, हमारे नेताओं ने कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक बात कही है और आज वास्तव में मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मा0 अधिष्ठाता जी, इस समय उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने कुछ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये हैं। मान्यवर, अभी बजट में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 45 हजार 164 उद्यम लगे हैं। मान्यवर, जिस प्रदेश में सड़कें ठीक न हो, बिजली की व्यवस्था न हो, सुरक्षा न हो, उस प्रदेश में क्या कभी उद्योग लगेंगे। मान्यवर, अभी मेरी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश में किसी नये अद्योग की स्थापना नहीं हुई है। अभी पांच करोड़ युवाओं के हाथ व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, रोजी रोटी के लिए उठ रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, इसका कोई भी इस बजट में उल्लेख नहीं आया है न किसी तरीके का वर्णन आया है। यहां पर जो दिखाया गया है वह सत्य प्रतीत नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जो नौजवानों का अभी लैपटाप, बेरोगारी भत्ता इत्यादि समाप्त किया गया है, उसे लोकसभा रिजल्ट को देखकर नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। जिस प्रदेश में सत्ता के 5-5 केन्द्र हों वह सरकार सफल नहीं हो सकती।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपकी सारी बात आ गयी।

श्री धर्मपाल सिंह-

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि सत्ता का एक केन्द्र होना चाहिए। हमारी विधान सभा में रामगंगा पर कैलाश गिरि की मडई के पास पुल बनना है उसको बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, गैनी के पास रामगंगा पर पुल बनाना चाहिए इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया

है। पर्यटन की उत्तर प्रदेश में अपार संभावनायें हैं, उत्तराखंड में पर्यटन चले जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अपार संभावनायें हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र आंवला में द्रोपदी-थीम पार्क को पैसा दिया जाना बाकी है उसको पैसा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करिये। सारी बातें आ गयी। अब मा0 सदस्य वीरपाल राठी जी बोलें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, अपने क्षेत्र की एक-आध और बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। पर्यटन की दृष्टि से लीलौर झील जहां पर महाभारत काल में यक्ष प्रश्न हुए, उसको विकसित करने के लिए बजट का आवंटन करें। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन दो बातें कहकर समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जिस प्रकार की कार्यपद्धति ब0स0पा0 की थी ठीक उसी प्रकार की कार्यपद्धति इस समय समाजवादी पार्टी की है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया बैठिये।

श्री धर्मपाल सिंह-

ब0स0पा0 ने सत्ता का दुरूपयोग किया पत्थर, पार्क व हाथी की मूर्तियों में जनता का धन खर्च किया, उसी तरीके से स0पा0 भी जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बनाने में खर्च कर रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री वीरपाल राठी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने 2 लाख 74 हजार करोड़ रुपये यानी पिछले वर्ष से 24 प्रतिशत ज्यादा दिया है। बहुत अच्छी बात है प्रदेश को 24 प्रतिशत बजट अधिक दिया है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कई दिनों से गन्ना मूल्य भुगतान पर चर्चा चल रही है, गन्ना मूल्य भुगतान पर सत्तापक्ष के लोग इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 400 करोड़ रुपये का बजट दिया है गन्ना मूल्य भुगतान के लिए, पिछले वर्ष भी 400 करोड़ रुपये का बजट दिया था। यह सहकारी चीनी मिलों का बजट है न कि निजी चीनी मिलों का बजट। यह देख लेना चाहिए कि सहकारी चीनी मिलों पर हमारा कितना बकाया है। 640 करोड़ रुपये का बकाया सहकारी चीनी मिलों पर अभी भी है और बजट दिया गया है मात्र 400 करोड़ रुपये का, यह 240 करोड़ रुपया कहां से आयेगा ? मान्यवर, आपने बजट और विभागों में तो दे दिया, आपने विद्युत में, सिंचाई में बजट दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में कहीं किसान को भी कुछ दिया है क्यों ? यह आप जानकारी कर लें। आपने सिंचाई विभाग को दिया, आपने राजकीय नलकूपों को तो दे दिया लेकिन यह नहीं देखा कि राजकीय नलकूप कितने खराब पड़े हैं और कितने नये है ? यह बजट आप किसान को नहीं दे रहे हैं, यह बजट आपने अधिकारियों को दिया है। आप सिंचाई विभाग का ले लीजिए। सिंचाई विभाग में आप सफाई करा रहे हैं, प्रतिवर्ष सफाई होती है, बजट जाता है, बहुत लम्बा चौड़ा सिंचाई विभाग में बजट दिया जाता है। लेकिन जिन नहरों की सफाई होती है उनकी सिल्ट को पटरी पर रख दिया जाता है और किसान उस कचड़े को जो नहर

से निकलता है उस कचड़े को फिर नहर में डाल देते हैं। अगले साल फिर बजट देना पड़ता है। यही प्रक्रिया है आप बहुत बड़ा बजट दे रहे हैं लेकिन उस बजट का कितना नफा कितना नुकसान कितना प्रदेश की जनता को कितना सरकार को हानि हो रही है इसका आंकलन होना चाहिए। बांध पर आप पैसा खर्च करते हैं बाढ़ आती है तो बाढ़ का बजट देते हैं आपने कभी यह सोचा कि 40 कि0मी0 लम्बी जो नदी है घाघरा उसको हम गोमती में डाल दें। खनन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है उस पर कोई विकल्प लाया जा सकता है नदियों में जब खनन नहीं होगा तो नदी का स्तर ऊपर उठेगा जब नदी का स्तर ऊपर उठेगा तो बाढ़ आएगी अगर घाघरा नदी को सीतापुर के अन्दर गोमती में मिला दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा इस पर फिर बजट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश मे लिंक नहर बना दें तो पूरब में जो बाढ़ की समस्या है और पश्चिम जो सूखा पड़ा हुआ है तो आप इस योजना में बजट दे दें तो पूरे प्रदेश की समस्या का समाधान होगा। लेकिन समाधान के लिए सोच होनी चाहिए और मैं देख रहा हूं कि यह सोच सरकार के अन्दर नहीं है। अबके पहले के नेताओं में यह सोच थी जो देशभक्त नेता थे। जैसे चौधरी चरण सिंह जी थे ऐसे नेताओं के अन्दर सोच थी। वह बारीकी से चीजों को देखते थे मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा आपने बिजली के लिए दिया वास्तविकता है कि प्रदेश अपने पर निर्भर होता जा रहा है कई बिजलीघरों का निर्माण सरकार ने कराया है और हो रहा है मुझे लगता है कि भविष्य में बिजली भी अच्छी मिलेगी। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो हम गांवों में विद्युतीकरण करा रहे हैं उसमें अधिकारी कौन सा तार डाल रहे हैं। कितना प्रदेश के अन्दर ओवर लोड है ओवर लोड जब तक रहेगा और जो तार हम डालेंगे वह तार कमजोर होगा तो प्रदेश का जो बजट है वह बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अध्यक्ष जी, लाल बत्ती मत जलाइए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि बजट में हमारी इच्छा थी कि बहुत ज्यादा बोलूं एक बात कल राधा मोहन जी सरकार पर आक्षेप लगा रहे थे और जीत हार का फैसला सुना रहे थे। यह कह रहे थे कि आपके बजट की वजह से आपकी इन कमियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार के लोग भी चिन्तित थे विपक्ष के लोग भी चिन्तित थे कि वास्तव में राधा मोहन दास की बात में दम होगा मैं बताना चाहूंगा आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आई उस उदाहरण को यहां पर सत्तापक्ष के और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं मैं चाहूंगा कि मेरे उदाहरण को बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। बीरबल और बादशाह एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा.....

श्री अधिष्ठाता-

राठी जी, अपने क्षेत्र की बात करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब बीरबल यहां कहां आ गया। आपका समय समाप्त हो रहा है अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो कह दीजिए।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। मैं जो बात कहूंगा उससे भारतीय जनता पार्टी की जो तकलीफ है वह दूर हो जाएगी। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल यह बताओ कि भगवान बड़ा है या बवंडर बड़ा है बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बावंडर बड़ा है बादशाह बोले कि भगवान से कोई बड़ा है, खुदा से कोई बड़ा है तो बीरबल ने कहा कि बवंडर कैसे बड़ा है यह समय आएगा तो बताएंगे। समय आयेगा तो बताऊंगा। तो बीरबल ने दो

बड़ी-बड़ी एक डेढ़ मीटर लम्बी जूती एक मोची के घर बनवाकर रख ली। एक जूती अपने घर रख ली? एक जूती किसी मैदान में डलवा दी। लोग जब सुबह उठे तो देखने लगे कि बड़ी सुन्दर जूती है, एक डेढ़ मीटर लम्बी और इस पर हीरे जवाहरात लगे हैं, किसकी जूती है ? एक व्यक्ति ने कहा कि यह तो भगवान की जूती है। उसे चूमने लगा। जो उठता गया, देखता गया और उस जूती को चूमता गया। गांव-गांव का नागरिक उस जूती को चूमने लगे और फिर इतनी भीड़ बढ़ गई कि उस देश के लोग उसे चूमने लगे। यह बात बादशाह सलामत तक भी पहुंची। बादशाह सलामत ने कहा कि क्या बात है कि इतनी भीड़ लग गई लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत ईश्वर की जूती है, सब लोग उसे चूम रहे हैं। बादशाह सलामत भी चल दिये और उस जूती को देखकर प्रभावित हुए और कहने लगे कि यह तो बहुत सुन्दर जूती है, वास्तव में ईश्वर की जूती है और वह कहकर बादशाह सलामत भी उसे चूमने लगे। तब बीरबल ने कहा, रूको, ठहरो यह जूती ईश्वर की नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि फिर यह जूती किसकी है ? बीरबल ने कहा कि यह जूती तो मैंने फलां मोची से बनवाई थी। एक मेरे घर में है और एक मैंने यहां डलवा दी थी। मैं यह दिखाना चाहता था कि बवन्डर बड़ा है भगवान ? भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिये इस तरह की बात कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह अपने आप में महा बजट है, शानदार बजट है, जानदार बजट है, के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब वर्ष 2013-2014 का बजट प्रस्तुत किया था, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जब लैपटाप देने का प्राविधान हमारी सरकार ने किया था तब आप लैपटाप को झुनझुना बता रहे थे और यह बता रहे थे कि यह अपव्यय है सरकारी धन का। आज जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने लैपटाप योजना को थोड़ा स्थगित करके गांव के विकास को थोड़ा प्राथमिकता देने का काम किया तो आपको बड़ी चिन्ता हो गई। यह समझ में नहीं आता कि हमारे नेता प्रतिपक्ष का वह भाषण सही था या यह भाषण सही है। आपने तमाम मुद्दों पर चाहे कन्या विद्या धन योजना या बेरोजगारी भत्ता जो हम दे रहे थे तब आप उनका मजाक उड़ा रहे थे और आज जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने गांवों की प्राथमिकता तय करने का काम किया तो आपको बड़ी चिन्ता हो गई, उन योजनाओं की चिन्ता हो गई। आम बजट जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, अभी हमारे साथी धर्मपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई है। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में जब हमला हुआ तो देश में हुकुमत किसकी थी ? अक्षरधाम पर जब हमला हुआ तो देश में हुकुमत किसकी थी ? मुम्बई में जब हमला हुआ तो देश में हुकुमत किसकी थी ? हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने सत्ता सम्भालने के बाद उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का काम किया है, विकास के पहिये को आगे ले जाने का काम किया है। कानून-व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम किया है। आप कहते हैं, लोग कहते हैं अभी राठी साहब कह रहे थे कि किसानों के लिये इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। जिनसे आपने राखी बंधवाई थी, तीन बार सरकार बनवाई उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्दर सड़कों को खोद कर गड्ढा और तालाब बनाने का काम किया था। हमने 2012 में सरकार में आने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बेहाल सड़कों को ठीक करने का काम किया है।

उन सड़कों को किसानों के, गांव के नौजवानों के चलने के लायक बनाया है। आप याद करिये पिछले पांच साल कहां चले गये। आप दलितों की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष दलितों की बात करते हैं और वह यह जानते भी नहीं हैं कि दलित होता क्या चीज है। दलितों का हक अगर किसी ने देने का काम किया है तो 1989 का इतिहास पढ़ियेगा। इस देश के नेता मुलायम सिंह यादव ने अम्बेडकर गांवों का सृजन किया था बसपा ने नहीं किया था। विधान सभा के सामने जाने वाले मार्ग का नामकरन बाबा साहब अम्बेडकर के बाबा साहेब महासभा के नाम पर भवन आवंटित करने का काम किसी ने किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। एक बात और कहना चाहता हूं, आप दलितों के इतने हिमायती हैं, मान्यवर, कांशीराम चुनाव बहुत लड़ते रहे, लेकिन धन्यवाद दीजिए, मा0 नेता मुलायम सिंह यादव को, इटावा से चुनाव लड़ा कर हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट में भेजने का अगर किसी ने काम किया है तो वह मा0 मुलायम सिंह यादव ने किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक शानदार बजट प्रस्तुत किया, किसानों के लिए, खेती के लिए, कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए, उद्योगों को लगाने के लिए, सड़कों को ठीक करने के लिए और आप बिजली की बात करते थे, भाजपा के लोग बिजली की बात करते हैं, आपने एन0टी0पी0सी0 को बेंचा। अभी हमारे राम करन आर्या साहब बोल रहे थे, आपने उत्तराखण्ड में हमारी मेहनत से जो जलविद्युत परियोजनाएं लागू थी, उनको आपने उत्तराखण्ड दे दिया। तो बिजली की हालत के लिए अगर कोई चिन्तित है तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार चिन्तित है और बजट में उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया है कि 2016 तक उत्तर प्रदेश के गांवों को 18 और शहरों को 24 घण्टे बिजली देने का काम किया जायेगा। सरकार बनने के बाद, आप ईमानदारी से बताइये, आपकी जब सरकार थी, उत्तर प्रदेश का किसान एक-एक बोरी खाद के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहा था, इस सदन के हमारे साथी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद हमारे मुख्य मंत्री जी ने खाद, बीज, बिजली, पानी की जिस तरह से व्यवस्था की है, कहीं भी किसान को खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी। तो किसान की खुशहाली के लिए, सर्वहारा की खुशहाली के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने काम किया है और आप केवल तोहमत लगाने का काम करते हो। मैं भाजपा और बसपा के मित्रों से कहना चाहता हूं कि ''चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी'', यह इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का मैं बसपा के मित्रों से कहना चाहता हूं, ''वह क्या दावा करें, चमन की रहनुमाई का, जिन्होंने कलियों को ही रौंद डाला, अपने ही पैरों से।'' आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप सदन में भाषण देते हैं, हमारे नेता सदन घण्टों बैठें रहते हैं। आप याद करो, आपकी सरकार में क्या होता था, नेता प्रतिपक्ष के भाषण को सुनने के लिए क्या नेता सदन, सदन में मौजूद रहते थे ? जिस लोकतंत्र का गला आपने घोंट दिया था, किसी को अपना धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं था। हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद उसे बहाल करने का काम किया गया है और जो आप अपराध के ग्राफ की बात करते हैं, आपके जमाने में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती थी। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो भी घटनाएं होंगी, उनका हम निराकरण करायेंगे और पूरी घटनाओं को दर्ज कराने का काम किया जायेगा। हम सच्चाई की बात करते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम पूरे सदन के सामने मा0 अधिष्ठाता महोदय, कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राथमिक शिक्षा का। प्राथमिक शिक्षा पर बात हो रही थी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राथमिक शिक्षा पर मैं सभी मा0 सदस्यों से कहना चाहता हूं। आप प्राथमिक शिक्षा पर हमारे प्रदेश की आबादी निर्भर है और इस प्राथमिक शिक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर्वशिक्षा

अभियान के तहत एक आदेश जारी हो गया, कक्षा-1 से लेकर 8 तक बच्चों का इम्तिहान नहीं लिया जायेगा, जब कक्षा-1 से 5 तक बच्चों को इम्तिहान नहीं होगा। जब बच्चे का इम्ताहान नहीं तो बच्चा कैसे अपने शिक्षक से डरने का काम करेगा और आज जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षा है, जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से इन प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना की जायेगी तो हमारा बच्चा कहीं ठहरने वाला नहीं है। हम दुनिया को दिखाने के लिए कह देते हैं कि भारत साक्षर हो गया, लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी है। मा0 मंत्री जी बैठे हैं, हम चाहते हैं वहीं पुरानी व्यवस्था, दर्जा-5 का बोर्ड का इम्तिहान हो, दर्जा-8 का बोर्ड का इम्तिहान हो, तिमाही परीक्षा हो। मान्यवर, जो इतना पैसा इस प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो 75 प्रतिशत आबादी का जो बच्चा है, उसकी नींव खोखली हो जायेगी और बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पूरे और दुनिया में सारे पदों पर कब्जा कर लेंगे और गांव के गरीब का बच्चा कहीं ठहरने वाला नहीं है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने क्षेत्र की दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आज एक ही कहिये।

श्री रामलाल अकेला-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शिवगढ़ ड्रेन और सिकन्दरपुर ड्रेन इसको हमने पिछली बार भी उठाया था और इसमें जलभराव के कारण पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन ड्रेनों की सफाई के लिए परियोजना बनाकर इस बजट के माध्यम से उन ड्रेनों की सफाई कराने का काम कर दिया जाये और जो बजट हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए क्योंकि यह बजट गांव का है, किसान का है, मजदूर का है इसलिए उसका पुरजोर समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मा0 श्री उमेश पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें वर्ष 2014-15 के बजट पर जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष ने जो अपना प्रस्ताव रखा है मैं नेता प्रतिपक्ष के समर्थन मे ंबोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, दो लाख 74 हजार 704 करोड़ रुपये का जो बजट है इसमें पूर्वांचल की जो उपेक्षा की गयी है मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मात्र 291 करोड़ रुपये ? जिस पूर्वांचल में 40 प्रतिशत जनता पूरे उत्तर प्रदेश की रहती है। 21 करोड़ में से लगभग साढ़े आठ करोड़ लोग पूर्वांचल में रहते हैं, उनके लिए इतने लम्बे चौड़े बजट में से केवल 291 करोड़ देना, ऐसा लगता है कि सरकार ने टोकन मनी निर्धारित कर दी है कि जब भी हम बजट देंगे, 2011 में बजट देंगे 291 करोड़, 2012 में बजट देंगे 291 करोड़, 2013 में बजट देंगे 291 करोड़, 2014 में बजट देंगे 291 करोड़। मान्यवर, बजट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है मगर यह धनराशि इतनी कम है जिसे किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माना कि बुन्देलखण्ड को जो पैसा दिया गया वह उसे दिया जाना चाहिए। वह सूखा क्षेत्र है वहां पानी की दिक्कत है, उपेक्षित क्षेत्र है। जो पैसा उनको 758 करोड़ दिया गया है वह दें मगर अगर वह सूखा पीड़ित है तो हम भी बाढ़ पीड़ित हैं। हमारे भी गांव कटते हैं, हमारे भी घर

कटते हैं। हम भी उपेक्षित हैं हमें भी इसका पैसा मिलना चाहिए। मैं यह अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल विकास निधि का जो धन है इसे बढ़ाया जाना चाहिए। पूर्वांचल की उपेक्षा की हालत तो यह है कि जब हम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की बात करते हैं तो वहां भी पूर्वांचल की उपेक्षा की जाती है। उसमें भी जब आप अनुपात देखेंगे तो पूर्वांचल को कम धन मिलता है। इस नाते हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इसमें पूर्वांचल की उपेक्षा की गयी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्वांचल ही वह क्षेत्र है जहां अब तक गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मण्डल के लोगों ने अपने 50 हजार बच्चों की मौत देखी है। इंसेफेलाइटिस वह महामारी है जिसमें हमने अपने 50 हजार बच्चों को खोया है। मैं सरकार को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 58 करोड़ रुपये, 500 शैय्या का अस्पताल गोरखपुर के लिए स्वीकृत जरूर किया है लेकिन उस 58 करोड़ रुपये से कोई बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि आपने इलाज के लिए अस्पताल बनाने की बात कही है। इस रोग की रोकथाम के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस जलजनित बीमारी के लिए उचित पेयजल की व्यवस्था सफाई के लिए जनजागरण अभियान घर-घर गांव-गांव में चलाने के लिए इस बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए थी। हमने 50 हजार बच्चों की मौतें देखी हैं। हम हर पल कांपते हैं कि न जाने अगले पल वह बच्चा किसका होगा ? इस नाते पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस को लेकर भी मात्र 58 करोड़ रुपये देना निश्चित रूप से पूर्वांचल के बच्चों के लिए एक बार फिर उपेक्षा का कारण हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट को मैं बड़े ध्यान से देख रहा था। पिछली बार भी मैंने इस बजट को देखा था मेडिकल कालेज की बात तो की गयी है जौनपुर में मेडिकल कालेज आप बना रहे हैं। अच्छा लगा, चन्दौली में आप मेडिकल कालेज बना रहे हैं अच्छा लगा लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है कि जो आयुष हैं जो आयुर्वेद यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इसके लिए भारत सरकार से लंबा चौड़ा बजट भी आता है मगर इस पूरे बजट पुस्तिका में यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा और होम्योपैथ का जिक्र तक नहीं किया गया है। एक शब्द ढूंढ़ता रह गया कि कहीं इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी हमारे गांव के लोग जो गरीब हैं वह इन दवाओं का उपयोग करते हैं, इस बजट में इसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, गोरखपुर में होमयोपैथिक मेडिकल कालेज बन रहा है, मगर उसके लिए आगे धन आप देंगे इसका जिक्र नहीं है। एक तरफ सरकार सवाल लगाने पर जवाब देती है कि अगले सत्र तक होम्योपैथ मेडिकल की पढ़ाई शुरू की जायेगी, मगर बजट धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो जब जवाब सरकार की तरफ से मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद उत्तर दिया कि इसमें अगले सत्र से पढ़ाई शुरू की जायेगी और बजट पुस्तिका में उसके लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई है तो फिर कैसे यह सम्भव होगा। मैं यह चाहूंगा कि उस मेडिकल कालेज के लिए भी धन दिया जाय, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में यही इन्सेफेलाईटिस की बीमारी थी, वहां होम्योपैथिक पद्धति से इस इन्सेफेलाईटिस को खत्म किया गया था, मैं कहूंगा कि आन्ध्रा से इस होम्योपैथिक पद्धति को मंगा कर पूर्वांचल की इस महामारी को दूर करने का प्रयास किया जाय। मैं बिजली के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि यकीनन बिजली का उत्पादन कम है, मैं स्वीकार करता हूं कि आपने बिजली के लिए धन दिया है और आने वाले वक्त में बिजली मिलेगी, लेकिन जो बिजली कम है और आप 10 घण्टे, 12 घण्टे, 04 घण्टे, 05 घण्टे जो भी दे रहे हैं आपको अवगत कराना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि चार बजे भोर में पूर्वांचल के लोगों को विशेषकर गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दी जाती है, चार बजे भोर में गोरखपुर, बस्ती मण्डल, आजमगढ़ मण्डल का जिला अगर छोड़ दिया जाय तो गांव को चार बजे भोर में अधिकारी यह

कह कर के बिजली दे रहे हैं कि गांव के लोगों को रात में बिजली की जरूरत नहीं है, गांव के लोगों को भोर में बिजली की जरूरत है, मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं वह कहां सोयें, रात में कैसे बाहर निकल कर के सोयें, मर्द तो कहीं जाकर के सो लेगा मगर वह अपने दुधमुंहे बच्चे को ले कर के उसी कमरे में सोती है और गरमी से बिलबिलाती हैं, हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी बिजली सरकार दे रही है वह दे अगर उसके उत्पादन में कमी है बिल्कुल वह कम करके दें मगर जो दे रही है उसे चार बजे भोर में देने का कोई औचित्य नहीं है, अगर वह दे रही है तो उसे दस बजे से दे दें, ग्यारह बजे से, बारह बजे से दे दें, मगर चार बजे भोर में जब उठने का समय होता है, उस समय बिजली का कोई उपयोग नहीं है, इस नाते मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजली की व्यवस्था पर सरकार जरूर ध्यान दे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था, अखबार का संज्ञान खैर यहां नहीं लिया जाता, मैंने पढ़ा था, इन्होंने कहा कि बालू खनन रोका जायेगा, बालू खनन के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, मगर गोरखपुर मण्डल में बालू खनन का जबरदस्त कारोबार चल रहा है, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बालू खनन के माफियाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं इस बात के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी का, सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि गोरखपुर में धुरियापार चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल रही है और यह इस समय बन्द पड़ी है। मुख्य मंत्री जी, जब सरकार में आये थे, सपा सरकार ने घोषणा किया था कि हम बन्द चीनी मिलों को चलायेंगे, हमें अच्छा भी लगा कि एक-आध चीनी मिलों को इन्होंने चलाने का भी काम किया, लेकिन बार-बार हम मांग करते रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों के लिए अगर धुरियापार की चीनी मिल को चलाया जाय तो निश्चित रूप से इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां के किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी, इस नाते हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पर्यटन के दृष्टि से भी वह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, मगर पर्यटन के क्षेत्र में जो वहां पौराणिक स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, 1857 से हुए राजा हरिप्रसाद मल्ल का हो या रूद्रपुर स्टेट का हो, 1857 से जुड़ा हुआ मामला हो या पौराणिक जुड़ा मामला हो, अगर उसको हम लोग लेकर पर्यटन के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाये तो पूर्वांचल की दशा सुधर सकती है। मैं यह उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस बजट में पूर्वांचल के लिए अलग से व्यवस्था की जाय ताकि पूर्वांचल के लोग भी जो दम तोड़ रहे हैं वह सांस ले सकें। मान्यवर, आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2014-15 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के सर्वान्गीण विकास के लिए बजट में जो प्लान उठाये हैं वह प्रसन्शनीय हैं परन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि साम्प्रदायिकता के सरदार देश की जनता को गुमराह कर के देश की गद्दी पर कब्जा जमा लिये। धोखाधड़ी करके जनता को झूठे सब्जबाग दिखा करके नरेन्द्र मोदी जी ने जो जनादेश प्राप्त किया, उस जनादेश के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार आ गयी। मुख्य मंत्री जी, आपने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कहा था कि हमें अब याद रखना चाहिये जनादेश को। आपसे कहना चाहता हूं कि आपको वर्ष 2012 में जनादेश प्राप्त हुआ उसके पश्चात् आपने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, छात्रों को लैपटाप, लड़कियों के लिये कन्या विद्या धन योजना चलायी। हमारी बेटी उसका कल इन योजनाओं को आपको

पुनः चालू करना चाहिये। इनके द्वारा आप नये उत्तर प्रदेश और भारत का निर्माण करेंगे। किसी भी देश की तरक्की के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य अनिवार्य है। आपने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति के लिये जो कदम उठाये वह लोकप्रिय थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने पिछली सरकार की तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में घोटाला नहीं किया बल्कि उस धन को उत्तर प्रदेश में 108 समाजवादी एम्बुलेंस सहित 102 की गर्भवती महिलाओं के लिये एम्बुलेंस सेवा में शुरू करके सराहनीय कार्य किया। उत्तर प्रदेश के अधिकारी आपकी योजनाओं में रोड़ा डाल रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नौतनवां में मेरी माता श्रीमती बाल सुन्दरी देवी जी ने डा0 घनश्याम कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतनवां के लिये 1995 में लगभग 3 एकड़ जमीन दान दी थी। आदरणीय नेता जी ने अस्पताल का शिलान्यास किया था। आज उस जमीन की कीमत बाजार में 5 करोड़ से ज्यादा है। आज डा0 घनश्याम दास कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर नहीं रहने के कारण स्वास्थ्य सेवा ठप पड़ी हुयी है। जिला अस्पताल महाराजगंज वर्ष 2004 में नेता जी के आशीर्वाद से निर्मित हुआ। आज जिला अस्पताल महाराजगंज में अपराधियों के दबाव में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कार्य रूका हुआ हे। लगभग 53 लाख रुपया 6 महीने से पड़ा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पहले मुख्य मंत्रित्व काल में पूरे उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि का गठन किया था। वर्ष 1990-91 में पूर्वांचल विकास निधि के लिये 21 करोड़ और बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और वर्ष 1991-92 के लिये पूर्वांचल विकास निधि 30 करोड़ और बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये 7.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। प्रत्येक वर्ष इन निधियों में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का मानक निर्धारित किया गया था परन्तु 1991 में भाजपा की सरकार ने इस मानक को पूरा नहीं किया जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। आज पूर्वांचल विकास निधि के बजट में मात्र 291 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पूर्वांचल विशाल आकार को देखते हुये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि पूर्वांचल की विकास निधि का बजट कम से कम 1000 करोड़ रुपये की कृपा करें। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से नेता जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वाराणसी से नरेन्द्र मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने तो रेल भाड़े में भारी बढ़ोतरी करते हुये देश की जनता को तोहफा दे दिया। मुख्य मंत्री जी, आप धरतीपुत्र मा0 मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र आप अपने नेता के सपनों को साकार करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि को अवश्य बढ़ायें और यह पैसा पूर्व की भांति सीधा जिले को आवंटित करें। राज अंश की परम्परा को समाप्त करके लोहिया ग्रामों में पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के नाम पर धन लेने वाले कफनचोरों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्राविधान करें। मान्यवर, मेरे निर्वाचन नौतनवां क्षेत्र सहित सिसवां, फरेन्दा, पनेड़ा की सड़कों की स्थिति दयनीय है। मा0 अध्यक्ष जी के जनपद महाराजगंज से सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाले मार्ग कुल्हई लोटन की दुर्दशा को आप स्वयं भ्रमण करके देख लें। पिछली सरकार में 5 कि0मी0 के उक्त मार्ग की मरम्मत के नाम पर एक करोड़ से ऊपर रुपया खर्च किया गया फिर भी सड़क गड्ढे में तब्दील हैं, परिवर्तन करने की जरूरत है। मेरा यह कहना है अधिष्ठाता महोदय कि सदन के अन्दर अभी महाना साहब ने एक बात रखी थी कि सदन के अन्दर हमने शपथ लेकर आने का काम किया और जब हमने शपथ ली तो हमको उस बात का निर्वाह करना चाहिए। जब यह सदन शुरू होता है तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कागज के टुकड़े फेंके जाते हैं, या सदन के अन्दर आने के रास्ते रोके जाते हैं। क्या सदन में

शपथ केवल मुख्य मंत्री जी ने ली या हम सभी सदस्यों ने ली। किसी भी बात को लेकर के सदन में जो नोक-झोंक चल रही हे, इस नोक-झोंक पर अंकुश लगना चाहिए और हम सबको मिलकर के एक सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलते देनी चाहिए और हालात ये हैं आज महाना साहब नहीं हैं, महाना साहब ने इस बात को बड़े जोर-शोर से कहा था डा0 साहब कि सदन के सदस्य इसकी गरिमा का ख्याल रखें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य इस पर चर्चा हो चुकी है, आप अपनी बात कहें।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

....मेरा यह कहना है कि सदन के अन्दर कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक सदस्य, एक भाई, हर व्यक्ति यहां सदन का सदस्य है, लेकिन जिस रूप में हाथ पीटने की बात, नोक-झोंक करने की बात आती है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। इस पर अंकुश लगना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री कुंवर कौशल सिंह- .... मान्यवर, धन्यवाद।

श्री उदयराज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2014-15 के वार्षिक बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि लगातार जब से सत्र चल रहा है। चाहे बजट सत्र की शुरूआत रही हो, चाहे इससे पहले के बजट में, जब सरकार बनने के बाद सत्र चालू हुआ तो लगातार विपक्ष ने और विशेषकर नेता विरोधी दल के द्वारा, आज पता नहीं वे कहां चले गए, लगातार उनके द्वारा कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता रहा है। अभी हाल के 19 तारीख से शुरू हुए इस सत्र में विपक्ष के साथियों ने पहले दिन सत्र भी नहीं चलने दिया था और घटनाएं सीमित थी, एक-दो घटनाओं को लेकर के कानून-व्यवस्था का हवाला देकर के और उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था खराब है यहां उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही थी। मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि अब से दो वर्ष पहले के इतिहास को उठाकर के देखने का काम करें। किस प्रदेश के अन्दर कितनी घटनाएं हुई थीं। कितनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई थी और क्या आपके लोगों ने आपकी सरकार ने क्या एक भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया था। याद होगा लखनऊ शहर के अन्दर सी0एम0ओ0 डा0 विनोद शर्मा की अक्टूबर, 2010 में हत्या हुई थी और शायद मेरा मानना है कि पूरा आपका शासनकाल बीतने के बाद भी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उसमें जब गिरफ्तारी हुई तो एक डिप्टी सी0एम0ओ0 थे वाई0एस0 सचान, जब उन्होंने उस पूरे प्रकरण का खुलासा करने का प्रयास किया तो तत्कालीन सरकार के इशारे पर जेल के अन्दर सचान की हत्या करने का काम उनकी सरकार के लोगों के इशारे पर किया गया था। आज वे लोग दुहाई देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक के द्वारा कन्नौज में तैनात पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिशासी अभियन्ता मनोज गुप्ता कि हत्या इसलिए की गई थी। उसकी हत्या केवल इसलिए करने का काम किया गया था क्योंकि उससे मांग की गई थी कि एक करोड़ रुपया

दो बहन जी के जन्म दिन पर मुझे चंदा देने का काम करना है और जब मजबूर होकर उसने कहा कि एक करोड़ रुपये मेरे पास नहीं हैं, तो उन लोगों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा उसकी हत्या करने का काम भी किया गया था। निघासन थाने के अन्दर लखीमपुर खीरी में निघासन के एक थाने के अन्दर एक लड़की की पुलिस के द्वारा रेप करने की घटना प्रकाश में आई थी और उसकी हत्या करके थाने के अन्दर पेड़ में टांगने का काम किया गया था। मैं तो पूछना चाहता हूं आज नेता विरोधी दल जी नहीं हैं, क्या आपने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया था। हम लोग विपक्ष में थे। माननीय नेता विरोधी दल मा0 शिवपाल जी उस समय वहां पर विराजमान थे उन्होंने विधान सभा के अन्दर इन घटनाओं को उठाने का काम किया लेकिन सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम नहीं किया गया था और जब वह लोग हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट गये तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच कराई गयी थी तब दोषियों को सजा मिली थी। मान्यवर, इसी तरह दिसम्बर, 2010 में एक दलित लड़की शीलू निषाद के साथ रेप की घटना हुयी और उसमें एक बसपा विधायक का हाथ था लेकिन उसमें कोई कारवाई नहीं हुई। इसी तरह से जो भी आपराधिक घटनाएं बसपा कार्यकाल में हुई थी उन पर कोई कारवाई नहीं हुयी थी। मान्यवर, इनके शासनकाल में तमाम मंत्रियों और विधायकों पर और सरकार के संरक्षण में रह रहें लोगों पर तमाम तरह के आरोप लगे, डकैती, फिरौती और बलात्कार के आरोप लगे, लेकिन बसपा की सरकार ने उन पर कोई कारवाई नहीं की। मान्यवर, जब से मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आयी है, पिछले दो सालों में किसी भी विधायक या मंत्री पर किसी भी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। न बलात्कार के आरोप लगे हैं न फिरौती के आरोप लगे हैं और न डकैती के आरोप लगे हैं। मान्यवर, बसपा के शासन काल में सारे अपराध विधायकों और मंत्रियों के संरक्षण में होते थे और पीड़ित परिवारों को न्याय न्यायालयों से मिलता था। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके दो वर्ष के इस कार्यकाल में किसी पर कोई आरोप नहीं लगे हैं। मान्यवर, बसपा शासनकाल में मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप सदन में लगाये थे लेकिन उनको सुनने का काम सरकार द्वारा नहीं किया गया था उसके बाद जब मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त के पास गये तो उनकी जो जांच रिपोर्ट आयी उसके आधार पर बसपा प्रमुख ने एक के बाद एक मंत्री को हटाने का काम किया था। मान्यवर, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी भी माननीय मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हैं मान्यवर ये बसपा के लोग किसानों के बड़े हितैषी बनते है। जब किसान इनके शासनकाल में सहकारी साधन समितियों के स्टोरों पर जाता था डीपीए खाद लेने के लिए तो उसे वह नहीं मिलती थी। इसी तरह से जब वह यूरिया लेने के लिए जाता था तो डीपीए मिलती थी परन्तु यूरिया नहीं मिलती थी। मान्यवर, किसानो की इस समस्या का हल कराने के लिए जब वे किसान आन्दोलन करते थे तो उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय बसपा सरकार के इशारे पर उन पर लाठी, गोलियां बरसाई जाती थी और किसानों को जेल में बन्द कर दिया जाता था। जब जमीन अधिग्रहण का सवाल आया, मान्यवर, जो आपकी नेता हैं उनके गांव में जब जमीन के अधिग्रहण का सवाल आया वहां के किसानों ने आन्दोलन किया तो किसानों के ऊपर गोलियां चला करके कई किसानों की हत्या कराने का काम किया गया था। मैं तो पूछना चाहता हूं कि दो साल से अधिक बीत गया है तुलना करना चाहते हो तो क्या दो साल के अन्दर पूरे प्रदेश में कहीं किसानों को खाद और बीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है ?

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि दो साल के अन्दर क्या पूरे सूबे के अन्दर कहीं किसानों को खाद के लिए लाठियों खानी पड़ी हैं ? समय पर लोगों को खाद मिली जो जरूरत थी वह खाद मिली। नहरों में पानी का जो सवाल उठता था हम भी लगातार अपने जनपद से एक क्षेत्र से 4 बार से जीत करके आ रहे हैं। कभी नहरों में पानी नहीं जाता था जैसे ही माननीय शिवपाल जी ने सिंचाई मंत्री का पद सम्भाला सभी नहरों में लगातार पानी जा रहा है। पहले लोग कहते थे कि नहरों में पानी नहीं आता अब स्थिति यह होती है कि लोग हमको फोन करते हैं कि नहर कट गयी है विधायक जी बन्द करा दीजिए नहीं गांव डूब जायेगा। जरा विचार करना तमाम ऐसी योजनाएं आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाने का कार्य किया है शायद आपने उसके विकास के बारे में कभी सोचने का काम नहीं किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अब से एक महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपना दिखाने का काम किया था इस देश के अन्दर जब टी0वी0 चैनल खुलता था तो टी0वी0 चैनल खुलते ही आता था कि अब भारत के दिन बदलने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं खराब दिन समाप्त होने वाले हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक महीना के शासनकाल में, कल माननीय प्रधान मंत्री जी को एक महीना शपथ लिये हुए हो जायेंगे, मुझे तो लगता है कि वह अच्छा दिन दिखाने का काम किये थे हिन्दोस्तान की जनता से कहा था कि खराब दिन समाप्त होने वाले हैं, मुझे लगता है कि एक महीने के अन्दर ही वह अच्छे दिन से खराब दिन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक महीने के इतिहास को उठाकर देखने का काम करना जिन लोगों ने वायदा किया था मंहगाई रोकने का काम करेंगे अभी मात्र एक महीना पूरा भी नहीं हुआ है जरा उठाकर देखने का काम करना। चीनी के दाम में 4 रुपया प्रति किलो बढ़ाने का काम किया है और रेल किराये में 14 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि एक तरफ आपकी सरकारें रही हैं उनको उठाकर देखने का काम करना। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो योजनाएं शुरू की हैं चाहे वह लोहिया विकास योजना हो चाहे वह समाजवादी पेंशन योजना हो, 108 एम्बुलेंस सेवा हो। जो सकारात्मक काम हुए हैं उनको उठाकर देखना।

श्री अधिष्ठाता-

अब बैठ जाये।

श्री उदय राज-

मान्यवर, अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं जो भी सरकारें रही हैं उसमें बुन्देलखण्ड विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि यह निधियां चलाने का काम किया गया मैं मुख्य मंत्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बुन्देलखण्ड विकास निधि लागू हैं, पूर्वान्चल विकास निधि लागू है उसी तरह से मध्यांचल विकास निधि चालू करने का काम किया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, इस बजट में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गयी हैं लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण वह अच्छी बातें पूरी पूरी हो पायेंगी, इसमें संदेह है। यहां पर बिजली पर काफी बातचीत हुयी, काफी चर्चायें हुयीं। सम्मानित सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) के अनशन के कारण बनारस को 24 घण्टे की बिजली मिली। एक मान्यता चली आ रही है कि माननीय लोगों के संसदीय क्षेत्र को 24 घण्टे बिजली दिया जाय, उसके तहत यह काम हुआ। लेकिन आश्चर्य है कि

रामनगर को क्यों छोड़ दिया गया। वाराणसी संसदीय क्षेत्र का जो शहरी क्षेत्र है। रामनगर उसका एक हिस्सा है। यह काशी नरेश की राजधानी रहा है, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म स्थान है और वर्तमान प्रधान मंत्री मोदी जी का शहरी संसदीय क्षेत्र है। वहां नगरपालिका है और इसके बावजूद सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि वहां बिजली का जो बिल दिया जाता है वह शहरी दिया जाता है लेकिन बिजली ग्रामीण दी जाती है। यह इतनी बड़ी विडम्बना है कि अगर वह क्षेत्र शहरी है, अगर वह नगरपालिका के अन्दर है और अगर आप उसको शहरी बिल देते हैं तो बिजली क्यों ग्रामीण दी जाती है। इस त्रुटि को सुधार कर लिया जाय, इसकी वजह से लोगों में बड़ा आक्रोश है। इसलिये वहां शहरी बिजली दिया जाय।

मान्यवर, इस बजट में बाढ़ नियंत्रण की कोई चर्चा नहीं की गयी है, जब-जब बरसात आती है तो जोरों से बाढ़ आती है और पूर्वांचल का निचला हिस्सा नदियों से पट जाता है। बनारस में इस बार गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई थी और जो निचले इलाके हैं, वह एक मंजिल पूरा पानी में डूब गये थे, कच्चे मकान तो गिर गये उनको कुछ क्षतिपूर्ति भी मिली। लेकिन जो पक्के मकान हैं वह भी हिल गये और उसमें लम्बी-लम्बी दरारें पड़ गयीं। अनेक मकान ऐसे हैं जो दो हिस्सों में बंटे हुये हैं लेकिन वह मलिन बस्ती है, वाराणसी का नगला क्षेत्र है। मलिन बस्ती होने के निवासी बड़े गरीब लोग हैं और मकान की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। मुश्किल यह है कि किसी न किसी दिन वह मकान तो गिरेगा और पता नहीं कौन शहीद होगा। लेकिन बाढ़ में गिरा है यह आरोप नहीं लगेगा और उनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दे, बाढ़ नियंत्रण के उपाय करें और बाढ़ की वजह से जो क्षतिपूर्ति हो रही है, वह क्षतिपूर्ति उन लोगों को भी दे और उन मकानों के लोगों को कुछ आर्थिक सहायता करे जिससे कि वह मकान भी पक्के हो जायें और वह मकान गिरने का डर न रहे। मान्यवर, हमारे देश में नदियां तट कट रही हैं और बड़े पैमाने पर नदी कटान हो रही है और यह चीज बनारस में हम लोग भी झेल रहे हैं। नदियों की कटान से नदियों के किनारे के तट पिछले वर्ष खत्म हो गये लेकिन साथ ही साथ अब मकान भी कट रहे हैं, पक्के घाट कट रहे हैं जो वहां के ऐतिहासिक सौन्दर्य की चीज है। मैं चाहती हूं कि नदी का कटान रुके, कटान को रोकने के लिये तत्काल व्यवस्था की जाय और जो कुछ वैज्ञानिक उपाय हैं, उसे लागू किया जाय और नदियों के कटान से शहर को ध्वस्त होने से बचाया जाय। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मान्यवर, इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल के विकास की बात कही गयी है। बनारस में एक हरिशचन्द्र घाट है। बड़ा पौराणिक घाट है और बड़े किस्से कहानियां उस घाट के सम्बन्ध में है। इस घाट पर जब बाढ़ का पानी आता है तो शव भी नीचे उतरने से डरते हैं कि कहीं डूब न जायें और वह ऊपर टिकी रह जाती है। जलाने की जगह नहीं मिलती, सीढ़ियां डूब जाती हैं और गलियों में जहां लोगों के निवास स्थान हैं, उन गलियों में लोगों के घरों के दरवाजे के सामने शव जलाये जाते हैं, मेरा अनुरोध है कि इसके सुधार की बात को इस बजट में शामिल किया जाय, हरिशचन्द्र घाट की सारी सीढ़ियां टूट गयी हैं, लोग कन्धे पर शव लेकर उतरने में डरते हैं। इन घाटों को ठीक से पक्का कर दिया जाय और साथ ही साथ ऐसे कई चबूतरे बना दिये जायें कि जब बाढ़ आयेगी या पानी बढ़ेगा तो उन चबूतरों पर शवदाह किया जा सके। इस बात को इस बजट में जरूर शामिल किया जाय। शहरी क्षेत्रों के विकास की बात कही गई है लेकिन ऐसे अनेक शहर हैं जहां पर कुटीर उद्योग मृतप्राय स्थिति में आ गये हैं जैसे कि मिर्जापुर के पीतल के कारखाने का उद्योग, बनारस के लकड़ी के खिलौने का उद्योग, छोटी-छोटी कमियां हैं यदि इन्हें दूर किया जाए तो

जो घर-घर का उद्योग है जो घर-घर को रोजगार देता है वह जीवित हो जाए। अगर मध्य प्रदेश से लकड़ी के लाने की छूट दी जाए और मध्य प्रदेश या बिहार से जहां बहुतायत से लकड़ी है, खिलौने बनाने की लकड़ी वहां मिलती है अगर उसके निर्यात पर से रोक हटा ली जाए तो यह हमारा कुटीर उद्योग जीवन्त हो जाए। हम पुनः निवेदन करेंगे कि कुटीर उद्योगों के विकास में जो बाधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाए और छोटी सी रियायत से हमारे कुटीर उद्योग जीवित हो जायेंगे। महिलाओं के सशक्तीकरण की बड़ी बात कही जाती है और इस बजट में बुनकरों के लिए बाजार की बात कही गई है। मेरा निवेदन है कि महिलाओं के लिए बाजार जोड़ा जाए। आज महिलाएं जाग्रत हैं घर-घर कुटीर उद्योग हो रहे हैं, अचार और पापड़ बनाने के उद्योग में महिलाएं तेजी से लगी हुई हैं एन0जी0ओ0 उनसे काम करा रहे हैं लेकिन इन महिलाओं के लिए उसे बाजार ले जाकर बेचना कठिन होता है और वह घर-घर जाकर बेच नहीं पाती है। इसलिए महिलाओं की दृष्टि से शहरों के अन्दर ऐसे बाजार निर्मित कर दिये जाएं जहां जाकर वह अपने सामान को बेच सकें तो उस हालात में गृह उद्योग बढ़ जायेंगे। एक बात और कहेंगे कि विकलांगों के लिए इस बजट में चिन्ता की गई है और वह चिन्ता इस रूप में की गई कि उनको आने जाने का साधन दिया जाय। मैं सोचती हूं कि यह अपर्याप्त है, विकलांगों के लिए और चिन्तन करना चाहिए, वह क्या खाते हैं, कैसे उनकी आजीविका चलती है, क्या ये कुछ कमाने लायक हैं, पढ़ाई-लिखाई होती है कि नहीं, क्या उन्हें कोई रोजगार सिखाया जाए, यह सारी चीजें सोचनी चाहिए। आज से 10 साल पहले वाराणसी के रोहनिया विधान सभा के खुशीपुर नामक गांव में एक विकलांग स्कूल खोला गया था जिसके चार हिस्से हैं। एक में चिकित्सालय की व्यवस्था है, एक में विकलांग बच्चे अनाथ हों तो उनके रहने की व्यवस्था है, एक में पढ़ाई की व्यवस्था हैं और एक में रोजगार है। इस चार अंग में बनाया गया था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसका उपयोग नहीं किया गया, केवल एक हिस्से में पढ़ाई होती है बाकी हिस्से जस के तस खड़े हैं, बिल्डिंग आखिरकार गिर जायेगी, हम चाहेंगे कि इसका सही उपयोग किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, आपके काफी अच्छे सुझाव आ गये हैं, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, एक विषय रह गया था बाल सुधार गृह के सम्बन्ध में।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, आगे विभागवार जो बजट आयेगा उसमें आप कह लीजिएगा।

श्री सुदेश शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2014-15 के बजट पर साधारण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैंने इस बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम किया है।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 हमारी पार्टी के सदस्य के बोलने का नम्बर है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप धैर्य रखें, आपको मौका मिलेगा, बहुत लम्बी लाइन है।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, यह कोई नई बात नहीं हैं, जब भी कोई किसानों का दर्द उठाने के लिए, अच्छी बात कहने के लिए खड़ा होगा तो हमारे बसपा और भारतीय जनता पार्टी के साथी ऐसा ही करेंगे। हम आपसे क्यों खामख्वां तकरार करने में लगे रहें। जब सामजवादी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आये तो आप उस पर जोर भी नहीं दे रहे हैं कि अच्छे दिन आ गये तो क्लेम तो आपने किया नहीं तो अब क्यों जबर्दस्ती जोर दे रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उनकी नीयत इस बजट के पीछे प्रदेश के विकास की रही होगी लेकिन इसमें काफी कुछ खामियां हैं जिनको देखने की, महसूस करने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश के किसानों का चीनी मिलों पर लगभग आठ हजार करोड़ रुपया बकाया है। जिसके लिए सदन में बार-बार सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस पीड़ा को उठाया जा रहा है, राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा उठाया जा रहा है। सदन में यह बयान आया था कि आपने सहकारी मिलों के लिए 400 करोड़ रुपये का पैकेज रखा है, मैं समझता हूं कि यह पैकेज बहुत कम है और जो प्राईवेट चीनी मिलें हैं उन पर किसानों ने जो गन्ना डाला है वह भी निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान हो, तो इस मामले में विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, चाहे बात बुन्देलखण्ड की हो बहुत अच्छी बात है, पूर्वान्चल की बात हो, अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूं कि इस पूरे बजट के अन्दर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है यह शायद निंदनीय हैं कि अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कोई प्राविधान, कोई योजना इस बजट के अन्दर नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी, इस पर विशेष रूप से गौर करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के अन्दर मोदी कपड़ा मिल, मोदी स्टील, जो मोदी नगर एक मजदूर नगरी के नाम से जाना जाता था जहां पर इतने उद्योग स्थापित थे, एक ही फैक्टरी के अन्दर कम से कम 25 हजार मजदूर काम करते थे, मोदी स्टील में करीब 10 हजार मजदूर काम करते थे। पिछले बीस पच्चीस वर्षो से वह मिलें बन्द पड़ी हैं और वहां के मजदूरों का आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। मैं उस भुगतान की बात कर रहा हूं मा0 अधिष्ठाता जी कि जिन्होंने उस फैक्ट्रियों के अन्दर अपना खून-पसीना बहाया है, उनकी तनख्वाहें, उनका हिसाब जो उनको मिल जाना चाहिए था, वह नहीं मिला। उनमें से हमारे बहुत से मजदूर साथी आज दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय हो गये कम से कम उनके बच्चों को उनका हिसाब मिल जाय लेकिन इस बजट के अन्दर कोई ऐसा प्राविधन नहीं रख गया कि वहां पर मिल बन्द हुई हैं, फैक्ट्रियां बन्द हुई हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी सरकार की ओर से कोई प्रयास किया जायेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी डार्कजोन की बातें चल रही थी मा0 सिंचाई मंत्री जी जवाब दे रहे थे लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि खुद मेरे द्वारा कई बार यह प्रश्न उठाया गया है कि मोदी नगर विधान सभा के अन्दर भोजपुर ब्लाक पिछले कई वर्षो से डार्कजोन में (क्रिटीकल जोन में) घोषित है और वहां का किसान परेशान है या तो वह बिजली की चोरी करने के लिए मजबूर है वरना उसकी फसलें सूख रही हैं। कई बार यहां पर सवाल डालने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहां का किसान सफर कर रहा है तो मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, बिजली के बारे में काफी कुछ सदन के अन्दर मा0 मंत्री जी के द्वारा बताया गया है लेकिन मैं आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े विद्वान मंत्री हैं, बड़ा प्रयास करते हैं कि उनके विभाग में ईमानदारी से काम हो। मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था पेज नं0 28 पर अतिरिक्त ऊर्जा का

उल्लेख किया गया है लेकिन मान्यवर, 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य तो रखा गया लेकिन उसके लिए किसी प्रकार के बजट का प्राविधान नहीं किया गया है। जो प्राईवेट उत्पादनकर्ताओं से बिजली खरीदी जा रही है तो जो उसकी कीमत है उससे काफी अधिक राशि अदा की जा रही है और सी0ए0जी0 ने भी इस ओर इंगित किया है। तो मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। हमारे मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मोदी नगर तहसील है। उत्तर प्रदेश में अब शायद ही कोई ऐसी तहसील बची हो जहां मुन्सिफी न्यायालय न हो लेकिन मोदी नगर तहसील के अन्दर मुन्सिफ न्यायालय नहीं है जिससे कि वहां के लोगों को न्याय पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, मजदूरों का शहर है। हाईकोर्ट से भी मेरे विचार से काफी वर्ष हो चुके हैं उसको पास हुए अब केवल उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें अपना काम करना है। मैं उसके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में उसका भी प्राविधान रखा जाय सहकारिता में कृषि ऋण राहत योजना के अन्तर्गत मात्र 129 करोड़ रुपया की व्यवस्था इतने प्रदेश के लिए की गई है जो मैं समझता हूं कि काफी कम है इसको और बढ़ाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लक्ष्मी कान्त उर्फ पप्पू निषाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखने हुए किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारियों, अधिवक्ताओं का ध्यान रखकर बहुत बढ़िया बजट रखा है उसकी मैं सराहना करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे समुदाय के लिए मत्स्य पालन जो मछुआ समुदाय निषाद समुदाय का था उसे कृषि का दर्जा देकर मछुआ और निषाद समुदाय के लोगों को मछुआ आवास के लिए 1 लाख 60 हजार रुपए किया है उससे पूरा प्रदेश मुख्य मंत्री जी और सामजवादी पार्टी को धन्यवाद दे रहा है इसलिए मैं इस विधान सभा में समाज की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तमाम योजनाएं दिया है पूर्वान्चल में तमाम योजनाएं चल रही है पूरे प्रदेश में सड़कों का काम चल रहा है इसलिए समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट में जो भी किये हैं वह सराहनीय है मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बस्ती-मेहदावल करमैनी मार्ग जो सिंगल सड़क थी जो टू लेन करने का काम किया है काम चल रहा है खलीलाबाद मेहदावल मार्ग जो टू लेन किया है वह काम चल रहा है जो ठप पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी किश्त भी वहां जारी करके तेजी से काम किया जाय आपने बोलने का अवसर दिया धन्यवाद।

श्री सतवीर सिंह गुर्जर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। सभी माननीय सदस्यों ने कानून-व्यवस्था की बात की चाहे वह पक्ष का या विपक्ष का

विधायक है आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था सभी लोगों के बीच में है चाहे वह सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष का विधायक हो सभी देख रहे हैं। मैं अपने गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली से सटा हुआ है मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आज हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि आज हमारे प्रदेश में निवेशक आएंगे एम0ओ0यू0 साइन हो गया मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर इस प्रदेश का दिल है जो वहां से चाहे वह नोयडा हो ग्रेटर नोयडा हो गाजियाबाद हो वहां से जो राजस्व आता है पूरे उत्तर प्रदेश को उससे चलाने का काम होता है। इतनी कानून-व्यवस्था माननीय अधिष्ठाता महोदय, गौतम बुद्ध नगर की खराब हो गई है। आप उसका रिकार्ड उठाकर देख लीजिये एक मर्डर वहां रोज होता है। 20 छिनौती की घटनाएं रोज अकेले गौतम बुद्ध नगर में होती है। लूट-पाट का तो कोई कहना नहीं, महिलाओं की पर्स छिनैती, चेन छिनैती की घटनाएं तो आपके बीच में आती नहीं हैं। आज बड़ी-बड़ी बातें हमारे सदस्यों ने सदन में की है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी पिछले महीने मेरी भी गाड़ी छीन ली लेकिन उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। एस0ओ0 यह कहता है कि विधायक जी, आपको तो क्लेम लेना है, इसको आप चोरी में दर्ज करा दो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो एक्चुअल घटनाएं हैं अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान गौतम बुद्ध नगर की ओर ले जाना चाहता हूं। इस गौतम बुद्ध नगर से पूरा प्रदेश चलता है और उसके राजस्व से यहां पर बड़ी-बड़ी योजनाएं आज जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे है इस सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि इन तीनों एथारिटीज का पैसा आज उत्तर प्रदेश में लगाने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह ऐसा अन्याय गौतम बुद्ध नगर के साथ क्यों हैं ? क्योंकि यह जो पैसा है यह उन किसानों की खून कमाई का है जो गौतम बुद्ध नगर में उद्योग लगे हैं, चाहे इन्डस्ट्री आये हैं वह उनके माध्यम से उन किसानों के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। आज सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कल हमारे आदरणीय एक साथी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता अगर वहां 50 करोड़ रुपया उन्होंने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे जनपद के लिये दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो दो हास्पिटल एक नोएडा और दूसरा ग्रेटर नोएडा में एम्स की तर्ज पर बनाये गये थे 900-900 करोड़ के पांच-पांच सौ बेड के। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन दोनों हास्पिटलों को खत्म कर दिया गया। आज उन हास्पिटलों में मेडिकल कालेज और दूसरे हास्पिटल में बच्चों के लिए एक और हास्पिटल खोलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। मैं धन्यवाद देता सरकार को कि वह उसके साथ साथ एम्स की तर्ज पर उन हास्पिटलों को चलाते और उन हास्पिटलों में जो दूसरे हास्पिटल खोलने की व्यवस्था आप कर रहे हैं अगर उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते तो पूरा प्रदेश आपको बधाई देता। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जनपद के साथ इतना बड़ा अन्याय इस समाजवादी पार्टी ने किया कि उन दोनों अस्पतालों को खत्म कर दिया। 5-5 सौ बेड के 900-900 करोड़ की लागत से यह दो अस्पताल बने हैं, दोनों की बिल्डिंग बनी हुई खड़ी हैं, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता उसमें दोनों एथारिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा अपना पैसा खर्च करता आपको तो सिर्फ वहां पर डाक्टर एप्वाइंट करने थे और एप्वाइंट करके उसको उसके हाल पर छोड़ देना था। आज गौतम बुद्ध नगर के जितने भी गांव हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वहां जितने भी गांव हैं, हर एक गांव में आप जाकर जांच करवा लीजिये। कैंसर के 5-6 मरीज आपको

वहां हर एक गांव में मिल जायेंगे। आज उनकी व्यवस्था नहीं हो रही। गरीब आदमियों को इलाज के लिये पैसा नहीं है। आज हास्पिटल हमारे जनपद में नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा। अगर दोनों हास्पिटल माननीय अधिष्ठाता महोदय बन जाते तो गौतम बुद्ध नगर के साथ-साथ जो पड़ोस के जनपद हैं उनको भी उस हास्पिटल का लाभ मिल जाता।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा का ढांचा अगर सही नहीं होगा तो हमारे यह प्रदेश आगे बढ़ने का काम नहीं करेगा। दो चीज अगर हमें सही तरीके से मिल जायें, चिकित्सा और शिक्षा यदि हमें सस्ते दामों पर मिल जायें तो मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश अवश्य तरक्की करेगा। आज हम बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, 1947 से जबसे देश आजाद हुआ है, आज तक हम वही चीज पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही चीज पढ़ रहे हैं, हमारे बड़े-बूढ़े लोग भी वही पढ़ते थे, लेकिन उसमें आज तक कोई सुधार का कोई काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, मिड-डे-मील जो है, यदि हमारे परिवार में 5 आदमी हैं, अगर परिवार के 4 लोग खाना खा सकते हैं तो क्या हमारे परिवार का एक बच्चा खाना नहीं खा सकता है ? उस पैसे को हम शिक्षा पर खर्च करें, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा कि हम उस पर अंकुश लगायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा का एक ऐसा स्कूल 10-12 गांवों के बीच में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर खोला जाए और उस पर 10-12 बस लगाने का काम करें, हमारे बच्चे तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब हम उनको अच्छी शिक्षा मुहैया करा पायेंगे। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री पंकज गुप्ता-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात रखूं, इससे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बजट की चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। अभी कल से बजट की चर्चा के बारे में पक्ष और विपक्ष सबके हम विचार सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय लोक दल के साथी ने बवंडर की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र में जो सत्ता पाई है उन्होंने बवंडर का एक किस्सा सुनाया कि उसके कारण जनता गुमराह होकर उसने हमें सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अब इस देश की जनता जागरूक हो गयी है। इस देश की जनता अच्छा और बुरा समझने लगी है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद तमाम ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई मंहगाई जब इनसे देश की जनता ऊब गयी, सपा, बसपा और इन सारे दलों से जब देश की जनता ऊब गयी तब उसने एक व्यक्ति के पीछे चलते हुए पार्टी के पीछे चलते हुए, एक जनादेश देने का काम किया, एक मैनडेट देने का काम किया, उसके कारण मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार बनी, यह मैं आपके माध्यम से सारे विपक्षी दलों को बताना चाहता हूं। अभी सपा के तमाम लोगों ने बातें कहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन्होंने केन्द्र में सरकार बना रखी है, उन्होंने अपनी घोषणाएं पूरी नहीं की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केन्द्र में सत्ता में आये हुए हमें एक माह हुआ है, इस एक माह के दौरान हमारी सरकार प्रयास कर रही है, उसके बारे में हमारी सरकार के वक्तव्य, हमारी सरकार के विचार आगे आयेंगे, लेकिन इस बजट के माध्यम से जो विचार, जो बातें हमारे सामने आयी हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

कृपया दो मिनट बोल लेने दीजिये। मान्यवर, आज पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिये आप हमारे विचार सुन लीजिए। आज से लगभग ढाई साल पहले जब विधान सभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक घोषणा-पत्र जारी किया था। उस घोषणा-पत्र के माध्यम से उन्होंने जनता को बतलाने का काम किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देने का काम करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देने का काम करेंगे, कन्या विद्या धन बांटने का काम करेंगे और लैपटाप देने का काम करेंगे। उन्होंने यहां तक की कहा था कि यह बेरोजगारी का भत्ता हम तब नौजवानों को देने का काम करेंगे, बेरोजगारों को देने का काम करेंगे, जब तक उन बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी न दे पायें। मान्यवर, जब मैं इस बजट को देखता हूं तो मुझे शर्म आती है, इसे देखते हुए आप आरोप लगा रहे हैं कि हम अपनी घोषणाएं पूरी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप देखें इस बजट में यह सारी घोषणाएं एक मत से एक साथ खारिज करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिये मैं इस बजट का अपनी तरफ से निन्दा करता हूं और विरोध करता हूं। साथियों नौजवानों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा। कन्या विद्या धन की घोषणा करने के बाद उसे बन्द करके बच्चियों के साथ धोखा करने का काम किया। जिस सरकार में नौजवानों, किसानों, बच्चियों, महिलाओं के साथ दुराभाव करने का काम किया गया हो ऐसे बजट की मैं निन्दा करता हूं और इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री पंकज गुप्ता-

मान्यवर, अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहता हूं। दो मिनट में। अधिष्ठाता महोदय, हम जानते हैं कि हर सरकार की अपनी परम्परा होती है अपनी नीति होती है लेकिन पिछली सरकारों द्वारा अगर कुछ अच्छे काम किये जा रहे हैं तो उनको भी हमें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में पिछली सरकार के द्वारा गंगा में दो पुल पास किये गये थे। उन्नाव से कानपुर को जोड़ने के लिये एक गंगा का पुल पास किया गया था जो 90 प्रतिशत बन गया है और एक बिठूर का पुल पास किया गया था जो 90 प्रतिशत बन गया था तबसे ढाई साल बीत गया है यह दोनों पुल महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस सरकार ने उन पुलों को बनाने के लिए बजट का प्राविधान नहीं किया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अच्छे काम है इनको होना चाहिए और बजट में इनका प्राविधान किया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना चल रही थी। जिसको बाद में बन्द करके नई योजना लायी गयी। हमारे यहां उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 500 मकान ऐसे हैं जो बनकर तैयार हैं बस रंगाई पुताई होनी है अगर उसको सरकार करा दे तो निश्चित रूप से शहर में रहने वाले काफी गरीबों को अपने आवास उपलब्ध हो सकेंगे। इसी प्रकार से हमारे यहां जिला अस्पताल है, 20 साल पहले वह 200 बेड का अस्पताल बनाया गया था आज आबादी इतनी बढ़ गयी है कि अगर उसमें और 200 बेड का अस्पताल बढ़ाया जाये तब भी पूरा पड़ने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री पंकज गुप्ता-

बस मान्यवर, दो मिनट। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्नाव का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। उन्नाव और खासकर हमारी विधान सभा औद्योगिक इकाइयों से घिरी हुई हैं। हमारी विधान सभा में तीन-तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं। अकरमपुर, बंथर और दही चौकी का क्षेत्र है। उसके बीच में हमारी विधान सभा बसी हुयी है। दुर्भाग्य से उन्नाव शुक्लागंज, कानपुर और लखनऊ के बीच में बसा हुआ है। इसलिये सेंडविच की तरह पिसा जा रहा है। इतना प्रदूषण उन्नाव में है कि आप लोग जब उन्नाव से निकलते होंगे तो कहते होंगे कि बदबू आ गयी तो समझो उन्नाव विधान सभा आ गयी और बदबू समाप्त हो गयी तो उन्नाव विधान सभा समाप्त हो गयी। इन उद्योगों से निकलने वाले सीवेज को निकालने के लिये उनसे निकलने वाले केमिकल को निकालने के लिये हमारे यहां दो नाले एक लोन नदी का नाला और एक सिटी जेल ड्रेन का नाला बनाये गये हैं। 20 सालों से इन नालों की सफाई नहीं हुयी है। इनमें भयंकर सीवेज भरा हुआ है। बंथर औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में 3 लगातार मौतें हो चुकी हैं, कई मवेशी मारे जा चुके हैं, 15-20 लोग बीमार अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, जब वहां मैं मौके पर गया तो हमारे सामने डी0एम0, एस0डी0एम0 सब लोगों ने मौके पर देखा कि खून के लोथड़े बह रहे थे जो सिटी जेल ड्रेन में सीधे बहाये जा रहे थे और वह सीधे गंगा जी में प्रवाहित हो रहे थे। हम लोगों ने मौके पर 06 इंडस्ट्री पकड़ी। लिखकर भी दिया लेकिन अभी तक शासन से कार्यवाही नहीं हुयी। उन नालों की भी सफाई नहीं हुयी। हमने जिलाधिकारी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि शासन से मद की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला पंचायत कच्चे काम करा नहीं सकता। सफाई करा नहीं सकता। सिंचाई विभाग के पास प्रस्ताव नहीं है। हम निधि से पैसा दे नहीं सकते। ब्लाक कच्चे काम करा नहीं सकता। मशीन से ही काम हो सकता है मनरेगा से काम हो नहीं सकता। इसलिये हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि और कितनी मौतों का इंतजार करेंगे तब जाकर वह नाले साफ होंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी मद से इन नालों को अर्जेन्ट बरसात से पहले साफ कराने का काम किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए बजट का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 2014-15 के बजट अनुमानों के बजट भाषण की चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ बसने वाले लोगों के बारे में सोचा है, उत्तर प्रदेश के जल जीवन, जंगल, जमीन को बचाने के बारे में सोचा है और जो-जो अपने बजट में उन्होंने कदम उठाये हैं, वह बहुत ही सराहनीय है, जितनी तारीफ की जाय कम है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने खुद यह स्वीकार किया है कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं हेतु लगभग 60 वर्षों के बाद भी समाजवादी सोंच के अनुरूप हम सुविधायें नहीं दे पा रहे हैं उसके लिये प्रयासरत है, ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्तर पर तेजी से सुधार करने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा, भयमुक्त समाज, सड़क, बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधायें बेहतर हों, इस ओर भी

कदम उठाया गया है जो बहुत ही सराहनीय है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कौशल विकास मिशन लागू किया कि इस प्रदेश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको दूर कैसे किया जाय, यह कौशल विकास मिशन जिस दिन पूरी तरह से लागू हो जायेगा, बहुत व्यापकतौर पर हर हुनरमंद हाथ को काम मिल जायेगा और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। मुख्य मंत्री जी का जो विजन है जो हमारी समाजवादी पार्टी का विजन है वह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाय, कैसे उस नारे को जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था कि रोटी-कपड़ा सस्ती होगी, दवा, पढ़ाई मुफ्त होगी, इस नारे को कैसे लागू किया जाय कि हमारे गांव में रहने वाला किसान और उसके बच्चे भी यूनिवर्सिटी और कालेजों तक पहुंच सकें और यही सोंच थी समाजवादी पार्टी की और इसलिये उन्होंने दवा, पढ़ाई मुफ्ती और रोटी-कपड़ा सस्ती की बात की और इण्टर तक के बच्चों की फीस भी माफ किया और उनकी किताबें भी सस्ती मुहैया कराई और आज जो प्रदेश की हालत है कुपोषण गरीबी वह दो साल में नहीं हो गई, आज प्रदेश में बहुत सुधार की आवश्यकता है और उस ओर हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत बेहतरीन कदम उठाये हैं। इन दो सालों में अगर हम अनुमान लगायें तो काफी कुछ काम किया है, लेकिन उससे पहले जो सरकारें थीं अगर उन्होंने भी बेहतर काम किये होते तो हमारे प्रदेश की हालत और अच्छी होती। मान्यवर, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में श्रमिकों के बारे में भी बहुत कुछ किया, श्रमिक बीमा योजना लागू किया उसमें लगभग बीस सूत्री कार्यक्रम है कि उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाय, अगर उनकी दुर्घटना हो जाय तो कैसे उनको सहायता दिया जाय, बहुत सारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिये और उसमें तेजी से काम आगे बढ़ भी रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय हमारी सरकार कृतसंकल्प है कि इस प्रदेश को कैसे बेहतर हालत में लाया जाय, कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाय, प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग को कैसे खुशहाल किया जाय। गांव के चौकीदार की अगर मैं बात करूं तो उस पर भी अगर नजर पड़ी तो मा0 मुलायम सिंह यादव जी की पड़ी, समाजवादी लोगों की पड़ी और समाजवादी पार्टी की पड़ी, इससे पहले जितनी भी सरकारें रहीं, गांव के चौकीदार की तरफ किसी ने नहीं देखा, गांव के चौकीदार की तरफ देखना इस बात को साबित करता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की नजर हर उस व्यक्ति पर है जो समाज में सबसे आखिरी छोर पर खड़ा है और वह उसको आगे लाने का काम कर रही है। मान्यवर, अभी हाल ही में समझौता ज्ञापनों पर जो हस्ताक्षर हुआ 54606 समझौता ज्ञापनों पर, इससे पहले जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने उद्यमियों को प्रदेश में लाने के लिये कोई बेहतर कदम नहीं उठाया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तेजस्वी और बहुत ही महान मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने बेहतर कदम उठाये और ज्यादा से ज्यादा उद्योग बढ़े उत्तर प्रदेश में इसके लिये उन्होंने ऐसा माहौल बनाने का काम किया है कि उद्यमी यहां आयें और जब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, तो हमारे प्रदेश को फायदा होगा, हमारे बेरोजगार हाथों को काम मिलेगा। मान्यवर, जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने की योजना जो हमारी सरकार ने बनाई है जब सड़कें चौड़ी होंगी तो जाहिर है कि विकास होगा। सिंचाई हेतु किसानों के लिये पानी मुफ्त किया, यह बहुत सराहनीय कदम रहा है। कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल के साथ, अन्त्येष्टि स्थलों के लिये भी यह बहुत सराहनीय कदम रहा है। मैं मुसलमान हूं और मुझे इस बात का एहसास है कि कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल का मतलब क्या होता है। कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल का मतलब यह है कि जो हमारे आबा व अज्दा उसमें दफन हैं, उनके ऊपर गन्दगी न हो और उनकी कब्रें सुरक्षित रहें। कोई उस पर अतिक्रमण न करे। यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है समाजवादी पार्टी की सरकार

का। मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को और उनके सहयोगी मंत्रियों को कि उन्होंने कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल की सुध ली। इससे पहले जितनी भी सरकारें थीं किसी ने सुध नहीं ली थी। मान्यवर, लोहिया ग्रामीण आवास योजना है, इन्दिरा आवास योजना लागू थी और आज भी लागू है लेकिन वह एक विशेष वर्ग के लिये है। जो गरीबी रेखा के नीचे हों और एक विशेष जाति को उसमें तरजीह दी जाती थी लेकिन लोहिया ग्रामीण आवास योजना मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसी विषमता को दूर करने के लिये और इस समस्या को दूर करने के लिये लागू की है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वह अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे जिस जाति-बिरादरी का हो, अगर वह छप्पर के मकान में रहता है और उसकी बसआत इतनी नहीं है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आवास बनवा सके तो उसको लोहिया आवास योजना के जरिये आवास दिया जा सके। यह हमारे मुख्य मंत्री जी ने वादा भी किया था कि कोई सिर ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर हम पक्की छत न दे दें। मैं धन्यवाद देता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को कि आप अपने एक-एक वादे को पूरा करते हुए खरा उतर रहे हैं। मान्यवर, शहरी गरीबों के लिये जो आसरा योजना है यह अपने आप में बहुत सराहनीय है। बहुत सारी बातें हैं, अभी गन्ना किसानों के बारे में बड़ी चर्चा हो गयी प्रश्नकाल में, मैं सुन रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्य मंत्री जी को और समाजवादी पार्टी की सरकार को कि जब इस बार हमारी सरकार बनी तो जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल का डिफर का पैसा था, अगर हमारी नीयत में खोट होती तो वह डिफर का पैसा हम न दिये होते। हमारी नीयत ठीक थी, हमारी सोच ठीक थी। गन्ना किसानों के प्रति हमारे मुख्य मंत्री जी की हमदर्दी थी। हमारी नीयत ठीक थी लेकिन कुछ नीतियां केन्द्र सरकार ने ऐसी बनायी चुकन्दर की सस्ती चीनी खरीद करके कि जो हम गन्ना किसानों को रेट देना चाहते थे, वह रेट हम नहीं दे पाये और जो गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो रही थी तो गन्ना किसानों का भुगतान भी बहुत जल्द से जल्द होगा। हमारी सरकार कृत संकल्प है, किसानों की हितैषी सरकार है। वह लोग क्या बात करेंगे जिनके जमाने में किसानों को खाद के बदले लाठियां मिलीं। गन्ना किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ा और जिनकी मुखिया ने कहा कि हमारा वोटर तो गन्ना बोता ही नहीं है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं मा0 अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने ऐसे-ऐसे सराहनीय कदम उठये हैं जिससे हमारा प्रदेश खुशहाल हो। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की एक सोच है। जब हमारी ग्राम पंचायतें नहीं मजबूत होंगी तब तक हमारे शहर और नगर मजबूत नहीं हो सकते। हम आगे नहीं बढ़ सकते और इसी सोच के मद्देनजर हमारी सरकार ने और मा0 मुख्य मंत्री जी ने ग्राम पंचायतों के लिये 666 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो बहुत सराहनीय कदम है। अल्पसंख्यकों के लिये मुस्लिम वर्ग के लिये, छात्रवृत्ति 119 करोड़ रुपया दिया है। अरबी, फारसी मदरसा आधुनिकीकरण के लिये 240 करोड़ रुपया दिया है। अरबी पाठशालाओं के लिये 240 करोड़ रुपया दिया है। यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बस आधा मिनट आपसे लेना चाहता हूं। इस सदन के अन्दर एक पार्टी ऐसी है जिसका नाम पीस पार्टी है, उसके नेता बैठे हुए हैं। मैं सुन रहा था उनकी बात वह

कह रहे थे कि जिस तरह प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे-मील की व्यवस्था है क्या उस तरह मदरसों में भी नहीं होना चाहिये। होना चाहिये बिल्कुल होना चाहिये और हमारे मंत्री जी ने जवाब भी दिया था कि मिड-डे-मील के लिये हमने सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिख दिया है। उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों का ठेका खाली उन्होंने ही ले रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना काम मुसलमानों के लिये अल्पसंख्यकों के लिये मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने कर दिया, मा0 अखिलेश यादव जी ने कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है इन 66 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया मा0 अधिष्ठाता महोदय। मैं अपनी बात दावे के साथ कहना चाहता हूं। आपने मुझे बजट के भाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बजट के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 सदस्यों की पीड़ा है कि पश्चिम में वैसे भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया, जब पश्चिम पीठ पर सवार है तो पश्चिम वालों को मौका विशेष मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नेता प्रतिपक्ष मैं संख्या के आधार पर बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं मान्यवर, यहां मैं निवेदन करूंगा कि हमारे 15 वक्ताओं की सूची, आपके पास पड़ी हुई है और मुश्किल से जबसे सदन चल रहा है हमारे दो वक्ता बोले हैं इसलिये उस पर मान्यवर, थोड़ा गम्भीरता से ध्यान दे लें।

श्री अधिष्ठाता-

तीन वक्ता बोल चुके हैं और तीन ही बी0जे0पी0 के बोल चुके हैं।

श्री रामकरन आर्य-

आप पूरे विपक्ष के नेता हैं मान्यवर, इधर हो या उधर हो।

(विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठिये, अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद आप लोगों का नम्बर है, आप क्यों जल्दी करते हैं। बैठें, लोकेश दीक्षित जी बैठें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अधिष्ठाता जी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कही है और उस बात के कहने के क्रम में पीठ की ओर उन्होंने यह बात कही है कि पश्चिम पीठ पर सवार है। अब उनके कहने का जो भी आशय है मैं उनको कोई कदाशयता नहीं कहता हूं। मैं पीठ की सराहना करता हूं, इस मामले में कि जिस तरीके का भेदभाव सदैव मौर्या जी की नजर में रहता है, वह भेदभाव पीठ की नजर में नहीं है

और सम्पूर्ण सदन पूरब, पश्चिम, बुन्देलखण्ड, मध्यांचल इसमें कोई भेदभाव पीठ की ओर से नहीं है और मान्यवर, इसलिये पीठ की सराहना की जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

बसपा में भी पश्चिम है, उनको भी मौका मिला है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले से आता हूं जिसे पिछली सरकार में नया जनपद बनने का मौका मिला। आज हमारा दुर्भाग्य है कि वह एक जनपद में रहकर के टापू की स्थिति में आ गया है यह वास्तव में मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। आप लोगों ने पैसा दिया भी है लेकिन वहां लोगों की स्थिति को देख करके सरकार के जो अधिकारी हैं, पता नहीं क्यों लापरवाही बरतते हैं। सड़क का इतना बुरा हाल है कि कोई भी सड़क जनपद शामली जाने के लिये ऐसी नहीं है जिसमें आदमी आराम से जा सके। सड़क में गड्ढे इतने बड़े-बड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतना बुरा हाल है। सड़क से इतनी दिक्कत होती है कि रास्ते में जाकर के लूटपाट होती है। कई बार तो ऐसे गम्भीर मामले हुए हैं। पेसेन्ट को लेकर के सड़कों के माध्यम से जब जाया जा रहा था तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। बड़ा बुरा हाल है, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सड़कों के मामले को गम्भीरता से लेना पड़ेगा। राजमार्ग है, पानीपत-खटीमा मार्ग है, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग है, मेरठ-करनाल मार्ग है, सारे के सारे इतनी बुरी स्थिति में है, मा0 अध्यक्ष जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप वहां कार के रास्ते से गये भी हैं। इतना बुरा हाल है सड़कों का की आम आदमी का जीवन भी बुरा हो रखा है। हर आदमी यह सोचता है कि उनके जनप्रतिनिधि सदन में जाकर आवाज नहीं उठाते मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं सरकार के लोगों से, मुजफ्फरनगर, शामली के लोग सरकार में भी बैठे हैं। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जनता के हित में एक ऐसा कदम उठाइये और अधिकारियों को सख्ती के साथ इसका पालन करने के लिये कहिए। बरसात से पहले-पहले रास्ता कम से कम चलने योग्य हो जाए। दूसरी बात एक दुर्भाग्य और भी हमारे जिले का जिला जो बना दिया गया। आज तक वहां अधिकारियों को पर्याप्त सुविधायें नहीं मिल पायीं। आज तक मुख्यालय का गठन नहीं हो पाया। बार-बार अस्पताल के लिये जमीन का प्रस्ताव आता है लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक लोग, जो गलत जगह अस्पताल को ले जाना चाहते हैं। वह बार-बार अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। वहां के जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, अन्य अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, उन्हें अस्पताल के हिसाब से जमीन मिल गई है, मुख्यालय के हिसाब से जमीन मिल गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि आप लोग उसे जल्द से जल्द निर्माण करायेंगे तो जनता का भला होगा मान्यवर, गन्ने का इश्यू उठा ही था।

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं खुद किसान परिवार से हूं। उसमें एक सुधार और करा लीजिये। वहां कुछ विभाग जबरदस्ती करने का काम करते हैं, मेरा कहना है कि किसानों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं खास तौर से बिजली विभाग में मेरा कहना है कि जब तक गन्ना बकाये का भुगतान की व्यवस्था न हो तब तक उन पर जो कर्ज है वह वसूला न जाये और जहां तक सम्भव हो सके उनके वह कर्ज माफ कर दिये जायें। मान्यवर, तीसरी बात बिजली की आती है, मान्यवर, हम सिर्फ इतनी

बात करते हैं यह तो सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक-एक व्यक्ति चाहता है कि 24 घण्टे बिजली हो लेकिन हम सारी मजबूरियों को समझते हैं और इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि जितनी बिजली इस प्रदेश को मिल रही है। वह बिजली बराबर में सबको मिल जाये बराबर में अगर बिजली लोगों को मिलेगी तो लोगों की दिक्कतों का समाधान हो सकेगा। मुजफ्फरनगर शामली जनपद में 16 घण्टे बिजली अनुमन्य है, मुख्यालय के लिये 16 घण्टे बिजली देने की बात है लेकिन बिजली आती है 8 घण्टे 7 घण्टे। हमने गर्मी का मौसम आने से पहले अधिकारियों को कहा था कि आपको तारों की दिक्कत आयेगी जब लोड बढ़ेगा आपको दिक्कत होगी ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करानी है उपकरण जितने बढ़ाने हैं बढ़ाइये, आप बिजली नहीं बढ़ा सकते लेकिन उपकरणों को बढ़ाया जा सकता है जर्जर तारों को बदला जा सकता है। मान्यवर, बिजली का इतना बुरा हाल है कि कोई अधिकारी अगर अपने दफ्तर में मौजूद है किसी आम किसान की इतनी हैसियत नहीं है कि आम किसान उस दफ्तर में चला जाये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को एहसास होना चाहिए कि वह दफ्तर उस पैसे से बना है जो पैसा आम आदमी की गाढ़ी कमाई से निकलकर के और उससे उन दफ्तरों का निर्माण होता है जिसमें अधिकारी बैठता है। यह कम से कम कहना चाहिए, आम आदमी भी इसी प्रदेश का रहने वाला है उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या फायद, क्या फायदा किसानों की सरकार का। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी किसान परिवार से हैं मैं चाहता हूं कि कम से कम इनके राज में किसानों को, मजदूरो को, छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, सबको सम्मान मिले और सबको एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मान्यवर, मैंने अस्पताल की बात कही थी। आज पूरे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है खासतौर से हमारे जनपद शामली में डाक्टरों की बहुत कमी है क्योंकि नया जनपद बना है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं अच्छे हैं बहुत काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरी है, बहुत बुरा हाल है। अध्यापकों की बहुत कमी है जो अध्यापक जाते हैं वह सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग का मामला कुछ महीने के लिये रुका था लेकिन अब वहां दुबारा सेटिंग शुरू हो गयी है। इसको सुधारा जाना चाहिए क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वह हमारी आने वाली पीढ़ी है हमारा आने वाला भविष्य है अगर वह पढ़े-लिखे होंगे तो भविष्य अच्छा होगा। मुजफ्फरनगर, शामली, मान्यवर, आप जानते हैं कि वहां दंगा हुआ आपको जानकारी है जो ऐसे अधिकारी हैं पुलिस के अधिकारी हैं जो दंगे के समय से अब तक या उससे पहले से लम्बे समय से वहां हैं उन अधिकारियों को तत्काल हटाया जाना चाहिए इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। लोगों का नुकसान होता है और दलाली प्रथा को बढ़ावा मिलता है। ऐसे कुछ लोग हैं आप दावा करते हैं कि अवैध खनन बन्द है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज भी कुछ थानेदार ऐसे हैं जो राजनीति व्यक्ति ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों के शरण में आकर के जो समाजवादी विचाराधीन के नहीं हैं वो आपके दल में हो सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा आपकी नहीं है। वह लोग खड़े होकर के खनन कराने का काम कराते हैं। जिलाधिकारी से भी हमने कहा था कई बार छापेमारी भी हुई लेकिन बहुत प्रयास किये लेकिन आज तक अवैध खनन का काम जारी है, अवैध खनन के काम किये जाते हैं इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। हम भी सरकार की तारीफ करते, हम खुले दिल से सरकार की तारीफ करेंगे जिस दिन मुजफ्फरनगर शामली में अवैध खनन प्रदेश में अवैध खनन बन्द होगी, जिस दिन गुंडई का खात्मा होगा, जिस दिन सड़कों का निर्माण होगा, जिस दिन आम आदमी, आम नागरिक रिक्शे वाला गरीब आदमी सम्मान के साथ सरकारी दफ्तरों में अपने अधिकार को मांगने जायेगा। मैं उसी दिन खड़े होकर इस विधान सभा में मा0 मुख्य मंत्री की तारीफ करने का काम करूंगा। कुटीर उद्योगों पर और ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह

से पूर्वांचल निधि मिलती है मध्यांचल की मांग हुई है डेवलपमेन्ट के मामले में माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में पहले भी लाया हूं, जनपद शामली में ऐसी कई फैक्ट्रीज हैं जिनसे पानी दूषित होता है आप जांच करा लीजियेगा। जनपद शामली मुख्यालय के आस-पास गांव सिम्भालिका, गांव खेड़ी, गांव विलोध, गांव बलवा वहां कैंसर का प्रभाव पड़ा है। फैक्ट्री का प्रदूषित पानी जाता है जो हैण्डपम्प लगे हैं वह ऊपरी सतह पर लगे हैं। वहां इतना बुरा हाल है कि ऐसा कोई घर नहीं बच रहा मतलब कम घर ऐसे होंगे जिन पर कोई गम्भीर बीमारी से ग्रसित आदमी नहीं होगा। मान्यवर, वहां पीने के पानी का बहुत अभाव है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था वहां नहीं है शहरी क्षेत्र में भी इतना दूषित पानी वहां आता है बहुत बुरा हाल है उसके लिये भी आपको कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। हैण्डपम्प जितने दिये गये हैं उनसे कुछ काम नहीं होता या तो आप लोग हमें अधिकार न दें इतना कर दें कि हमसे पूछ लें और वह हैण्डपम्प स्थापित हो जायें। जरूरत के आधार पर तो कम से कम होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी आखिरी बात कहूंगा। मेरी विधान सभा ऐसी है जिसमें नगरीय क्षेत्र भी आते हैं दो-तीन दिक्कतें इतनी हैं कि उनका बार-बार प्रयास करता हूं लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता। जैसे हमारे क्षेत्र में कांधला एक कस्बा है वह नगरपालिका है। कांधला नगर पालिका में मैं बार-बार अधिकारियों के संज्ञान में लाया वहां बिजली ग्रामीण क्षेत्र की दी जाती है वहां कम से कम 12-14 घण्टा बिजली जायेगी तो वहां की जनता की तरक्की होगी। मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं शहरी क्षेत्र में कोई डेवलपमेन्ट नहीं हो पा रहा है वहां बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं खुलकर के बोलना चाहूंगा वहां न तो सड़क है, हमारे नगर पालिका शामली में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अनडेवलप है डेवलप नहीं हो पाया है उसके लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था इस बजट में हो जाय तो और अच्छी बात होगी नगरीय क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बुरी स्थिति है मैंने विधायक निधि से 30 के आस-पास सड़कों का प्रस्ताव किया था लेकिन अधिकारियों की मनमर्जी के चलते वहां आज तक हैण्डपम्प नहीं लग पाये हैं। मान्यवर, बातें तो मेरे मन में बहुत हैं, पीड़ा तो बहुत है लेकिन आपकी तरफ देखता हूं आज 4 दिन के बाद आपका आर्शीवाद मुझको मिला मैं बोला, कम से कम अपने क्षेत्र की दिक्कतों को मैंने यहां बताया इसके लिये आपको धन्यवाद करता हूं और प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री हेमराज वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2014-15 के लिये जो 2 लाख 74 हजार 704 करोड़ 59 लाख रुपये का जो बजट प्रस्तुत किया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय बजट है और इतने बड़े इस बजट से निश्चित तौर पर हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारा प्रदेश निश्चित तौर पर तेजी से आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अवस्थापना सुविधाएं सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव हेतु 49,108 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो पिछले बजट के मुकाबले 82 परसेन्ट अधिक व्यवस्था की है इससे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की सड़कें, सेतु उनके अनुरक्षण के कार्य तेजी से होंगे और हमारे प्रदेश में तेजी से विकास की गंगा बहेगी। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट के मुकाबले 34 परसेन्ट बजट बढ़ाकर यह सिद्ध किया है कि वास्तव में हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच इस प्रदेश के जो बीमार लोग हैं जिन्हें चिकित्सा की सुविधाएं

चाहिए होती हैं ऐसे गरीब लोगों के प्रति कितनी संवेदना उनके मन में है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति के लिये उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिये इस बजट में करीब 26 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के उस गरीब को लाभ पहुंचाने की सोच है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीधे-सीधे उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है जिससे हमारी जो पीढ़ियां हैं हमारे जो बच्चे हैं आज पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़ लिखकर इस प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी बेहतर शिक्षा के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार शिक्षा के बजट में करीब 15 प्रतिशत वृद्धि करने का काम किया है। अभी हमारे माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य इस बात को बोल रहे थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। 73वें संविधान संशोधन में प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गयी है। लेकिन पिछली सरकारों ने इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, यदि उन्होंने इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया होता तो आज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज संस्थायें हैं, वह निश्चित तौर पर आगे बढ़ती। यह पंचायत राज संस्थायें सरकार का आईना होती हैं, उनको अगर विकसित किया जाता तो आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति कुछ अलग ही होती। आज माननीय सदस्य जी के बोलने में थोड़ी त्रुटि हो गयी उन्होंने पंचायतों के बजट को करीब 600 करोड़ का बताया, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों के लिये 2332 करोड़ और ब्लाक पंचायतों के लिये 333 करोड़ और जिला पंचायतों के लिये 666 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 4390 करोड़ की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायत राज संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिये की है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत राज संस्थाओं को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में दुग्ध की कहीं पर कोई कमी न हो और हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, दूध की कमी से उनके पोषण में कहीं कोई कमी न रह जाये, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से हमारा जो प्रदेश है, वह वर्ष 2013-14 में देश के दुग्ध उत्पादन में प्रथम हमारा प्रदेश रहा है और 2014-15 के लिये दुग्ध उत्पादन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और भी कई सुविधायें देने का काम किया है।

हमारे गन्ना किसानों के लिये सहकारी चीनी मिलों के भुगतान के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है। इससे यह समझा जा सकता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी के दिल में गन्ना किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी है। इसके अलावा निजी चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का जो बकाया है, उसको दिलाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतने कठोर कदम उठाये हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के हित में इतने कठोर कदम नहीं उठाये और जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कठोर कदम उठाये हैं, उससे हमारे किसानों का जो बकाया मूल्य है, जल्दी से जल्दी किसानों को उनका बकाया भुगतान अवश्य मिलेगा।

इसी प्रकार कृषि एवं सम्बद्ध योजनाओं के बजट में मुख्य मंत्री जी ने 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे हमारे किसानों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और निश्चित तौर पर वह आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, वर्ष 2016-2017 तक ग्रामीण क्षेत्र के लिये 18 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र के लिये 24 घण्टे

बिजली उपलब्ध कराने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रयास काफी रंग लाया है और बिजली की व्यवस्था में काफी सुधार आया है। आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच और उनकी लगन से निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे और शहरी क्षेत्रों को 24 घण्टे बिजली मिलना सुनिश्चित हो जायेगी। आज हमारे बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत से मजरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, माननीय मुख्य मंत्री जी की योजना के अनुसार आगामी दो वर्षों में उन सभी मजरों में विद्युतीकरण कराने का काम इस बजट में किया गया है।

मान्यवर, हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है वह काफी पिछड़ हुआ क्षेत्र है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बंगाली समाज के ऐसे नमो शूद्र, गौड़, मांझी जातियों के लोग काफी संख्या में रहते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अन्य जिले लखीमपुर खीरी में ऐसे लोग रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा भेजा गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जनपद के हमारे विधान सभा क्षेत्र के।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री हेमराज वर्मा-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नमो, शूद्र, पौड़, मांझी जातियों को भी उन 17 जातियों में जिनको कि अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये प्रस्ताव है, उसमें सम्मिलित करने का कष्ट करें। मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमारे जिले में हमारी मांग के अनुसार हमारे जनपद के जो वन हैं उसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का काम किया है। मेरा एक और निवेदन है कि हमारे पीलीभीत जनपद में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम जो 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चूकाबीज वहां पर है और चूकाबीज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की पहचान होगी, हमारे जनपद की पहचान होगी और हमारे जनपद को इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो मानव निर्मित डैम है उससे कई जनपदों की सिंचाई होती है, उसके लिये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। शारदा नदी कटान करते-करते करीब चार-पांच सौ मीटर के करीब पहुंच चुकी है। उस डैम को बचाने के लिये और शारदा नदी के बहाव को रोकने के लिये अच्छे प्रयास की जरूरत है और स्थाई समाधान की जरूरत है जिससे जो खतरा हमारे डैम को हो रहा है वह दूर हो सके। मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं अभी बहुत सारे सुझाव हैं यदि मौका मिलेगा तो उन्हें भी मैं सदन के सामने रखूंगा। इसके साथ ही हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो शानदार बजट पेश किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2014-15 के बजट पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हो रही हैं। मैं आगरा शहर से चुनकर आता हूं, आगरा शहर को

इस बजट में वंचित रखा गया है। यहां पेयजल की पूर्ति के लिये बजट में तीन सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है। मान्यवर, दूसरे शहरों के साथ ही आगरा शहर में भी पानी दूषित है। तीन सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था जो पेयजल पूर्ति के लिये रखी गई है वह किस माध्यम से रखी गई है इसे खोला नहीं गया है। गंगा जल परियोजना के प्रोजेक्ट का कोई अता-पता नहीं है। इसके साथ ही साथ इस बजट में 2 हजार 75 करोड़ रुपये जो एस0सी0 के बच्चों को वजीफा देने के लिये रखा गया है और 722 करोड़ रुपये जो सामान्य बच्चों के लिये रखा गया है उसमें मैं सामान्य संशोधन चाहूंगा कि वह बच्चों के सीधे खाते में जाना चाहिए अन्यथा जो स्कूल के प्रबन्धक हैं वह बहुत मनमानी करके घोटाला करते हैं। तीसरा उद्योग के लिये हमारी सरकार ने हमारे अनुरोध पर बहन कुमारी मायावती जी ने उद्योग के लिये आगरा शहर में 900 बीघे को लेदर पार्क स्वीकृत किया था वह आधा पूरा हो गया है लेकिन बड़े दुख की बात है कि वह पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि आगरा में शूज का व्यापार सबसे ज्यादा होता है वहां पर करीब दो हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है और हजारों करोड़ रुपये का डोमेस्टिक शूज सप्लाई होता है। मान्यवर, लेदर पार्क को पूरा किया जाए क्योंकि जहां पर उद्योग नहीं होगा वहां कुछ नहीं होगा। केन्द्र सरकार भी उद्योग के लिये चिन्तित है और प्रदेश सरकार भी उद्योग के लिये चिन्तित है इसलिये मान्यवर लेदर पार्क को पूरा किया जाए। मान्यवर, हमारे यहां ताजमहल है, ताजमहल विश्वविख्यात जगह है वहां पर देशी-विदेशी पर्यटक आता है, मान्यवर, वहां पर पूर्वी गेट है और वहां पर एक शौचालय है जो दो साल से टूटा पड़ा है, गन्दा पड़ा है। मैं कई बार डी0एम0 को पत्र दे चुका हूं और कई बार कमिश्नर साहब को पत्र दे चुका हूं। वहां पर अंग्रेज आते हैं और फोटो खींच कर ले जाते हैं। आप भी वहां कभी जाइयेगा तो देखियेगा, दो साल से टूटा पड़ा है उस शौचालय की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं पर मान्यवर, बड़ी-बड़ी सभायें होती हैं चाहे मुख्य मंत्री बने हों, उनकी सभा हुई हो चाहे प्रधान मंत्री बने हों उनकी सभायें हुई हों। वहां पर एक कोठी मीना बाजार का पार्क है, बहुत लम्बी-चौड़ी जगह है करीब दो एकड़ की। आगरा में किसी भी बड़े लीडर की सभा होती है तो वहीं होती है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वहां पर थोड़ा सा पैसा लगाकर उसकी बाउण्ड्रीवाल बनवा दिया जाए तो एक अच्छा मैसेज जायेगा। मान्यवर, कोई भी सभा करते हैं तो उससे दो-तीन दिन पहले उसकी सफाई की जाती है। वहां पर गंध भरा रहता है। मान्यवर, इसके साथ-साथ आगरा शहर के अन्दर ओवर ब्रिज का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। सिकन्दरा से लेकर वार्टर-वर्क्स तक जाम लगा रहता है अगर वहां पर इस बजट में ओवर ब्रिज को सम्मिलित कर लिया जाए तो देश-विदेश और यहां तक कि आप लोग भी जायं तो वहां जाम से निजात मिलेगी और वहां की जनता की समस्या का समाधान होगा। मैं दो साल से नियम-51 और नियम-56 में उठा रहा हूं, वहां पर मुगल की पुलिया संकरी है, वी0आई0पी0 रोड है वहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं तो आये दिन वहां जाम लगता है मान्यवर, उसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा, मुगल होटल के सामने की पुलिया का चौड़ीकरण हो जाए तो काफी राहत मिलेगी। वहां पर अंग्रेज लोगों को भी खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है जब जाम लग जाता है। मान्यवर, एक बात और कहनी है कि एक नाले को लेकर बहुत शिकायत है एक नगला प्यारे है अभी करीब 6 महीने पहले वहां पर दो बार वहां की जनता धरना-प्रदर्शन कर चुकी है, इतना धरना-प्रदर्शन कर चुकी कि वहां पर कलेक्टर गये, कमिश्नर साहब गये, एस0डी0ओ0 गये, सी0डी0ओ0 गये उन्होंने आश्वस्त किया कि धरना-प्रदर्शन खत्म कर दो हम इस नाले का निर्माण करा देंगे। नगला प्यारे का नाला सोहला तक जाता है उन लोगों के घरों में दो-दो फिट तक गन्दा पानी भर जाता है, इतनी गम्भीर समस्या है, तीसरी बार वह फिर

जाम लगाने के लिये जा रहे हैं। इस बजट में इसको शामिल कर लिया जाए। वहीं पर नरीपुरा में एक शमशान घाट है वहां पर दो फिट पानी भरा हुआ है मैं नियम-51 के तहत भी दे चुका हूं, प्रश्न लगा चुका हूं और 6-7 फुट का गड्ढा शमशान घाट के सामने है, अभी दो महीने पहले एक गरीब रिक्शा मजदूर की मृत्यु हो गयी। किसी ने उसकी नहीं सुनी। मान्यवर, वहां पर और कोई हादसा हो सकता है तो मैं चाहता हूं कि शमशान घाट जैसी जगह पर वहां का सौन्दर्यीकरण करा दिया जाए तो एक अच्छा मैसेज जायेगा। मान्यवर, इसी के साथ-साथ आगरा शहर में ताजमहल के पास मलिन बस्तियां हैं। उन मलिन बस्तियों में अंग्रेज आते हैं उनकी फोटो खींचते हैं मैं चाहता हूं कि ताजमहल के तीन-चार कि0मी0 की दूरी पर जो मलिन बस्तियां हैं उन पर 5-10 करोड़ रुपये लग जायेंगे तो एक अच्छा मैसेज जायेगा, सड़क, नाली बन जायेगी तो ठीक रहेगा। अंग्रेज ताजमहल को देखने के बाद में अपना कैमरा लेकर मलिन बस्तियों में जाते हैं उसकी तस्वीरें खींचते हैं, नेट पर डालते हैं, हमारे प्रदेश के लिये, आगरा के लिये टिप्पणी करते हैं। तीसरा मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है उद्योग के लिये। उद्योग के लिये मैं कहना चाहता हूं मेरा सुझाव है कि जो लेदर एक्सपोर्ट होता है मैं शू लाइन से काफी लम्बे समय से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि शूज का व्यापार आगरा में बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि 2000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है और हजारों करोड़ रुपये की डोमेस्टिक शूज बनता है। मान्यवर, शूज के लिये जब मद्रास लेदर परचेज करने के लिये जाया करते थे तो वहां केवल टेनरियां थीं, जूते की कोई फैक्ट्री नहीं थी पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मद्रास जाते हैं तो टेनरियों के साथ ही यहां से 4 गुनी जूते की फैक्ट्रियां हैं यह आगरा और उत्तर प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात है। अगर हमारे यहां इकाइयां लगती तो हमारे प्रदेश का भला होता, हमारे शूज का एक्सपोर्ट होता। तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करे कि लेदर गुड्स के एक्सपोर्ट में जूता एक्सपोर्ट करें तो ज्यादा रेवेन्यू आयेगा। लेदर एक्सपोर्ट न किया जाये। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जूते के लिये हमारे यहां थर्ड क्लास का लेदर रहा जाता है जो नम्बर एक का लेदर है वह सब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मान्यवर, यह मेरा सुझाव है और एक सुझाव और है मैं ज्यादा विधान सभा में बोलता नहीं हूं आगरा शहर में मलिन बस्तियों के लिये मैंने दुबारा दोहराया है मलिन बस्तियों के लिये आगरा शहर आगरा के ताजमहल को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर कम से कम 10 करोड़ रुपये ताजमहल के 5-6 कि0मी0 की बस्तियों के लिये अलग से स्वीकृत कर दिया जाय वैसे तो अवस्थापना निधि से पैसा आता है लेकिन अधिकारी ठीक से क्रियान्वयन नहीं करते हैं कई बार हमारे कहने पर कि वहां पर अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है कई बार अंग्रेज वहां कैमरा लेकर आते हैं टिप्पणियां करते हैं फोटो खींचते हैं तो मान्यवर, ताजमहल के इधर-उधर जो मलिन बस्तियां हैं उनके लिये 10 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया जाय तो यह अच्छा मैसेज जाएगा यह प्रदेश और देश के हित में होगा धन्यवाद।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये जो हमारी सरकार ने प्रयास किया है वह वास्तव में बहुत सराहनीय है हमारी सरकार ने किसानों के लिये गांव में रहने वाले कमजोर लोगों के लिये सिंचाई के लिये सड़कों के लिये मलिन बस्तियों के सुधार के लिये प्रभावी योजना बनाई है इससे पहले की पिछली सरकारों में जो बजट पास होता था वह उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उल्टे आरोप हमारे नेता

विरोधी दल ने बजट भाषण में यह लगाने का काम किया कि बजट का साठ सैकड़ा का प्रयोग योजनाओं पर नहीं किया गया जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हमारी सरकार के पिछले बजट में भी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से सरकार ने लागू ही नहीं किया उस प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर तक दिखाया भी और जमीन पर चलकर हम लोगों ने जो भी काम किया गांव के लिये गांव की उन्नति के लिये नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिये चाहे ग्रामीण इलाके के विद्युतीकरण कराने में या नगरीय क्षेत्रों को जो नगर में नर्क बना हुआ था बहुत जमाने से उसका सुन्दरीकरण कराने के लिये हमने पिछले बजट में भी पैसा खर्च किया और वह जमीन तक गया और जनता को दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है हम लोगों ने जो जनता से वायदा किया था उसको हम लोगों ने पूरा किया है जनता के बीच जाकर और जनता की सरकार जनता के हवाले और जनता तक हमने कार्य योजना को पहुंचाया हमारे नेता विरोधी दल या विरोध पक्ष के लोग जब भी सदन चलता है तो केवल एक ही मुद्दा उनको दिखाई देता है कानून-व्यवस्था का और यह बहुत जोर लगाकर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा दवाएं खाकर नेता विरोधी दल आते हैं उस दिन इतना उनके अन्दर स्टैमिना आ जाती है कि 10-20 माइक भी रहें तो फेल कर जायेंगे अकेले ही बोल सकते हैं क्योंकि हमारे नेता भी रहे हैं हमने उनके साथ काम भी किया है कई सालों हम लोग लोकदल में रहे हैं एक ही दफ्तर में एक साथ काम किये हैं केवल झूठा आरोप लगाते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं व्यवस्था लोगों के द्वारा ही चरमराती है। क्या इनकी सरकार में यह सच्चाई नहीं है कि थाने और तहसील बसपा के कार्यालय बन गये थे। क्या यह इनकी सरकार में सच्चाई नहीं है कि इनकी पार्टी आफिस के लखनऊ कार्यालय पर पुलिस द्वारा बम फेंके गये और फायरिंग हुई और हमारे आदरणीय नेता जी स्वर्गीय हो गये जनेश्वर मिश्र जी, हम लोगों को रोकने का काम किया था। रूमाल से हमारे हाथ पीछे बंधवाकर भेजा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। जाओ डा0 लोहिया के रास्ते पर चल करके, गांधी जी के रास्ते पर चल करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है और हम इसका जवाब जनता की अदालत में जाकर के देंगे। इनके जमाने में भी बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई। बहराइच में धन्नाडीह में इतनी बड़ी घटनाएं हुईं। जहां अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ इतना जुर्म हुआ। गांव में आग लगा दी गई। गांव के लोग दहशत में थे। इनके पदाधिकारियों जिनके ऊपर गम्भीर आरोप थे और सारे गम्भीर आरोपियों को इन्होंने विधान परिषद् का टिकट दे दिया और सब आ गये जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार, राहजनी, डकैती का मुकदमा है। आप आज भी देख लीजिये, विधान परिषद् में इनके जीवन परिचय को निकलवाकर देख लीजिये कि 40 से ज्यादा विधान परिषद् के सदस्य जिनको बसपा ने आखिरी समय में टिकट देकर सरकार के दबाव में जितवाने का काम किया था। उन पर आज भी कितने गम्भीर मुकदमें आज भी दर्ज हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार पर ऊंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि जब इनकी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बिल्कुल बेगुनाह लोग जिनका किसी से कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था, यह आदेश जारी करने का काम किया था कि पिछले 5 साल का माननीय मुलायम सिंह यादव जी मंत्री थे, अगर कोई भी मुकदमा लिखवाना चाहता है तो आ करके लिखवा लें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, लाखों लोगों पर मुकदमा एक रात में दर्ज करवाया गया। हमारे नेता अम्बिका चौधरी जी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर डकैती का मुकदमा कायम कराया गया। नारद राय पर डकैती का मुकदमा कायम कराया गया। क्या अम्बिका चौधरी डकैत हैं ? क्या नारद राय डकैत हैं ? ऐसी-ऐसी घटनायें हुई और बिल्कुल नेता जी पर भी मुकदमा लिखवाया गया। यह हमको आइना

दिखा रहे हैं। यह इनकी सरकार में माफिया राज था। कितने अवैध खनन होते थे। जो बुन्देलखण्ड के इनके नेता हैं, आज भी नेता हैं, उनको भेजा जाता है कि माइनारिटी के नेता हैं, जाओ मुसलमानों को कंविंस करो, वोट दिलवाओ और उनको जब हम लोगों ने कहा इनकी सरकार में उनको ऐसा विभाग दिया गया शराब का महकमा। मुसलमान शराब नहीं पीता और इसको बुरी नजर से देखा जाता है। इसका फतवा आया बिहार शरीफ से कोई मुसलमान अगर वजीर बनना चाहेगा तो शराब के महकमें का वजीर नहीं बनेगा। मंत्री नहीं बनेगा मगर उनको बनाया गया और उससे जितनी गाढ़ी कमाई थी, जो भी थी, यह सारा प्रदेश जानता है। खनन में कितने लोग थे ? कैसे-कैसे पैसा आता था, यह पूरा प्रदेश जानता है। यहां तक कि मंत्रियों की गाड़ी रास्ते में रोक कर और अटैचियां ले आ करके मुख्य मंत्री के आवास तक पहुंचाने का काम भी उस समय हुआ था। डी0एम0 ने खुद गाड़ी ले आई। उस समय विकास में कोई मतलब नहीं था। उस समय आदेश जारी कर दिया इन्होंने और आज विरोधी दल बसपा के और भाजपा के मांग करते हैं कि हमको क्यों नहीं नल देते ? क्यों नहीं हमको सड़क सिंचाई देते। क्यों नहीं हमको बिजली पांच गांवों की दे देते। नेता जी का जमाना और था वह उदार हृदय के आदमी हैं, आज भी हैं। जिससे सम्बन्ध रहते हैं, सम्बन्धों का निर्वहन माननीय मुलायम सिंह जी करते हैं, सबके साथ करते हैं। उन्होंने निर्वाह किया था, लेकिन हमने भी देखा पिछले 5 साल में आपकी सरकार थी तो सारे विपक्ष के लोग एम0एल0ए0 थे। अम्बिका चौधरी जी ने प्रेस कान्फ्रेंस किया था बलिया में कि देखिये यह आर्डर आ गया अब हमको हैण्ड पाइप नहीं मिलेगा और जो समाजवादी पार्टी को वोट दिये हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के बाद ऐसा भी आने वाला है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक जिस गांव में रहते हैं, उनको हवा, पानी भी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्या जी बन्द करने वाले हैं, यह आदेश देने वाले हैं। इसलिये अपने को देखना चाहिए, यह कहा गया है, औरों का बुरा देखने से पहले, अपनी तरफ भी झांकना चाहिए कि हमने क्या किया है ? इनकी सरकार में कितना हम लोग प्रताड़ित रहे, कितना हम लोग सताये गये। हम लोगों ने संघर्ष किया, सड़कों पर और समाजवादी पार्टी का चरित्र है, हमारे कार्यकर्ताओं का चरित्र रहा है, हम लोग संघर्ष से आए हुए हैं। हम लोगों को संघर्ष से सत्ता मिल जाती है। लेकिन हम लोगों की आदत है ज्यादातर विपक्ष में रहने की और विपक्ष में रहते हैं तो मजा भी आता है लड़ने-भिड़ने का इसलिये हम लोग लड़ाई लड़ करके यहां तक पहुंचे हैं और जनता की जो आशाएं हैं, हम उन पर पूरा उतर रहे हैं। हम कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश का जो माहौल बनाया जा रहा है, एक साम्प्रदायिक माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अमन-चैन को खराब करना चाहती है। छोटे-मोटे मामले भी अगर कहीं हो जा रहे हैं, सड़क पर साइकिल से किसी मुसलमान के लड़के से धक्का भी लग जाता है, किसी दूसरे कौम के किसी व्यक्ति को तो उसे साम्प्रदायिक रूप दे दिया जाता है। मोबाइल की दुकान पर अगर झगड़ा हो गया, एक सम्प्रदाय के लड़के से दूसरे सम्प्रदाय के लड़के से कहासुनी हो जाती है, अगर कोई अच्छा नेता होगा तो जा करके रफा-दफा कर देगा, मगर अगर भाजपा का कोई नेता पहुंच गया तो उसको साम्प्रदायिक रूप दे करके और चाहता है कि दंगा भड़का दिया जाए और प्रदेश के अमन चैन को चौपट कर दिया जाए। लोक सभा चुनाव के पहले यहां पर जिस व्यक्ति को लाया गया, उस आदमी ने अन्दर से काम किया कि यह प्रदेश सरकार केवल मुसलमानों का ही भला कर रही है। मुसलमानों को तो मिला कुछ नहीं, हल्ला हुआ ज्यादा और यह हल्ला करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पक्ष में माहौल बनाया। लेकिन मान्यवर, हमारी प्रदेश सरकार किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है, आप बजट पढ़ें, हमारे इस बजट में दलितों का भी उद्धार किया गया है, पिछड़ों का भी किया

गया है, मुसलमानों का भी किया गया है और अपर क्लास के लोगों का भी सम्मान किया गया है। यही राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी थे, आपके राज में पट्टे की जमीन ब्राह्मण, ठाकुर को नहीं मिलती थी, कानून बनाया कि जो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाज के लोग गरीब होंगे, उनको भी पट्टा दिया जायेगा, उनको भी आवास दिया जायेगा और उनको आवास दिया गया। यह कानून हमारी सरकार ने पिछली बार भी बनाया था और आज भी है। आपकी सरकार में एक-एक बिरादरी के लोगों को ही लाभ देने का काम होता था लेकिन हमारी सरकार ने मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने हर बिरादरी के बच्चों को पिछली बार भी वजीफा देने का काम किया था तो हम लोगों ने तो हर क्षेत्र में विकास किया है। आज एक महत्वाकांक्षी योजना हम गांवों में चला रहे हैं, पेंशन योजना इसीलिये गांव के सभी वर्गों चाहे गांव का अपर क्लास हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी समाज के लोगों को हम पेंशन देने जा रहे हैं। आज यह लोग जो हल्ला कर रहे हैं, यह लोग एक समाज विशेष का काम करते थे, एक वर्ग विशेष का काम करते थे, मगर हमारी सरकार सभी समाजों को जोड़ने का काम करती है और सभी समाजों को साथ लेकर चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मैं अन्त में इस कल्याणकारी बजट का समर्थन करता हूं और मान्यवर, आपके माध्यम से केवल दो मांगें सरकार से करना चाहता हूं। हमारे बलिया जनपद में रसड़ा चीनी मिल बहुत खराब स्थिति में है, पिछली बार हमारे किसानों को गन्ना घोसी ले जाना पड़ा था और हमारे मुख्य मंत्री ने वायदा भी किया है कि इसको हम चालू करायेंगे, उसको चालू करा दिया जाए क्योंकि उससे हमारे जिले का विकास हो जायेगा। हमारी एक सड़क एक है। सिकन्दरपुर से बलिया मार्ग, मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने उस पर 49 करोड़ रुपया अभी दिया और उसके बाद 48 करोड़ रुपया फिर दिया, इतना कहने पर मा0 शिवपाल जी के इतना कहने पर वह सड़क केवल खाखड़ा तक ही बन पायी है जो ठेकेदार हैं वह केवल 12 कि0मी0 बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से कि एक बार कसकर डंडा फिर से उस ठेकेदार पर चला दीजिए तो यह हमारी सड़क बन जाये। यह जिला मुख्यालय को जोड़ती है। यह महत्वपूर्ण सड़क है और ठेकेदार बसपा का है हमको तो रोना आता है। बसपा का ठेकेदार बसपा के जमाने में सड़क हुयी हमें रोते नहीं बनता है कि क्या करें। हमें अफसोस है कि हम सत्ता में हैं अगर हम सत्ता में नहीं रहते तो हम सड़क बनवा लिये होते।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बार ठेकेदार पर थोड़ा डंडा चला दीजिये। हमारी यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। वह बन जाये। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए बलिया जनपद में बलिया चीनी मिल को चालू कराने, बलिया से लेकर सिकन्दरपुर होते हुए बिल्थरा रोड तक की सड़क को बनवाने की मांग करता हूं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी एक विश्वविद्यालय की बलिया में घोषणा किये थे पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 श्री चन्द्रशेखर जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स कालेज की

स्थापना के लिये इसकी भी में बजट में शामिल किये जाने की मांग करता हूं और बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं कहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बार दो लाख 74 हजार 704 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया है और जितनी योजनायें इस पुस्तक में हैं अगर इसका 50 प्रतिशत भी ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर दिया जाये तो निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनते हुए नजर आएगा। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 1989 को याद किया जाये। जब उस समय के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब दिल्ली से एक रुपया चलता है तो वह गांव तक 15 पैसे ही पहुंच पाता है। 85 पैसे रास्ते में ही कमीशनखोरी में चला जाता है। आज आंकलन किया जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के हालात किस परिवेश में हैं। हम लोग बलिया जनपद से आते हैं और बलिया जनपद से हमारे तमाम मंत्रीगण और विधायकगण भी हैं। बलिया में पैदा होने का गौरव हमारे हर एक बलियावासी का है। इसलिये कि वह मंगल पाण्डेय की धरती है। वह चित्तू पाण्डेय की धरती है। वह लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण जी की धरती है, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 चन्द्रशेखर जी की धरती है और छोटे लोहिया के नाम से जाने वाले स्व0 जनेश्वर मिश्र जी धरती है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे पिछली बार का बजट हो चाहे इस बार का बजट हो या इसके पहले वाला बजट हो। बलिया निश्चित रूप से उपेक्षित रहा है। हमें याद है कि मा0 मुख्य मंत्री जी जब चुनाव के पहले बलिया में गये हुए थे तो बलिया जनपद में वह ट्रामा सेन्टर खोलने की घोषणा करके आये थे। लेकिन इस बार के भी बजट में ट्रामा सेन्टर का उल्लेख नहीं किया गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)-

ट्रामा सेन्टर का पैसा चला गया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

लेकिन काम नहीं शुरू हुआ है।

श्री नारद राय-

जब आप वहां जायेंगे तब न दिखेगा। अभी बन रहा है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, बलिया में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की थी वह भी अभी नहीं हुआ। अभी चन्दौली में और जौनपुर में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा हुई है, बनारस में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है, लेकिन बलिया में अगर किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो बलिया जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे कैमरा, सीटी स्कैन मशीन तक नहीं है और अल्ट्रा साउण्ड मशीन भी है तो अधिकांशतः खराब ही पड़ी रहती है, अगर किसी का एक्सीडेन्ट भी हो जाता है तो बनारस आते-आते वह दम तोड़ देता है यह स्थिति बलिया जनपद की है, इसलिये मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी से, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, पूर्वांचल के बजट में 291 करोड़ रुपये का बजट किया गया है, जबकि 40 परसेण्ट आबादी

पूर्वांचल की तरफ से आती है, मैं कह सकता कि 291 करोड़ रुपये से पूर्वांचल का और विशेष रूप से हम बलिया जनपद की बात करेंगे, विकास होने वाला नहीं है। यह भी मैं कहना चाहूंगा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से पिछली बार भी मैंने कहा था, हमारे क्षेत्र की चार-पांच जटिल सड़कें हैं, जिसमें हमारे विकलांग कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के मा0 मंत्री जी का पैतृक घर है, आज भी इतनी खराब वह सड़कें हैं और पिछले 10-12 वर्षों से कि आज तक मरम्मत नहीं हो पाई। कोर, अजोरपुर, सागरवाली से अगर आप चलेंगे तो कोट अजीरपुर बैरिया जो मार्ग है उस पर एक अर्द्धनिर्मित पुल थमनपुरा जिस पर पिछली सरकार में काम शुरू हुआ, वह भी थमनपुरा के पास पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, अगर ग्राम सभा आभाव से चलेंगे तो टुटवारी मार्ग बहुत बुरा हाल है उसके आगे सुरही से चलेंगे तो कोठिया-सेसुरिया एक कि0मी0 सड़क तमाम बार हमने प्रश्न लगाया, आपकी तरफ से उत्तर लिखकर के आ जाता है कि धन के अभाव में कार्य करा पाना सम्भव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग विधायक हैं पी0डब्ल्यू0डी0 के एक्सईयन को हमने बुलाया, हमने कहा कि ईंटे का टुकड़ा हमारा होगा, पांच लाख से लेकर 50 लाख रुपया तुम विधायक निधि से ले लो, लेकिन इसकी ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, टुकड़ा डालकर के इसकी मरम्मत होनी चाहिए, सी0डी0ओ0 निगरानी करेंगे। उत्तर लिखकर के आ गया कि विधायक निधि से आप पुराने वर्क नहीं करा सकते हैं, टुकड़ा नहीं डलवा सकते हैं। एक्सईयन कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जानता हूं कि मा0 लोक निर्माण मंत्री जी आप बलिया जनपद में सौ करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास करके आये हैं, वाकई में मैं कहना चाहता हूं कि उन सौ करोड़ रुपये का क्रियान्वयन अगर ठीक ढंग से हो गया होता बलिया जनपद में तो आज बलिया जनपद की सारी सड़कें चमचमाती हुई नजर आती, कहीं सड़क में गड्ढा नजर नहीं आता, निचले स्तर के अधिकारियों में कहीं न कहीं विरोधाभास व खामियां हैं। जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। 291 करोड़ रुपया है इसका जिलांश भी हम लोगों को मिलता, पिछले साल भी 51 लाख मिला था। जिलांश के पैसे की ठेकेदारी आर0ई0एस0 के माध्यम से होती है, आर0ई0एस0 के हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, आर0ई0एस0 विभाग सरकार के कर्मचारी होते हैं, जिलांश के पैसे में मैं कहना चाहता हूं, हम लोग उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठे हुए हैं हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और हम लोग उस संस्था में बैठे हुए हैं, जहां पर हम लोग नियम और कानून बनाते हैं, अभी एक दिन सरकार की तरफ से पेपर में पढ़ने को मिला कि अब विधायकों की विधायक निधि की जांच कलेक्टर करेंगे, क्योंकि नीचे के अधिकारी विधायकों के भय से नहीं कर पाते थे, इसलिये अब कलेक्टर करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि दो साल से लगातार बलिया के जिलाधिकारी को लिखित रूप से मैं कहता रह गया कि जिलांश के काम में लगभग 22-23 परसेण्ट की कमीशनखोरी चल रही है और निधि के काम में भी लगभग 22-23 परसेण्ट, अगर विधायक एक परसेण्ट भी कमीशन नहीं लेता है, तो लगभग 22-23 परसेण्ट कमीशन ली जा रही है। जब सवा करोड़ रुपया हम लोगों की विधायक निधि है डेढ़ करोड़ मिलता है और उसमें 22-23 परसेण्ट कमीशनखोरी में जायेगा और 2001 के अगर आप आंकड़ा लेंगे और 2014 में हम लोग हैं, आज 18 गुना मंहगाई बढ़ी हुई है, तो जो लालीपाप निधि के नाम पर और जबसे समाज में यह निधि आई, तब से हम नेता बिरादरी के लोग कलंकित हो गये। चुनाव के पहले हम लोगों एफीडेविट देना पड़ता है और वह निधि हम सब लोगों के लिये कब्र का कारण बनी हुई है इसलिये मा0 अध्यक्ष इस सदन में मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि विधायक विकास निधि को खत्म किया जाये और गुजरात की तर्ज पर और बिहार की तर्ज पर

और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर विधायकों के लिखित प्रस्ताव पर 10-10 करोड़ का प्रस्ताव लाया जाय और उस पर स्वेच्छा से काम कराया जाय ताकि इन सब चीजों पर अंकुश लग सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी थोड़ा समय और चाहेंगे हमारे क्षेत्र की समस्या है,। बलिया, गंगा-घाघरा और सरयू तीनों नदियों से घिरा हुआ है। पिछली बार भी मैंने मा0 सिंचाई मंत्री, बाढ़ मंत्री जी से कहा था इस सदन में कि बलिया जनपद में बाढ़ के नाम पर जितना पैसा गया। अगर उस बाढ़ के पैसे से एक टीला बांध दिया गया होता तो वह बाढ़ रुक जाती। आज पिछली बार की आयी हुयी बाढ़ की सड़कें ठीक नहीं हो पाई और फिर बाढ़ ने दस्तक दे रही है। अगर सरकार इस पर केन्द्रित नहीं होगी तो बलिया जनपद फिर बाढ़ की चपेट में आ जायेगा और हम लोग उसे उबार नहीं पायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बिजली का सवाल है तो बिजली विभाग कभी बिजली का तार और खम्भे तो देता नहीं है। इस पुस्तक में तो बिजली के बहुत बजट प्रस्ताव हुये हैं। मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब ट्रांसफार्मर जलते थे तो घटिया ट्रांसफार्मर लगते थे इस बार बढ़िया ट्रांसफार्मर लगेंगे। ट्रांसफार्मर किसान लेकर जाता है और जब ट्रांसफार्मर लगाता है तो ट्रांसफार्मर चलता नहीं तुरन्त फुंक जा रहा है। अभी मैंने अपनी विधान सभा में 89 ट्रांसफार्मर अपनी विकास निधि दिये हैं। 6 महीने हो गये, 47 ट्रांसफार्मर का धन भी अवमुक्त हो गया है लेकिन विभाग के पास तार और खम्भा न होने की वजह से आज 6 महीना पहले विधायक निधि से दिये हुये पैसे से भी ट्रांसफार्मर, बिजली के तार और खम्भे हमारे क्षेत्र में नहीं लग पाये हैं। इससे ज्यादा दुर्दशा और बुरा हाल और कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा मा0 अध्यक्ष जी एक समाजवादी पेंशन योजना आयी है सरकार की तरफ से आयी है। मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूं कि गरीबों को इसका लाभ मिलेगा लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सरकार से बैठे हुये लोगों से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो पूर्व से चलती हुयी हमारी पेंशनें आ रही हैं हर वर्ष उनका सरकारी महकमों द्वारा सत्यापन होता है। सत्यापन में जो जिन्दा लोग होते हैं जिसकी पेंशन मिलती है अगर वह पैसा न दे तो उसकी पेंशन काट दी जाती है और उनकी मृत घोषित कर दिया जाता है और जो पैसा दे देता है तो मरे हुये को जिन्दा कर दिया जाता है। इस तरह से जो पुरानी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के ऐसे मामले हैं उनका तात्कालिक रूप से निस्तारण करके आम लोगों तक पहुंचाया जाये। इसके अलावा मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट में कब्रिस्तान और अन्त्येष्टि स्थलों के बारे में प्रस्ताव आया हुआ है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं इसकी मांग करता हूं कि हमारे बलिया जनपद के फेफना विधान सभा में एक भदौली घाट बैकुण्ठ धाम है वहां उसको लखनऊ स्थित भैसाकुण्ड धाम की तरह भव्य मुक्ति धाम अन्त्येष्टि स्थल बनाया जाये।

आय-व्ययक पर चर्चा के मध्य विधेयक पारण की मद लिये जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, जब मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर चर्चा चल रही है तो इसकी निरन्तरता बनाये रखें और जब आप इसका अन्त करेंगे तो विधेयक ले लेंगे या अन्य एजेण्डे ले लेंगे, बीच में और कोई न लें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, मा0 नेता विरोधी दल, 11 बजे से 5 बजे तक विधान सभा की कार्यवाही का समय होता है। जब कभी एजेण्डे बहुत हो जाते हैं तो 5 बजे के बाद भी बढ़ा लिया जाता है। हर हालत में जब 5 बजे चर्चा खत्म होती है, चर्चा का समय पिछली बार, कल आप बैठक में थे तो यह हुआ था कि उसके बाद इसको ले लेंगे। चूंकि बहुत से मा0 सदस्यों का दबाव है और कल 4 बजे या 3 बजे मा0 मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो उसमें बहुत से मा0 सदस्य नहीं बोल पायेंगे इसलिये हम चाहते हैं कि आज जो भी लोग बोलना चाहते हैं, बोल लें जिससे कल कम से कम लोगों को बोलने का रहे और किसी विधायक को यह कहने का मौका न मिले कि मुझे अवसर नहीं दिया गया इसलिये विधेयक पास कराके हम चाहते हैं कि अधिक समय तक इसको चलाते रहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि जो चर्चा चल रही है इसकी निरन्तरता बनी रहे, चर्चा करा लें और इसके बाद जब आज के दिवस तक आप चर्चा खत्म करेंगे तो उसके बाद विधेयक ले लेंगे। मान्यवर, यह व्यवस्था तो आपकी है और आपकी व्यवस्था से सदन चलता है। मान्यवर, 5 बजे समय निश्चित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, कुछ हमारी बात भी मानो। कल जब बैठक हुयी थी कार्य-मंत्रणा में तो यही बात हुयी थी कि इसका विधेयक ले लिया जायेगा। मैंने कहा विधान सभा की कार्यवाही 11 बजे से 5 तक चलती है और 5 के बाद इसको ले लेना है। यही तय हुआ लेकिन विधेयक पास कराने के बाद भी मैं मा0 विधायकों की भावनाओं का आदर करते हुए चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसमें बोलें, हम बैठेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। 15 मिनट का विधेयक है पास हो जायेगा, बोलें हम बैठे रहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह उचित नहीं है, लेकिन जैसा आपका निर्णय।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, एक आपकी ओर से निर्देश हो जाए औपचारिक है ये कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

ये चर्चा विधेयक के बाद भी जारी रहेगी। ये मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री अध्यक्ष-

जिसको बोलना है, सब रहेंगे कोई जायेंगे नहीं। हमारे पास लिस्ट है बोलने वालों की आज हम सबको बुलवाकर तब उठेंगे।

[5.05 बजे] उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश का अननुमोदन एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का अनुमोदन करता है।

वैसे तो मान्यवर, एक टेक्निकल बात है जिसके लिये यह अध्यादेश आया। हमने अननुमोदन एक विशेष कार्यवश दिया है मान्यवर, जितने भी अधियाचन जो डिग्री कालेज के लेक्चरर की नियुक्ति के जितने भी अधियाचन मान्यवर, इस आयोग में जाते हैं। वह वर्षों तक पड़े रहते हैं। मान्यवर और इस तरीके से इसको कहा जाता है कि यह कोल्ड स्टोरेज है। उसका वर्षों तक निस्तारण नहीं होता और बराबर लगातार उस पर रिमाइण्डर दिये जाते हैं और उसका निस्तारण मान्यवर, जल्दी नहीं होता। मान्यवर, हमने खास तौर से उस बात को प्रेस करने के लिये ये अध्यादेश के विरोध में अननुमोदन दिया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से इस बात के ऊपर बल देना चाहता हूं कि आखिरकार एक समय-सारिणी एक समय-सीमा तय कर दें कि उस अधियाचन के प्राप्त होने के 3 महीने के बाद उसका निस्तारण मान्यवर, कर दिया जायेगा ताकि जो उच्च शिक्षा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। टीचर होते नहीं, लेक्चर होते नहीं और लगातार हम इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से उस रिक्ति की पूर्ति हो जाये। इस विशेष उद्देश्य की वजह से हमने यह अननुमोदन डाला था और वैसे जो ये टेक्निकल आधार के ऊपर अध्यादेश लाया गया है। उसके ऊपर ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

मा0 अध्यक्ष जी, मानदेय शिक्षकों का आमेलित करने के उद्देश्य से यह संशोधन का विधेयक लाया जा रहा है। इसमें हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जब मानदेय शिक्षकों की तैनाती हो रही थी तो शिक्षकों के अभाव की भरपायी के लिये यह तदर्थ व्यवस्था की गई थी। उसमें पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का बिना ध्यान दिये मानदेय शिक्षकों की तैनाती कर दी गयी थी जबकि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में हमेशा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सारी आरक्षण व्यवस्था का ध्यान किया जाता है और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे की प्रतिपूर्ति की जाती है लेकिन मान्यवर, इसमें आरक्षण व्यवस्था की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि यह विधेयक त्रुटिपूर्ण है। साथ ही साथ जो संशोधन प्रस्ताव ला रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

मान्यवर, इसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किया गया था और उसको सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई थी इस विधेयक के प्रावधानों से इन वर्गों के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा छलावा होगा उनका हक मारा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया है और अस्वीकृत हुआ)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदक एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह प्रशंसनीय विधेयक है। इसकी मांग बहुत समय से चली आ रही थी और सरकार ने इसे अपनी घोषणा के अनुरूप लाने का काम किया है अब इससे लागू करने का रास्ता बना है। लेकिन मान्यवर, इसमें कुछ सन्देह है। विभिन्न महाविद्यालयों में मानदेय पर शिक्षकों को अप्रैल, 1998 के शासनादेश के अन्तर्गत रखने का काम किया जाता था वह शासनादेश बड़ा स्पष्ट है। उसमें विधिसम्मत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरह से यह विधिक प्रावधान था जो बिन्दु माननीय नेता विरोधी दल ने रखे हैं वह भी है। मान्यवर, जो 7 अप्रैल, 1998 का शासनादेश है यह शासनादेश मार्च, 2011 तक चलता रहा। मान्यवर, 1998 का शासनादेश भी मेरे पास है और जो 29 मार्च, 2011 का शासनादेश है वह भी मेरे पास है और इस शासनादेश के द्वारा 1998 के शासनादेश को निरस्त किया गया है। इस शासनादेश में बड़ा स्पष्ट है कि--

''शिक्षण कार्य के सुगम संचालन हेतु राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नाकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शासनादेश संख्या-467/सत्तर-2-98-3(19)/93टी0सी0, दिनांक 07 अप्रैल, 1998 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन मानदेय देकर अध्यापन कार्य लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर अपने स्तर से विहित शर्तों से इतर मानदेय शिक्षक के रूप में नियुक्तियां कर ली जा रही हैं और जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विधिवत् चयनित शिक्षक उपलब्ध होते हैं तो उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है। ऐसी कार्यवाही से जहां एक ओर नियमों का उल्लंघन होता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मा0 न्यायालय में याचिकायें योजित हो जाती हैं।

अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति विषयक उक्त शासनादेश दिनांक 7-4-98 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।''

मान्यवर, इस तरह से यह शासनादेश बड़ा स्पष्ट है। मान्यवर, 7 अप्रैल, 1998 के शासनादेश के अन्तर्गत जो नियुक्तियों की व्यवस्था थी उसे मार्च, 2011 के द्वारा निरस्त किया गया है। मान्यवर, इन दोनों शासनादेशों के अवलोकन से यह इससे स्पष्ट होता है कि उनमें कोई दो समूह नहीं बनाये जा सकते। एक आदेश आपने नियुक्ति कर दिया और दूसरा आदेश आपने नियुक्ति को रोकने का दिया तो 98 से लेकर 2011 तक इस आदेश के तहत जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए एक शासनादेश के तहत नियुक्त हुए, एक शर्तों के साथ नियुक्त हुए, एक काम करते थे, एक वेतन पाते थे सरकार उनको देती थी इसलिये अगर आमेलन होना था तो 29 मार्च, 2011 के शासनादेश तक जिन भी लोगों ने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली उनका आमेलन किया जाना चाहिए अन्यथा हम एक अविधिक कार्य करेंगे, एक ही शर्त पर नियुक्त शिक्षकों को 2 समूह में बांटेंगे। अब मेरा प्रश्न दूसरा है अध्यक्ष जी, हमने यह 1982 का विधेयक है हमने 2006 में इसमें एक संशोधन कर दिया आज 2006

के उसी संशोधन पर हम एक पुनः संशोधन लेकर आये हैं मूलतः वही विधेयक है। 2006 में जब हमने संशोधन किया तो हमने उसमें धारा-31 ङ डाली। धारा कहती है कि धारा-12 और 13 के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है जिसे उक्त धाराओं के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक जो सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों में काम कर रहा है राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षणिक अर्हता रखता है जिसने तीन शैक्षणिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुए मानदेय प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है नियम 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक यही प्रश्न है अध्यक्ष जी 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत हैं उसको 12 (2) के अधीन विहित में लिख दिया गया है। हम जब इसे पास कर देंगे तो अधिकारी इनके शब्दों के ऊपर इसकी विवेचना करेंगे हम जो आज संशोधन विधेयक अध्यक्ष जी, लेकर के आ रहे हैं यह इसी ङ धारा में है इसके पूरे वाक्य को मैंने पढ़ा है इस पूरे वाक्य की जो पहली लाइन है भरा नहीं जा सकता है हम उसमें एक संशोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भरा नहीं जा सका ठीक बात है हमने एक रास्ता खोला है जिससे ये मानदेय शिक्षक आमेलित हो जाय, अच्छी बात है, जो अगली लाइन है जिसको आपने कहा है 2006 के दिनांक तक कार्यरत हैं आपने उसके ऊपर एक चुप्पी बना ली। अब प्रश्न यह है यह सरकार को सदन में खड़े होकर वायदा करना चाहिए। हो सकता है किन्हीं भी कारणों से ऐसा हुआ। प्रश्न यह है कि 1998 में आपने मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया 2011, 29 मार्च को वापस लिया। 98 से 2011 तक जितने भी शिक्षक कार्य करते रहे वह सब विधिक रूप से चयनित शिक्षक थे। अब आप 2006 का यह प्रश्न लगा करके या 2006 में आपने आमेलित कर लिया होता तो कर लिया होता। मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि जब विधेयक बनाये जाते हैं तो हम लोगों को एक-एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप इसके गवाह हैं कि कितनी हड़बड़ी में यह विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। अगर 2006 का यह विधेयक 2006 में लागू हो गया होता तो स्वाभाविक रूप से 2011 के इस आदेश को आने की जरूरत नहीं होती 98 से 2006 के शिक्षक आमेलित हो जाते। आपने 2006 में किसी को आमेलित किया नहीं आप करने जा रहे हैं 2014 में 2011 तक आपने नियुक्ति की है। प्रश्न यह होगा कि 2006 से ले करके 2011 के बीच में जो नियुक्तियां हुई हैं उन हतभाग मानदेय शिक्षकों का क्या होगा और अगर आपके इस आदेश के बाद वह कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं आपको हक है अपनी बात कहने का तो जो अंदेशा उन शिक्षकों के द्वारा मुझे बताया गया है उस बात को सदन के बीच में रख रहा हूं यह कागज तो जो प्रभावित पक्ष है वही उपलब्ध कराता है। जो बातें हैं मैं उनको आपके बीच में रख रहा हूं आप उनकी शंका को दूर करें आप उनकी बात को माने न माने यह तो शासन जो चलाता है उसका अधिकार है पक्ष यहां उनके वकील की तरह उनका रखा जाना चाहिए तो मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर सम्भव हो तो यह एक टेक्निकल गलती है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये और 29 मार्च, 2011 के पूर्व जिन लोगों ने तीन साल पूरा कर लिया मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तीन साल की शर्त आप हटा दीजिये जिन लोगों ने तीन साल पूरा कर लिया है, उन लोगों को भी आमेलित करने का प्रावधान करना चाहिये। सरकार अगर इस बात को स्वीकार करे तो मुझे खुशी होगी कि हम सब मिलकर एक अच्छे कार्य को अच्छे दिल से सामूहिकता में निर्णय लेकर पास करेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 साहब ने जो संशोधन रखा है, उसी से अपने को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि संशोधन अधिनियम में जो शब्द भरा नहीं जा सका है, इसके स्थान पर अगर हम

लोग लिख दें कि 28 अगस्त, 2006 तक जो नहीं भरा जा सका। यह संशोधन हमारा मान लिया जाय और इसी के आधार पर जो मानदेय शिक्षक 2011 तक काम किये हैं, उन लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय। इस संशोधन से लगभग दो-ढाई सौ लोग लाभान्वित होंगे और जब माननीय नेता जी 2006 में यह संशोधन विधेयक लाये थे उस समय उनकी यही मंशा थी कि लगभग सब लोगों को इसमें रख दिया जाय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद सरकारें बदल गयीं और उन लोगों का ध्यान मानदेय शिक्षकों या अन्य शिक्षकों की तरफ बहुत उदार नहीं रहा इसलिये यह काम नहीं हो पाय। लेकिन अब इसी भावना से कि हमको कुछ लोगों को आमेलित करना है जो हम लोग कर रहे हैं तो लगभग पांच-छः सौ शिक्षक बच जायेंगे। इसलिये उनको भी सम्मिलित कर लिया जाय और जहां पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सवाल है तो अभी वहां पर तमाम विज्ञापन लम्बित हैं। वहां पर इस समय लगभग 3132 पद रिक्त हैं। जिसके अलग-अलग समय पर विज्ञापन हुये हैं। जैसे विज्ञापन संख्या-37, यह जून 2003 में हुआ था और विज्ञापन संख्या-38 भी जून, 2003 में हुआ था। यह बैकलाग के पद भरने के लिये हैं। जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आरक्षण उन नियमों पर लागू नहीं हुआ तो यह आरक्षण के नियमों को पूरा करने के लिये किया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना और अब यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। इसी तरह विज्ञापन संख्या-44 और विज्ञापन संख्या-45 मार्च, 2008 और दिसम्बर, 2009 में जारी किये गये क्रमशः 500 पद और 546 पद के अभी इसमें भी साक्षात्कार नहीं हुआ है और इसकी लिखित परीक्षा लेंगे या क्या करेंगे यह अभी चल रहा है। इसी तरह विज्ञापन संख्या-46 अभी 4 मार्च, 2014 को 1662 पदों का विज्ञापन किया गया है तो यह पद अभी रिक्त हैं इन पर भर्ती होनी है। तो यह सभी पद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास हैं तो यदि हम लोग इन लोगों को भी सम्मिलित कर लें जो इस सरकार के माननीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी की जो मंशा थी वह भी पूरी हो जायेगी और यह जो माननीय शिक्षकों पर हमेशा तलवार लटकी रहती है, वह भी खत्म हो जायेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो बात माननीय राधा मोहन जी ने कही है मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वर्ष 2006 में जो यह आदेश जारी हुआ, स्वाभाविक रूप से जब तीन वर्ष का उसमें प्रतिबन्ध था। तो 2003 तक के शिक्षकों का उसमें आमेलन होना था। अब यह 2014 में आ रहा है तो 2011 के बाद तो मान्यवर, किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुयी, उसके बाद जब वह शासनादेश आ गया और सारी की सारी भर्ती रोक दी गयी और 2011 में जब भर्तियां रोक दी गयीं और अब 2014 में यह शासनादेश आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनके भी तीन वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा टीचर्स नहीं हैं, करीब साढ़े 400 टीचर्स होंगे, इन लोगों के ऊपर भी अगर सरकार ध्यान देगी तो बड़ी कृपा होगी और उनको भी लाभ हो सकेगा।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय डा0 साहब और माननीय सदस्य अनुग्रह भइया के विचारों से सहमत हूं और सभी का भला हो, इसलिये 2011 तक के सभी लोगों को इसमें ले लिया जाय, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, सभी मा0 सदस्य सहमत हैं इसलिये जिन्होंने आज संशोधन का प्रस्ताव रखा है उनके मन में भी यही बात है और सरकार इसी मंशा से यह संशोधन ले करके आई है कि इन

मानदेय शिक्षकों का आमेलन हो जाना चाहिए नियमित के तौर पर यद्यपि यह सरकार जबसे अस्तित्व में आई है मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी सरकार आने के बाद छठे वेतन आयोग का सारा लाभ और जो भी वेतन सम्बन्धी लाभ मिलने थे तथा जो भी प्राप्तियां होनी थीं उनको देने का काम किया है। अब उनको नियमित किये जाने का मामला था इतनी ही बात रह गई थी। यद्यपि अगर वह नियमित भी होते तो भी उच्च शिक्षा अध्यापक के रूप में जो उनको आर्थिक तौर पर लाभ मिलते वह लाभ उन्हें मिल गये। मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है इस सरकार ने आते ही उनकी चिन्ता की और जो वृद्धि हुई वह दोगुने से ज्यादा हुई यानी कि जो उन्हें प्राप्त हो रहा था उससे दो गुने से ज्यादा देना पड़ा और इसके लिये सरकार ने वित्त विभाग की भी चिन्ता नहीं की। चूंकि नौजवानों का मामला था उनके हितों की रक्षा करते हुए वह सारी सुविधाएं उन्हें देने का काम किया अब प्रश्न केवल उनको नियमित किये जाने का था। उनको नियमित किये जाने की मंशा वर्ष 2006 में भी थी और 2006 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वही सरकार यह प्रस्ताव भी ले करके आई थी। अब तकनीकी त्रुटि हो गई कि धारा-12 और 13 के प्रावधानों के अधीन न किया जा सकता हो, यह एक अटपटी बात हो गई क्योंकि उसमें टेक्निकल त्रुटि यह हो गई कि 12 और 13 के अधीन न किये जा सकने वाली कोई नियुक्ति थी ही नहीं इसलिये नहीं की जा सकती थी इसलिये उनका आमेलन नहीं हो सका और हम उसी त्रुटि को आज दूर कर रहे हैं। मंशा यह है कि जो इसमें मानदेय के शिक्षकों को जिनकी हमने नियुक्ति की उनको हम नियमित भी कर दें और रास्ते में जो अवरोध तकनीकी कारणों से आ रहा है उस अवरोध को भी हम दूर कर दें तो मैं समझ तो यह रहा था कि मा0 अनुग्रह जी, मा0 महाना साहब, मा0 राधामोहन जी, यह सारे लोग सराहना करेंगे कि एक अवरोध रह गया था तकनीकी तौर पर, अब उसे यह सरकार खत्म कर रही है। औपचारिक रूप से यह संशोधन आपने रखा है हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसे वापस ले लेंगे।

श्री सतीश महाना-

अगर वर्ष 2011 तक ले लेंगे तो हम थोड़ी ज्यादा सराहना करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो भी आशंका आपके मन में है उन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि शिक्षकों के हितों के प्रति सरकार स्वयं चिन्तित है इसलिये इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह आशंका नहीं है बल्कि यह तथ्य है जिसे हम भुला नहीं सकते। अगर शब्द ''भरा नहीं जा सकता है।'' के कारण हम कोई नियुक्ति नहीं कर पाये और हमको ''भरा नहीं जा सकता'' शब्द प्रयोग करना पड़ा तो अगर हमने उसमें लिखा है कि ''2006 तक जो काम कर रहे हैं'' तो स्वाभाविक रूप से वर्ष 2006 के बाद जिन लोगों ने काम किया है वह उनको नियुक्ति नहीं देने वाले हैं। सरकार या तो कह दे कि हम उनको भी नियुक्ति देने वाले हैं जो 2011 तक शासनादेश के अन्तर्गत काम किये तो बात खत्म हो गई लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो यह नौजवानों के साथ आपका अद्भुत प्रेम है जो बेचारे कल-कल नौजवान हुए हैं, नये-नये नौजवान हुए हैं, उनको तो आप निराश करना चाहते हैं और जो पांच साल पहले के नौजवान थे उनको आप नियुक्ति देना चाहते हैं

तो यह दोतरफा नहीं होना चाहिए। मा0 मंत्री जी खड़े हों और कहें कि सरकार इस पर विचार कर लेगी, भले ही आप आज न कीजिए अगले विधेयक में ला दीजिये लेकिन यह कहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, वह नहीं कुछ कहना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मा0 डाक्टर साहब आप कृपया बैठ जाएं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह उचित नहीं है इसलिये हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम लोग इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

रुक जाइये, बहिष्कार न कीजिए, यह बहिष्कार का विषय नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष इस बात की सराहना करे कि उन लोगों को नियमित किये जाने के लिये जो भी तकनीकी कमी थी उसको दूर करने का काम सरकार कर रही है। यह अच्छे दिनों के वायदे की तरह कोई फर्जी बात नहीं है यह तो सचमुच में किये जाने का मामला है इसलिये जो अच्छे दिन आने वाले हैं उसमें तमाम नौजवानों का भला होना चाहिए और केन्द्र सरकार से कुछ मदद करायेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित कराया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इससे बड़ा फर्जी काम तो और कुछ हो ही नहीं सकता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो मानदेय शिक्षक 2011 तक पढ़ा रहे थे उनको भी शामिल किये जाने की सरकार की मंशा नहीं है। इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री सतीश महाना उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक बहुत ही भेदभावपूर्ण है, आरक्षण विरोधी भी है इसलिये इसको इन्हें वापस लेना चाहिए या प्रवर समिति में भेज देना चाहिए, आज यहां पर इसे प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि यह प्रस्तुत हो गया तो स्वाभाविक रूप से जहां भेदभाव के शिकार तमाम नवयुवक होंगे जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनमें से कुछ का आमेलन किया जा रहा है तो शेष को वंचित क्यों किया जा रहा है ? दूसरी चीज मान्यवर, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की आरक्षण की व्यवस्था है उसका भी पालन किया जाना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, सुन लीजिये, मैं स्पष्ट कर दूं, भ्रम दूर हो जाना चाहिए। मान्यवर, आरक्षण के विरुद्ध यह सरकार नहीं है और हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो भी आरक्षण का कोटा है उसको दिये जाने के पक्षधर हैं। हम डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्तों पर चलने वाले विशेष अवसर के सिद्धान्त को मानने वाले लोग हैं इसलिये आरक्षण के

सिद्धान्त का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण के सिद्धान्त का अनुपालन चाहते हैं। कठिनाई कहां है, आरक्षण का कौन सा सिद्धान्त कहां लागू किया जाए उसकी दिक्कत आ रही है। दिक्कत दो हैं मौर्या जी इस पर सदन को जानना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। सम्पूर्ण रिक्तियां अगर हैं जैसे अगर एक विज्ञापन 500 अध्यापकों के लिये निकला तो उस 500 में आरक्षण का कोटा जितने प्रतिशत है उतना पूरा किया जाए, एक दूसरी अवधारणा है कि ये विद्यालय को यूनिट मानते हुए उस विद्यालय में जिस विभाग की नियुक्ति है उसमें आरक्षण की बात की जाए। अध्यक्ष जी, उसमें दो कठिनाई हैं, जैसे विद्यालय में एक ही पद विज्ञापित हुआ तो एक पद आरक्षण के दायरे में नहीं आयेगा, अगर एक विद्यालय में दो पद विज्ञापित हुए तो रोस्टर में मान्यवर, शिड्यूल्ड कास्ट का कब आयेगा, उसमें तो पालन ही नहीं होगा इसलिये मान्यवर, हम आरक्षण को मजबूती से लागू करना चाहते हैं उसके विरुद्ध हम नहीं हैं। यही हमारा स्टैण्ड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में जो लोग मुकदमा में गये हैं उन पर टिप्पणी करना हमारे लिये सम्भव नहीं है, हमारी मर्यादा है हम इस बात से बंधे हुए हैं कि सारी बातें हम नहीं कह सकते। लेकिन जो अलग स्टैण्ड लेकर के आरक्षण के लिये उन जगहों पर इस मामले को लटकाया गया है सरकार आरक्षण का जितना भी कोटा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का, उसको पूरा किये जाने की पक्षधर है। प्रश्न यह है कि उसकी यूनिट क्या हो, उसकी यूनिट स्टेट तय हो या उसकी यूनिट डिपार्टमेन्ट तय हो, तो इन्हीं बातों पर मामला न्यायालय में लम्बित है, इसलिये इसके आगे कहना मौर्या जी यहां सम्भव नहीं है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस बात की पक्षधर है कि जो आरक्षण का कोटा है वह पूरा किया जाना चाहिए हम इसके विपरीत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 26 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16, सन् 1980 की धारा-31-ङ का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा-31-ङ में, उपधारा (1) में शब्द ''भरा नहीं जा सकता है'' के स्थान पर शब्द ''भरा नहीं जा सका'' रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2014

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[5.35 बजे] उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्तमान में चार विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे हैं। एक फैजाबाद में है एक कानपुर में है एक मेरठ में है और एक बांदा में है। कानपुर के विश्वविद्यालय का नाम है चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर। फैजाबाद के विश्वविद्यालय का नाम है नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, मेरठ विश्वविद्यालय का नाम है सरकार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ और बांदा विश्वविद्यालय का नाम था मैं था इसलिये कहूंगा कि शायद आप अध्यादेश लाये हों जिसके स्थान पर यह विधेयक है। मान्यवर, श्री कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा अब सरकार ने इन चार विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय को चिन्हित कर लिया है। यह चारों बड़े नाम है महापुरुष किसी जाति, धर्म और वस्तुतः किसी देश के भी नहीं होते वह पूरी मानवता के लिये होते हैं। चन्द्र शेखर आजाद की क्या भूमिका थी हम सब जानते हैं नरेन्द्र देव की क्या भूमिका है हम सबको पता है बल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी हमको पता है। कांशी राम की भी क्या भूमिका थी हम स्वीकार करें या न करें यह समाज स्वीकार करता है। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने एक छोटी सी कविता लिखी थी।

कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य यह क्या है,
जाने भारत में बहती कौन हवा है।
धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल हैं।
गमलों के ही पेड़ सुगम्य सरल है।
जब तक हे यह वैषम्य समाज भले रह जाए।
किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा।
सबसे पहले यह दुरित मूल काटो।
समतल पीतो खाइयां खड्ड पाटो।

स्वर्गीय कांशीराम जी से सहमति हों या असहमति एक बहुत बड़ा समाज जो सत्ता से कटा रहता था उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम और यह एहसास कराने का काम कि वह जमाना चला गया कि राजा कोई और होगा नागरिक कोई और होगा यह गर्व का एहसास कराना कि हम भी इस देश के राजा हो सकते हैं इसके लिये तो कोई उनके योगदान को अस्वीकार नहीं कर सकता है। शेष किन्हीं भी नीतियों से आप कितनी ही असहमति व्यक्त करते हों। अगर नाम हटाना था तो सैद्धान्तिक विषय था चारों नाम हटा दिये होते किसी एक नाम को चिन्हित करना और उसे हटा देना और तीन नाम को बने रखना यह समझ के परे है। लेकिन अध्यक्ष जी कुछ और चीजें भी समझ के परे है। ध्यान दीजियेगा अभी पिछले संशोधन विधेयक आरक्षण का मुद्दा आया बसपा के नेता जी खड़े हुए विरोध किया और फिर बैठ गये अब माननीय कांशीराम जी का नाम निकालने का मुद्दा आया अब आप गौर कीजियेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने यह संशोधन प्रस्तुत किया बहुजन समाज पार्टी ने यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। जब किसी विधेयक के प्रस्तुत होने पर आप अपने दल की ओर से कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो नियमतः यही माना जाएगा आप भले ही खड़े होकर यह कह दें कि हमें भी अपनी बातें कहनी हैं लेकिन सत्य यही माना जाएगा कि आप इस नाम को हटाने से सहमत हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है क्या माननीय कांशीराम जी तिरोहित कर दिये गये हैं क्या वह अब बहुजन समाज पार्टी के निर्माता और आदर्श पुरुषों में वह नहीं रहे या यह मान लिया है कि

हमने इतनी मूर्तियां लगा दी हैं तो इस नाम में रखा क्या है। अध्यक्ष जी यह [x x x] शब्द निकाल देना चाहिए मुझे हक है कहने का बहुत अच्छा लगता कि यह अपने नेता से यह सवाल पूछते बनिस्पत मुझसे पूछते बाकी आग्रह यही करूंगा कि भाषा की कमियां हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर [x x x] शब्द है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आ जानी चाहिए थी, आ गई होती तो बी0एस0पी0 में क्यों होते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि यह एक अन्याय है, यही नहीं होना चाहिए था। इनकी सहमति इन लोगों ने ले लिया है तो हम मानते हैं, लेकिन यह अपनी असहमति का अभी एक नाटक करेंगे खड़े हो करके। लेकिन सहमति तो ले चुके हैं और क्यों दिया इन्होंने यह जाने। लेकिन अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी असहमति है और हम विरोध करते हैं और मैं सरकार से निजी पार्टी की ओर से आग्रह करूंगा कि आप इसका नाम न बदलिये। किसी महापुरुष का अपमान मत करिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किया है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक की शब्दावली ही अपने में भेदभाव को दर्शाती है। मान्यवर, स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रतिष्ठान का, किसी भी योजना का या कभी-कभी किसी बड़े कार्यक्रम का या कार्य का निष्पादन महापुरुषों के नाम से किया जाता है और यह परम्परा विशेष रूप से हमारे भारतीय संस्कृति में महापुरुषों को सम्मान देने की एक विधा रही है जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में मान्यवर, श्री कांशीराम जी जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक थे, साथ ही साथ दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित, मजलूम समाज में सम्मान स्वाभिमान की भूख जगाकर राजनीतिक सत्ता शासन में हिस्सेदारी के लिये तैयार भी करने का काम किया और सही मायने में उनका योगदान एक बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता जी को मुख्य मंत्री बनाने में भी रही। उन्हीं की अनुकम्पा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कभी गठजोड़ भी हुआ था। मान्यवर, ऐसे महापुरुष के नाम पर यदि मान्यवर, कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा का नाम रखा गया तो यह सरकार की सदाशयता होनी चाहिए थी कि हम राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर किसी महापुरुष के नाम पर दिये गये सम्मान को छीनने का काम न करें। मान्यवर, अच्छा होता आप कोई नया कार्य करते, कोई नई शुरुआत करते, कोई नई योजना लाते, कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित करते उसका नाम अपने किसी महापुरुष के नाम पर रखते तो यह एक अच्छी बात होती, एक अच्छी परम्परा होती लेकिन किसी महापुरुष के नाम पर स्थापित कृषि विश्वविद्यालय से उसका नाम इसलिये हटा दिया जाय कि वह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दलित समाज से ताल्लुक रखते थे, इसलिये उनके साथ आज भी अगर भेदभाव, छुआछूत की भावना से, नाम से घृणा की जाती है तो हम समझते हैं कि यह नफरत को और बढ़ाने वाली बात है और साथ ही

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

साथ हमारा यह देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, यह देश जो पूरी दुनिया में धर्मगुरू कहलाता था और यह देश जो किसी भी क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिये अनुकरणीय हुआ करता था, वह इसी जाति-पांत, छुआ-छूत, ऊंच-नीच, भेदभाव का शिकार होकर आज अभिशप्त जिन्दगी जीने के लिये भारत पिछड़ों की कतार में खड़ा है और विश्व बैंक के सामने जब कर्जदार देशों की लाइन होती है तो उसमें भी भारत सबसे आगे खड़ा होता है। इसी की देन है, मान्यवर, कि हमारी मानसिकता जाति-पांत, छुआ-छूत, ऊंच-नीच, भेदभावना से ऊपर उठ ही नहीं पाती और मान्यवर, कांशीराम जी का कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा से नाम हटाये जाने का कारण भी यही है। मान्यवर, जब अन्य किसी महाविद्यालय, अन्य किसी विश्वविद्यालय का नाम किसी महापुरुष के नाम पर हो सकता है और जैसा कि आज इन चार कृषि विश्वविद्यालयों में 3 के नाम महापुरुषों के नाम पर हैं, तो चौथे विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर, कांशीराम जैसे सामाजिक परिवर्तन के महानायक, महापुरुष के नाम से वंचित क्यों किया जा रहा है ? इसलिये मान्यवर, आज हम किसी भी सकारात्मक रवैये में साथ देने के पक्ष में रहते हैं लेकिन जब भूमिका सकारात्मक हो तो स्वाभाविक रूप से साथ देना या उस विधेयक को पास कराना या इससे सम्बन्धित कोई अन्य कार्य हो, उसमें सहयोग देना, उसमें हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन मान्यवर, इस प्रकार से दूषित मानसिकता का शिकार हो करके यदि मान्यवर, कांशीराम जी का नाम इस विश्वविद्यालय, बांदा से अलग किया जाता है तो केवल महापुरुष का ही अपमान नहीं, यह केवल मान्यवर, कांशीराम जी का अपमान नहीं है बल्कि मान्यवर, कांशीराम जी को मानने वाले आज देश के करोड़ों-करोड़ों दबे-कुचले, शोषित-पीड़ित, मजलूम समाज के लोग जिनके अन्दर सम्मान और स्वाभिमान की भूख मान्यवर, कांशीराम जी ने जगाने का काम किया था, यह अपमान उनका है और साथ ही साथ समाजवाद की परिभाषा देने वाले लोग जब समाज को बराबर बनाने की परिकल्पना करते हैं, दुहाई देते हैं, समाजवाद की यानी समतामूलक समाज बनाने की और उसके बावजूद भी अगर कहीं समाजवाद से भेदभाव की बू आती है, समाजवाद से यदि कहीं जाति-पांत की बू आती है, समाजवाद से अगर कहीं ऊंच-नीच की बू आती है तो हम समझते हैं कि वह समाजवाद नहीं है, वह भटकाववाद है। मान्यवर, आज इस विधेयक से भी यही परिलक्षित हो रहा है कि कहीं न कहीं समाजवाद की दुहाई देने वाली यह समाजवादी पार्टी की सरकार महापुरुषों के अपमान पर उतारू है, जाति-पांत, छुआ-छूत, ऊंच-नीच, भेदभाव का शिकार होकर राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित हो करके यह घृणित कार्य किया जा रहा है। इसलिये मान्यवर, यह बहुजन समाज पार्टी इसका घोर विरोध करती है और साथ ही साथ इस संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करती है क्योंकि यह केवल एक महापुरुष का अपमान नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों-करोड़ों मान्यवर, कांशीराम जी जैसे महापुरुष को मानने वालों का भी अपमान है, दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है और साथ ही साथ वह गरीब जो किसी भी समाज के हैं, उनका अपमान है, इसलिये मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर, कांशीराम जी के अपमान में लाये जाने वाले इस संशोधन विधेयक का विरोध करती है और सदन से मान्यवर, बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए नेता विरोधी दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा अनुरोध है कि इस पर कुछ और लोगों से चर्चा करा लिया जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा हमारे वरिष्ठ मंत्री मा0 रामगोविन्द चौधरी जी ने कहा है। यह छोटा संशोधन है लेकिन महत्वपूर्ण संशोधन है। मा0 नेता प्रतिपक्ष बिना हमारी बात सुने बहिष्कार करके चले गये तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि पहले इस पर चर्चा हो जाये तब बहिष्कार करना होगा तो कर लेंगे। उनको वापस आना चाहिए और जिनको आप अनुमति देंगे वह चर्चा करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार अचानक यह विधेयक नहीं लाने जा रही है। इस विधेयक पर जब यह निर्णय लिया गया था कि यह नाम हटाया जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का समाचार-पत्रों में बयान आया था और यह नाम हटाये जाने का विरोध किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के संज्ञान में है कि सरकार ने बांदा विश्वविद्यालय से मान्यवर, कांशीराम जी का नाम हटाने का निर्णय लिया है। यह विधेयक पटल पर रखा जाता है। कार्य-मंत्रणा में इस पर बहस होती है। बहुजन समाज पार्टी भलीभांति जानती है कि इस विधेयक पर आज चर्चा होने वाली थी। प्रश्न यह है कि उस समय जो विरोध किया गया था तो आज वह विरोध क्यों नहीं किया गया। इसके मूल पर जाना चाहिए। यही इस देश का दुर्भाग्य है जो लोग देश के निर्माण में अपनी वास्तविक भूमिका अदा करते हैं बहुत जल्दी उनको भुलाकर अपने आपको स्थापित करने का खेल खेला जाता है। आपने तो जो किया सो किया लेकिन जिन्होंने उनकी रोटी खायी जिनके नाते तीन-चार बार सत्ता में आये हैं उन्होंने भी यह खेल खेला है कि इस नाम को अब हटाया जाये और जो जिन्दा नाम है उनको चलाया जाये। इस रणनीति के तहत उन्होंने इस पर कोई संशोधन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जो लम्बे-चौड़े भाषण हुए हैं, यह तो आप भी समझ सकते हैं कि अध्यक्ष जी, इनकी मजबूरी थी क्योंकि यह फंस गये हैं। जो यह बहिष्कार है यह नकली बहिष्कार है। बहिष्कार हृदय से होता है। अगर हम सहमत नहीं हैं तो हमने अपना संशोधन दिया है। अब आप इसके प्रतिकार में बहिष्कार करके चले जायें यानी आप एक राजनीतिक रणनीति स्टैण्ड ले रहे हैं अपने उस बड़े नेता को दोबारा अपमानित करायें। आप देर भी आये थे और दुरुस्त भी नहीं आये। स्व0 कांशीराम दलितों के नहीं मानवता के नेता थे पूरे देश के नेता थे। उन्हें दलित नेता बनाना वास्तव में मान्यवर, कांशीराम जी का अपमान है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इसे वापस लें और इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर आयी है और इस पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने जो संशोधन रखने का काम किया है इसमें दो बातें बहुत महत्व की हैं और यह जरूर रेखांकित किये जाने योग्य है। स्व0 कांशीराम जी की बात करने वाले लोग उनकी उपलब्धियां गिनाने वाले लोग उनका नाम लेकर राजनीति में सत्ता प्राप्त करने वाले लोग किस तरीके का जुड़ाव उनसे रखते हैं और किस तरीके की बात करना चाहते हैं। एक बात यह जरूर उभरकर आयी कि पहले उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम का इस्तेमाल किया उनके साथ जो किया उसका उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, वी0आई0पी0 रोड से जेल रोड पर जब हम

लोग आते थे तो एक बहुत बड़ा पार्क था डा0 अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर पार्क का नाम चूंकि तब श्री कांशीराम जी जीवित थे और इसलिये जिन्दा देवता की पूजा करना वह लोग अपना जरूरी मुनासिब बात समझते थे तो डा0 अम्बेडकर को भी पीछे करने का काम उन लोगों ने किया और डा0 अम्बेडकर के नाम पर जो पार्क था उसको कांशीराम पार्क बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया और यह नाम बदलने का सिलसिला और शुरुआत वहीं से शुरू हुई। डा0 भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान है सिर्फ देश का संविधान बनाने में नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई के समय भी दलितों की स्थिति जो थी मान्यवर, महात्मा गांधी जिस धारा का प्रतिनिधित्व करते हुए बापू पूरे राष्ट्र की आजादी की जहां बात करते थे, उस दौर में भी जहां जमींदारी उन्मूलन की बात आई, इसके अलावा जहां सामाजिक विषमता को दूर करने में जो योगदान डा0 बाबा साहब अम्बेडकर का था और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उनके चलते संविधान में जो दूसरी व्यवस्थायें आईं खासतौर से अनुसूचित जाति के आरक्षण का जो मामला आया डा0 भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों का नतीजा था और उनका संघर्ष कोई अचानक पैदा हुआ संघर्ष नहीं था, हजारों साल से समाज में चली आ रही विषयमता जिसको तमाम महापुरुषों ने समय-समय पर लड़ने का काम किया था, अनेक प्रकार के उत्पीड़न, अनेक प्रकार के आक्षेप और अनेक कठिनाइयों को सहते हुए भी उस संघर्ष से जूझने का जिन लोगों ने काम किया था, उस कड़ी के सबसे अगुआ नेता बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके नाम पर जो पार्क बना हुआ था मान्यवर, उतना बड़ा पार्क मैं समझता हूं कि उस समय सबसे बड़ा पार्क अम्बेडकर पार्क ही लखनऊ में था आकार के हिसाब से। वह अम्बेडकर पार्क सबसे बड़ा घिरा हुआ मैदान था और जेल के बगल में मान्यवर, उसको बदलने का काम इन लोगों ने शुरू किया और अकेले उनको बदलने का काम शुरू नहीं किया, धीरे-धीरे लगता यह है कि इनकी सम्पूर्ण संस्कृति ही इस प्रकार की है, जहां जिन्दा देवता की मूर्ति लगाने का काम, जहां स्वयं दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को देवी घोषित करके और बाकी सारे लोगों से यह आग्रह करती है कि बाकी देवी-देवता बेकार हैं, हमारी पूजा करो, सारा माल हमारे पास चढ़ाओ, इस तरीके की संस्कृति को पैदा करने और उसको लागू करने का काम इन लोगों ने शुरू किया, इनका कोई लगाव कांशीराम से नहीं रह गया, कांशीराम जी के जीवन के संघर्ष का जो भी पक्ष था, उसके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से यह कोई बात नहीं कहना चाहते और ठीक है मान्यवर, सही है, इसी कारण उन्होंने संशोधन भी नहीं रखा, संशोधन तो डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने भी नहीं रखा, उन्होंने तो संशोधन रखे जाने की जो एक औपचारिकता है वह कह दिया कि एक प्रवर समिति बनाई जाय, एक महीने में विचार दे। अब प्रवर समिति इतने छोटे संशोधन में नाम रखा जाय, हटाया जाय, इसको तय करने में एक महीने की प्रवर समिति जिसके सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे, यह एक महीने में विचार करेंगे कि कौन लोग, विशेषज्ञ लोग आयेंगे, विचार करेंगे और विचार करके तब कोई संशोधन प्रस्तावित करेंगे। संशोधन न भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और औपचारिकता भी पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया है, वस्तुतः संशोधन तो इनमें किसी ने दिया ही नहीं है, लेकिन संशोधन दें न दें इसके आगे चलकर के इस बात की चर्चा मान्यवर, अगर होती है तो हम बहुत सहृदयता से इस चर्चा को आगे ले जाने को, इस चर्चा को स्वीकार करने को, इसमें भाग लेने को तैयार है, लेकिन वह चर्चा होगी कैसे जब अपनी बात सुनने के लिये मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और इनका पूरा दल, मेरे बार-बार आग्रह के बाद, मेरे बार-बार अनुरोध के बाद कि भई आप अपनी बात कह रहे हैं, सरकार का पक्ष भी नहीं आया है, अब अगर प्रतिकार करते तो ये जाते, लेकिन उनका चेहरा मान्यवर, वह सामना कर नहीं

सकते, वस्तु स्थिति का सामना करने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है ही नहीं, क्योंकि उनको जो निर्देश है और उनको ऊपर से जो निर्देश, उनका ऊपर क्या है आप जानते हैं सारा देश जानता है कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी में ऊपर की बात करता हूं तो ऊपर कहां तक जाता है। उनके ऊपर का जो निर्देश है, उनकी जो कार्य-संस्कृति है उस कार्य-संस्कृति में लोकतंत्र में तो इनका विश्वास ही नहीं है, वह अपनी बात कह कर भागे और बात करके भागे इसलिये कि अगली बात सुनने का साहस नहीं है, वह सुनें, चर्चा करें, हम किसी हड़बड़ी में नहीं हैं मान्यवर, जैसा मा0 रामगोविन्द चौधरी साहब ने कहा हम किसी हड़बड़ी में नहीं हैं कि नहीं हम इसमें तत्काल संशोधन ले आये तो तुरन्त पारित करा दें। आप इस पर चर्चा कर लें, अभी जो संशोधन रखा था डा0 अग्रवाल ने उस पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और उस पर औपचारिक तौर मैंने कभी अनुरोध नहीं किया कि नहीं साहब यह चर्चा आप तुरन्त समाप्त कर लीजिये, मेरे कहने का यह बिल्कुल भी आशय नहीं था कि यह चर्चा आप तत्काल और तुरन्त समाप्त कर दीजिए, जल्दी से पारित कर दीजिए, यह कहने का हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन श्रीमन् जो आज का आचरण है बहुजन समाज पार्टी का वह पूरी तरह से यह बात साबित करता है कि पहले उन्होंने अम्बेडकर जी को छोड़ा, कांशीराम जी के नाम पर और अब कांशीराम जी को भी छोड़ने का फैसला बहुजन समाज पार्टी ने कर लिया है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, जब कोई संशोधन है ही नहीं और संशोधन की औपचारिकता के लिये सिर्फ नाम देने की बात आई है और बहुजन समाज पार्टी इस पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पर मतदान करायें और इसको पारित करायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-45, सन् 1958 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में, खण्ड (ठ) में शब्द ''मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा'' के स्थान पर शब्द ''बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा'' रख दिए जायेंगे।

धारा-2-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-2-क में, उपधारा (1-ख) में शब्द ''मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा'' के स्थान पर शब्द ''बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा'' रख दिए जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

4-मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या-5 में, स्तम्भ-2 में शब्द ''मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा'' के स्थान पर शब्द ''बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा'' रख दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[6.02 बजे] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब चर्चा चलेगी।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यगण अभी बिजली के बारे में कह रहे थे कि हम 2016 तक 24 घण्टे बिजली देंगे। मा0 अध्यक्ष जी, 16 घण्टे बिजली की बात तो छोड़िये, हमारे विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत अभी पूरे क्षेत्र में जर्जर तारों की वजह से दिनांक 13-4-2014 को गांव महाऊदुर्ग निवासी अवनीश पुत्र तोताराम सुबह अपने खेत पर गेहूं मड़ाई करने के लिये जा रहे थे। इसी तरीके से मा0 अध्यक्ष जी, ग्राम-बैदापुर मुबासी निवासी गंगाराम पुत्र मैकूलाल

दिनांक 5-5-2014 को अपने गन्ने के खेत में सिंचाई करने गये थे। इन दोनों किसानों की बिजली के तार नीचे लटकने के कारण दोनों गरीब किसानों की मृत्यु हो गयी। मेरे कई बार अनुरोध के बाद भी अधिकारियों द्वारा आज तक इन्हें न ही बिजली विभाग द्वारा न किसी कृती दुर्घटना बीमा से कोई भी सहायता राशि मा0 अध्यक्ष नहीं दी गयी जबकि पिछले सत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कृषि दुर्घटना बीमा 01 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की राशि कर दी थी। उनका बढ़ाने का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन ऐसे कृषि दुर्घटना बीमा को एक लाख से 5 लाख करने से उन गरीब किसानों का क्या फायदा हुआ। जब अधिकारी मा0 अध्यक्ष जी सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे। गरीबों को कोई सुविधा प्रदान नहीं करेंगे तो यह सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं किसानों की सरकार है मा0 अध्यक्ष जी, मेरे कई बार अनुरोध के बाद मृतकों को कृषि दुर्घटना बीमा नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि दोनों किसानों को कृषि दुर्घटना बीमा योजना और बिजली विभाग से भी उनके परिवार वालों को सहायता राशि उपलब्ध करायी जाये। इसी क्रम में मा0 अध्यक्ष जी, हमारे तिलहर विधान सभा क्षेत्र और खासकर जनपद शाहजहांपुर शहीदों की नगरी के नाम से देश और विदेशों में जाना जाता है। शहीद-ए-आजम अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और यहां तक शाहजहांपुर की तिलहर विधान सभा क्षेत्र मा0 मुख्य मंत्री जी के पिता श्री मा0 मुलायम सिंह जी का भी क्षेत्र रहा है। उस क्षेत्र पर तो खास नजर मा0 नेता सदन की रहनी चाहिए थी। वर्ष 2011-12 में मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जनपद शाहजहांपुर में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हुयी थी, किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और निगोही से तिलहर मार्ग में बिरसिंहपुर के आगे उस भयंकर बाढ़ में 300-400 मीटर सड़क बर्बाद हो गई थी, सड़क के अन्दर 30-30 से 35-35 मी0 गहरे गड्ढे हो गये थे और तहसील मुख्यालय जाने का वह ही एक मात्र सड़क है। उसके अलावा कोई दूसरी सड़क नहीं है और इसे मैंने मा0 अध्यक्ष जी नियमों में भी लगाया। मैंने प्रश्न में लगाया, सरकार की तरफ से उत्तर में यह आया कि इस रोड के लिये पैसा जब उपलब्ध होगा, तब करा दिया जायेगा और मा0 अध्यक्ष जी मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हम लोग प्रश्न लगाते हैं, मा0 अध्यक्ष जी, उसमें यही लिखकर आता है कि वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर ये काम करा दिया जायेगा। हमने अध्यक्ष जी पिछली बार नियम-51 के तहत अपने क्षेत्र में तिलहर विधान सभा में प्याऊ जल का बहुत बड़ा संकट है, उसके बारे में मैंने प्रश्न लगाया। उसके बाद में मंत्री जी द्वारा यह उत्तर आया कि मानक में 150 आबादी पर एक नल आता है और वहां पर नल 72 की संख्या पर लगे हुए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, ये सरासर गलत तथ्य यहां पर अधिकारी प्रस्तुत करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जब सदन में हमारे इन मा0 मंत्री जी को अधिकारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर सूचनायें देते हैं, तो ऐसे में हम लोगों के प्रश्न लगाने से मा0 अध्यक्ष जी कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि हम लोग जो प्रश्न लगाते हैं उन पर गलत तथ्यों के आधार पर सूचना न दी जाये। मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमन्, हम लोगों को सत्ता पक्ष से इंगित किया गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ''सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है।'' वक्त आने दें ये आसमा अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जब राम प्रसाद बिस्मल जी ने यह शेर पढ़ा था उस समय उनके सिर पर बाल थे। आप तो गंजे हैं। हमारे यहां यदि किसी बकरी के शरीर पर बाल नहीं होते हैं या सींग नहीं होती है तो उसकी कुर्बानी नहीं दी जाती है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है इसमें जनपद कानपुर शहर के लिये कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। मान्यवर, जो हैण्ड पम्पों को देने की बात थी वह भी आपने बन्द कर दिया है। पानी अभी तक मिला नहीं।

मान्यवर, एक तो हैण्डपम्प नहीं दिया कानपुर को दूसरी तरफ आपने दस हजार लीटर दूध की व्यवस्था करने का प्रावधान कर दिया है इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन्, क्या आप यह चाहते हैं कि दूध में पानी मिलवा दिया जाये दूध में पानी मिलाने के लिये पानी दिलाया जाये। आपने तो दिल्ली में मिलावट करा दी यहां भी मिलावट चाहते हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

श्रीमन्, आज नालों का पानी गंगा जी में मिल रहा है। हमारे बच्चे प्रदूषित पानी पी रहे हैं और उसके फलस्वरूप हम सबका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मान्यवर, आपने कहा कि रामपुर पहले नवाबों का शहर था, गरीबों का शहर था, आपको नवाबों के शहर से गरीबों के शहर के विकास के प्रति तो दिल में जगह है आप उसी तरह से अन्य सोसाइटी के क्षेत्रों के विकास की भी बात करें। वहां कोई भी विकास नहीं है चुहिया भर व्यवस्था नहीं है। आप वहां बिजली पानी नाली सबकी व्यवस्था करा दें उसको दुरुस्त करा दें। मान्यवर, जब वहां विकास नहीं है नालियां नहीं बनी हैं पानी साफ नहीं है तो शरीर में प्रदूषित चीजें जा रही हैं मान्यवर, उससे खून बनना बन्द हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोसाइटीज में साफ पानी नहीं मिलता है नालियां नहीं हैं आप वहां पर नालियां बनवा दें। इससे मान्यवर आपकी और सरकार की बदनामी होती है। इस पर आप ध्यान देने का काम करें और वहां के विकास पर भी ध्यान देने का कष्ट करें। अस्पताल में मरीजों को 10 परसेन्ट लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है अब जब बात करो तो कहते हैं ऊपर से मैंने कहा कौन ऊपर से कहते हैं ऊपर से बोले और ऊपर से हम बोले कौन ऊपर से अध्यक्ष जी मैं आपको बता रहा हूं सही बात। समय आप जिस समय कहेंगे हम बैठ जायेंगे। अब ऊपर कहां मैं ऊपर देखूं।

श्री अध्यक्ष-

अपने क्षेत्र की बात करो।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, क्षेत्र की ही बात है। कोई बात नहीं क्षेत्र पर बहुत बोल चुके जो कुछ बोला आज तक मिला नहीं। हमें मालूम है, हमें मालूम है हमें मिलेगा नहीं लेकिन मान्यवर, यह कब तक चलेगा। यह तब तक चलेगा जैसे 73 सीटें आई हैं तब क्या यह चाहते हो कि 330 सीटें आवें और अगर

ऐसा करोगे तो आ जरूर जायेंगी, लूट लो। मैंने खनिज के बारे में कहा था पोन्टी चड्ढा चला गया अब बड़ा-बड़ा लोग चिल्ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भाषण दीजिए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, पोन्टी चड्ढा खनिज की चोरी करता था आज भी खनिज की चोरी हो रही है, कौन कर रहा है ? [x x x] माननीय राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि जितना माल आप लादो पूरे प्रदेश में घूमो जिससे रेट नहीं बढ़ेगा। आज मौरंग का रेट 3500-4000 हो गया आप नहीं समझ रहे हो। विधायक निधि आप रख लीजिये आप सड़क दीजिए हमें। विधायक निधि आपने झुनझुना दे दिया जनता परेशान करती है। 500 मीटर हजार मीटर नहीं बनवा सकते और स्थिति यह है कि मंहगाई बढ़ रही है। कमीशन रोको, सतीश निगम जी तुम्हें क्या दे दो तुम तो रसगुल्ला खा रहे हो, नगर निगम से सारी सड़कें बनवा लो, 330 आयेंगी इधर बैठोगे कांग्रेसियों की तरह नमस्ते करूंगा ऐसे ही हाथ हिलाते हुए। परेशान मत हो इसलिये सम्भल जाओ। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय, जब मैं देखूं आपनो मुझसे बुरा न कोय। पहले अपना देख लो बाद में [x x x]।

श्री अध्यक्ष-

[x x x] शब्द असंसदीय है यह लिखा नहीं जायेगा। सारे असंसदीय शब्द बोल रहे हैं यह निकाल दिया जायेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

यह शब्द निकाल दो कि हम इधर हम इधर। अब न आप होंगे न आप होंगे भारतीय जनता पार्टी होगी चूंकि मोदी जी आ गये हैं, अच्छे दिन आ गये हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आ जायेंगे। मैं यह चाहता हूं चिन्ता न करो, बैठ जायेंगे।

श्री कालीचरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2014-15 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया है मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस समय जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने जो बजट भाषण पर विरोध जताया है मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष हम क्यों न विरोध करें इस बजट का यह बजट अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, यह बजट ग्रामीण विरोधी है, यह बजट छात्र विरोधी है, यह बजट बेरोजगार विरोधी है, यह बजट किसान विरोधी है इसलिये माननीय अध्यक्ष जी हम इस बजट का विरोध करते हैं। जो बगल में हमारे माननीय सदस्य चिल्ला-चिल्ला करके कह रहे हैं इनका नारा था अच्छे दिन आयेंगे और सामने वालों का नारा था कि हम उत्तम प्रदेश बनायेंगे। इनका नारा पूरा होने लगा है अच्छे दिनों की जगह पर बुरे दिन आने लगे हैं। उनका नारा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे तो कितना उत्तम प्रदेश बन रहा है पूरा उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश बन चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये हम इसका विरोध करते हैं कि इन्होंने वायदा किया था कि प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम छात्रों को लैपटाप देंगे, टैबलेट देंगे और कन्या विद्या धन देंगे। यह तमाम घोषणायें की गयी थीं परन्तु आज वह कौन से कारण रहे,

---

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जिस कारण से इन योजनाओं को बन्द कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब इतनी अच्छी योजना थी तो इन्होंने क्यों बन्द कर दी। इन योजनाओं को चालू करना चाहिए और इसलिये चालू करना चाहिये क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इनकी योजनाओं पर निन्दा कर रही थी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि यह बजट केवल कागजों पर है और कागजों पर ही प्रस्ताव पारित होगा। परन्तु धरती के जमीनी स्तर पर इस बजट का कोई असर दिखाई देने वाला नहीं है। मान्यवर, हमको विधायक बने दो वर्ष हो गये, अब तीसरा वर्ष चल रहा है। पिछले सालों के बजट का कोई नहीं पता, क्षेत्र में कोई सड़क तक नहीं बनी, क्षेत्र में कोई हैण्डपम्प रि-बोर नहीं हुआ और क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं हुये तो ऐसे बजट को लाने से क्या फायदा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि यह सरकार ग्रामीणों की हितकारी नहीं है। मैं अपनी विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में खेरिया मोड़ से लेकर धनौली ग्राम तक एक नाला जाता है, इस नाले को पूरा करने के लिये मलपुरा तक नाला निर्माण करायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री कालीचरन सुमन-

माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, शहर का पूरा पानी हमारे आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उस नाले में आता है। जिससे धनौली ग्राम पंचायत पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस नाले को तत्काल बनवाया जाय यदि यह नाला नहीं बनता है तो शहर के लोगों और ग्रामीण लोगों में हमेशा तनाव पैदा होता है, अशान्ति पैदा होती है। माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती सरकार ने महामाया योजना चलाई थी, आज यह उसी की नकल करते हुए समाजवादी पेंशन योजना चला रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आ गई बात, अब आप बैठिये मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कोई पैसे की व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले साल बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी और बाढ़ के कारण हमारे जनपद सहारनपुर में 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। उसमें से 12 व्यक्ति सहारनपुर नगर में और शेष व्यक्ति बेहट तहसील में मृत्यु को प्राप्त हुये। उत्तराखण्ड के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सहारनपुर जनपद में हुआ था। सड़कें बह गयीं थी, पुल खड़े हैं, उनकी मरम्मत के लिये और सड़कों को पुनः जोड़ने के लिये पानी की पाइप लाइन बह गयी थी। बिजली के खम्भे बह गये थे और 24 करोड़ की मांग तत्कालीन डी0एम0 ने शासन को भेजी थी, लेकिन इस मद में कोई भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस रिलीफ फण्ड को जारी किया जाय और 10 करोड़ रुपये सहारनपुर में ढोला नदी के लिये और शेष पैसा बेहट क्षेत्र की यमुना, हिन्डन और सोलानी नदी के किनारे बसे गांवों की आबादी को

बचाने के लिये तथा सड़कों की पुनः मरम्मत के लिये इस सरकार से मैं मांग करता हूं। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में मान्यवर, कांशीराम जी के नाम से हमारे जनपद सहारनपुर में एक मेडिकल कालेज बना था, इस सरकार में उसका नाम बदलकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से कर दिया गया, इस मेडिकल कालेज में अभी आपरेशन थियेटर नहीं हैं, सी0टी0 स्कैन की मशीन नहीं है और मात्र 17 डाक्टर एप्वाइंट हुये हैं और शेष कर्मचारी और स्टाफ भी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 25 करोड़ रुपये का इस्टीमेट सहारनपुर मेडिकल कालेज का हुआ है, यदि यह धन उपलब्ध हो जाय तो हमारा मेडिकल कालेज भी सुचारु रूप से काम करने लगेगा। आजमगढ़, कन्नौज और बाकी शेष मेडिकल कालेजों को बजट में पैसा आवंटित किया गया है तो सहारनपुर को भी पैसा आवंटित किया जाय, यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, खत्म करो।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट प्रस्तावों पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इसलिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तावों में उद्योगों की चर्चा की है। उद्योगों को बढ़ाने का विवरण उन्होंने इसमें दिया है। पिछले बजट में भी मैंने देखा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने आगरा में समिट किया था और इस बार दिल्ली में उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है। मा0 अध्यक्ष जी, उद्योगों को स्थापित करने के लिये माहौल को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। उद्योगपतियों को ऐसा माहौल मिले जहां उन्हें सुरक्षा का एहसास हो, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो वहां पर उद्योगपति आना पसन्द करता है। मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। कोई भी उद्योगपति यदि यहां उद्योग लगाने के लिये आता है तो सबसे पहले उसे बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है और बिजली के कनेक्शन के लिये प्रति मेगावाट किलोवाट के हिसाब से रिश्वत मांगी जाती है, उसके बाद यदि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से जमीन खरीदता है और उसे अपने नाम ट्रांसफर कराना होता है तो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से रिश्वत मांगी जाती है, व्यापार-कर में जाता है तो वहां भी रिश्वत मांगी जाती है। इस तरह से छोटे-छोटे उद्योगपतियों का कदम-कदम पर भ्रष्टाचार के द्वारा शोषण किया जाता है। मेरा तो इसमें यह भी कहना है कि नये उद्योगपति तो जब आयेंगे तब आयेंगे, हमारे जो पुराने उद्योग लगे हुए हैं वह भी धीरे-धीरे बन्द होने की कगार पर हैं। यहां पर पाइप के जो उद्योग लगे हुए हैं, सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में प्रवेश-कर एक परसेन्ट टैक्स हटाने का वायदा किया था लेकिन आज तक वह एक परसेन्ट टैक्स नहीं हटाया गया है जबकि पाइप उद्योग वाले कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि उस एक परसेंट टैक्स को वैट में शामिल कर लिया जाए लेकिन आज तक एक परसेन्ट टैक्स प्रवेश-कर को यहां से नहीं हटाया गया है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि उद्योगों का समुचित विकास हो, उसके लिये जरूरी है कि अच्छी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को यहां लाया जा सके और उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। मा0 अध्यक्ष जी मेरा जो क्षेत्र है वह नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ है। ग्रेटर नोएडा एथारिटी बन चुकी है, कुछ क्षेत्र मेरा यमुना एथारिटी में आता है वहां पर विकास बड़ी तेजी से हुआ है लेकिन सिकन्दराबाद क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और यह सबसे पुराना औद्योगिक एरिया है। पं0 नारायण दत्त तिवारी जब 1972 में मुख्य मंत्री थे

तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था लेकिन धीरे-धीरे वह पिछड़ता जा रहा है और नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इतने पुराने इण्डस्ट्रियल एरिया को आप नष्ट न होने दें और उसका पूरी तरह से विकास करायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से मांग करती हूं कि सिकन्दराबाद बिल्कुल ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ है इसलिये उसे या तो ग्रेटर नोएडा में शामिल कर दिया जाए या फिर सुपर नोएडा के नाम से उसका अलग से विकास किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या अब बैठें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र गुलावटी में जो शहरी टाउन है उस क्षेत्र में बिजली का जो बिल लिया जाता है वह शहरी क्षेत्र के हिसाब से लिया जाता है बिजली ग्रामवार क्षेत्र के हिसाब से दी जाती है क्योंकि नगरपालिका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि गुलावटी नगरपालिका है उसको एस-टू में शामिल किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अवैध खनन के नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा है यदि किसी किसान का कोई खेत नीचा है और वह अपने खेत से मिट्टी निकाल कर उसमें डालना चाहता है तो नहीं डाल सकता। अगर ऐसा करता है और उसकी ट्रक्टर ट्रॉली पकड़ ली जाती है तो उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाता है, तो वह अपने घर के लिए, खेत के लिए भी मिट्टी नहीं निकाल सकता। मेरी सरकार से निवेदन है कि इस खनन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिजली के तार टूटे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, इन्जीनियर को लिखकर दे दीजिएगा, ठीक हो जायेगा। प्रदीप चौधरी जी।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इसको ठीक करा दिया जाए।

श्री प्रदीप चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी उपेक्षा हुई है जिस तरीके की अपेक्षा हम सब लोग कर रहे थे उस तरह से हमें सुविधायें नहीं दी गयीं हैं। जैसे कि हमारे सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से खराब है, बिजली की व्यवस्था

के लिए जितने अच्छे से अच्छे प्रबन्ध किये जा सकते हैं वह कर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, 33 के0वी0ए0 के जो बिजलीघर बनते हैं जो नये फीडर बनाये जाते हैं उनका जिस एजेंसी को ठेका देने का काम किया जाता है उस एजेंसी के द्वारा वहां तक उसकी लाइन नहीं बनायी जाती, जहां से उसे 132 के0वी0ए0 से जोड़ना होता है। पहले ही उसके पास के जो बिजलीघर 33 के0वी0ए0 के बने हुए हैं, जो नया फीडर होता है वहां पर लाकर उसकी लाइन जोड़ दी जाती है और अधूरा काम छोड़ करके भाग जाते हैं ऐसी स्थिति बन रही है। मैं गम्भीरतापूर्वक इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसलिए लाना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरणों की पूरे प्रदेश के अंदर सघन रूप से जांच करा ली जाए तो मैं समझता हूं कि बड़े सारे प्रकरण आपके समक्ष आ जायेंगे। अध्यक्ष जी, सड़कों की बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। हमारे यहां दिल्ली-सहारनपुर रोड की बहुत बुरी स्थिति है...

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, जब पी0डब्लू0डी0 का बजट आयेगा तो उसमें इसको रखियेगा।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, चार-पांच साल से यही कहा जा रहा है कि सड़क जल्दी बन जायेगी मगर नहीं बन पा रही है। गंगोह से बिडोली को जाने वाली सड़क जो उधर हरियाणा व करनाल को जोड़ती है और उधर मेरठ और शामली को जोड़ने वाली सड़क है उसकी बहुत बुरी स्थिति है। अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मा0 राम शरण दास जी सहारनपुर के रहने वाले थे, वह बहुत ही ईमानदार, लगनशील व कर्मठ रहे हैं, उनके व्यक्तिगत से आप सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं, मैं आभारी हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नाम से जो माननीय राम शरण दास ग्राम्य सड़क योजना शुरू की गयी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें मात्र 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो बहुत कम है इस बजट को कम से कम 10 गुना कर लिया जाए ताकि सड़कों की व्यवस्था और अच्छी हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये। माननीय लोकेश दीक्षित जी।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, कुछ और बातें कहनी थीं।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कल से इंतजार करते-करते आज साढ़े छः बजे मेरा नम्बर आ ही गया। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले अपने विधान सभा क्षेत्र और जिले के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारा जो जिला है वहां पर 95 प्रतिशत गन्ना बोया

जाता है। मलकपुर मिल है मोदी का उसने पूरे सीजन का एक पैसा किसान को नहीं दिया। किसान अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करा पर रहा है क्योंकि जब 95 प्रतिशत गन्ना बोता है तो वह कहां से पैसा लेकर आएगा मिल मालिक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उनका पैसा दिलवाएं अगर नहीं दिलवाया तो एक नई आफत पश्चिम में आने वाली है। किसान भुखमरी की कगार पर है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को जिनके शासनकाल में मिल मालिक की हिम्मत नहीं थी कि वह एक दिन लेट मिल चला दे या एक दिन किसान का पेमेंट लेट कर दे उसकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया था। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान याद करता है जब वह खेत पर जाता है तो उसके खून के आंसू निकलते हैं एक तो गन्ना मिल पेर नहीं रहा है दूसरा पेमेंट नहीं दे रहा है तो वह सिर्फ याद करता है बहन कुमारी मायावती जी को। यह जो कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आ गए अच्छे दिन आ गये हमारे साथ वाले आदमी कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हैं मैं याद दिलाना चाहता हूं 100 दिन का एजेण्डा है उस व्यक्ति का गुजरात से आकर बनारस में जीत गया 100 दिन बाद पब्लिक ढूंढेगी और भरे चौराहे पर पत्थरों से इनका स्वागत करेगी। माननीय अध्यक्ष जी झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है मक्कारी ज्यादा दिन नहीं चलती 30 दिन हुए मंहगाई का आकार बढ़ता चला आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक घटना हमारे बड़ौत की अभी 17 तारीख की है मैं उनका नाम नहीं लूंगा परिवर्तित नाम है शकील भाई उनकी दो बेटी हैं एक चार साल की एक छह साल की चार साल की बेटी के साथ 17 तारीख को रेप हुआ एक के साथ रेप हुआ 18 तारीख को वह 6 साल की बेटी थी मैं लखनऊ में था मुझे मालूम पड़ा मैं तुरन्त वहां गया डाक्टरी हुई और 20 तारीख को एफ0आई0आर0 हुई।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री लोकेश दीक्षित-

मैं जिला अस्पताल में गया वहां पर मैंने डी0एम0 से बात की कप्तान से बात की उसके बाद उसकी डाक्टरी जांच हुई जो मुजरिम है वह वहीं बेखौफ सड़कों पर घूम रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति वहां नहीं आया था एक आदमी उन्होंने पकड़ा जिसके कारण वहां पर धरना प्रदर्शन हुए मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें मैंने अगला नाम पुकार लिया है।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी अभी बात पूरी नहीं हुई है हमारा बागपत जिला यमुना के किनारे पर बसा हुआ है वहां यमुना से इतना कटान होता है कि उत्तर प्रदेश की कम से कम 40-50 हजार एकड़ जमीन हरियाणे में चली गई। माननीय अध्यक्ष जी मैं बहालगढ़ गया था हरियाणा में बहालगढ़ पड़ता है उनके अधिकारी भी गए थे हमारे अधिकारी भी गए थे लेकिन हमारे अधिकारी हमारे किसान का फेवर नहीं लेते और हरियाणे वाले ठग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यमुना के किनारे उन्होंने बड़े-बड़े कुएं बना दिए मैं कई बार अधिकारियों से कह चुका हूं कि यह उत्तर प्रदेश की जमीन है यह हरियाणे के ठग आकर कब्जा कर रहे हैं हमारे किसानों को मारते भी हैं उनकी फसल भी नहीं काटने

देते यमुना की जो धारा है वह इधर आ गई है जमीन उधर चली गई है। हमारे जिले की सारी सड़कें जर्जर हो गई हैं जो छोटा किसान है जो गन्ने को भैंसा बुग्गी पर लेकर आता है मिल तक कांटे तक उसका जो बेजुबान भैंसा है तो एक कमेटी बनाकर अगर वहां जाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि उनके पैर लहूलुहान हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाएं।

डा0 अरूण कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की परिचर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी श्री सतीश महाना जी ने जो इस बजट के विरुद्ध कहा है, मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करते हुए आपसे केवल यही कहूंगा कि इस बजट में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वह नौजवानों का हुआ है। बेरोजगारी भत्ता तो उनके हाथ से गया ही और उनकी बेरोजगारी दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। जब हाथ को काम नहीं तो जेब को दाम कहां से मिलेगा और नौजवानों का दिमाग, जब खाली दिमाग होता है तो शैतान का दिमाग होता है, इससे क्राइम बढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके अंदर इतना जरूर प्रबन्ध करें इस बजट में, कि नौजवानों को रोजगार मिले और रोजगार मिलने के लिये सबसे जरूरी है इण्डस्ट्री मनी का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के नाम पर दिल्ली सम्मिट हुआ, आगरा में मीटिंग हुई लेकिन नतीजा कोई खास नहीं निकला। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिये हमको सोचना होगा कि नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका कारण यह है कि हमारे यहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। कोई भी बाहर का पैसे वाला आदमी, कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट यहां आकर कोई इन्डस्ट्री नहीं लगाना चाहता। क्योंकि हमारा यू0पी0 बदनाम हो गया है क्राइम्स के लिये। यहां जघन्य अपराध, चाहे महिलाओं के साथ अपराध हों, चोरी, डकैती, राहजनी, एक आम बात हो गई है जिसकी वजह से बाहर का कोई आदमी यहां नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाय। साथ ही साथ जो इण्डस्ट्रियलिस्ट बाहर से आकर यहां इण्डस्ट्री लगाना चाहें उनका पूरा सहयोग किया जाय। जमीन दिलाने में उनका सहयोग किया जाय। टैक्स में उन्हें पूरी रियायत दिलाई जाय और इस तरह के उद्योग लगाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाय जिससे लोगों को रोजगार मिले, सरकारी संरक्षण उन्हें मिले। साथ ही साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेप किया जा, जिलों को आपस में जोड़ा जाय, हवाई पट्टी बने। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जाय। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। मैं थोड़ी सी बात अपने जनपद बरेली के बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर फायर बिग्रेड को अपग्रेड किया जाय। कहीं भी आग लग जाती है तो मास्क न होने के कारण अन्दर धुएं में नहीं जा पाते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि उन्हें अपग्रेड किया जाय। बरेली के स्टेडियम को अपग्रेड किया जाय और हमारे यहां बरेली में एक न्यूरो ट्रामा सेन्टर बनाया जाय। आई0वी0आर0 पर एक रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाय। थाना बारादरी से बरेली कालेज तक ओवर ब्रिज बनाया जाय। नैनीताल रोड हवाई अड्डे से कन्या दास पुर होते हुए पीलीभीत रोड पर बाहुडा तक लिंक रोड का निर्माण किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमर पाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2014 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात कहकर 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा बजट आया है, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है। मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद है, जो मैं समझता हूं देश नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी विधान सभा है जिसमें आठ लाख वोटर हैं। आज की डेट में इस समय अभी वहां 735 बूथ हैं वह पूरी शहरी विधान सभा है। अभी पिछले बजट में, माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं, आप लोगों ने हैंड पम्प की बात कही थी कि भई हैंड पम्प दिये जायेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। अगर किसी को कोई चीज नहीं देनी है तो उसको प्रकाशित न किया जाय ताकि जनता हमारे कपड़े न फाड़े। अब यहां तो आपने छपवा दिया अखबारों में कि सौ-सौ हैंड पम्प दिये जायेंगे। अब हम वहां चक्कर काट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के लिये एक भी पैसा नहीं आया। एक भी हैंडपम्प नहीं है। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज जो यह बजट में आपने दिलशाद गार्डन से पुराने बस अड्डे तक की मेट्रो रेल की वाहवाही ली है, यह सारा पैसा गाजियाबाद जिले से आया है कहीं और से नहीं आया है। उसमें कुछ हिस्सा नगर निगम ने दिया है और बाकी हिस्सा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दिया है और कुछ केन्द्र सरकार ने दिया है। इतना बड़ा राजस्व देने वाला गाजियाबाद पश्चिम का इतना बड़ा जिला जिससे प्रदेश की बहुत सारी चीजें चलती हैं और इस बजट में उसे बिल्कुल वंचित रखा गया है, उसके लिए न कोई सड़क की योजना है। मैंने नियम-51 के अन्तर्गत प्रश्न लगाया था और मा0 मंत्री जी का उत्तर हमारे सामने आया। इसमें दो चीजें आयीं लिखकर कि तुलसी निकेतन, इन्दिरापुरम् यह तो जी0डी0ए0 के अन्दर आता है और बाकी कालोनियों के अन्दर मैंने सीवर समस्या के बारे में पता लगाया था कि बाकी कालोनियों में सीवर समस्या सुचारु रूप से चालू है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस अधिकारी ने यह लिखकर दिया है, उस अधिकारी को सदन में बुलाकर मेरे सामने उससे बात कराने की आप कृपा करें, मैं भी पूंछू कि अगर सारे सीवर सही हैं तो क्यों रोज धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों लोग रोज वहां जा करके मटके फोड़ रहे हैं ? क्यों लोग हाल-बेहाल हो रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो लेट्रिन रोड पर बहती है। मान्यवर, मेरे प्रश्न का जो उत्तर आया है, वह उत्तर बिल्कुल गलत है, सीवर की समस्या वहां बहुत गंभीर है और ऐसा नहीं है कि वह समस्या आज से है, बहुत पहले से है। वह इसलिए है कि वहां पर जब बिल्डरों ने बिल्डिंग बनायी तो जिसने बिल्डिंग बनायी, उसी ने उसमें कूड़ा आदि घुसेड़ दिया और वह जो लाइनें हैं, वह साफ नहीं हुई। आए दिन वहां पर बिल्डिंगें बनती चली गयीं, लोड वहां पर ज्यादा होता चला गया, इसके कारण यह समस्या पैदा हुई। अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसी भी कालोनी में आप चले जायें, कहीं भी विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। जब हम जी0डी0ए0 में जाते हैं तो जी0डी0ए0 में जवाब मिलता है कि कहां से विकास करायें, सारा पैसा हमने मैट्रों के लिए एकत्रित किया है। अध्यक्ष जी, तीसरी चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हम कभी भी अपनी बात कहते हैं तो सामने से एक आवाज आती है कि हमारी पहली सरकार है,

जिसने सब कुछ किया है। अब क्या जाते-जाते भी यही आवाज रहेगी ? यह आवाज बन्द होनी चाहिए, किसने क्या किया, उससे हमें मतलब नहीं है, मान्यवर, जब हमको 8 लाख लोगों ने चुनकर यहां भेजा तो हम उनकी आवाज आपके सामने कह रहे हैं, जो उनकी समस्या है, वह आपके सामने कह रहे हैं। हम यहां आरोप-प्रत्यारोप करने नहीं आए हैं, हम यहां पर यह अवहेलना झेलने नहीं आए हैं, उसका निस्तारण करना सरकार का काम है, चाहे वह जी0डी0ए0 हो, चाहे वह नगर निगम हो, कोई भी समस्या है, उसका निस्तारण करना आज सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं तो आज जिम्मेदारी इनकी है, यह नहीं कह सकते हैं कि कल हम इस सीट पर नहीं थे। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, अपने क्षेत्र की समस्या कह रहा हूं, हमारे क्षेत्र में बिजली की इतनी बुरी दशा हो गयी है कि आप समझिए हमें रात-दिन छुप कर रहना पड़ता है। अभी एक जे0ई0 के साथ बदतमीजी हुई, एक एस0डी0एम0 के साथ बदतमीजी हुई, वहां एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है। बिजली विभाग के लोगों के साथ अभद्रता हो रही है। जब जनता परेशान है तो जनता अपना काम करती है। अध्यक्ष जी, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है। लोगों को शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल पर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अमर पाल शर्मा-

अध्यक्ष जी, केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, इसके पहले तो आपने 25-25 मिनट दिए हैं।

मान्यवर, वर्षों से मांग चली आ रही है, पहले भी मैंने मांग की थी कि गंगा वाटर की व्यवस्था कराई जाए। गंगा वाटर जब तक क्षेत्र में नहीं आयेगा, आधे क्षेत्र में गंगा वाटर है और आधे में नहीं है। वहां लोग 30-30 रुपये में पानी की कैन खरीदने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वहां का जो पानी है, वह पीने योग्य नहीं है और जो निगम के द्वारा पानी दिया जाता है वह सीवर की लाइन से टच होकर आता है, उस पानी को कोई यूज इसलिए नहीं करता कि आधा पानी सीवर से खिंच कर आता है। मान्यवर, मंत्री जी सामने बैठे हैं, मैं सबसे ज्यादा मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह एक बार उन अधिकारियों से सीवर के बारे में जरूर जानकारी करें जिन्होंने यह गलत उत्तर लिखकर दिया है कि सीवर की समस्या बिल्कुल सही है। मान्यवर, यह बिल्कुल गलत उत्तर है। मान्यवर, इसी के साथ हमारे क्षेत्र में एक खोड़ा कालोनी है, बहुत बड़ी कालोनी है, 7 लाख की आबादी है, वहां बसपा के शासन में 300 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया था। लेकिन जो कुछ भी होना था, वह काम बन्द हो गया। हमने पहले भी कई बार मांग की थी कि अगर इसको नगर पालिका नहीं बना सकती है तो जो गाजियाबाद नगर निगम है, उसमें जोड़ दिया जाए या नगर परिषद् उसको बना दिया जाए ताकि वहां का विकास हो सके जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। हमारे क्षेत्र में जो बंथला से लेकर चिरौड़ी मार्ग है, जिसकी हालत इतनी खराब है, अगर वास्तव में कोई भी सदस्य वहां से निकल जाए तो वह आंसूओं से रोयेगा। इस सड़क को बनवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मुकुट बिहारी वर्मा जी, आप शुरू करें।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी अब समाप्त करें।

(इस बीच श्री अमर पाल शर्मा व श्री मुकुट बिहारी वर्मा एक साथ बोलते रहे, श्री अमर पाल शर्मा जी का माइक आफ होने के कारण उनका भाषण सुना ही नहीं जा सका।)

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस बजट में न नई आशा दिख रही है न नई प्रतिबद्धता।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, आप लिखकर दे दो।

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, बस एक मिनट।

श्री अध्यक्ष-

तो जल्दी खत्म करो न।

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब विधायक किसी अधिकारी को फोन करता है तो अधिकारी का कर्तव्य है कि वह काम करे या न करे लेकिन उससे तहजीब से पेश आये। यह अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि जब विधायक उसके आफिस जाये तो वह उसे बैठने के लिये जरूर कहे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। वर्मा जी आप बोलिये।

(श्री अमर पाल शर्मा का माइक आफ हो जाने के कारण उनका भाषण सुनाई नहीं दिया)

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस बजट में न नई आशा दिख रही है न नई प्रतिबद्धता। क्योंकि एक युवा योग्य और बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को मुख्य मंत्री की कुर्सी मिली है। किन्तु कहीं भी उनको अपनी नई सोच को उजागर करने का अवसर नहीं मिला। तीन-तीन बजट इस सरकार के पेश हुये हैं और प्रत्येक बजट में कहीं स्थिरता नाम की चीज नहीं। कल जो कहा था आज बदल दिया फिर से बदल दे रहे हैं। क्योंकि अपने को स्थित नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिबद्धता नहीं आ पा रही है। मान्यवर, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि इनको इतना दिख जाता कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता हमारी है तो इससे ही प्रदेश का भला हो जाता। किन्तु यह भी नहीं दिख रहा है। उसमें हमारा मतदाता अलग, उत्तर प्रदेश की जनता अलग। यह दो भाव हैं और उसका सीधा शिकार हम लोग होते हैं। मैं अपनी विधान सभा की चर्चा करना चाहता हूं। हमारी विधान सभा में जब सड़क की चर्चा हुयी तो उसमें 5 सड़क लिखकर आयी थी उसमें से चार इसलिये कर दी गयी क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल के लोगों के द्वारा लिखी गयी थी। एक सड़क केवल मेरे द्वारा लिखी गयी थी उसकी भी

बाकायदा अवसर नहीं दिया गया। इतना पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। तो मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता की कल्पना करना भी बेकार है। जब बिजली की बात आयी तो कहा कि वहां तो बिजली ज्यादा देंगे ही जिसने हमें इस पद पर बैठाया है। हम उसको अच्छा अवसर देंगे ही जिसने हमारी सरकार बनायी है। इस प्रकार से भेद करने में कहीं गुरेज नहीं किया है। इसलिये मैं यह कहता हूं इस सरकार ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया है। मान्यवर, हमारी विधान सभा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हर बार पूरी विधान सभा घाघरा, सरयू और राप्ती की चपेट में रहती है। सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके उसमें कुछ न कुछ उपाय करती है। किन्तु स्थायी उपाय नहीं करती। जितना पैसा इसमें व्यय करते हैं। जो सम्पन्न लोग हैं जिनके पास क्षमता है वह अपने मकान शहरों में इधर-उधर बना लेते हैं। बाढ़ के समय वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं रहते। लेकिन गरीब बेचारा उसमें पिसता है। उस गरीब के लिये जैसे मा0 कांशीराम योजना में किया गया है वैसे ही बंधों पर केवल पांच-पांच सौ मकान बना दिये जायें और वह बाढ़ के पहले वहां आ जायें तो जो जनहानि होती है तो कम से कम इस नुकसान से बचा जा सकता है। पैसे का भी सही उपयोग हो जायेगा। पानी आया, पैसा बाढ़ में ही सब लगाया और बह गया। कोई हिसाब नहीं होता है। उस समय इसी में सब पाट देते हैं। बहरहाल सड़क की जो सबसे बड़ी दुर्गति है वह बहराइच की है। आप लखनऊ से चल दीजिये। बाराबंकी तक चले जाइये तो आपको सड़क की चिन्ता नहीं रहेगी लेकिन जैसे ही आप बाराबंकी से आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सड़क इतनी खराब है कि जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। मान्यवर, बजट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि उस सड़क की भी चर्चा हो। मान्यवर, आज हमारी विधान सभा क्षेत्र में खनन की सबसे बड़ी समस्या है। पूरे-पूरे खेत उसमें बड़े-बड़े गड्ढे खोद-खोद कर ताल बना दिये गये हैं, अखबारों ने छापा है जे0सी0बी0 मशीनें खड़ी है, सरकारी सहयोग से यह गड्ढे खोदे गये हैं, बाद में सरकार जाती है देखने तो देखकर कहती है कि वहां पर गड्ढे तो है, गड्ढों में पानी तो भरा है, लेकिन मशीन नहीं खड़ी थी, व्यक्ति का पता नहीं तो लगाया जा सकता है। खनन माफिया पकड़े नहीं जाते।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी अब आप समाप्त करें, इधर से भी एक लोग बोल लें, कई लोग आप बोले हैं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, इसलिये इस पर भी एक बार प्रतिबन्ध लगे, बस इतना मैं निवेदन कर के अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सईद अहमद-

मा0 अध्यक्ष महोदय, बजट के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक शानदार बजट आया है, अगर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग ऐतराज करते हैं तो इसमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। आज गरीब की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, तो सबको बुरा लग रहा है, गांव से ही हमारा शहर बनता है। मैं कहना चाहता हूं और अभी हमारे एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा बखान कर रहे थे, मैं उनको बता देना चाहता हूं, गुजरात माडल का जो उन्होंने शो दिखाया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने और झूठ बोलने का काम किया, धोखे में रखा, आपने गोधरा काण्ड कराया, गुजरात के मुसलमानों को इतना दबा दिया कि चार परसेन्ट मुसलमान

मारे डर के मोदी को वोट देता रहा। मैं बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं वही गुजरात जहां हमारे महात्मा गांधी जैसे महापुरुष पैदा हुये, जिन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, हिन्दुस्तान को आजाद कराने का काम किया था, वही गुजरात में आर0एस0एस0 के लोगों ने महात्मा गांधी, बापू की हत्या करने का काम किया, वही आर0एस0एस, उसी की बात करते हैं आप लोग गुजरात-मोदी। मैं कहना चाहता हूं गुजरात तो बहुत पहले से समृद्धशाली था, गुजरात का विकास किसने किया, गुजरात के रहने वालों ने गुजरात का विकास पहले ही कर दिखाया था और जो यहां गुजरात माडल की बात कही गई उत्तर प्रदेश में आर0एस0एस0 के लोग घूम-घूम कर जो बातें कर रहे थे, उसमें सत्य छुपा था कि मोदी आयेंगे यहां गुजरात माडल नहीं, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया जायेगा, मुसलमानों की जमीनें लूटी जायेंगी, जायदाद लूटी जायेगी, जानें मारी जायेंगी, यह दिखाया गया, आर0एस0एस0 के लोग रात में लैपटाप और मोबाइल लेकर घूमते थे जगह-जगह वह दिखाते थे, यह देखों यह मुसलमानों की जमीन है, यह जायदाद है, इनको मोदी आयेंगे मार कर भगा देंगे और यह लूट कर तुम्हारे हवाले कर दी जायेगी। उत्तर प्रदेश की भोली जनता को लूटने का काम किया आपने ही बाबरी मस्जिद ढहाने का काम किया था, आग लगा दिया पूरे हिन्दुस्तान में आपने, लाखों-करोड़ों-अरबों का नुकसान हुआ हिन्दुस्तान का, हिन्दुस्तान का कोई घर जले चाहे हिन्दू का जले चाहे मुसलमान का जले, वह हिन्दुस्तानी का होता है मैं कहना चाहता हूं बड़े खुले शब्दों में। आप राम की बात करते हैं, राम को धोखा देकर पिछली सरकार आपने बनाई थी। राम को धोखा दिया था आपने, कहा था राम मंदिर बनेगा, राम लला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे, तारीख नहीं बतायेंगे। साढ़े पांच उत्तर प्रदेश में सरकार आपने चलाई थी, पांच साल केन्द्र में सरकार चलाई थी, उस समय क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में मंदिर बनाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं आपके आर0एस0एस0 के स्कूल चलते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। आर0एस0एस0 में पढ़ाया जाता है एक मास्टर बच्चे से सवाल पूछता है कि बताओं राम और रहीम दो दोस्त थे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया। कहां इतिहास दोहरा रहे हैं, जब आप पब्लिक मीटिंग में जाइयेगा तो दोहराइयेगा, अब आप बैठिये। मा0 सदस्य राजकुमार रावत जी आप दो मिनट में अपनी बात रख दें।

श्री राजकुमार रावत-

माननीय अध्यक्ष, जी बजट भाषण 2014-2015 पर मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं धन्यवाद देता हूं तथा नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये वक्तव्य से मैं अपने आप को जोड़ते हुये सरकार से आग्रह करता हूं, मा0 अध्यक्ष जी मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली, क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली, गोवर्धन धाम जनपद मथुरा से आया हूं।...जहां के बारे में सरकार ने सरकार बनते ही बहुत सारी घोषणायें की थीं। वहां पर रोड और तमाम विकास कार्यों की घोषणा की थी। उनके एस्टीमेट बने परन्तु विकास कार्य नाम मात्र का हुआ। वह भी भाई भतीजावाद में मानकों के अनुरूप नहीं हुआ। पूर्व सरकार ने गोवर्धन में जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं उस मेले को गोवर्धन मुड़ियापूड़ों को आपने मेला घोषित किया। अपने आराध्य के दर्शन करने के लिये, परिक्रमा लगाने के लिये लाखों लोग वहां आते हैं, वहां पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। मा0 अध्यक्ष जी, उस

जाम से निजात पाने के लिये मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां पर एक रिंग रोड की घोषणा की जाये ताकि उस जाम से निजात मिल सके और उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में सरकारी पी0एच0सी0 अस्पताल तो है परन्तु वहां पर व्यवस्था के नाम पर न डाक्टर हैं, न महिला चिकित्सक है, न कोई अल्ट्रासाउण्ड मशीन है, न एक्स-रे मशीन है, न एम्बुलेन्स है जबकि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आने वाले हजारों देश विदेश के लाखों लोग हर महीने आते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आपने कुंभ मेले में इलाहाबाद में जिस तरह से व्यवस्था करायी थी, उस सबके लिये मथुरा के साधु सन्तों ने धन्यवाद दिया था और मैं भी उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि गोवर्धन का जो सरकारी मुड़ियापूड़ों मेला है जहां करोड़ों लोग केवल 10 दिन में करोड़ों लोग आते हैं उस सबके लिये इलाहाबाद कुंभ मेले की तरह सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और वहां की प्रत्येक व्यवस्था को सही तरीके से कराने का काम करेंगे मेरी आपसे अपील है कि वहां परिक्रमा मार्ग में कांटेदार वृक्षों को हटा करके फलदार, फूलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगवाने का काम करेंगे। साथ ही मेरी आपसे अपील है कि मथुरा, गोवर्धन क्षेत्र जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ताज ट्रैपेजियम जोन में आता है वहां पर 24 घण्टे बिजली दिये जाने का प्राविधान मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रखा है फिर भी वहां बमुश्किल 10 घण्टे बिजली आती है। मेरी आपसे अपील है कि वहां के जिलाधिकारी कई बार पत्र भेज करके आपसे आग्रह कर चुके हैं कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की स्थिति को देखते हुये 24 घण्टे बिजली आपूर्ति करने का काम करें। वहां पर मानसी गंगा है, मानसी गंगा की सफाई के लिये पूर्व में काफी पैसा स्वीकृत हुआ था। मगर बंदर बांट हो जाने के कारण वह व्यवस्था बड़ी खेदपूर्ण रही, वहां काम नहीं हो पाया। मेरी आपसे अपील है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारे प्रकरणों को देखते हुये मा0 अध्यक्ष जी आप उस ओर ध्यान दे करके काम करने का काम करेंगे। साथ ही हमारी गोवर्धन विधान सभा में विद्युत तार, पोल करीब 100 गांवों में जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़े हुये हैं। उन सबको बदलवाने के बाद उन सबका काम करने का काम करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, अन्त में मैं कानून व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये सरकर से आग्रह करता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति तो वही है जैसे कि वहीं डोली के संग वहीं उसके लूटने वाले। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक नमूना भर अपने मथुरा जनपद की तरफ से कहना चाहता हूं कि मथुरा जनपद में 20 थाने हैं और उन 20 थानों में से 15 थानों में एक ही समाज के लोग, एक ही बिरादरी के लोग थानाध्यक्ष बने हुये हैं तो आप जानते हैं कि काम और न्याय जनता को मिलने का काम कैसे चलेगा। मेरी आपसे अपील है कि इस सब पर ध्यान देते हुये मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब इस ओर काम करने का काम करेंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री से मेरा विशेषकर अनुरोध है कि साधु संतों ने आपकी बड़ी तारीफ करने का काम किया था। आपने जो कुंभ मेले में सफाई का काम कराया था, इसी तरफ से मथुरा के मुड़ियापूड़ों के मेला, गोवर्धन मेला में भी वैसी ही सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं और आपको धन्यवाद देते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आज के दिन में आप को लेकर के मैं समझता हूं कि 34 मा0 सदस्यों ने इस चर्चा में आज के दिन हिस्सा लिया और मैं समझता हूं कि एक दिन की चर्चा में सबसे ज्यादा सदस्यों ने आज हिस्सा

लिया है और बड़ी संख्या में। बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। कुल 5-7 भारतीय जनता पार्टी से वक्ता बचे हैं और 4-5 आपके यहां बचे हैं। अब सात बज गया है, सब लोग उबे हैं, आपके लोग भी उबे हैं, जो बचे हैं, उन्हें कल हम बुलवा लेंगे।

(अन्य सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कल बोल लेना कल है, लेकिन एक चीज है कल ध्यान रखियेगा। हम नियम-56 को सीमित कर देंगे। इसलिये आपको बोलने का समय दिया जायेगा, जितने लोगों का आज हमारे पास नाम आया है, उन सबको कोशिश करेंगे कि वह कल बोल लें।

(सदस्या श्रीमती सीमा के खड़े होकर अपनी बात रखने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे द्विवेदी जी आप कल बोलियेगा। आज नियम-51 में 92 सूचनायें आई हैं। अब आप बताइये 92 आप भेजेंगे तो 10 ही ली जायेंगी।

श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्या कोई अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती है। मेरा निवेदन है कि सुन लिया जाये।

श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब हम लोग इस सदन में जीत के आते हैं, जब हम ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तब तो आप क्रमवाइज नहीं बुलाते हैं, तब तो आप महिलाओं को वरीयता दे देते हैं और जब बोलने की बारी आती है, चाहे हमारे दल के नेता हों, चाहे इनके, चाहे उनके, जब नाम भेजते हैं मा0 अध्यक्ष जी, तब क्रम क्यों नहीं टूटता है ? मेरा आपसे अनुरोध है मा0 अध्यक्ष जी महिलायें बहुत कम संख्या में हैं, बहुत कम बोलना चाहती है लेकिन बोलने नहीं दिया जाता है मा0 अध्यक्ष जी, हमारा आपसे यह अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

आप अभी आई हैं, हमने तो रजनी तिवारी को बुलाया था, वह नहीं थी, मैं देख रहा था। आप लोगों के बगल से गई थीं।

श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर कोई सदन में नहीं था, तो उसकी कोई व्यक्तिगत परेशानी भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की सूचनायें भी ली जाती हैं, सब कुछ होता है, किसी मा0 पुरुष सदस्य से महिलाओं का योगदान सदन की कार्यवाही में भाग लेने में कम नहीं है। चाहे नियम-51 हो, चाहे नियम-301 हो, चाहे और सब मामले हों आप लोग उठाती हैं, ऐसा नहीं है।

श्रीमती सीमा-

नहीं अध्यक्ष जी, मैं कई बार से इस बात को नोटिस में ले रही हूं कि जब हम महिलायें कभी प्रश्नोत्तर काल में बोलना चाहती हैं, तब भी आप हमें अवसर नहीं देते हैं मा0 अध्यक्ष जी, आखिर हम लोग कहां बोलें ?

श्री अध्यक्ष-

तो फिर आप खुद प्रश्न क्यों नहीं लगाती है ? लगाओं प्रश्न और बोलो।

श्रीमती सीमा-

परसों से हमने नंबर लगाया है, अभी तक नंबर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब 7 बज गया है, सब उबे हैं, ज्यादा देर बैठेंगे तो अभी सब लोग खिसक जायेंगे और कोरम भी नहीं पूरा होगा। जितने नाम आज आये हैं कल हम कोशिश करेंगे और सभी दलीय नेताओं से कहेंगे कि नियम-56 को सीमित करिये ताकि जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को बोलने का मौका मिल सके। नियम-56 में किसी भी सूरत में हमारे 8-10 सदस्य बोल लें, उतनी देर तक आप नियम-56 में सब पर बोलने के बजाय ध्यानाकर्षण करके आप लोग अधिक-से-अधिक सदस्यों से बुलवायें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्या आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का तो धन्यवाद दे दीजिये उन्होंने आपको बुलवाया।

श्रीमती सीमा-

मा0 मंत्री जी को धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

[7.05] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 25-06-2014 को नियम-51 के कुल 92 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राजबली जैसल, श्री रोशनलाल वर्मा, श्री बृजेश कुमार, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री त्रिभुवन राम, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री कालीचरन सुमन, श्री हरमिन्दर कुमार उर्फ रोमी साहनी, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया। प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग द्वारा ढैंचा का बीज उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। (नियम-56 से परिवर्तित) दूसरी सूचना श्री रामवीर उपाध्यय की जनपद हाथरस स्थित मां रामवती महाविद्यालय असीमित योजना के अन्तर्गत शेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राजेश यादव की

जनपद-शाहजहांपुर के रोजा थर्मल पॉवर प्लाण्ट से निकलने वाली विषैली राख के निस्तारण की उचित व्यवस्था कराए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं:-

चौथी सूचना श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि से हुये नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री रामहेत भारती की किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के पैथोलाजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं यूनिट प्रभारी द्वारा आदेश के विपरीत बिना टेण्डर के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री सतीश महाना की अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय शिक्षकों के आमेलन के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद देवरिया के रामकोला के ग्रामों में किसानों की फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम क्षेत्र में मार्ग प्रकाश के बिन्दुओं के दिन में जलते रहने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा बैठकवा के संत धारी की जमीन पर जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री मित्रसेन यादव की प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर हाई-स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क यूनीफार्म का मानक निर्धारित कराए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

ग्यारहवीं सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत अशागावा-नगवा तटबांध के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री सुरेश राणा की शामली के कस्बा थाना भवन में प्रमुख बाजार से चोर बाजार तक बिजली के तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की उ0 प्र0 मण्डी परिषद् के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पंचम् एवं षष्ठम् वेतन आयोग का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्र0सं0	नाम
1	श्री विजय कुमार पासवान
2	श्री सुरेश बंसल
3	श्री राकेश बाबू
4	श्री अमर पाल शर्मा
5	श्री गेंदालाल चौधरी
6	श्री गयादीन अनुरागी
7	श्री संजय प्रताप जायसवाल
8	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
9	श्री विक्रम सिंह

क्र0सं0	नाम
10	श्री दलवीर सिंह
11	श्री सुदेश शर्मा
12	श्री वीरपाल राठी
13	श्री त्रिलोकी राम
14	श्री पूरन प्रकाश
15	श्री भीम प्रसाद सोनकर
16	श्री मनबोध प्रसाद
17	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
18	श्री राजेश त्रिपाठी
19	श्री लोकेन्द्र सिंह
20	श्री सिनोद कुमार शाक्य
21	श्री रोशन लाल वर्मा
22	श्री उमाशंकर
23	श्रीमती पूजा पाल
24	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
25	श्री प्रदीप माथुर
26	श्री रविदास मेहरोत्रा
27	डा0 अरुण कुमार
28	डा0 धर्म सिंह सैनी
29	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
30	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव
31	डा0 रमेश चन्द बिन्द
32	श्री पंकज मलिक
33	श्री संजय कपूर
34	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
35	श्री बृजेश कुमार
36	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
37	श्री चौ0 गजेन्द्र सिंह
38	श्री धर्मपाल सिंह
39	श्री उमेश पाण्डेय

क्र0सं0	नाम
40	श्री अली यूसुफ अली
41	श्री जगन प्रसाद गर्ग
42	श्रीमती सीमा
43	श्री सलिल विश्नोई
44	श्री रवि शर्मा
45	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
46	श्री रविन्द्र भड़ाना
47	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
48	श्री विजय बहादुर यादव
49	श्री अगयश रामसरन वर्मा
50	श्री मनीष असीजा
51	श्री प्रदीप चौधरी
52	श्री सुल्तान बेग
53	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
54	श्री उदय लाल मौर्य
55	श्री जगतपाल सिंह
56	श्री दिलनवाज खान
57	श्री सन्तराम कुशवाहा
58	श्री कालीचरण सुमन
59	श्री जाकिर अली
60	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
61	श्री दीपक पटेल 'एडवोकेट'
62	श्रीमती रूबी प्रसाद
63	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप
64	श्री जियाउद्दीन रिजवी
65	श्री सुधाकर सिंह
66	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
67	श्री इन्द्रजीत सरोज
68	श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह
69	श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय

क्र0सं0	नाम
70	श्री गुटियारी लाल दुबेश
71	श्री अनिल कुमार
72	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
73	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
74	श्री राधेश्याम जायसवाल
75	श्री प्रभू दयाल बाल्मिकी
76	श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'
77	श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू
78	श्री त्रिभुवन राम
79	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
80	श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन
81	डा0 मोहम्मद मुस्लिम

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी है आपने आश्वासन दिया था कि इसको इस सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डा0 साहब वह जोड़ दी जायेगी। अब मैं मद संख्या-22 को लेता हूं।

जनपद मथुरा के अनेकों ग्रामों के पानी की टंकी तथा अधोमानक पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य.... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रदीप माथुर जी है। नहीं है। तो छोड़ दीजिये पढ़ने की जरूरत नहीं है जो नहीं है उनका नहीं लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टी0ई0टी0 पास शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन्, माननीय सदस्य द्वारा....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अपनी सूचना में उल्लेख किया गया है कि ''उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु टी0ई0टी0 परीक्षा का परिणाम दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को घोषित किया गया एवं दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को तत्कालीन सरकार द्वारा 72,825 सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा 30 नवम्बर, 2011 के विज्ञापन को सही ठहराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25 मार्च, 2014 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को 12 सप्ताह में पूर्ण करने का आदेश दिया। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण न करने व उसे अवरुद्ध रखने के कारण अब तक 22 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली है। जिससे टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर उ0 प्र0 परिषदीय विद्यालयों में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग की गयी है।

<u>वक्तव्य</u>

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि--

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में विज्ञापन दिनांक 30-11-2011 के आधार पर चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन हेतु दिनांक 31-3-2014 तक का समय निर्धारित था। अतः शासन के पत्र दिनांक 11-4-2014 द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है। विज्ञापन दिनांक 30-11-2011 के अनुसार लगभग 68,59,210 मैनुअली आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। मैनुअली प्राप्त आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर पर फीड कराना/उनका सत्यापन कराया जाना तत्पश्चात् चयन की कार्यवाही चयन समिति के माध्यम से करायी जानी है तथा जिसमें समय लगने की सम्भावना है। अतः दिनांक 15-5-2014 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिसमें सुनवाई की अगली तिथि 4-7-2014 नियत है।

उक्त चयन के सम्बन्ध में दिनांक 24-4-2014 तथा 4-6-2014 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिये गये निर्देशों के क्रम में सभी जनपदों के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा हार्ड कापी में प्राप्त आवेदन-पत्रों के डाटा इन्ट्री का कार्य करा लिया गया है तथा एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित किये गये विशिष्ट साफ्टवेयर पर ''डाटा मर्जर'' का कार्य भी पूर्ण करा लिया गया है। पुनः दिनांक 11-6-2014 को शासन स्तर पर हुई बैठक में एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि साफ्टवेयर पर समस्त जनपदों के डाटा एकत्रित होने हैं, साफ्टवेयर निर्माण एवं आडिट में लगभग 06 सप्ताह का समय लगेगा। उक्त कार्यवाही के पश्चात् चयन के सम्बन्ध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-11-2013/मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25-3-2014 के अनुपालन में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।]

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत मोहल्ला बख्शीपुर चौक स्थित सरकारी बंजर भूमि को फर्जी रूप से बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सुधाकर जी हैं। उपस्थित नहीं हैं। ठीक है इसे नहीं लिया जायेगा। इसे पढ़ा नहीं जायेगा।

जो माननीय सदस्य नहीं हैं उनका नहीं लिया जायेगा

जनपद फिरोजाबाद के गरखी व टूण्डला ब्लाक के ग्रामों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री राकेश बाबू हैं। उपस्थित नहीं हैं। इसे नहीं लिया जायेगा।

जनपद गाजियाबाद, साहिबाबाद के अन्तर्गत कालोनियों में सीवर साफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन्, मा0 अमर पाल शर्मा....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-6-2014 को यह सूचना दी गयी है कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत शहर में कालोनियों वैशाली, वसुन्धरा इन्दिरापुरम् कौशाम्बी, लाजपतनगर, श्यामपार्क, राजेन्द्रनगर, डी0एल0एफ0 कालोनी, तुलसी निकेतन व शालीमार गार्डन आदि कालोनियों के सारे सीवर जाम हो गये हैं। बरसात का मौसम आने वाला है। सीवर की सफाई न होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनपदवासियों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से से उपरोक्त सीवर की सफाई कराने की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत शहर में इन्दिरापुरम् तुलसी निकेतन का रख-रखाव वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अन्य क्षेत्र वैशाली, वसुंधरा, कौशाम्बी, लाजपतनगर, श्यामपार्क, राजेन्द्रनगर, डी0एल0एफ0 कालोनी व शालीमार गार्डन आदि कालोनियों में सीवर सुचारु रूप से चल रहे हैं, जाम की समस्या नहीं है। क्षेत्र में सीवर के अस्थायी जाम/अवरुद्ध होने की शिकायत मिलने पर तत्काल समस्या का सीवर जैटिंग मशीनों एवं सुपरशकर मशीनों द्वारा निस्तारण करा दिया जाता है। साथ में यह भी अवगत कराना है पूर्ण क्षेत्र में बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए उ0 प्र0 जल निगम द्वारा गाजियाबाद सीवेज स्कीम, ट्रान्सहिण्डन एरिया, गाजियाबाद की विस्तृत योजना अनुमानित लागत रु0 898.43 करोड़ की डी0पी0आर0 विरचित की जा रही है।]

जनपद रामपुर स्थित विलासपुर एवं शीशगढ़ मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय कपूर जी हैं। उपस्थित नहीं है। इसलिये पढ़ा नहीं जायेगा।

जनपद बलिया के रसड़ा नगर पालिका परिषद् में लगे विद्युत खम्भों एवं जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री उमा शंकर जी हैं। उपस्थित नहीं है। इसलिये पढ़ा नहीं जायेगा।

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल योजना को ठीक कराकर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार रावत द्वारा दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री राज कुमार रावत जी हैं। उपस्थित नहीं है। इसलिये पढ़ा नहीं जायेगा।

जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम बस्तोई से जिला अलीगढ़ के ग्राम बजरंगपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री रामवीर उपाध्यक्ष जी हैं। उपस्थित नहीं है। इसलिये पढ़ा नहीं जायेगा।

जनपद बरेली के रम्पुरा अलीगंज सिरौली मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित करायी गई है की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री धर्मपाल सिंह जी हैं। उपस्थित नहीं है। इसलिये पढ़ा नहीं जायेगा।

जनपद इलाहाबाद के जमुनापार के तहसील करछना में किसानों की जमीन बरौनी कानपुर के प्रयाग द्वारा जमीन अर्जन का समुचित मुआवजा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा दिनांक 20 जून, 2014 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-32 स्थगित है।

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : 25 जून, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0प्र0सं0-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ-31 पर)

पोलियो की पूर्णरूप से रोकथाम के लिये कार्य योजना

1-समय-समय पर आई0ई0ए0जी0 (इण्डिया एक्सपर्ट एडवाजरी ग्रुप भारत सरकार) की संस्तुति तथा भारत सरकार दिये गये निर्देशानुसार पोलियो उन्मूलन अभियान चलाये जाते हैं।

2-अभियान के पहले दिन बूथ दिवस का आयोजन किया जाता है तथा इसके पश्चात् अगले 05 दिन घर-घर भ्रमण कर 0-5 वर्ष के छूटे हुए बच्चों को खोजकर पोलियो ड्राप से आच्छादित किया जाता है।

3-घर-घर भ्रमण के दौरान ''एक्स'' (ऐसे घर जिसमें किसी कारणवश 0-5 वर्ष तक के बच्चे पोलियो खुराक पीने से वंचित रह गये हों) अंकित घरों में दोबारा भ्रमण कर 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्राप से आच्छादित किया जाता है।

4-ट्रांजिट टीम द्वारा रेलवे स्टेशनों/बस अड्डों, मेलों आदि में भ्रमण कर 0-5 बच्चों को पोलियो खुराक से आच्छादित किया जाता है।

5-मोबाइल टीम द्वारा पोलियो अभियान के अन्तर्गत हाई रिस्क ग्रुप (झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, घुमन्तु परिवार, निर्माण इकाइयों पर कार्य कर रहे मजदूर) पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

6-साथ ही प्रदेश के 06 जनपद (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं खीरी) जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, में पोलियो के विसंक्रमण को रोकने हेतु पोलियो के 30 बूथ पूरे वर्ष संचालित किये जा रहे हैं।

7-भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि उनके जनपद में कोई अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उपलब्ध है एवं उक्त एयरपोर्ट से सात देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, केन्या, सीरिया एवं इथोपिया में यात्री आगमन प्रस्थान करते हैं, तो उक्त एयरपोर्ट पर भी पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित करते हुए प्रस्थान के समय सभी उम्र एवं सभी वर्ग के यात्रियों को यदि उनके पास पिछले एक वर्ष के अन्दर वैधानिक प्रमाण-पत्र न हो तो पोलियो वैक्सीन की एक खुराक दिया जाना है।

8-अभियानों में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं, धार्मिक धर्म गुरुओं का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

9-प्रत्येक पोलियो अभियान से पूर्व राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाती है जिससे पिछले अभियान की समीक्षा एवं आगामी अभियान हेतु दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक अभियान से पूर्व जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें पिछले अभियान की समीक्षा एवं आगामी अभियान हेतु दिशा-निर्देश दिये जाते हैं।

10-वर्ष 2014-15 में 03 एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा 02 एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) अभियान चलाये जाने है। उक्त के क्रम में प्रथम एस0एन0आई0डी0 अभियान दिनांक 24 अप्रैल, 2014 से प्रदेश के 28 जनपदों में सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0प्र0सं0-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ-42 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री अवस्थी बाला प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर का संलग्नक।

जनपद लखीमपुर-खीरी में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र0सं0	गन्ना विकास परिषद् एवं कमेटी का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	गुलरिया	चौखड़िया से गोदिया सम्पर्क मार्ग	1.100	कार्य पूर्ण
2	पलिया	पंजाब घाट-प्रेमनगर भैसोरी मार्ग	1.000	कार्य पूर्ण
3	पलिया	निघासन से इटैया बुदुधापुर्वा सम्पर्क मार्ग	0.350	कार्य पूर्ण
4	पलिया	धोबियाना से पट्टी पतवारा मार्ग	0.900	कार्य पूर्ण
5	पलिया	निघासन रोड से गहरा फार्म	0.800	कार्य पूर्ण
6	पलिया	सम्पूर्णानगर मार्ग से पुरनपुरवा प्रथम भाग	1.150	कार्य पूर्ण
7	सम्पूर्णानगर	सिंघाई से मिलिट्री फार्म	0.980	कार्य पूर्ण
8	सम्पूर्णानगर	सम्पूर्णानगर खजूरिया रोड से मझरा बंजर मार्ग	1.000	कार्य पूर्ण
9	सम्पूर्णानगर	बमनगर से बहादुरनगर मार्ग	0.700	कार्य पूर्ण
10	बेलरायां	निघासन बेलराया मार्ग से बगलहा तकिया मार्ग	0.500	कार्य पूर्ण
11	बेलरायां	भगैया घाट से रानीगंज मार्ग	0.500	कार्य पूर्ण
12	बेलरायां	जसनगर चक्करपुर मार्ग से खमरिया मार्ग	0.800	कार्य पूर्ण
13	बेलरायां	त्रिकोलिया क्रय केन्द्र से गुलरिपुरवा मार्ग	0.600	कार्य पूर्ण
14	बेलरायां	पलिया निघासन रोड से दुर्गापुरवा मार्ग	0.800	कार्य पूर्ण
15	बेलरायां	सुख्खनपुरवा सम्पर्क मार्ग अवशेष भाग	0.400	कार्य पूर्ण
16	बेलरायां	शारदानगर ढचोरवा सम्पर्क मार्ग से लबेदपुर प्रथम कि0मी0	1.000	कार्य पूर्ण
17	ऐरा	पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से लोनियनपुरवा	1.000	कार्य पूर्ण
18	ऐरा	परसिया रोड से ईशानगर रोड सम्पर्क मार्ग	1.000	कार्य पूर्ण

क्र0सं0	गन्ना विकास परिषद् एवं कमेटी का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की भौतिक स्थिति
19	ऐरा	खमरिया पण्डित से मिल रोड	0.650	कार्य पूर्ण
20	ऐरा	ईशानगर पी0डब्लू0डी0 रोड से मटरिया	0.700	कार्य पूर्ण
21	मोहम्मदी	शाहजहांपुर मोहम्मदी मार्ग से बगरेठी गांव	0.945	कार्य पूर्ण
22	मोहम्मदी	बरगेठी ककरौवा सम्पर्क मार्ग	0.650	कार्य पूर्ण
23	जे0बी0गंज	बहिरवा मार्ग से मिल गेट तक	0.550	कार्य पूर्ण
24	जे0बी0गंज	ग्राम मोहद्दीनपुर मार्ग से मजरा महमदपुर	0.600	कार्य पूर्ण
25	कुम्भी	मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड से ग्राम कुम्भी होते हुए कुम्भी चीनी मिल यार्ड तक	0.360	कार्य पूर्ण
26	कुम्भी	कुम्भी से मुडा खालसा	0.925	कार्य पूर्ण
27	गोला	पसेहरा क्रय केन्द्र से परसेहरा ग्राम तक	0.600	कार्य पूर्ण
28	गोला	नहर पुल डहर से करता रोड की ओर	0.650	कार्य पूर्ण
29	गोला	गोला सिकन्दराबाद मार्ग से मुड़ा पासी	0.600	कार्य पूर्ण
30	गोला	अलीगंज सम्पर्क मार्ग	0.300	कार्य पूर्ण
31	गोला	ममरी मझगवां-पिपरिया कप्तान से रामपुर	1,000	कार्य पूर्ण
32	गोला	कुसमौरी से धौरहरा बुजुर्ग	0.750	कार्य पूर्ण
33	गोला	बक्खारी पी0डब्लू0डी0 रोड से ग्राम खम्भौल	0.640	कार्य पूर्ण
34	फरधान	मनकापुर से बरखेरवा	0.900	कार्य पूर्ण
35	फरधान	करनपुर से निबहा सम्पर्क मार्ग	0.750	कार्य पूर्ण
36	फरधान	नरदवल सम्पर्क मार्ग	0.500	कार्य पूर्ण
37	खम्भारखेड़ा	ज्ञानपुर से पडरियाकला प्रथम भाग	1.500	कार्य पूर्ण
38	खम्भारखेड़ा	पी0एम0जी0एस0वाई मार्ग से चौबापुर (चाऊपुर) सम्पर्क मार्ग	1.000	कार्य पूर्ण
39	खम्भारखेड़ा	कौरैया सम्पर्क मार्ग	1.000	कार्य पूर्ण
40	गुलरिया	चौखड़ा सम्पर्क मार्ग	1.200	कार्य पूर्ण
41	गुलरिया	नयापुरवा सम्पर्क मार्ग	0.600	कार्य पूर्ण
42	गोला	शहाबुद्दीनपुर से छिछौरा	0.655	कार्य पूर्ण
43	जे0बी0गंज	जसमढ़ी सम्पर्क मार्ग	0.150	कार्य पूर्ण

क्र0सं0	गन्ना विकास परिषद् एवं कमेटी का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की भौतिक स्थिति
44	गोला	कौरैया सम्पर्क मार्ग	0.360	कार्य पूर्ण
45	बेलरायां	मदनापुर सम्पर्क मार्ग से बचेलाफार्म मार्ग	1.080	कार्य पूर्ण
46	खम्भारखेड़ा	पी0एम0जी0एस0वाई मार्ग से पिपरा	1.360	कार्य पूर्ण
47	खम्भारखेड़ा	गढ़वा सम्पर्क मार्ग से मिथौरा	0.425	कार्य पूर्ण
48	खम्भारखेड़ा	जानसठ से सरसवा	0.660	कार्य पूर्ण
49	ऐरा	सिंगावर सम्पर्क मार्ग से विचरी	1.000	कार्य पूर्ण
50	ऐरा	चमारनपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.600	कार्य पूर्ण

नत्थी (ख)

देखिये 72 का उत्तर पीछे-65 पर

संलग्नक-1

वर्तमान में प्रदेश में लगाये जा रहे पावर प्रोजेक्ट्स की सूची :-

राज्य क्षेत्र :-

1. उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत निर्माणधीन परियोजना :-
   (i) 2500 मे0वा0 अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना (क्षमता 1000 मे0वा0)।
2. उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत नई प्रस्तावित परियोजनाएं :-
   (i) 1×660 मे0वा0 हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना (क्षमता 660 मे0वा0)
   (ii) 2×660 मे0वा0 ओबरा 'सी' विस्तार तापीय विद्युत परियोजना (क्षमता 1320 मे0वा0)
   (iii) 1×660 मे0वा0 पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना (ई0टी0एफ0 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त) (क्षमता 660 मे0वा0)
3. उत्पादन निगम लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में लगायी जाने वाली परियोजनाएं :-
   (i) 2×660 मे0वा0 मेजा-प्रथम तापीय विद्युत परियोजना (उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 का संयुक्त उपक्रम) (1320 मे0वा0)
   (ii) 2×660 मे0वा0 मेजा-द्वितीय तापीय विद्युत परियोजना (उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 का संयुक्त उपक्रम) (1320 मे0वा0)
   (iii) 3×660 मे0वा0 घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना (उ0नि0लि0 एवं मे0 निवेली लिग्नाइट का संयुक्त उपक्रम) (1980 मे0वा0)

इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-07 (110 मे0वा0) की आपरेटिंग की जा रही है इससे इस मशीन की क्षमता बढ़कर 120 मे0वा0 हो जायेगी, इस प्रकार विद्युत उत्पादन क्षमता 10 मे0वा0 की वृद्धि हो जायेगी।

केन्द्रीय क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाएं :-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मे0वा0)	टिप्पणी उ0प्र0 का संभावित अंश	संभावित ऊर्जीकरण की तिथि
1	बिल्होर एन0टी0पी0सी0	1320	660 मे0वा0	2018-19
2	खुर्जा टी0एच0डी0सी0	1320	792 मे0वा0	2017-18
3	टाण्डा विस्तार एन0टी0पी0सी0	1320	832 मे0वा0	2017-18
4	ऊंचाहार स्टेज-4 एन0टी0पी0सी0	500	250 मे0वा0	2016-17
	योग	**4460**	**उ0प्र0 का कुल अंश 2534 मे0वा0**	

निजी क्षेत्र

(1) आई0पी0पी0

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मे0वा0)	टिप्पणी	लक्ष्य
1	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, मे0 अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं0, पी0पी0ए0 दिनांक 12-11-2006	330	-	सभी इकाइयां वित्तीय वर्ष 2014-15 तक आनी सम्भावित। उ0प्र0 का अंश-290 मे0वा0
योग		330		उ0प्र0 का अंश-290 मेगा वाट

(2) एम0ओ0यू0 रूट के अन्तर्गत नई परियोजनायें

क्र0सं0	परियोजनाओं का नाम	कुल क्षमता (मे0वा0)	टिप्पणी	लक्ष्य
1	भोगनीपुर पावर परियोजना मे0 हिमावत पावर प्रा0लि0 (2×660 मे0वा0) जिला कानपुर देहात, समझौता ज्ञापन दिनांक 25-08-10, पी0पी0ए0 दिनांक 14-12-10	1320	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोल लिंगेज न स्वीकृत किये जाने के कारण फाइनेन्शियल क्लोजर नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप परियोजना स्थापना का कार्य विलम्बित है।	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 52 व 58 माह उ0प्र0 का अंश-1188 मे0वा0
2	भोगनीपुर पावर परियोजना (फेज-II) मे0 लैन्को अनपारा पावर प्रा0लि0 (2×660 मे0वा0) जिला कानपुर देहात, समझौता ज्ञापन दिनांक 04-11-10, पी0पी0ए0 दिनांक 14-12-10	1320	- तदैव -	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 52 व 58 माह उ0प्र0 का अंश-1188 मे0वा0

3	ललितपुर पावर परियोजना मे0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (3×660 मे0वा0) जिला ललितपुर, समझौता ज्ञापन दिनांक 22-04-10, पी0पी0ए0 दिनांक 10-12-10	1980	फाईनेन्शियल क्लोजर दि0 24-08-11 को प्राप्त परियोजना निर्माणाधीन किन्तु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से कोल लिंकेज नहीं स्वीकृत।	फाईनेन्शियल क्लोजर दिनांक 24-08-2011 से क्रमशः 52, 58 व 64 माह अर्थात दिसम्बर 15, जून, 16 व दिसम्बर, 16 उ0प्र0 का अंश-1980 मे0वा0
4	मुर्का पावर परियोजना निकट बरगढ़ जिला चित्रकूट मे0 क्रिएटिव थर्मोलाइट समझौता ज्ञापन दिनांक 28-10-10, पी0पी0ए0 दिनांक 31-12-10 (2×300 मे0वा0)	600	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोल लिंकेज न स्वीकृत किये जाने के कारण फाइनेन्शियल कलोजर नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप परियोजना स्थापना का कार्य विलम्बित है।	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 33 व 37 माह उ0प्र0 का अंश-540 मे0वा0
5	ललितपुर (फेज-II) पावर परियोजना मे0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (3×660 मे0वा0) जिला ललितपुर, समझौता ज्ञापन दिनांक 14-12-10, पी0पी0ए0 दिनांक 30-12-10	1980	-तदैव-	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 52, 58 व 64 माह उ0प्र0 का अंश-1980 मे0वा0
6	बाराबंकी परियोजना जिला बाराबंकी मे0 पारिख एल्युमिनेक्स (1×250 मे0वा0) समझौता ज्ञापन दिनांक 14-12-10, पी0पी0ए0 दिनांक 01-01-11	250	-तदैव-	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 33 माह उ0प्र0 का अंश-250 मे0वा0

7	औरैया परियोजना जिला औरैया मे0 यूनिटेक मशीन्स लि0 (1×250 मे0वा0) समझौता ज्ञापन दिनांक 15-12-10, पी0पी0ए0 दिनांक 31-12-10	250	-तदैव-	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 33 माह उ0प्र0 का अंश-225 मे0वा0
8	सण्डीला पावर परियोजना जिला सण्डीला मे0 टारेण्ट पावर लि0 (2×660 मे0वा0) समझौता ज्ञापन दिनांक 31-12-10, पी0पी0ए0 दिनांक 04-01-11	1320	-तदैव-	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 52 व 58 माह उ0प्र0 का अंश-1188 मे0वा0
9	मिर्जापुर पावर परियोजना जिला मिर्जापुर मे0 वेलस्पन पावर प्रा0 लि0 (2×660 मे0वा0) समझौता ज्ञापन दिनांक 31-12-10, पी0पी0ए0 दिनांक 04-01-11	1320	-तदैव-	फाईनेन्शियल क्लोजर से क्रमशः 52 व 58 माह उ0प्र0 का अंश-1320 मे0वा0
	कुल स्थापित क्षमता (मे0वा0) उ0प्र0 का अंश (मे0वा0)	10,340 9859		
योग		10340		उ0प्र0 का अंश 9859 मे0वा0

(3) फेस-2

क्र0सं0	परियोजना का नाम	इकाइयों की संख्या	कुल क्षमता (मे0वा0 में)	टिप्पणी
1	बारा तापीय परियोजना	3×660	1980	बिडिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत मै0 जे0पी0 एसोसिएट्स को चयनित किया गया जिनके द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विद्युत इकाईयों की कमीशनिंग की संभावित तिथि प्रथम इकाई अगस्त, 2014, द्वितीय इकाई जनवरी, 2015 एवं तृतीय इकाई जून, 2015 है। उ0प्र0 का अंश-1782 मे0वा0

2	करछना तापीय परियोजना	2×660	1320	परियोजना हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्वेश कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा की जा रही है। प्रदेश हित में परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यों के निर्बाध क्रियान्वयन के प्रयोजन से परियोजना के निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उ0प्र0 का अंश-1188 मे0वा0
3	जवाहरपुर तापीय परियोजना	2×660	1320	विकासकर्ता के चयन की कार्यवाही प्रगति पर है। परियोजना हेतु कोल लिंकेज कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत किया जाना प्रतीक्षित है। उ0प्र0 का अंश-1320 मे0वा0
			4620	
योग			4620	उ0प्र0 का अंश 4290 मेगावाट

जल विद्युत निगम :-

जल विद्युत निगम के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के माध्यम से 4 लघु जल विद्युत परियोजनायें जिनकी क्षमता 12.95 मे0वा0 है, विकसित की जा रही है जिनके मार्च, 2015 में प्रारम्भ होने की संभावना हैं। इसके अतिरिक्त 1.5 मे0वा0 की एक परियोजना के रिविडिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जल विद्युत निगम द्वारा 1.5 मे0वा0 क्षमता की खारा लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसके निर्माण का अनुबन्ध फर्म का चयन कर दिनांक 11-06-2013 को किया गया है इसे जून, 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

नत्थी (ग)

देखिये ता0प्र0 सं0 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ-55 पर

क्रम संख्या-29 (क)

उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या-280/62-1-2013-7 डब्लूपी-2004 टीसी-III

लखनऊ, 18 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक व शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूजल संसाधनों पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता के दृष्टिगत एवं इस संसाधन के विवेकयुक्त उपयोग, विनियमित दोहन और प्रभावी संरक्षण के उद्देश्य से ''प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति'' लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। समग्र नीति संलग्न है, जो तत्काल रूप से प्रभावी होगी।

भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु

''समग्र नीति''

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां भूगर्भ जल सम्पदा ने प्रमुख सिंचाई साधन के रूप में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसका आकलन इस तथ्य से होता है कि प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत सिंचित कृषि मुख्य रूप से भूगर्भ जल संसाधनों पर निर्भर है। वहीं, पेयजल एवं औद्योगिक सेक्टर की अधिकांश जल आवश्यकताओं की पूर्ति भी भूगर्भ जल से ही होती है। परिणामस्वरूप, प्रदेश के अनेक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और यह प्राकृतिक संसाधन अनियंत्रित दोहन के साथ-साथ प्रदूषण व पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण गम्भीर संकट में है।

राज्य सरकार इस संसाधन के सस्टेनेबल प्रबन्धन के साथ-साथ इसे संरक्षित करने के लिए गम्भीर है और इसी कड़ी में वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल रिचार्ज व एक्यूफर प्रबन्धन जैसे कार्यक्रमों को शासन की प्राथमिकताओं में रखा गया है। वर्तमान में भूगर्भ जल संसाधनों का प्रबन्धन काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भूजल संरक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित व संचालित करने में प्रदेश स्तर पर समेकित व्यवस्था का अभाव है और अधिकांश योजनाओं को पृथक ढंग से चलाये जाने से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि प्रदेश में भूजल प्रबन्धन के लिए वर्तमान में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है।

प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के दीर्घकालिक प्रबन्धन एवं नियोजन तथा भूजल दोहन के नियंत्रण, भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन एवं विभिन्न विभागों द्वारा रिचार्ज हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी समन्वय व अनुश्रवण के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2004 द्वारा भूगर्भ जल विभाग को 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर अब यह सोच बन रही है कि भूजल विकास/दोहन की विद्यमान प्रक्रिया के स्थान पर 'भूजल प्रबन्धन' के सिद्धान्त को लागू किया जाये। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 'सस्टेनेबल भूजल प्रबन्धन' पर गठित किये गये कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में 'राष्ट्रीय भूजल प्रबन्धन कार्यक्रम' की परिकल्पना को अवधारित करते हुए सम्पूर्ण देश में भूगर्भ जल संसाधनों के समेकित नियोजन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन पर बल दिया है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित प्रबन्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भूगर्भ जल संसाधनों के समेकित नियोजन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन पर बल दिया गया है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूगर्भ जल संसाधनों को नीतिगत निर्णयों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उचित स्थान दिया जाये।

प्रदेश में भूजल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन, विभिन्न योजनाओं में भूगर्भ जल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों को एकीकृत ढंग से लागू करने तथा जल उपयोग की दक्ष विधाओं द्वारा भूजल दोहन के वर्तमान स्तर में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 'समग्र भूजल प्रबंधन नीति' बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

इस संदर्भ में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'कार्यकारी समिति' की दिनांक 28 जून, 2012 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ''प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति बनाने का उत्तरदायित्व भूगर्भ जल विभाग को दिया जाये।'' इसके अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2012 के माध्यम से प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति बनाने का दायित्व भूगर्भ जल विभाग को दिया गया है। शासनादेश में यह अपेक्षा भी की गयी है कि समस्त विभाग इस सम्बन्ध में भूगर्भ जल विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करेंगे।

1. आमुख (Preamble)

''जल'' एक प्राकृतिक संसाधन है जो उन पांच मौलिक तत्वों में से एक है, जिनसे सृष्टि का सृजन हुआ है। जीवन में जल के महत्व का आकलन इसी से होता है कि प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का विकास जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नदियों के किनारे किया जाता रहा है। यद्यपि यह एक सीमित संसाधन है, किन्तु सीमित उपलब्धता के पश्चात् भी यह संसाधन मनुष्य, जीव-जन्तुओं की आवश्यकताओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा तथा सतत् विकास का एक प्रमुख आधार है।

सौभाग्य से उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र 'गंगा-यमुना' नदियों के मैदानी भूभाग के अन्तर्गत आता है, जो विश्व में भूजल के धनी भण्डारों में से एक है। विगत वर्षों में इस राज्य में जल की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूगर्भ जल संसाधनों पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ी है। यह भूगर्भ जल प्रकृति में विद्यमान 'जल-चक्र' का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके डायनामिक स्रोत की वार्षिक प्रतिपूर्ति सामान्यतः वर्षा जल एवं अन्य स्रोतों से होती है, किन्तु इस प्राकृतिक सम्पदा के इन वैज्ञानिक पहलुओं को बिना समझे इस संसाधन को असीमित मानते हुए विगत दशकों में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में इसका अतिनियोजित एवं अनियंत्रित दोहन किये जाने तथा साथ ही इस सम्पदा के प्रभावी प्रबन्धन एवं नियोजन की वर्तमान में कोई समेकित व्यवस्था न होने से प्रदेश के भूगर्भ जल संसाधनों में क्षेत्रीय विषमता के साथ पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और परिणामस्वरूप यह संसाधन, उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से गम्भीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है।

कृषि, औद्योगिक व शहरी क्षेत्रों में 70 के दशक के बाद भूगर्भ जल का अप्रत्याशित विकास/दोहन देखने में आया है। भूगर्भ जल आधारित सिंचाई से जहां कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, वहीं पेयजल आपूर्ति एवं औद्योगिक सेक्टर की जल मांग को पूरा करने में भी इस संसाधन का सर्वाधिक योगदान रहा है परन्तु इसके अनियोजित व असीमित दोहन होने से प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जल स्तर में गिरावट, भूजल की उपलब्धता में कमी, उथले नलकूपों/नलकूपों की असफलता, भूजल प्रदूषण आदि समस्याएं प्रमुख हैं। परिणामस्वरूप, राज्य के कई भागों, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में, भूगर्भ जल स्रोतों की उपलब्धता में चिन्ताजनक स्तर तक कमी आ गयी है।

इस प्राकृतिक संसाधन के प्रभावी प्रबन्धन, नियोजन एवं संरक्षण के लिए किसी उपयुक्त प्रणाली के अभाव में प्रदेश में भूगर्भ जल संकट के प्रभावी समाधान हेतु एक सक्रिय पहल की आवश्यकता है। अतः भूजल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन एवं प्रभावी संरक्षण हेतु एक 'समग्र नीति' बनाया जाना अपरिहार्य हो गया है, जिससे विभिन्न योजनाओं/कार्यों में जल आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूगर्भ जल की उपलब्धता में निरन्तरता बनी रहे तथा विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग चलायी जा रही भूजल योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समन्वित एवं एकीकृत रूप से किया जा सके।

2. चुनौतियां

- प्रदेश के कई भागों में भूगर्भ जल गुणवत्ता (quality) एवं मात्रा (quantity) की दृष्टि से भारी दबाव (stress) की स्थिति में पहुंच रहा है, जिसके कारण इस प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा एक गम्भीर विषय बन गया है।
- भूगर्भ जल का inequitable एवं अनियोजित विकास किए जाने से कई क्षेत्रों में अतिदोहन व जल प्लावन की विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
- शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भूगर्भ जल के विवेकयुक्त उपयोग व इसके असीमित दोहन को नियंत्रित करने की दिशा में नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।
- भूजल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण सुरक्षित जल की सतत् आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है।
- शहरों में भूजल संसाधन आकलन के मानक निर्धारित न होने के कारण इसकी उपलब्धता की वास्तविक गणना नहीं हो पा रहा है।
- भूजल समस्याओं के सम्बन्ध में समग्र और अन्तर्विभागीय (inter-disciplinary) दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- भूजल संसाधनों के नियोजन, प्रबन्धन एवं उपयोग के संदर्भ में समेकित एवं समन्वित प्रयास आवश्यक है।

विभिन्न अध्ययन निष्कर्षों के आधार पर प्रमुख चुनौतियों के रूप में प्रदेश में निम्नानुसार चार प्रमुख समस्याएं चिन्हित की गयी हैं :-

1. *अनेक क्षेत्रों (ग्रामीण/शहरी) में अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में व्यापक गिरावट होने से भूजल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित।*
2. *नहर समादेश क्षेत्र के अन्तर्गत उथले भूजल स्तर (0-3 मीटर) वाले क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न होने से कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव।*
3. *अनेक ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में रसायनिक व वैक्टीरियोलाजिकल प्रदूषण के कारण भूजल गुणवत्ता प्रभावित होने से सुरक्षित, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल तथा सुरक्षित सिंचाई जलापूर्ति की समस्या।*
4. *बुन्देलखण्ड-विन्ध्यन क्षेत्र में भूजल उपलब्धता की कमी एवं वर्षा जल के अत्यधिक रन-आफ होने से भूजल रिचार्ज की समस्या।*

3. प्रदेश में भूजल का परिदृश्य

- प्रदेश में जल आधारित योजनाओं में मुख्य रूप से भूजल संसाधनों का उपयोग किया जाता है-

- सिंचाई क्षेत्र	:	70 प्रतिशत
- पेयजल	:	80 प्रतिशत
- औद्योगिक क्षेत्र	:	85 प्रतिशत

- भूजल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2000 में प्रदेश में भूजल विकास/दोहन की दर 54.31 प्रतिशत आंकी गयी थी, जो बढ़कर वर्ष 2009 में 72.16 प्रतिशत हो गयी है।

- लघु सिंचाई सेक्टर में 41 लाख उथले नलकूप, 25730 मध्यम नलकूप व 25198 गहरे नलकूप तथा 29595 राजकीय नलकूपों से बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन हो रहा है।
- पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 630 शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 5200 मिलियन लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 7800 मिलियन लीटर से अधिक भूजल का दोहन किया जा रहा है।
- विगत वर्षों में 820 विकासखण्डों में से 630 विकासखण्डों में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज हुई है।

सर्वाधिक संकटग्रस्त विकासखण्ड

- **वर्ष 2000, 2004 एवं 2009 में किये गये भूजल उपलब्धता आकलन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के 07 विकास खण्ड यथा-बिनौली (जनपद-बागपत), आसफपुर एवं बिसौली (जनपद-बदायूं), मरहरा (जनपद- एटा), सम्भल (जनपद-सम्भल), गंगोह एवं नकुर (जनपद-सहारनपुर) निरन्तर अतिदोहित/क्रिटिकल स्थिति में बने हुए हैं। इस प्रकार भूगर्भ जल की दृष्टि से इन विकासखण्डों की स्थिति सर्वाधिक गम्भीर एवं चिन्ताजनक है।**
- **वर्ष 2009 के भूजल उपलब्धता आकलन में 13 अतिदोहित विकासखण्ड ऐसे हैं, जहां भूजल विकास/दोहन की दर वार्षिक भूजल रिचार्ज के सापेक्ष 150 प्रतिशत पाई गयी है। इनमें सर्वाधिक चिन्ताजनक स्थिति जनपद- शामली के विकासखण्ड ऊन एवं शामली एवं जनपद सहारनपुर के विकासखण्ड नकुर की है, जहां भूजल विकास/दोहन की दर क्रमशः 334.20%, 323.14%, एवं 260.28% आंकी गयी है।**

- भूजल उपलब्धता के नवीनतम आकलन (31 मार्च, 2009 पर आधारित) के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 76 विकासखण्ड अतिदोहित, 32 क्रिटिकल तथा 107 सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत हैं। वर्ष 2000 में अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या मात्र 20 थी, जो पांच गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2009 में 108 पहुंच चुकी है।
- प्रमुख शहरों में भी अतिदोहन के कारण भूजल स्तर में प्रतिवर्ष भारी गिरावट रिकार्ड की गयी है। कई शहरों में तो यह गिरावट औसतन 0.4 मी0 से लगभग 1.0 मी0 प्रतिवर्ष की दर से

हो रही है, जो एक भयावह स्थिति है। भूजल स्तर अनुश्रवण आंकड़ों के अनुसार मेरठ में प्रतिवर्ष यह गिरावट 91 सेमी0, गाजियाबाद में 79 सेमी0, गौतमबुद्धनगर में 76 सेमी0, लखनऊ में 70 सेमी0, वाराणसी में 68 सेमी0, कानपुर में 65 सेमी0, इलाहाबाद में 62 सेमी0 एवं आगरा में 45 सेमी0 की दर से आंकी गई है।

- स्पष्ट है कि प्रदेश में भूजल संसाधनों पर दबाव (stress) निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

4. परिकल्पना (Vision)

- **विभिन्न हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुसार प्रदेश में सस्टेनेबल भूजल प्रबन्धन के सिद्धान्तों पर आधारित लक्ष्यों (goals) का निर्धारण एवं उनको लागू करना।**
- भूजल संसाधनों के समेकित विकास, संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में ''एक्यूफर मैपिंग'' एवं एक्यूफर आधारित भूजल प्रबन्धन लागू करना।
- राज्य में भूगर्भ जल के दोहन एवं उपयोग और उसके सम्वर्धन एवं पुनर्भरण का कुशल प्रबन्धन किया जाना।
- भूजल दोहन, विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रदेश में प्रभावी विनियमन एवं विधिक ढांचे की व्यवस्था करना।

5. मुख्य लक्ष्य (Goals)

- सम्पूर्ण प्रदेश में एक्यूफर आधारित भूजल प्रबन्धन योजना बनाकर उसे ''सहभागी प्रबन्धन'' के सिद्धान्त के आधार पर प्राथमिकता पर लागू किया जाना।
- अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाना तथा इस हेतु भूजल विकास/दोहन के स्तर को समेकित प्रयासों द्वारा भूगर्भ जल रिचार्ज के सापेक्ष 70 प्रतिशत से कम रखना।
- शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु सतही जल एवं भूजल के एकीकृत प्रबन्धन को लागू करना।
- जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना तथा जागरूकता उत्पन्न करके जल की बरबादी को रोकना।

6. उद्देश्य (Objectives)

- भूगर्भ जल संसाधनों का विनियमित दोहन तथा अनुकूलतम (optimum) एवं विवेकयुक्त उपयोग किया जाना।
- समग्र भूजल प्रबन्धन हेतु एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित प्रबन्धन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में प्राथमिकता पर योजनाबद्ध तरीके से आरम्भ किया जाना।
- भूजल सम्वर्धन कार्यक्रम को वृहद स्तर पर एकीकृत रूप से लागू करना तथा अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों को समयबद्ध रूप से सुरक्षित श्रेणी में लाना।
- सतही जल एवं भूजल के conjunctive use को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- संकटग्रस्त भूजल क्षेत्रों में जल उपयोग की efficient विधाओं को प्रोत्साहित करना।

- भूजल प्रबन्धन, नियोजन एवं संरक्षण में रिवर बेसिन/वाटरशेड अप्रोच को प्राथमिकता देना।
- प्रदूषित भूजल स्रोतों को चिन्हित कर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित कराना।
- विभिन्न सम्बंधित विभागों द्वारा भूजल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यक्रमों को सहभागी प्रबन्धन के आधार पर समन्वित एवं एकीकृत ढंग से लागू करना।
- भूजल प्रबन्धन के लिए प्रभावी विधिक ढांचे की व्यवस्था करना।
- शोध एवं प्रशिक्षण के साथ जन जागरूकता को बढ़ावा देना।

7. रणनीति एवं मुख्य कार्य बिन्दु

7.1-एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित भूजल प्रबन्धन

- भूजल संसाधनों के समग्र प्रबन्धन के उद्देश्य से भारत सरकार के एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित प्रबन्धन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को वृहद स्तर पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
- इसके अन्तर्गत भविष्य में भूजल संसाधनों के नियोजन, दोहन, उपयोग एवं संरक्षण से सम्बन्धित योजनाओं के निष्पादन की रणनीति, क्षेत्र-विशेष के एक्यूफर मैनेजमेन्ट प्लान पर ही निर्भर होगी।
- इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों को आगामी 10-15 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से आच्छादित करने की योजना है।
- इस वृहद कार्यक्रम का क्रियान्वयन केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूगर्भ जल विभाग एवं राज्य के अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से किया जायेगा।

रणनीति के निर्धारण में निम्न बिन्दुओं को प्राथमिकता दी गयी है:-

- भूगर्भ जल का विकास प्रदेश की आवश्यकता है, अतः इस बहुमूल्य संसाधन का दीर्घकालिक प्रबन्धन एवं नियोजन, विशेषकर अतिदोहित/गुणवत्ता प्रभावित जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में किया जाना समय की मांग है।
- राज्य में भूगर्भ जल के उचित पुनर्भरण/सम्वर्धन तथा उसके प्रदूषण के निवारण के दृष्टिगत भूगर्भ संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास की भी व्यवस्था किया जाना तत्कालिक आवश्यकता है।
- भूजल संसाधन के न्यायसंगत एवं अनुकूलतम उपयोग हेतु सिंचाई की कुशल तकनीकों को प्रोत्साहित करना, फसल पद्धतियों में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से कम जल की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करना, नमी संरक्षण को प्रोत्साहित करना तथा मांग आधारित (demand side) प्रबन्धन व अन्य जल प्रबन्धन विधाओं को प्रोत्साहित किया जाना।
- भूजल संरचनाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निर्धारित करना।
- भूजल के दोहन, उपयोग, पुनर्भरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विधायी उपाय करना।

- प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत भी एक्यूफर मैपिंग का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा।

- उक्तानुसार मैपिंग के आधार पर ''एक्यूफर आधारित भूजल प्रबन्धन योजना'' बनायी जायेगी, जो प्रदेश में भूजल संसाधनों के समग्र विकास, संरक्षण एवं नियोजन की दिशा तय करेगी।
- सहभागी प्रबन्धनः एक्यूफर-वार भूजल प्रबन्धन का कार्य सहभागिता अप्रोच के आधार पर किये जाने पर बल दिया जायेगा।
- इस कार्यक्रम को भूजल प्रबन्धन के क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार/पहल (major reform/ initive) के रूप में देखा जा रहा है।

एक्यूफर मैपिंग व एक्यूफर प्रबन्धन का कार्यक्रम मात्र एक्यूफर के मानचित्रों को तैयार करना नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में कुशल एवं सहभागी भूजल प्रबन्धन के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ आगामी 50 वर्षों की जल मांग से जुड़ी चुनौतियों के प्रभावी निदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। भविष्य में इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भूगर्भ जल का एक एक्यूफर इकाई के रूप में प्रबन्धन किया जायेगा। इस कार्यक्रम को भूजल प्रबन्धन के क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार/पहल (major reform/initiative) के रूप में देखा जा रहा है।

7.2-भूजल का अनुकूलतम उपयोग तथा दोहन का नियोजित प्रबन्धन

प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस संसाधन के विवेकयुक्त, अनुकूलतम एवं मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा देने तथा इसके नियोजित विकास/दोहन के लिए ठोस उपाय लागू किये जाये।

- यह देखा गया है कि भूजल आधारित योजनाओं में जल वितरण प्रणाली में व्याप्त कमियों के कारण बड़ी मात्रा में भूजल की बर्बादी होती है। एक आकलन के अनुसार, शहरों में जलापूर्ति वितरण प्रणाली में लीकेज से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पेयजल की बर्बादी होती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों से खेत तक पानी पहुंचने में भी काफी भूजल की हानि होती है। वहीं, समुचित जानकारी के अभाव में फसलों में आवश्यक मात्रा से अधिक सिंचाई किये जाने से भूगर्भ जल का दोहन भी आवश्यकता से अधिक किया जाता है।

(अ)-शहरी क्षेत्र हेतु प्रबन्धन उपाय

प्रदेश में 630 शहरी निकाय हैं, जहां अधिकांश पेयजल आपूर्ति भूगर्भ जल से की जाती है। परिणामस्वरूप, अनेक शहरों में भूजल स्रोत अत्यधिक दबाव (stress) में आ गये हैं। इन संकटग्रस्त शहरों में भूजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु निम्न 'प्रबन्धन उपाय' अपनाने पर बल दिया जायेगा :-

- जलापूर्ति में लीकेज से होने वाले लगभग 40 प्रतिशत हानि (losses) को रोकने के प्रभावी प्रयास जल निगम द्वारा किये जायें, जिससे भूजल की बचत के साथ दोहन में भी कमी आ सके।

- भूजल दोहन के वर्तमान स्तर में कमी लाने के लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता-आधारित (need-based) पेयजल की मात्रा का आकलन करके उसके अनुरूप ही भूजल स्रोतों का दोहन किया जाये। इस परिपेक्ष्य में भूजल दोहन के नियंत्रण हेतु 'रोस्टरिंग' जैसी व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाये।
- प्रमुख शहरों में नलकूपों द्वारा भूजल का दोहन वर्तमान में जिन एक्यूफर्स से किया जा रहा है, उनके दबाव में आ जाने के कारण वर्तमान नलकूपों से जलापूर्ति चरणबद्ध ढंग से बन्द (phase-out) करके भविष्य में नलकूपों का निर्माण केन्द्रीय भूजल बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर वैकल्पिक एक्यूफर्स के रूप में चिन्हित द्वितीय एक्यूफर समूह में किया जाये, जो दीर्घकालिक भूजल प्रबन्धन एवं भूवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में एक ठोस रणनीति बनाने पर विचार किया जाये।
- शहरी सीमा के भीतर भूजल दोहन के दबाव को कम करने के लिए नयी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से नलकूपों का निर्माण शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों (peri urban areas) में ऐसे स्थानों पर किया जाये, जहां उपयुक्त एवं क्षमतावर्धक एक्यूफर्स उपलब्ध हों। ऐसे स्थानों पर नलकूपों को श्रंखलाबद्ध ढंग से (battery of tubewells) निर्मित कर शहर में सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सकती है। नगर विकास विभाग के स्तर पर इस सम्बन्ध में विचार कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

- गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में सतत् पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्ष, जिनमें गंगा नदी के दोनों तटों पर रीजनल स्तर के क्षमतावर्धक (potential) एक्यूफर्स चिन्हित किये गये हैं, के आधार पर 150 मीटर की गहराई तक स्थित प्रथम एक्यूफर समूह में नलकूप निर्माण करके शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जा सकती है। इन अध्ययन निष्कर्षों पर उपयुक्त कार्यवाही हेतु विचार किया जाये।
- पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूगर्भ जल पर निर्भरता कम की जाये तथा सतही जल आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाये।
- भूगर्भ जल स्रोतों के संतुलित उपयोग व नियंत्रित दोहन की दृष्टि से भूजल लेखा-जोखा (ground water audit) कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त हेतु जल निगम, नगर विकास विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(ब)-ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रबन्धन उपाय-

कृषि प्रधान राज्य होने के कारण रबी, खरीब, जायद आदि फसलों की सिंचाई हेतु जल की सतत् आपूर्ति उपलब्ध होना प्रथम आवश्यकता है। सर्व सुलभ होने के कारण प्रदेश में भूगर्भ जल संसाधन एक प्रमुख सिंचाई साधन एक प्रमुख सिंचाई साधन के रूप में स्थापित हो चुका है और इसी कारण सर्वाधिक सिंचाई भूजल स्रोतों से ही की जा रही है। किन्तु इस प्रक्रिया में भूजल का उपयोग असीमित ढंग से बढ़ा है, जिससे अनेक क्षेत्रों में अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। चूंकि भूगर्भ जल एक

सीमित संसाधन है, इस कारण कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिंचाई के नये विकल्पों/विधाओं को लागू करना होगा, जिससे विशेष कर, संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल दोहन के स्तर में प्रभावकारी स्तर तक कमी लायी जा सके।

- नलकूपों से खेत तक जल पहुंचने में होने वाले फील्ड लीकेज को रोकने के लिए हानि-रहित जल वितरण प्रणाली के रूप में 'पाइप सिंचाई' को लघु सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) विभाग द्वारा अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाये, जिससे भूजल की बर्बादी को कम किया जा सके।
- जिन क्षेत्रों में सिंचाई मुख्य रूप से उथले नलकूपों पर निर्भर है, वहां नये नलकूपों का निर्माण अपेक्षाकृत गहरे स्ट्रेटा (वैकल्पिक एक्यूफर्स) में किया जायेगा।
- राजकीय नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई में भूजल के इष्टतम उपयोग हेतु सिंचाई (यांत्रिक) विभाग द्वारा स्प्रिंक्लर प्रणाली को सम्मिलित किया जाये, जिससे भूजल दोहन की दर में कमी के साथ सिंचाई जल का बेहतर प्रबन्धन किया जा सकें।

सूक्ष्म सिंचाई हेतु राष्ट्रीय मिशन
भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इर्रीगेशन) हेतु संचालित

- नहर जल एवं भूजल के सहयुक्त (conjunctive use) उपयोग को बढ़ाया दिया जाये और इसके लिए सिंचाई विभाग के स्तर पर नीतिगत कार्यवाही करने पर विचार किया जाये। इस पद्वति से सतही जल एवं भूजल का संतुलित व अनुकूलतम उपयोग होने के साथ जल प्लावन की समस्या का निदान भी संभव हो सकेगा।

राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत औद्योगिक फसलों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यथाड्रिप एवं स्प्रिंकलर की योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना के क्रियान्वयन में अतिदोहित/ क्रिटिकल विकास खण्डों को

- अतिदोहित क्षेत्रों में नहर जल से सिंचाई करने के लिए भी कृषकों को प्रोत्साहित किया जाये।
- कृषि विभाग के स्तर पर भूजल उपयोग/दोहन में कमी लाने के लिए जल उपयोग की कुशल सिंचाई तकनीकों यथा-स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप प्रणाली को वृहद स्तर पर प्रोत्साहित करते हुए संकटग्रस्त (stressed) क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाये।
- कृषि विभाग द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्रों में कम जल खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित किये जाने की योजना बनाई जाये तथा फसल क्रम में स्थानीय स्वीकार्यता के आधार पर यथा संभव परिवर्तन किये जायें।
- अतिदोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों तथा जल प्लावित क्षेत्रों हेतु कृषि अध्ययनों में उपयुक्त पायी गयी फसलों/प्रजातियों को अपनाया जाये तथा ऐसी फसलों को कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाये जाने के लिए कृषि विभाग द्वारा योजना तैयार की जाये।

7.3-वर्षा जल संचयन एवं भूजल संरक्षण/सम्वर्धन-

भूजल सम्वर्धन विधा एक कृत्रिम पुनर्भरण तकनीक है, जिसमें स्थानीय हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न जल संचयन/संग्रहण एवं रिचार्ज संरचनाओं के माध्यम से भूजल स्रोतों का सम्वर्धन किया जाता है।

विगत वर्षों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की अधिकांश विभागीय योजनाएं पृथक-पृथक ढंग से (isolation) में चलाये जाने से अपेक्षित लाभ नहीं मिले हैं और भूगर्भ जल स्रोतों पर इन योजनाओं का कोई उल्लेखनीय प्रभाव भी परिलक्षित नहीं हुआ है। साथ ही, कार्यों में डुप्लकेसी की सम्भावनाएं भी बनी रहती हैं। यह आवश्यक हो गया है कि रिचार्ज योजनाओं को भूवैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर समेकित ढंग से लागू किया जाये, जिसमें भूजल की स्थिति पर सुधार परिलक्षित हो सके।

- भूजल संरक्षण/रिचार्जिंग के समग्र तकनीकी मार्ग-निर्देश (गाइड लाइन) भूगर्भ जल विभाग द्वारा नये सिरे से तैयार किये जा रहे हैं। इसी के साथ 'भूजल सम्वर्धन मैनुअल' बनाया जायेगा, जिसमें रिचार्ज के सरल माडल एवं तकनीकी को सम्मिलित किया जायेगा।
- वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज की परम्परागत विधियां पर्याप्त नहीं हैं। इसके दृष्टिगत रिचार्ज की ऐसी तकनीकों, जिससे बड़े पैमाने पर रिचार्ज कराया जा सके, की उपयुक्तता के आकलन के लिए पायलट के रूप में लघु सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) विभाग द्वारा योजना चलाने पर विचार किया जाये। उद्देश्य यह है कि जल की अधिकता वाले क्षेत्र अथवा नहरों आदि में उपलब्ध अतिरिक्त जल को पम्प करके संकटग्रस्त क्षेत्रों के एक्यूफर्स में बड़ी मात्रा में रिचार्ज कराया जा सके। किन्तु ऐसी योजनाओं को लागू करने से पूर्व जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- अनुभवों के आदान-प्रदान (experience sharing) की दृष्टि से गुजरात, आन्ध्र प्रदेश व अन्य राज्यों में लागू सहभागी वाटरशेड प्रबन्धन के निष्कर्षों को प्रदेश में क्रियान्वित करने पर विचार किया जायेगा।
- रिचार्ज कार्यों के प्रभाव-आकलन एवं उनके अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित योजनाओं में रखी जायेगी।
- वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज विषय से सम्बन्धित एक अध्याय कक्षा-4 से 12 वीं तक के पाठ्यक्रम में जोड़ने हेतु शिक्षा विभाग के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(अ)-शहरी क्षेत्र में भूजल संरक्षण-

- भूजल संकट वाले प्रमुख शहरों हेतु भूगर्भ जल विभाग द्वारा समग्र recharge plan बनाने की योजना आरम्भ की गई है।
- भूजल रिचार्जिंग हेतु पूर्व वर्षों में निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों की समीक्षा कर नये सिरे से हाइड्रोजियोलॉजिकल मापदण्डों पर आधारित एक समग्र शासनादेश का निर्धारण

शहरी क्षेत्रों हेतु रिचार्ज तकनीकें
-रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग
-रिचार्ज पिट
-रिचार्ज ट्रेन्च
-रिचार्ज वेल
-रिचार्ज शाफ्ट
-कूप (डगवेल)
-तालाब
-सतही जल संग्रहण टैंक
-पेवमेन्ट-स्टार्म वाटर हार्वेस्टिंग।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग व भूगर्भ
जल विभाग द्वारा किया जायेगा।

- भवनों में रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के साथ ''सामूहिक रिचार्ज प्रणाली'' को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राथमिकता पर लागू कराया जाये। इस प्रणाली से समस्त प्रकार के भूखण्डों पर पूर्व निर्मित व नव निर्मित भवन/ग्रुप हाउसिंग स्कीम आच्छादित हो सकेगी। संकटग्रस्त शहरी क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भूजल सम्वर्धन तकनीक को व्यापक स्तर पर सरल एवं व्यवहारिक ढंग से लागू करने के लिए ''सामूहिक रिचार्ज प्रणाली'' सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी।
- छतों पर गिरने वाले वर्षा जल के अधिकतम रिचार्ज हेतु नवनिर्मित होने वाले निजी भवनों पर रिचार्ज प्रणाली की स्थापना के लिए भूखण्ड के क्षेत्रफल की वर्तमान अनिवार्यता 300 वर्ग मी0 को घटाकर व्यवहारिकता की दृष्टि से पुनः 200 वर्ग मी0 किया जाये।
- वर्षा ऋतु में बड़ी मात्रा में व्यर्थ बह जाने सरप्लस रन-आफ को संरक्षित करने के उद्देश्य से पेवमेन्ट-स्टार्म वाटर हार्वेस्टिंग की संभावनाओं का आकलन कर उसे लागू करने पर नगर विकास व आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा विचार किया जाये।
- रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली व सामूहिक रिचार्ज प्रणाली के प्राविधानों को अनिवार्य रूप से स्थापित कराये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रवर्तन (enforcement) एवं मानीटरिंग की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाये।
- रिचार्ज वेल संरचना के निर्माण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी प्रकार का प्रदूषित जल भूगर्भ जल स्रोतों में न पहुंचे।
- नयी आवासीय (सरकारी एवं निजी) योजनाओं में विद्यमान तालाबों के जीर्णोद्धार, नये तालाबों के निर्माण आदि वर्तमान प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा कराया जाये।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। इस प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन समस्त विभागों द्वारा किया जाये।
- जन सामान्य को तकनीकी परामर्श देने के लिए विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत ''तकनीकी प्रकोष्ठ'' की स्थापना एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति करने पर विचार किया जाये।
- संकटग्रस्त शहरों को 'रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिटी' के रूप में विकसित करने के लिए पी0पी0पी0 माडल की सम्भावनाओं तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विचार किया जाये। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज की तकनीकों के बारे में वेबसाइट को इन्टरएक्टिव बनाकर जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब)-ग्रामीण क्षेत्र में भूजल संरक्षण-

- प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाने के उद्देश्य से रिचार्ज के integrated plans तैयार किये जायेंगे। यह कार्यवाही भूगर्भ जल विभाग द्वारा आरम्भ कर दी गई है।
- इन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही एकीकृत ढंग से लघु सिंचाई, जल निगम, भूमि विकास एवं जल संसाधन, कृषि, सिंचाई, वन, भूगर्भ जल आदि विभागों के स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
- उक्त कार्य योजनाओं के प्रस्तावित कार्यों के साथ सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत संचालित रिचार्ज योजनाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- तालाबों, जलाशयों व झीलों को अतिक्रमण से मुक्त कर जल संग्रहण/संरक्षण हेतु प्रयोग में लाया जाये।

मास्टर प्लान

-केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम भूजल रिचार्ज हेतु रु0 9429.28 करोड़ का 'मास्टर प्लान' तैयार किया गया है, जिसमें रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु रु0 1800 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

-इसके अन्तर्गत प्रदेश का 110783.14 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल रिचार्ज हेतु उपर्युक्त पाया गया है। योजना में 5185 एम0सी0एम0 जल की उपलब्धता रिचार्ज हेतु प्रस्तावित है।

- संकटग्रस्त जनपदों में गठित 'रिचार्ज एक्टीविटी कोर टीम' को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा तथा राज्य स्तर पर गठित 'भूजल सम्वर्धन टास्क फोर्स' द्वारा वर्षा जल संचयन के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु अपेक्षित तकनीकी सहयोग दिया जायेगा।
- सेमीक्रिटिकल विकासखण्डों को भविष्य के लिए चेतावनी माना जाये। इसलिए ऐसे विकास खण्डों में भूजल जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर भूजल दोहन में कमी लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त तकनीकें

रिचार्ज बेसिन, डिच एण्ड फर्रोज, फ्लडिंग, तालाब/खेत तालाब, पेरीफरल बांध, कन्टूर बांध/कन्टूर ट्रेन्च, नाला बांध, चेकडैम, गेबियन, गली प्लग, मेंड़बन्दी, परकोलेशन टैंक, सब सरफेस डाइक, डगवेल रिचार्ज आदि।

(स)-औद्योगिक क्षेत्र में भूजल संरक्षण-

- औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज तकनीक को भूवैज्ञानिक मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सावधानीपूर्वक लागू कराया जायेगा, जिससे भूजल स्रोतों में किसी प्रकार के प्रदूषण पहुंचने की सम्भावना न रहे।
- ऐसे क्षेत्र में मुख्य रूप से रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट, रिचार्ज ट्रेन्च, स्टार्म वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा सतही जल संग्रहण आदि तकनीकों को ही लागू किया जाये। प्रदूषण के जोखिम के कारण रिचार्ज वेल विधा को प्रोत्साहित न किया जाये।

- उद्योगों के प्रदूषित उत्प्रवाह को शुद्धिकरण करके अधिकाधिक पुनः उपयोग (रिसाईकल) में लाया जायेगा।

(द)-भूजल संरक्षण एवं वाटरशेड कार्यक्रम-

वैज्ञानिक दृष्टि से वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के समग्र नियोजन हेतु माइक्रो वाटरशेड/माइक्रो बेसिन पद्धति अपनायी जानी चाहिए। भविष्य में इस दिशा में समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

- प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड को रिचार्ज संरचनाओं से संतृप्त (saturate) करने पर बल दिया जायेगा, जिससे एक्यूफर्स में अधिकाधिक वर्षा जल का संग्रहण हो सके और भूजल स्रोतों में स्थायित्व आ सके।

- बुन्देलखण्ड-विन्ध्य के पठारी क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा के बाद भी अत्याधिक रन-आफ होने के कारण एक्यूफर्स में अपेक्षित रिचार्ज नहीं हो पाता है। इन क्षेत्रों में एक्यूफर के समुचित रिचार्ज हेतु लधु सिंचाई, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन आदि विभागों द्वारा माइक्रों वाटरशेड आधारित समेकित योजनाएं तैयार कर लागू की जायें।

- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ''समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम' (IWMP) के अन्तर्गत जल संचयन एवं रिचार्ज के कार्य कृषि तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शर्त है कि यह कार्य ऐसे क्षेत्र में कराये जायें, जो असिंचित हों अथवा जहां सिंचाई की सुविधा 30 प्रतिशत से कम हो। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, वहां यह कार्यक्रम नहीं चलाये जा सकते हैं।

- भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के 70 जनपदों में IWMP के अन्तर्गत 85.09 लाख हे0 क्षेत्र का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया गया है, जिसमें योजना के प्राविधान के अनुसार 108 अतिदोहित/क्रिटिकल एवं 107 सेमीक्रिटिकल विकासखण्डों के लगभग 4 लाख हे0 क्षेत्र में विभिन्न संरक्षण कार्य प्रभावित है।

- अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों के ऐसे क्षेत्रों में, जहां सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, वहां केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम की योजनाएं आरम्भ कराये जाने के लिए केन्द्र सरकार से उक्त शर्त को शिथिल करने हेतु अनुरोध किया जाये।

(य)-रिचार्ज कार्यों का प्रभाव आकलन एवं अनुरक्षण-

- वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की कार्य योजनाओं में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य कराये गये हैं अथवा कराये जायें, उनका प्रभाव भूजल स्रोतों पर क्या पड़ा ? इस हेतु प्रभाव-आकलन का प्राविधान रिचार्ज योजनाओं में रखा जायेगा और प्रभाव-आकलन की रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सम्बन्धित विभाग का रहोगा।

- भूजल रिचार्ज संरचनाओं को क्रियाशील रखे जाने हेतु इन संरचनाओं के नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था भी सम्बन्धित योजनाओं में रखी जायेगी।

7.4-भूजल विनियमन प्रक्रिया का निर्धारण-

प्रदेश में भूजल प्रबन्धन एवं विनियमन हेतु कोई विधिक व्यवस्था वर्तमान में लागू नहीं है।

- वर्तमान शासकीय प्राविधानों के अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण की किसी भी सरकारी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज के लिए कतिपय प्राविधानों के साथ भवन उपविधियों में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य की गयी है। शासकीय भवनों में भी इस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है।

- प्रदेश में भूजल संसाधन के विनियमित एवं नियंत्रित दोहन तथा भूजल संचयन/संरक्षण हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवहारिक एवं स्वीकार्य विनियमन प्रक्रिया के निर्धारण पर विचार किया जायेगा।
- ''चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भूजल (विनियमन) अधिनियम-1987'' के आधार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक भूजल अधिनियम बनाने पर विचार किया जाये।
- भूजल दोहन हेतु पूर्व निर्मित/निर्मित की जाने वाली संरचनाओं के मध्य न्यूनतम परस्पर दूरी वैज्ञानिक आधार पर स्रोत के स्थायित्व हेतु निर्धारित की जाये। इस हेतु भूगर्भ जल विभाग द्वारा केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नाबार्ड व नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।
- भूगर्भ जल विभाग द्वारा वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय एवं सड़क निर्माण आदि हेतु भूजल विकास से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की वर्तमान शासकीय व्यवस्था को तकनीकी रूप से अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भूजल प्रदूषण के सघन अनुश्रवण एवं नियंत्रण की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाये।

7.5-भूजल गुणवत्त का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यावरण सुरक्षा-

भूजल संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता के साथ इसकी गुणवत्ता भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभागों के अध्ययन निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण की स्थिति चिन्ताजनक है।

- अनेक जनपदों में भूजल की गुणवत्ता विभिन्न रसायनों व भारी धातुओं की अधिकता से प्रभावित है और ऐसे प्रदूषित भूजल के दुष्प्रभाव जन स्वास्थ्य पर देखे जा रहे हैं। भूजल में व्याप्त इस प्रदूषण के सिंचाई जल के माध्यम से विवक chain में पहुंचने की भी संभावनाएं आंकी गयी हैं। उद्योगों द्वारा अशोधित उत्प्रवाह लैण्डफिल में डालने के कारण भूजल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले प्रकाश में आये हैं।
- प्रदेश में भारी संख्या में हैण्डपम्प व सिंचाई नलकूप स्थापित हैं, किन्तु इनमें भूजल गुणवत्ता के आकलन की व्यवस्था नहीं है।

- भूजल गुणवत्ता के मैपिंग की एक समेकित कार्य योजना भू-गर्भ जल विभाग द्वारा तैयार की जाये, जिसके आधार पर उ0प्र0 जल निगम, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, भू-गर्भ जल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण विभाग के समन्वित प्रयासों से भूजल गुणवत्ता की जी0आई0एस0 आधारित समग्र मैपिंग का कार्य किया जायेगा।
- भूजल स्रोतों के सतत् अनुश्रवण के लिये भारत सरकार द्वारा गठित वाटर क्वालिटी असेसमेन्ट अथार्टी के मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अथार्टी द्वारा यूनिफार्म प्रोटोकाल हेतु वाटर क्वालिटी मानीटरिंग अधिसूचना, 2005 निर्गत की गयी है।
- प्रदेश स्तर पर वाटर क्वालिटी असेसमेन्ट अथार्टी के निर्देशानुसार स्टेट लेवल वाटर क्वालिटी रिव्यू कमेटी का पुनर्गठन किया जायेगा।
- भूजल गुणवत्ता के सघन अनुश्रवण हेतु भू-गर्भ जल विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्थायी मानीटरिंग स्टेशन' स्थापित किये जायें।
- औद्योगिक इकाइयों में भूजल स्तर व गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु पीजोमीटर स्थापित करने के लिये अनिवार्य की गई व्यवस्था का अनुपालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रभावी ढंग से कराया जायें।

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पेयजल सुरक्षा योजना का कार्य आरम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनपद झांसी के अतिदोहित विकासखण्ड-मऊरानीपुर तथा जनपद आगरा के अतिदोहित विकासखण्ड-बरौली अहीर में ग्रामवार भूजल स्रोतों के स्थायित्व एवं पेयजल गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु पेयजल सुरक्षा हेतु समग्र योजना बनायी जायेगी। इस योजना का विस्तार प्रदेश के अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों में भी किया जाये।

- इन कार्यों हेतु भू-गर्भ जल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन व अन्य सम्बन्धित संस्थानों का सहयोग लिया जायेगा।

7.6-भूजल अध्ययन एवं शोध

भू-गर्भ जल विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से निम्न अध्ययन/शोध कार्य किये जायेंगे :-

- जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार विकास खण्डवार भूजल संसाधन आकलन प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा।
- शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधन के आकलन हेतु scientific norms निर्धारण किये जाये।
- भूजल आकलन में नवीनतम विधाओं यथा-रिमोट सेंसिंग, आइसोटोप विधि का प्रयोग किया जाये।
- जनपदवार जी0आई0एस0 आधारित भूजल मानचित्र तैयार किये जायेंगे।
- भूजल सेक्टर में नवीन अनुसंधान एवं शोध अध्ययनों को बढ़ावा दिया जायेगा :-
  - भूजल के बहाव, उपलब्धता, स्टोरेज, स्पेसिफिक यील्ड की गणना हेतु हाइड्रोजियोलाजिकल एनालिसिस के अतिरिक्त आधुनिक जियोफिजिकल तकनीक (रजिस्टिविटी इमेजिंग, डिजीटल जियोफिजिकल लागिंग) का प्रयोग भूजल सर्वेक्षण कार्यों में किया जायेगा।

- भावी नियोजन हेतु भूजल माडलिंग का कार्य आरम्भ किया जायेगा।
- भूजल एवं नदी जल के पारस्परिक सम्बन्धों तथा बेस फ्लो का पायलट अध्ययन किया जाये।

- भूजल क्षेत्र में नवीनतम शोध व अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में सेन्टर आफ एक्सेलेन्स के रूप में उच्च स्तरीय 'भूजल शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना पर विचार किया जायेगा।
- उपलब्ध सूचनाओं/आंकड़ों के आधार पर विद्यमान भूजल समस्याओं का क्षेत्रवार विस्तृत परिदृश्य तैयार किया जाये।
- भूजल नियोजन हेतु उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न सेक्टर्स, विशेषकर लघु सिंचाई, पेयजल व औद्योगिक क्षेत्रों में इसके उपयोग व दोहन के स्तर का वस्तुपरक आकलन प्राथमिकता पर किया जायेगा। इससे दोहन/उपयोग की वास्तविक तस्वीर प्राप्त हो सकेगी। शहरों में निजी स्तर पर किये जा रहे दोहन की ठोस जानकारी प्राप्त करने हेतु भी अनुश्रवण की व्यवस्था लागू कराये जाने पर नगर विकास विभाग के स्तर पर विचार किया जाये।

7.7-भूजल आंकड़ों का प्रबन्धन

-भूजल संसाधनों के कुशल प्रबन्धन के लिये विविध भूजल आंकड़ों की सतत् उपलब्धता प्रथम आवश्यकता है। वर्तमान में प्रदेश में भूजल से सम्बंधित 'एकीकृत सूचना प्रणाली' उपलब्ध नहीं है, जिससे सेक्टोरल योजनायें बनाते समय भूजल संसाधनों के समग्र परिदृश्य की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव नहीं हो पाता है। प्रदेश में यद्यपि विभिन्न विभागों में भू-गर्भ जल सम्बन्धी आंकड़ों का अपार भण्डार है, किन्तु इन आंकड़ों के प्रबन्धन की कोई समेकित व्यवस्था न होने से इनका समुचित उपयोग विभिन्न कार्यों/योजनाओं में नहीं हो पाता है।

- विभिन्न विभागों में पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध भूजल संसाधनों के विश्वसनीय आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण की संगठित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रदेश में भूजल आंकड़ों के प्रभावी प्रबन्धन के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप भूगर्भ जल विभाग में जी0आई0एस0 तकनीक आधारित एक दक्ष 'भूजल डाटा बैंक एवं सूचना तंत्र' (राज्य भूजल सूचना-विज्ञान केन्द्र) विकसित किया जायेगा।
- सुरक्षा की दृष्टि से वर्गीकृत आंकड़ों को छोड़कर शेष आंकड़े/सूचनायें वेबसाइट के माध्यम से 'पब्लिक डोमेन' में उपलब्ध रहेगी।
- लघु सिंचाई, सिंचाई, जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित आंकड़े/सूचनायें नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रमुख विभागों से निम्नानुसार आंकड़े/सूचनायें अपेक्षित होंगी-

  (i) लघु सिंचाई विभाग

  -निजी/उथले, मध्यम एवं गहरे नलकूपों से सम्बन्धित विकासखण्डवार आंकड़े ।

-भूजल से सिंचित क्षेत्र के आंकड़े।

-भूजल रिचार्ज संरचनाओं से सम्बन्धित आंकड़ें।

(ii) सिंचाई (यांत्रिक) विभाग

-राजकीय नलकूपों से सम्बन्धित विकासखण्डवार सूचनाएं।

-भूजल से सिंचित क्षेत्र के आंकड़े।

(iii) सिंचाई विभाग

-विकासखण्डवार कमाण्ड/नान कमाण्ड क्षेत्रों से सम्बन्धित मानचित्र एवं सिंचित क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़ें।

-विकासखण्डवार नहरों (अनलाइन्ड/लाइन्ड) की लम्बाई।

-नहरों से सिंचित क्षेत्र के आंकड़ें।

(iv) उ0प्र0 जल निगम

-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल आधारित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित आंकड़ें।

-भूजल गुणवत्ता आंकड़े।

-वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं।

(v) ग्राम्य विकास विभाग

-वर्षा जल संचयन/रिचार्ज से सम्बन्धित आंकड़ें।

(vi) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

-औद्योगिक सेक्टर में भूजल दोहन/उपयोग से सम्बन्धित आंकड़ें।

-भूजल संरक्षण/रिचार्ज से सम्बन्धित आंकड़े।

-उद्योगों में स्थापित पीजोमीटर्स में मापे गये भूजल स्तर एवं गुणवत्ता आंकड़े।

-भूजल गुणवत्ता आंकड़ें।

(vii) आवास एवं शहरी नियोजन

-रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं वर्षा जल संचयन योजना से सम्बन्धित आंकड़ें।

-आवासीय सेक्टर में शासकीय/निजी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में भू-गर्भ जल के उपयोग/दोहन से सम्बन्धित आंकड़ें।

(viii) कृषि/वन/भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

-वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज से सम्बन्धित आंकड़ें।

-वाटरशेड प्रबन्धन कार्यों के आंकड़ें।

-कुशल जल उपयोग सम्बन्धी सूचनायें।

(ix) रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर/राज्य जल संसाधन अभिकरण

-जी0आई0एस0 आधारित आंकड़ें/मानचित्र व भूजल सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट/निष्कर्ष।

(x) रेलवे से जल उपयोग संबंधी आंकड़ें, राजकीय विभागों से उनके अधीन आवासीय परिसरों में भूजल उपयोग एवं दोहन संबंधी आंकड़े।

(xi) वर्षा से सम्बन्धित आंकड़ें (भारतीय मौसम विभाग/राजस्व परिषद)।

अन्य सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक/तकनीकी संस्थानों से भी आवश्यकतानुसार सूचनायें/आंकड़ें एकत्र किये जायेंगे।

7.8-जनपदवार जल प्रबन्ध योजना

- स्थानीय हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक जिले की ''जल प्रबन्धन योजना'' बनायी जायेगी, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग-अलग होगी।
- भूजल की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को सीमांकित किया जायेगा।
- जनपद स्तरीय जल प्रबन्धन योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले में भूजल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, विनियमित दोहन, संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये प्रभावी रणनीति एवं प्राथमिकताएं तय की जायेगी।
- योजना में सेक्टोरल आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विद्यमान भूजल समस्याओं के निदान हेतु अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कार्य योजनाएं चिन्हित की जायेंगी।

7.9-प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता

- प्रदेश में भूजल संसाधन जिस प्रकार विकास योजनाओं का एक अभिन्न अंग बनकर उभरे हैं, उसको देखते हुये यह अपरिहार्य हो गया है कि भू-गर्भ जल के विभिन्न आयामों/पहलुओं की जानकारी लोगों तक अधिकाधिक पहुंचायी जायें।
- जन जागरुकता के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य आयोजित किये जाने वाले 'भूजल सप्ताह' को अधिक व्यापक बनाया जायेगा।
- वृहद भूजल जन जागरुकता हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 'पंचायत से पंचायत' तथा शहरी क्षेत्रों में 'स्कूल से स्कूल' वृहद अभियान चलाकर भूजल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने की योजना बनायी जायेगी।
- सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर capacity building एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाया जायेगा। इसके लिये जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान (वाल्मी), उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान से अपेक्षित सहयोग भी लिया जायेगा।
- भूजल से सम्बन्धित सूचना-शिक्षा-संचार तंत्र (आई0ई0सी0) के विकास हेतु भू-गर्भ जल विभाग के स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।
- भूजल प्रचार-प्रसार में औद्योगिक, व्यवसायिक, व्यापारिक, गैर सरकारी संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया जाये।
- कृषि विभाग की भूमि सेना, सिंचाई विभाग की जल उपभोक्त समितियां एवं शहरी क्षेत्रों में रेजीडेन्ट वेलफेयर समितियां, सिविल डिफेन्स व अन्य सक्रिय संगठनों से भूजल जागरुकता हेतु सहयोग की अपेक्षा रहेगी।

7.10-वर्तमान संस्थागत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में भू-गर्भ जल सेक्टर हेतु एक well-defind संस्थागत ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता है।

- भू-गर्भ जल की नयी चुनौतियों के लिये भू-गर्भ जल विभाग को एक नयी दृष्टि (vision) के साथ सुदृढ़ किया जायेगा।
- संस्थागत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु भूजल सेक्टर की नई समस्याओं एवं जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकट के दृष्टिगत भू-गर्भ जल से सम्बन्धित अन्य विभागों का भी पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विभागीय पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण की सम्भावनाओं/आवश्यकताओं के आकलन हेतु अध्ययन कराया जायेगा।
- संस्थागत प्रणाली में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जायेगा, जो भू-गर्भ जल से सम्बन्धित नियोजन एवं विकास का एकीकरण करे।
- अपनी विभागीय योजनाओं अथवा जल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के अधिकांश विभाग भू-गर्भ जल संसाधनों पर निर्भर हैं, परन्तु वर्तमान में निम्न विभाग भू-गर्भ जल से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़ें हैं :-
    - लघु सिंचाई विभाग
    - सिंचाई विभाग
    - सिंचाई (यांत्रिक) विभाग
    - उ0प्र0 जल निगम
    - कृषि विभाग
    - आवास एवं शहरी नियोजन
    - नगर विकास विभाग
    - ग्राम्य विकास विभाग
    - भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग
    - पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
    - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
    - औद्योगिक विकास विभाग
    - लोक निर्माण विभाग
    - वन विभाग
    - राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निर्माण एजेन्सियां

8-योजना की संरचना, अर्न्तविभागीय समन्वय एवं क्रियान्वयन

- भूजल आधारित योजनायें तैयार/क्रियान्वित करने में सम्बन्धित विभागों द्वारा क्षेत्र विशेष की हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों एवं तकनीकी मार्ग-निर्देशों का समावेश किया जायेगा, जिससे भूजल सम्पदा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और योजना पर्यावरण संगत रहे।
- वर्तमान में सम्बन्धित विभागों में भू-जल सम्बन्धी योजनाओं की संरचना हेतु पृथक से कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसी योजनाओं की संरचना में मार्ग-निर्देश/समुचित तकनीकी सहयोग प्रदान करने तथा अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु भू-गर्भ जल विभाग में दक्ष विशेषज्ञता के साथ एक ''पृथक प्रकोष्ठ'' की स्थापना की जाये।
- समस्त सम्बन्धित विभाग यथा लघु सिंचाई, कृषि, सिंचाई, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, जल निगम, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, औद्योगिक विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग/प्रतिष्ठान, अन्य स्टेकहोल्डर्स नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपसी समन्वय रखेंगे।

9-अनुश्रवण एवं समीक्षा

- समग्र भूजल नीति के प्राविधानों/मार्ग-निर्देशों का क्रियान्वयन और अनुपालन विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध ढंग से किया जायेगा। इसके नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 'समग्र भूजल नीति अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति' का गठन किया जायेगा।
- समिति आवश्यकतानुसार लक्ष्यों की प्राप्ति से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कराने के लिये थर्ड पार्टी अध्ययन जैसे उपाय भी अपना सकेगी।
- भूजल से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, परीक्षण एवं प्रभावकारिता जांचने का कार्य समिति के निर्देश पर कराया जायेगा।

पी0एस0यू0पी0-एल0 153 विधान सभा (274)-17-10-2014 (813) प्रतियां कम्प्यूटर/आफसेट।